वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20

विकास और समेकन
Growth & Consolidation

हमारी प्रगति के मूल सिद्धांत
KEYSTONES OF OUR PROGRESS

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

श्री टी.एन. मनोहरन
अध्यक्ष
Shri T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

श्री एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.02.2020 से)
Shri L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER (from 01.02.2020)

श्री एम.वी. राव
कार्यपालक निदेशक
Shri M.V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

श्री कृष्णन एस.
कार्यपालक निदेशक (01.04.2020 से)
Shri KRISHNAN S.
EXECUTIVE DIRECTOR (from 01.04.2020)

श्री देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक
Shri DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

सुश्री ए. मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक
Ms. A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

श्री सुचीन्द्र मिश्रा
प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार
Shri SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR REPRESENTING
GOVERNMENT OF INDIA

श्री आर. केशवन
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक (26.04.2019 से)
Shri R. KESAVAN
DIRECTOR REPRESENTING
RESERVE BANK OF INDIA (from 26.04.2019)

श्री बिमल प्रसाद शर्मा
शेयरधारक निदेशक
Shri BIMAL PRASAD SHARMA
SHAREHOLDER DIRECTOR

श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
शेयरधारक निदेशक
Shri VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
SHAREHOLDER DIRECTOR

श्री एस. रघुनाथ
अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक
21.10.2019 से 31.03.2020 तक
Shri S. RAGHUNATH
PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR
21.10.2019 TO 31.03.2020

निदेशक जो अवधि के दौरान कार्यालय से मुक्त हुए Directors Demitted Office during the period

श्री आर.ए. शंकर नारायणन
प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.01.2020 को)
Shri R.A. SANKARA NARAYANAN
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER (on 31.01.2020)

श्रीमती उमा शंकर
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक (26.04.2019 को)
Smt UMA SHANKAR
DIRECTOR REPRESENTING
RESERVE BANK OF INDIA (on 26.04.2019)

श्री कृष्णमूर्ति एच.
शेयरधारक निदेशक (26.07.2019 को)
Shri KRISHNAMURTHY H.
SHAREHOLDER DIRECTOR (on 26.07.2019)

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे केनरा बैंक के अध्यक्ष के रूप में आपको संबोधित करते हुए और वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता है।

सर्वप्रथम, मैं केनरा बैंक के साथ आपके निरंतर समर्थन और मूल्यवान साझेदारी के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। यह आपका विश्वास और अद्वितीय समर्थन ही है जिसने 114 साल की समृद्ध विरासत के साथ इस सम्मानित संस्थान को देश का चौथा सबसे बड़ा बैंक बनने में मदद की है। अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए, केनरा बैंक ने लगातार तेजी से बदलते व्यापक आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य में "पसंदीदा बैंक" बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

दुनिया आज कोविड-19 महामारी के रूप में एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रही है। भारत में भी महामारी के बड़े आर्थिक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। सरकार द्वारा लागू किए गए सक्रिय उपायों और चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की समर्पित सेवाओं के कारण उच्च स्वास्थ्य लाभ और कम मृत्यु दर का प्रदर्शन कर पाया है जोकि कोविड-19 से उत्पन्न इस वैश्विक अशांति से भारत के लौटाव को जीता जागता उदाहरण है। वर्तमान चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए नीति निर्माताओं ने त्वरित और प्रभावी रूप से काम किया है।

बैंकिंग क्षेत्र हमेशा सरकार की सुधार प्रक्रिया का एक प्रमुख उत्प्रेरक रहा है और इस बार भी कुछ अलग नहीं है। हमारा बैंक, देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक होने के आधार पर सबसे आगे रहा है। बैंक का प्रत्येक कर्मचारी विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अनुकंपा सहायता प्रदान कर, व्यवसायों के निर्बाध कामकाज को सक्षम करने हेतु विशेष ऋण की सुविधा प्रदान कर, और वित्तीय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जमीनी स्तर पर सभी बाधाओं के बावजूद काम कर रहा है।

बैंक इन चुनौतियों से गुजर रहा है और अपने मजबूत मूल आधार के कारण अनुकूलन के साथ विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र की गतिशीलता के अनुकूल है। वृद्धिशील व्यापार, मजबूत नेटवर्क और ग्राहक, तुलनपत्र को ठीक करने के केन्द्रित प्रयासों और दक्षता में सुधार लाने के लिए जोर देने के साथ आपका बैंक आगे आने वाले समय में निरंतर विकास हासिल करता रहेगा।

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure and a sense of pride to write to you as the Chairman of Canara Bank and present to you the Annual Report for the Financial Year 2019-20.

At the outset, I would like to extend my heartfelt gratitude to you for your continued support and valuable partnership with Canara Bank. It is your trust and unparalleled support that has helped this esteemed institution with 114 years of rich legacy, to become the 4th largest Public Sector bank in the country. While remaining solid on its founding principles, the bank has constantly transformed itself to become the "Preferred Bank" in the fast changing macro-economic and banking landscape.

The world today is facing an unprecedented challenge in the form of the Covid-19 pandemic. In India too, the economic implications of the pandemic are far reaching. Thanks to the pro-active measures taken by the Government coupled with the dedicated services of Medical professionals, Health workers and law enforcing agencies, the resilience of India to sail through this global turbulence caused by Covid-19 is ably demonstrated by the high recovery rate and low mortality rate. The policymakers and regulators have acted promptly and effectively to support the economy amid the current challenges.

The Banking sector has always been a key catalyst of the Government's reform process and it's no different this time. Your Bank, by virtue of being one of the largest banks in the country has been at the forefront. Every employee of the bank has been on the ground, working against all odds, providing compassionate assistance under various Government schemes, facilitating special loans to enable undisrupted functioning of businesses and enabling smooth running of the financial system.

The Bank has been steering through these challenges and adapting to the evolving macro-economic and banking sector dynamics with great resilience owing to its strong core fundamentals. With ever expanding business, strong network and clientele, focused efforts to cleanse the balance sheet and thrust to improve the efficiency, your Bank will continue to achieve sustained growth in the times ahead.

समष्टि-आर्थिक पृष्ठभूमि

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पिछले साल कई परेशानियों का सामना किया, जिसमें कम मांग, वैश्विक व्यापार की मात्रा का कम रहना, अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, ब्रेक्सिट का संकट और अन्य के बीच भू-राजनीतिक तनाव, इस प्रकार वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी का कारण बना। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2020 की शुरुआत में एक सुधार की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप कई देशों में लगाए गए लॉकडाउन ने वैश्विक विकास की संभावनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है। धीरे–धीरे अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ, अधिकांश देशों में आर्थिक गति में सुधार के कुछ नए लक्षण दिखाई देने लगे हैं, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि महामारी कितनी जल्दी खत्म होती है।

पिछले वित्त वर्ष में 6.1% की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में घरेलू अर्थव्यवस्था का विस्तार 4.2% रहा। विकास की गति में कमी, एक मौन कैपेक्स चक्र के साथ-साथ घरेलू खर्चों में गिरावट के कारण हुई, जिसे कोविड-19 महामारी ने और अधिक बढ़ा दिया, जो वित्तीय वर्ष के अंत में सामने आना शुरू हुआ। फिर भी, कृषि क्षेत्र अपनी जरूरी सेवा देता रहा और सरकारी द्वारा खर्च के कारण घरेलू विकास के स्तंभ मजबूत बने रहे।

एक विस्तारित लॉकडाउन के बाद, व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया है और संभवतः आने वाले समय में आर्थिक विकास में एक सुधार देखा जाएगा। वर्तमान चुनौतियों के बीच सरकार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे आगे रहे हैं। सरकार का रुपये 20 लाख करोड़ का राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज, एनबीएफसी, एमएसएमई, कृषि को पुनर्जीवित करने, रोज़गार योजनाओं के माध्यम से नौकरी की सुरक्षा आदि पर जोर देने के साथ, अर्थव्यवस्था को आवश्यक समर्थन प्रदान करेंगे। अप्रैल 2019 के बाद से संचयी 200 आधार अंकों की दर में कटौती के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक उदार मौद्रिक नीति के साथ, यह आर्थिक विकास को गति देगा।

मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधार घरेलू अर्थव्यवस्था की वास्तविक क्षमता को उजागर करेंगे और इससे आने वाले वर्षों में जनसांख्यिकी, डिजिटलीकरण और अधिक विकास प्रक्षेपपथ को अपनाने की मांग का लाभ उठाने में मदद मिलेगी और "आत्मनिर्भर भारत" बनाने का सपना साकार हो पाएंगे।

बैंकिंग परिदृश्य

बैंकिंग क्षेत्र में वित्त वर्ष 2019–20 में ऐतिहासिक क्षण देखा गया, जिसमें सरकारी घोषणा के साथ 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के 4 बैंक के रूप में मेगा विलय हुआ जिसमें सिंडिकेट

Macro-economic backdrop

The global economy faced several headwinds last year ranging from weak demand, slowing global trade volumes, trade war between US and China, Brexit woes and geo-political tensions amongst others, thus leading to a slowdown in global economic growth. While the global economy was initially expected to see a recovery in 2020, the outbreak of Covid-19 pandemic and the consequent lockdowns that were imposed across several countries has severely impacted global growth prospects. With economies gradually opening up, the economic momentum in most countries have started to show some nascent signs of improvement though much depends on how soon the pandemic woes ebb.

The domestic economy expanded at 4.2% in FY2020, as compared to 6.1% in the previous fiscal year. The moderation in growth momentum was due to a weakening in household spending along with a muted capex cycle, which was further exacerbated by the Covid-19 pandemic, which started unfolding towards the end of the financial year. Nevertheless, the agriculture sector owing to its essential service status and Government spending remained strong pillars of domestic growth.

After an extended lockdown, commercial activities have started to resume and will likely translate into a recovery in economic growth going ahead. The Government and the RBI have been at the forefront in aiding the revival of economy amid the current challenges. Government's ₹20 lakh crore fiscal stimulus packages, with a thrust on supporting NBFCs, MSMEs, reviving agriculture, job security through Rojgar yojanas, etc. is sure to provide the much-needed support to the economy. This along with an accommodative monetary policy followed by RBI, with cumulative 200 basis points rate cut since April 2019 is bound to give impetus to economic growth.

I am confident that the structural reforms undertaken by the Government will unleash the true potential of the domestic economy and will help it leverage the strengths of demography, digitisation and demand to embark on a much higher growth trajectory in the years to come and transform the dream of building a "Self-Reliant India" into a reality.

The Banking Scenario

The banking sector witnessed a watershed moment in FY2019-20, with the Government announcement of mega merger of 10 Public Sector Banks (PSBs) into four

बैंक का केनरा बैंक में विलय भी शामिल है। जबकि ये बैंक बेहतर उत्पादों और सेवाओं, कौशल, नीतियों, प्रौद्योगिकी, संवर्धित नेटवर्क और बेहतर पूंजी की स्थिति में समामेलन के रूप में महत्वपूर्ण तालमेल स्थापित करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अधिक मजबूत और अधिक लचीला बनाने के लिए, पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से पीएसबी में ₹70,000 करोड़ के एक अग्रिम पूंजी के अंत:प्रवाह की घोषणा की गई।

बैंकिंग क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण विकास तेज गति से डिजिटलीकरण को अपनाने में रहा है। सरकार के पीएसबी सुधार एजेंडा के अनुपालन में - ईएएसई के साथ-साथ तेजी से विकसित हो रही डिजिटल जरूरतों के अनुकूल होने के लिए, अधिकांश बैंकों ने ऑनलाइन सेवा प्रावधानों और मौजूदा डिजिटल सेवाओं के उन्नयन का सहारा लिया। नए युग की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने और नकद रहित अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र तेजी से बदल रहा है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा वृद्धि वर्ष दर वर्ष 7.93% पर रही, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में क्रेडिट वृद्धि घटकर वर्ष दर वर्ष 6.14% हो गई, जबकि क्रमश: मार्च 2019 में वर्ष दर वर्ष 10.04% और वर्ष दर वर्ष 13.29% थी। यह उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में भी ऋण वृद्धि बरकरार रहे, जबकि जमा वृद्धि उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव के कारण हो रही है, जो भविष्य में अनिश्चितता के कारण आमदनी को बचाने के लिए खर्च पर सावधानी बरत रहा है।

केनरा बैंक– वित्तवर्ष 2019–20 की वित्तीय झलक

केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में कारोबार विस्तार, अनुकूल व्यापार मिश्रण और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार पर अपनी पकड़ बरकरार रखी है। यह वैश्विक और घरेलू व्यापार में वृद्धि से स्पष्ट है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष दर वर्ष 3.19% बढ़कर ₹1076574 करोड़ हो गया, जिसमें वैश्विक जमा वर्ष दर वर्ष 4.39% से बढ़कर ₹625351 करोड़ और वैश्विक अग्रिम वर्ष दर वर्ष 1.58% बढ़कर ₹451223 करोड़ हो गया।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक का चालू और बचत (कासा) जमा वर्ष दर वर्ष 12.24% बढ़त के साथ कारोबार मिश्रण और अधिक अनुकूल हो गया और कासा अनुपात पिछले वर्ष के 30.86% से 31 मार्च 2020 तक 32.59% सुधर गया। अग्रिम मोर्चे पर, बैंक ने अपने उधार को अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों, जैसे, आवास, शिक्षा, और वाहन ऋण सहित कृषि और खुदरा क्षेत्रों में विस्तारित किया है।

बैंक की वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अग्रिम में वर्ष दर वर्ष 5.12% की बढ़त के साथ ही ब्याज से आय के चलते कुल आय वर्ष दर वर्ष 6.30% की वृद्धि के साथ रुपये 56748 करोड़ हो गई। बैंक के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुरूप, गैर–ब्याज आय (व्यापार लाभ को छोड़कर) में पिछले वर्ष के दौरान ₹6173 करोड़ की तुलना में

including the amalgamation of SyndicateBank into Canara Bank. These banks will see significant synergy benefits from the amalgamation in the form of better products and services, skills, policies, technology, augmented network and better capital position. Further to make public sector banks stronger and more resilient, an upfront capital infusion of ₹70,000 crore in PSBs was announced through recapitalisation bonds.

Another significant development in the banking arena has been the fast pace of digital adoption. In adherence to the Government's PSB Reforms Agenda - EASE as well as to adapt to the fast evolving digital needs, majority of the banks resorted to online service provisions and upgradation of existing digital services. The banking sector is fast transitioning, with a thrust to meet the new age banking needs and support a cashless economy.

Scheduled Commercial Banks' deposit growth stood at 7.93% y.o.y while credit growth decelerated to 6.14% y.o.y in FY2019-20 as against 10.04% y.o.y and 13.29% y.o.y in March 2019 respectively. It is expected that the credit growth will remain tepid in the current fiscal as well, while deposit growth is picking up due to change in consumer behavior who is treading cautiously on the expenditure side to save the earnings due to uncertain future.

Canara Bank- FY2019-20 Financial Snapshot

Canara Bank continued to maintain its thrust on business expansion, favorable business mix and improving asset quality in FY2019-20. It's evident from the enhanced global and domestic business. During FY2019-20, global business of the Bank increased 3.19% y.o.y to ₹1076574 crore, with global deposits growing by 4.39% y.o.y to ₹625351 crore and global advances growing 1.58% y.o.y to ₹451223 crore.

The business mix also turned more favourable with Current and Saving (CASA) deposits of the Bank increasing by 12.24% y.o.y during FY2019-20 and the CASA ratio improving to 32.59% as at 31st March 2020 from previous year's 30.86%. On the advances front, the Bank expanded its lending to all productive segments of the economy, like Agriculture and Retail segments including Housing, Education, and Vehicle loans.

Total income of the Bank increased by 6.30% y.o.y to ₹56748 crore during FY2019-20, with interest income including interest on advances increasing by 5.12% y.o.y. In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income (Excl. Trading profit) registered a growth of

14.27% की वृद्धि दर्ज करने के साथ ₹7054 करोड़ हो गई। गैर–ब्याज आय में तेजी से वृद्धि बैंक द्वारा पिछले सभी अंतिम मील लेनदेन को कैप्चर और किसी भी आय रिसाव से बचने के लिए किए गए उपायों को दर्शाती है।

बैंक के कुल व्यय वर्ष दर वर्ष 10.73% की वृद्धि के साथ ₹47388 करोड़ हो गया जो पिछले वित्त वर्ष के दौरान ₹42794 करोड़ था। यह ब्याज खर्चों में वर्ष दर वर्ष 10.76% वृद्धि और परिचालन खर्चों में वर्ष दर वर्ष 10.66% वृद्धि से हुआ है।

कारोबार में विस्तार और ₹9360 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ प्राप्त करने के बावजूद, प्रावधानों में वृद्धि के कारण बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹2236 करोड़ के कुल नुकसान की सूचना दी। मार्च 2020 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 68.13% से बढ़कर 75.86% हो गया। परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंक के लगातार प्रयास से मार्च, 2019 में सकल एनपीए 8.83% से घटकर मार्च 2020 तक 8.21% का परिणाम प्राप्त किया है और नेट एनपीए मार्च 2019 में 5.37% से घटकर मार्च 2020 तक 4.22% हो गया।

बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ, जो कि बेसल III के तहत मार्च 2020 तक 13.65% पर, 10.875% की विनियामक आवश्यकता के विरुद्ध 1.875% के कैपिटल प्रोटेक्शन बफर के साथ पर्याप्त रूप से पूंजीकृत बना हुआ है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केनरा बैंक में ₹6571 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश किया है, जो कि संसूचना दिनांक 27.09.2020 और दिनांक 30.09.2020 के अनुसार भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन के रूप में है। मार्च 2020 तक बैंक की निवल मालियत मार्च 2019 में ₹26180 करोड़ की तुलना में ₹28969 करोड़ हो गई है।

कोविड –19 के दौरान बैंक की तैयारी और समर्थन

हमारा बैंक, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की विरासत के साथ, कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में सबसे आगे रहा। बैंक ने अपने ग्राहकों की सभी वित्तीय जरूरतों को, सभी कोविड-19 संबंधित सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए और अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, तुरंत और कुशलतापूर्वक पूरा किया ।

लॉकडाउन के दौरान हमारे बैंक के कर्मचारी, सभी शाखाओं और एटीएम का सक्रिय संचालन सुनिश्चित करते हुए अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सके। बैंक के वैकल्पिक वितरण चैनल भी पूरी तरह से और प्रभावी रूप से उपयोग किए गए थे। डिजिटल चैनलों का अधिक लाभ उठाने से ई–लेन–देन में 24 करोड़ की वृद्धि हुई। इसके अलावा व्यापार संवाददाताओं (बीसी) सेवाओं को बढ़ाया गया, जिससे शटडाउन के दिनों में बी सी लेनदेन में 1.2 करोड़ की वृद्धि हुई ।

14.27% to ₹7054 Cr compared to ₹6173 crore during last year. The sharp increase in non-interest income reflects the measures taken by the bank to capture all last mile transactions and avoid any income leakage.

Total expenditure of the Bank increased by 10.73% y.o.y to ₹47388 crore from ₹42794 crore incurred during the previous financial year. This is led by 10.76% y.o.y increase in interest expenses and a similar 10.66% y.o.y increase in operating expenses.

Despite an expansion in business and achieving operating profit of ₹9360 crore, Bank reported a net loss of ₹2236 crore for FY2019-20 on account of increase in provisions. Provisions Coverage Ratio (PCR) increased from 68.13% to 75.86% as on 31st March 2020. The consistent focus of the bank in improving the asset quality have yielded results with Gross NPA decreasing from 8.83% as at March, 2019 to 8.21% as at March 2020 and Net NPA reducing from 5.37% as at March 2019 to 4.22% as at March 2020.

The Bank remains adequately capitalised, with Capital Adequacy Ratio, under Basel III at 13.65% as at March 2020 against the regulatory requirement of 10.875%, including capital conservation buffer of 1.875%. Ministry of Finance, Government of India has infused Capital of ₹6571 Crores in Canara Bank during the current financial year by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India vide its communication dated 27.09.2019 and 30.09.2019. Net worth of the Bank, as at March 2020 stood at ₹28969 crore compared to ₹26180 crore as at March 2019.

Bank's preparedness and support during Covid-19

Your Bank, with a legacy to support those in need, remained at the forefront of the country's battle against the Covid-19 pandemic. The Bank promptly and efficiently catered to all financial needs of its customers while duly adhering to all Covid-19 related safety guidelines and taking heightened precautions.

Your bank staff have been effectively discharging their duties with all branches and ATMs being fully operational during the lockdown to avoid any financial exigency. The alternate delivery channels of the bank were also fully and effectively utilized. Greater leveraging of digital channels led to a sharp increase in E-transaction by 24 crore. Further Business Correspondents (BC) services were enhanced thus leading to 1.2 crore BC transactions during the shutdown days.

बैंक ने सभी सरकारी योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और लाभार्थियों को पीएम किसान के तहत ₹783 करोड़ और पीएमजेडीवाई महिला लाभार्थियों को ₹1029 करोड़ की अनुकंपा सहायता प्रदान की । कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता के साथ राष्ट्र निर्माण में भाग लेते हुए, बैंक के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड को ₹15.53 करोड़ का सहयोग प्रदान किया. आगे बैंक ने एक परोपकारी आशय के रूप में, अपनी सीएसआर पहल के एक हिस्से के रूप में कोविड-19 राहत उपायों के लिए ₹4.35 करोड़ उपयोग किया ।

तरलता और नकदी प्रवाह के मुद्दों से प्रभावित छोटे उद्यमों के ग्राहकों के लिए व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु बैंक ने "केनरा क्रेडिट सपोर्ट कोविड-19" शुरू किया है, जिसके तहत फंड आधारित कार्यशील पूंजी मांग ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा, बैंक ने योग्य एम एस एम ई इकाइयों के लिए गारंटीकृत आपातकालीन ऋण प्रदान करने के लिए "गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन" भी लॉन्च किया। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद नकदी प्रवाह में व्यवधान को देखते हुए, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 अगस्त 2020 तक के लिए ऋण चुकौती और कार्यशील पूंजी ब्याज की ऋणस्थगन की पेशकश की है।

परिचालन के दृष्टिकोण से, बैंक ने परिचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी एहतियाती पहल की हैं। बैंक के पास एक डिजास्टर रिकवरी साइट है जो सीबीएस और बैंक के अन्य कार्यों को संभालने में सक्षम है। अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, बैंक ने घर से कार्य का विकल्प दिया और काम के घंटों को पुनः निर्धारित किया ।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और वित्तीय समावेशन

हमारा बैंक कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्गों के लिए ऋण और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत लक्ष्यों को अत्यधिक महत्व देता है। मार्च 2020 तक बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एनबीसी) के 40% अनिवार्य मानदंडों के स्थान पर 44.66% प्राप्त किया। इसके अलावा कृषि पोर्टफोलियो के तहत बैंक के अग्रिम 72 लाख से अधिक किसानों को कवर किया और 18% अनिवार्य मानदंडों के खिलाफ एएनबीसी को 18.58% हासिल किया। लघु उद्यमियों (प्राथमिकता) के लिए अग्रिम एएनबीसी के 7.5% के अनिवार्य लक्ष्य के स्थान पर 8.24% हासिल हुआ।

इसके अलावा, हमारे बैंक ने सभी किसानों को केसीसी / फसल ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया। दूसरों के बीच में प्रौद्योगिकी सलाह हेतु कृषि–पारिस्थितिकी तंत्र प्लेटफॉर्म-"केनरा कृशक शक्ति" (सीकेएस) को मौसम पूर्वानुमान,

The bank actively participated in all Government schemes and provided compassionate assistance to the beneficiaries, crediting ₹783 crore under PM Kisan and ₹1029 crore to PMJDY women beneficiaries. As a part of nation building and in solidarity with those worst affected from the Covid-19 pandemic, the Bank's employees have contributed ₹15.53 crore to PM CARES Fund. Further as a philanthropic gesture, the bank spent ₹4.35 crore for Covid-19 relief measures as a part of its CSR initiatives.

In order to ensure business continuity for smaller enterprises that were faced with liquidity and cash flow issues, the bank proactively introduced the "CANARA CREDIT SUPPORT to COVID-19 affected Customers (CCS)" providing fund based working capital demand loan. Further, the Bank also launched "Guaranteed Emergency Credit Line" for MSMEs for providing guaranteed emergency credit for eligible MSME units. Given the disruptions in cash flows following the nation-wide lockdown, the Bank has offered moratorium of term loan repayments and working capital interest up to 31st August 2020 in accordance with RBI guidelines.

From the operation perspective, the Bank has taken all precautionary initiatives to ensure continuity in operations. The Bank has a Disaster Recovery site which is capable of handling the CBS and other functions of the Bank. Further to safeguard the health of its employees, the Bank has given Work from Home options and implemented staggered working hours.

National Priorities and Financial Inclusion

Your Bank continues to accord utmost importance to goals under national priorities, including agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing, social infrastructure, renewable energy, microcredit, credit to weaker sections and specified minority communities. Priority Sector Advances of the Bank as at March 2020 achieved 44.66% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm. Further the Bank's advances under agriculture portfolio covered over 72 lakh farmers and achieved 18.58% to ANBC against 18% mandated norm. Advances to Micro Enterprises (Priority) achieved 8.24% to ANBC as against the mandatory Target of 7.5%.

Besides this, your Bank undertook special campaigns for extending KCCs/Crop Loans facility to all farmers. The Agri-ecosystem platform-"Canara Krishak Shakthi" (CKS) is being run on a Proof of Concept (POC) basis

मूल्य संबंधी जानकारी, मृदा परीक्षण की जानकारी, जैसे किसानों को व्यापक ऋण और गैर–ऋण समाधान प्रदान करने के लिए एक सबूत (पीओसी) के आधार पर चलाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने 8.48 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए, जिनकी राशि, ₹13872 करोड़ थी।

सरकार के वित्तीय समावेशन अभियान में एक सक्रिय खिलाड़ी होने के नाते, हमारा बैंक बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार करने, उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने, प्रौद्योगिकी का व्यापक और गहन उपयोग करने और हाशिये की और बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को वित्तीय साक्षरता की प्रदान करने में सक्रिय रहा है। बैंक में शाखा मॉडल के तहत 903 वित्तीय समावेशन (एफआई) शाखाएँ हैं और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के तहत 2652 कारोबार प्रतिनिधि एजेंट्स (बीसीए) भी कार्य में लगे हुए हैं।

हमारे बैंक ने विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं, जैसे कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) में सक्रिय रूप से भाग लिया। यथा मार्च 2020 तक, लगभग 15.97 लाख लाभार्थियों को शामिल करते हुए, निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत बकाया अग्रिम ₹13505 करोड़ है।

<u>डिजिटल पहल और वैकल्पिक वितरण चैनल</u>

हमारे बैंक ने वैकल्पिक वितरण चैनलों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2020 तक ई-लेन-देन अनुपात 73.92% रहा। मोबाइल बैंकिंग के तहत पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 93.21% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ 42.24 लाख हो गई और नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की वृद्धि हुई मार्च 2020 तक 76.76% यो 109.35 लाख है।

ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंक द्वारा कई महत्वपूर्ण डिजिटल पहल की गई थीं। इस में शामिल है:

- **केनरा दिया** - शाखा गए बिना तत्काल ऑनलाइन खाता खोलने के लिए एक अनुप्रयोग (एप / ब्रौजर) है ।
- **केनडी** - मानव हस्तक्षेप के बिना कागज रहित, डिजिटल शाखा। ग्राहक कियोस्क के माध्यम से खाता खोल सकते हैं और तत्काल व्यक्तिगत डेबिट कार्ड, डिजिटल चालान आदि प्राप्त कर सकते हैं।
- **केनरा वसूली मोबाइल एप** - कर्मचारियों को विशेष उल्लेख खातों, एनपीए और अतिदेय खातों में वसूली के लिए।
- **सरकारी व्यवसाय से निपटने के लिए नए पैकेज** - पेंशन,

for "providing comprehensive credit and non-credit solutions" to farmers like weather forecasting, price related information, soil testing information, technology advice, amongst others. During FY2019-20, the Bank issued 8.48 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹13872 crore.

Being a proactive player in Government's financial inclusion drive, your bank has been active in expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and advocacy of financial literacy to the marginalised and unbanked population. The Bank has 903 Financial Inclusion (FI) Branches under branch model and also engaged 2652 Business Correspondent Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model.

Your Bank also actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, Stand Up India, Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). As at March 2020, the outstanding advances under these Government Schemes, aggregated to ₹13505 crore, involving around 15.97 lakh beneficiaries.

<u>Digital Initiatives and alternate delivery channels</u>

Your Bank has significantly stepped up alternate delivery channels, as a result of which the e-transaction ratio stood at 73.92% as at March 2020. The number of registered users under Mobile Banking rose 93.21% y.o.y to 42.24 lakhs and Net Banking users increased by 76.76% y.o.y to 109.35 lakhs as at March 2020.

Several important digital initiatives were taken by the Bank to improve customer service. This includes:

- **Canara DiYA** - an instant online account opening application (App/Browser) without visiting branch.
- **CANDI** - paperless, digital branch, without human intervention. Customer can open Account through Kiosk & get Instant Personalized debit card, Digital Challan etc.
- **Canara Recovery mobile app** - for employees to recover Special Mention Accounts, NPA and Overdue accounts.
- **New Packages for handling Government Business** - Pension, Kisan Vikas Patra, Senior Citizen Savings

किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, ओलटास(ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली), पीपीएफ और आरबीआई – राहत बॉन्ड मॉड्यूल शाखाओं / कार्यालयों के लिए जारी किया गया है ।

- **केनरा ओटीपी (ऑफ–लाइन)** - इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय लेनदेन करने के लिए ग्राहकों द्वारा स्वयं ओटीपी सृजन हेतु एप ।
- **केनरा साथी एप** - (क्रेडिट कार्ड सर्विसेज) चालू / बंद, हॉटलिस्ट, भुगतान, जनरेट स्टेटमेंट, कार्ड सारांश और अन–बिल लेनदेन, अनबिल्ड लेनदेन को ईएमआई में बदलने का विकल्प।

हमारे बैंक ने केनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप-केन्डी में नई कार्यप्रणाली भी पेश की है, जिसे अब 11 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है और इसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, कार्डलेस कैश निकासी, लाइफस्टाइल सेवाओं, आदि जैसी नई सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। इंटरनेट बैंकिंग जैसे ग्रीन पिन विकल्प, कार्ड सुरक्षा प्रबंधन, एफडी का आंशिक मोचन और नामांकन सुविधा आदि नई कार्यक्षमताओं को पेश किया गया है।

एक साथ सशक्त

बैंक ने वित्त वर्ष 2019–20 में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की, जिसमें प्रयासों को केवल समामेलन के लिए नहीं बल्कि एक मजबूत, अधिक लचीला और डिजिटल रूप से उन्नत बैंक बनाने के लिए शुरू किया गया। 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी, बैंक अपनी डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने और नए युग के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल समाधानों की पेशकश करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। परिचालन क्षमता के सर्वोत्तम स्तर को प्राप्त करने के लिए बैंक संरचनाओं, प्रक्रिया, उत्पादों और व्यावसायिक कौशल में सुधार के लिए प्रयास करना जारी रखता है। हमारे बैंक को ग्राहकों के "पसंदीदा बैंक" बनने के साथ दक्षता बढ़ाने और अधिक वित्तीय लचीलापन प्राप्त करने के लिए समामेलन से उत्पन्न होने वाले लाभों का लाभ उठाने के लिए प्रयासरत है।

आभार की अभिव्यक्ति

हम शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों के अपार समर्थन और संरक्षण के लिए आभारी हैं। बोर्ड के सम्मानित सदस्यों, लेखा परीक्षकों, कानूनी सलाहकारों और प्रतिनिधि बैंकों को मार्गदर्शन, सहायता और सहयोग के लिए के हम आभारी है। हम भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन; मीडिया द्वारा रचनात्मक कवरेज और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे मूल्यवान ग्राहकों से जारी संबंध को आभार के साथ स्वीकार करते हैं ।

Scheme, Gold Monetization Scheme, OLTAS (Online Tax Accounting System), PPF & RBI – Relief Bond modules released for branches/ offices.

- **Canara OTP (Off-line) -** App based self-generation of OTP by customers themselves for doing financial transactions through internet banking.
- **Canara Saathi app -** (Credit Card Services) Toggle ON/ OFF, Hotlist, Payment, Generate Statement, View Card Summary & Un-billed transactions, option to convert unbilled transactions to EMI.

Your Bank has also introduced new functionalities in the Canara Bank Mobile Banking App- CANDI, which is now made available in 11 languages and is embedded with features like Biometric Authentication, Cardless Cash withdrawal, Lifestyle services, etc. New functionalities have also been introduced in Internet Banking like green pin option, Card Security Management, Part redemption of FD and Nomination Facility amongst others.

Growing Stronger Together

The Bank embarked on a transformative journey in FY2019-20, with efforts initiated not just for the amalgamation but to create a stronger, more resilient and digitally advanced Bank. With the amalgamation of Syndicate Bank effective 1st April, 2020, the Bank is focusing on strengthening its digital capabilities and offering end-to-end digital solutions to meet the new age customer needs. The Bank continues to strive for improvement in structures, process, products and professional skills to attain greater level of operational efficiency. Your Bank looks forward to leverage the synergy benefits arising out of amalgamation for maximizing efficiency with the twin objective of becoming the customers “Preferred Bank” and attaining greater financial resilience.

Expression of gratitude

We are grateful to the shareholders and all other stakeholders for their immense support and patronage. Our appreciation in abundance is due to esteemed members of the Board, the Auditors, the Legal Advisors and the correspondent banks for the unstinted guidance, support and co-operation. We acknowledge with gratitude the guidance from the Government of India and the Reserve Bank of India; the constructive coverage by the Media and most importantly, continued patronage that flowed from our valuable customers.

हम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों और निवेशक समुदाय को केनरा बैंक के पेशेवर कौशल और सिद्ध क्षमताओं में विश्वास करने के लिए धन्यवाद देते हैं।

हम केनरा बैंक परिवार के सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, जिनका योगदान बैंक की निरंतर वृद्धि और उत्कृष्टता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केनराइट्स के सामूहिक बुद्धिमत्ता और समर्पित प्रयास के साथ, हमें विश्वास है कि वित्त वर्ष 2020–21 आपके बैंक के लिए एक आशाजनक वर्ष होगा।

हम उत्कृष्टता, विकास और लाभप्रदता से भरे बैंक के लिए एक आकर्षक उज्ज्वल भविष्य की ओर अपनी यात्रा में आपके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन की आशा करते हैं।

सादर,

टी एन. मनोहरन

टी.एन. मनोहरन
अध्यक्ष

दिनांक: 13.07.2020

We thank the Securities & Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges and the investor community for reposing faith in Canara Bank's professional prowess and proven capabilities.

We sincerely place on record our heartfelt thanks to the members of the Canara Bank family whose contribution has been instrumental in the sustained growth and excellence of the Bank. With collective wisdom and dedicated effort of Canarites, we are confident that the financial year 2020-21 will turn out to be a promising year for your Bank.

We seek your continued support and patronage in our journey ahead to script an enchanting bright future for the Bank filled with excellence, growth and profitability.

Yours sincerely,

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

Date: 13.07.2020

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

वित्त वर्ष 2020 हेतु मैं आपके समक्ष हमारे बैंक के प्रदर्शन की मुख्य बातें प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है ।

इस वर्ष बैंक ने अपनी सार्थक सेवा के 115वें वर्ष में कदम बढ़ाया है एवं सबसे पहले, मैं आप सभी को आपके सम्मिलित प्रयासों के लिए बधाई देता हूं।

वर्ष 2019-20 के दौरान वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक परिदृश्य और वित्तीय बाजार उतार - चढ़ाव की परिस्थितियों से गुजरा । वैश्विक आर्थिक विकास 2019 में 2.9% रहा इसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 4.2% की वृद्धि दर्ज की। वैश्विक समष्टि परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट दिखा । वैश्विक महामारी कोविड-19 वायरस के बढ़ते प्रभाव से इस अंतराल में आर्थिक और स्वास्थ्य जगत के साथ अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर होने की संभावना है।

पिछले वर्ष बैंकिंग क्षेत्र में बड़े संरचनात्मक बदलाव हुए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े पैमाने पर लाभकारिता हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समामेलन हुआ। संपूर्ण भारत में ग्राहक आधार और मानव पूंजी के साथ एक समामेलित इकाई के रूप में, अब हम देश के चौथे सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक एकीकृत केनरा बैंक के रूप में कारोबार कर रहे हैं।

यहां तक कि आमूलचूल परिवर्तन और उभरती चुनौतियों के बीच भी, यह खुशी की बात है कि आपके बैंक के मूल तत्व लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि, परिसंपत्ति गुणवत्ता की निगरानी के साथ हम मिलकर व्यापार विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करते हुए आने वाले वर्षों में निरंतर विकास के मार्ग पर चलेंगे ।

बैंक के मुख्य कार्य निष्पादन

व्यापार

वित्त वर्ष 2020 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार बढ़कर ₹1076574 करोड़ हो गया, जो कि वैश्विक जमा के साथ वर्ष दर वर्ष 3.19% से अधिक की वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर वर्ष दर वर्ष 4.39% की वृद्धि के साथ ₹625351 करोड़ रहा और वैश्विक अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 1.58% के साथ ₹451223 करोड़ रहा । घरेलू कारोबार पर जोर देने के परिणामस्वरूप वर्ष दर वर्ष 4.41% की वृद्धि के साथ ₹1028348 करोड़ रहा। घरेलू जमा राशि बढ़कर 6.3% वर्ष दर वर्ष दर बढ़कर ₹601664 करोड़ रहा जबकि घरेलू अग्रिम विकास वर्ष दर वर्ष 1.8% से बढ़कर ₹426684 करोड़ रहा ।

MD & CEO'S STATEMENT

I am placing before you the highlights of your Bank's performance for the year FY2020 details of which have been given in the Annual Report.

This year the Bank steps into its 115th fruitful year of service and at the outset, I congratulate each one of you for your concerted efforts.

In the year 2019-20, the global and domestic economy sailed through challenging macro-economic landscapes and volatile financial market conditions. The challenges emanating from the global macro scenario has its reflections on the domestic economy. Consequently, in FY2020, Indian economy registered a growth of 4.2%, slowed in tandem with the world economic growth, which stood at 2.9% in 2019. The pandemic of novel Covid-19 virus is likely to hamstring the course of economy in the medium term given its extent of economic and health implications.

The previous year witnessed big bang structural reforms in the banking sector and most importantly the amalgamation of Public Sector Banks to achieve the economies of scale. As an amalgamated entity, we are now country's 4th largest Public Sector Bank in business as a unified Canara Bank, with enhanced Pan- India presence, clientele base and the productive set of human capital.

Even in the midst of paradigm changes and evolving challenges, it is heartening that the core fundamentals of your Bank continues to be strong. We assure you that, the consistent efforts of business expansion coupled with monitoring of asset quality will again put us back on the path of sustained growth in the years to come.

KEY PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

During FY2020, the global business of the Bank increased to ₹1076574 crore, up by 3.19% y.o.y with global deposits growing at a pace of 4.39% y.o.y at ₹625351 crore and global advances growing 1.58% y.o.y at ₹451223 crore. The enhanced thrust on domestic business resulted in the growth of 4.41% y.o.y at ₹1028348 crore with domestic deposits growing at 6.3% y.o.y at ₹601664 crore while domestic advances growing at 1.8% y.o.y at ₹426684 crore.

कासा के तहत एवरेज बैंलेंस में सुधार के लिए प्रमुख कासा उत्पादों जैसे केनरा गैलेक्सी, केनरा प्रीवीलेज, एस बी पावर प्लस और एनआरआई खातों पर अधिक जोर दिया गया था।

इसके फलस्वरूप, कासा शेयर यथा मार्च 2020 तक 173 बीपीएस से 32.59% की बढ़ोतरी दर्ज हुई । बचत जमा 12.02% बढ़कर ₹169749 करोड़ हो गया । चालू खाता जमा 13.68% बढ़कर ₹26458 करोड़ हो गया। खुदरा मीयादी जमा ने यथा मार्च 2020 तक 11.37% वर्ष दर वर्ष ₹2,58,612 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।

जमा के ग्राहकों को बढ़ाने के प्रयास में, बैंक ने वर्ष के दौरान 39 लाख जमा के ग्राहक जोड़े, कुल जमा ग्राहकों की संख्या 7.37 करोड़ हो गई।

बैंक हमेशा कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ–साथ आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित अन्य खुदरा परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अच्छी तरह से संतुलित परिसंपत्ति को बनाए रखने के लिए उत्सुक है। उल्लेखनीय है, इस वर्ष हमारे बैंक के खुदरा पोर्टफोलियो में 12.1% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि के साथ ₹79,800 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ आवास ऋण यथा मार्च 2020 तक 18.0% (वर्ष दर वर्ष) तक बढ़ा है। मार्च 2020 तक उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़कर 82.75 लाख हो गई। ।

एमएसएमई अग्रिम ₹78773 करोड़ के साथ लगभग 10.50 लाख उधारकर्ताओं तक पहुंचा। इस बीच एमएसई अग्रिम यथा मार्च 2020 तक ₹63666 करोड़ रहा । इस खंड में ऋण वृद्धि के लिए,वित्त वर्ष 2020 में बैंक ने विशिष्ट क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न जरूरत आधारित योजनाएं और उत्पादों की शुरुआत की है ।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2020 के लिए, बैंक की कुल आय 6.3% (वर्ष दर वर्ष) से ₹56,748 करोड़ बढ़ा और गैर– वित्त वर्ष 2020 में गैर – ब्याज आय 18.8% (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर ₹7,813 करोड़ हो गया ।

बैंक की जमा लागत पिछले वर्ष के 5.66% से 9 बीपीएस घटकर 5.57% हो गई। पिछले वर्ष ₹14478 करोड़ की तुलना में निवल ब्याज आय, ब्याज भुगतान और बैंक द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर ₹13124 करोड़ रहा ।

पिछले वर्ष ₹10591 करोड़ की तुलना में बैंक का परिचालन लाभ ₹9360 करोड़ रहा। पिछले वर्ष के दौरान ₹347 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ की तुलना में बैंक ने 2019–20 के लिए उच्च प्रावधानों पर ₹2236 करोड़ की निवल हानि की सूचना दी है । एनआईएम 2.29% और प्रतिफल अग्रिम 8.18% पर रहा ।

The thrust on premier CASA products, like, Canara Galaxy, Canara Privilege, SB Powerplus and NRI accounts was given to improve the average balances under CASA.

Consequently, the CASA share improved by 173 bps to 32.59% as on March 2020. Savings deposits grew by 12.02% to ₹169749 crore. Current deposits grew by 13.68% to ₹26458 crore.Retail Term deposit registered a robust growth of 11.37% y.o.y to ₹2,58,612 core as at March 2020.

In an effort to enhance the deposit clientele, the Bank added 39 lakhs deposit clientele during the year, taking the total number of deposit clientele to 7.37 crore.

The Bank is always keen on maintaining a well-balanced asset mix, encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on other retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loans. Notable, this year your Bank's retail portfolio grew by 12.1% (y.o.y) to ₹79,800 Cr with Housing loan growing by 18.0% (y.o.y) as at March 2020. The number of borrowal clientele increased to 82.75 lakhs as at March 2020.

Advances to MSME stood at ₹78773 Crore reaching out to around 10.50 Lakh Borrowers. Meanwhile MSE advances stood at ₹63666 crore as at March 2020. In order to increase credit flow to this segment, in FY20 the Bank has launched various need based Schemes and products catering to the needs of specific segments.

FINANCIAL PERFORMANCE

For FY2020, the total Income of the Bank increased by 6.3% (y.o.y) to ₹56,748 Crore in FY20 and non-Interest Income increased by 18.8% (y.o.y) to ₹7,813 Crore in FY20.

The Bank's cost of deposits decreased by 9 bps to 5.57% from the last year's 5.66%. The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, stood at ₹13124 crore compared to the last years ₹14478 crore.

Operating profit of the Bank stood at ₹9360 crore compared to ₹10591 crore last year. Bank reported a net loss of ₹2236 crore for 2019-20 on higher provisions, compared to a net profit of ₹347 crore during last year. NIM stood at 2.29% and Yield on Advances at 8.18%.

प्राथमिकता क्षेत्र और वित्तीय समावेश

हमारा बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों को पुनः प्रस्तुत कर रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत, हमारे बैंक ने विश्वसनीय लक्ष्य निम्न प्रकार से प्राप्त किए हैं:

- ✓ 40% कुल प्राथमिकता क्षेत्र के स्थान पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 44.66%
- ✓ 18% कुल कृषि के स्थान पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18.58%
- ✓ 8% कुल लघु और सीमांत किसानों को ऋण देने के स्थान पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 13.01%

बैंक ने वित्त वर्ष 2019–20 में 86112 इकाइयों को शामिल करते हुए पीएसएलसी को ₹21528 करोड़ रुपये में बेच दिया है।

ये उपलब्धियाँ वास्तव में समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे बैंक की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हैं।

यथा मार्च 2020 तक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹203029 करोड़ पर पहुंच गया, 3.05% की वर्ष दर वृद्धि दर्ज किया गया है । कृषि पोर्टफोलियो के तहत बैंक का अग्रिम 5.66% बढ़कर ₹97043 करोड़ हो गया। सूक्ष्म उद्यम (प्राथमिकता) ₹33485 करोड़ पर रहा ।

हमारा बैंक सक्रिय रूप से वित्तीय समावेशन (एफआई) के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें चार समूहों को शामिल किया गया है, अर्थात्, बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार करना, उपयुक्त वित्तीय उत्पादों की पेशकश करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और वित्तीय साक्षरता बढ़ाना।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत, हमारे बैंक ने 76.38 लाख खाते खोले और ₹2874 करोड़ का कासा जमा किया।

हमारे बैंक ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत भी अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों के तहत 144.36 लाख नामांकन किए गए हैं। अटल पेंशन योजना के तहत 3.86 लाख नामांकन किए गए हैं।

आस्ति गुणवत्ता

एनपीए प्रबंधन पर बैंक के लगातार प्रयासों और उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति को प्राप्त करने से संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ । इस प्रकार, मार्च 2019 तक सकल एनपीए अनुपात घटकर 8.21% हो गया, जो मार्च 2019 तक घटकर 8.83% था। इसी तरह, मार्च 2020 में निवल एनपीए घटकर मार्च 2019 में 5.37% से घटकर 4.22% रह गया। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार हुआ और यह मार्च 2019 तक 68.13% से मार्च 2020 तक 75.86 % हो गया।

PRIORITY SECTOR AND FINANCIAL INCLUSION

Your Bank is reorienting its strategies to meet various goals under national priorities. Under various national priorities, your Bank has credibly achieved the mandated targets as follows:

- ✓ 44.66% of the adjusted net bank credit against 40% norm in total priority
- ✓ 18.58% of the adjusted net bank credit against 18% norm in lending to agriculture
- ✓ 13.01% of the adjusted net bank credit against 8% norm in lending to small and marginal farmers.

The Bank has sold PSLC to the tune of ₹21528 crore in FY2019-20 encompassing 86112 units.

These achievements indeed speak of your Bank's commitment to the inclusive nation building.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2020 reached ₹203029 crore, recording a y.o.y growth of 3.05%. The Bank's advances under agriculture portfolio increased by 5.66% to ₹97043 crore. Advances to Micro Enterprises (Priority) stood at ₹33485 crore.

Your Bank has been actively pursuing the agenda of Financial Inclusion (FI), with key interventions in four groups, namely, expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making use of technology and enhancing financial literacy.

Under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), your Bank opened 76.38 lakh accounts and mobilized a CASA deposit of ₹2874 crore.

Your Bank also performed well under various social security schemes launched by the Government of India. 144.36 lakh enrolments have been done under both Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. 3.86 lakh enrollments have been made under Atal Pension Yojana.

ASSET QUALITY

The consistent efforts of the bank on NPA management and garnering high quality assets improved the asset quality. Thus, the Gross NPA ratio reduced to 8.21% this year, down from 8.83% as at March 2019. Similarly, in March 2020 Net NPA decreased to 4.22% down from 5.37% in March 2019. Provision Coverage Ratio (PCR) improved to 75.86% as at March 2020 from 68.13% as at March 2019.

पूंजी

1.875% की पूंजी संरक्षण सहित बेसल III के तहत मार्च 2020 में 13.65% पर 10.875% की नियामक आवश्यकता के स्थान पर आपके बैंक में पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ पर्याप्त पूंजी है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के तहत सीईटी I अनुपात 9.39% और टीयर I पूंजी अनुपात 10.12% पर था।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आवंटन के माध्यम से बैंक में ₹6571 करोड़ की पूंजी प्रदान की है। बैंक ने सरकार को प्राथमिकता आधार पर कुल ₹6571 करोड़ के ₹227.23 प्रीमियम सहित 237.23 प्रति इक्विटी शेयर के निर्गम मूल्य पर प्रत्येक ₹10/– के 27,69,88,576 पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को जारी किया। और इससे बैंक में भारत सरकार की धारिता बढ़कर 78.52% हो गई।

बैंक ने वित्त वर्ष 2020 की आखिरी तिमाही में 7.18% के कूपन पर ₹3000 करोड़ के बेसल III शिकायतकर्ता टियर II बॉन्ड जारी करके पूंजी जुटाई है।

एकीकृत कोष

बैंक का सकल निवेश (निवल) मार्च 2020 तक ₹1,74311 करोड़ रहा। निवेश पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि मार्च 2020 तक 4.46 थी, बिक्री के लिए उपलब्ध अवधि (एएफएस) पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि 3.01 यथा मार्च 2019 से मार्च 2020 तक घटकर 1.39 हो गई है। निवेशों पर प्रतिफल मार्च 2020 तक 7.33% थी, जबकि 31 मार्च 2019 को 7.62% थी। ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की सक्रियता और अनुमत सीमा के तहत एचटीएम पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों के ऑफलोडिंग के कारण वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान ₹402 करोड़ से इस वर्ष के दौरान घरेलू एकीकृत परिचालन के तहत व्यापार लाभ बढ़कर ₹758 करोड़ हो गया। सरकारी प्रतिभूति बाजार में बैंक एक प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के रूप में सक्रिय है।

वैश्विक फुटप्रिंट के साथ संपूर्ण भारत में उपस्थिति

विस्तार हेतु, बैंक ने वर्ष के दौरान 45 घरेलू शाखाएं खोलीं । मार्च 2020 तक, बैंक की 6334 शाखाएं थीं, जिनमें लंदन (यूके), हांगकांग, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), न्यूयॉर्क (यूएसए) और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई (यूएई) की 5 विदेशी शाखाएं शामिल हैं। उपरोक्त 5 विदेशी शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यूएई), केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड में एक प्रतिनिधि कार्यालय है, जो तंजानिया में दार–एस सलाम और वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका भारतीय स्टेट बैंक, रूस, मास्को के साथ संयुक्त उद्यम है।

CAPITAL

Your Bank has a comfortable capital cushioning with Capital Adequacy Ratio, under Basel III at 13.65% as at March 2020 against the regulatory requirement of 10.875%, including capital conservation buffer of 1.875%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 9.39% and Tier I capital ratio was at 10.12%.

Ministry of Finance, Government of India has infused Capital of ₹6571 Crore in the Bank during the current financial year by way of preferential allotment of equity shares. The Bank issued 27, 69, 88,576 fully paid-up equity shares of ₹10/- each at an issue price of ₹237.23 per equity share including premium of ₹227.23 aggregating ₹6571 crore, on preferential basis to the Government of India and there by Government of India holding in the bank increased to 78.52%.

The bank has raised capital by issuing Basel III Compliant Tier II Bonds to the tune of ₹3000 crore bearing coupon of 7.18% in the last quarter of FY 2020.

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank stood at ₹174311 crore as at March 2020. While modified duration of the investments portfolio stood at 4.46 as at March 2020, the modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has decreased to 1.39 as at March 2020 from 3.01 as at March 2019. The yield on investments stood at 7.33% as at 31st March 2020 as compared to 7.62% as at 31st March 2019. The trading profit under domestic treasury operations during the year increased to ₹758 crore from ₹402 crore during FY 2018-2019 on account of active churning of the trading portfolio and offloading of securities from the HTM portfolio under permissible limit. The Bank continues to be an active player in the Government Securities Market as a Primary Dealer (PD).

PAN INDIA PRESENCE WITH GLOBAL FOOTPRINTS

In a bid to expand the reach, the bank added 45 domestic branches during the year. As at March 2020, the Bank had 6334 branches, including Specialized Branches and 5 overseas branches in London (U.K), Hong Kong, Johannesburg (South Africa), New York (U.S.A) and Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai (UAE). Besides the above 5 overseas branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE), Canara Bank (Tanzania) Ltd., a wholly owned subsidiary at Dar-es Salaam in Tanzania and Commercial Indo Bank LLC, a Joint Venture with State Bank of India in Moscow, Russia.

डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक वितरण चैनल

सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में, आपका बैंक ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पहचानता है और देश के युवा आवश्यकता को पूरा करता है। इस प्रकार, आपका बैंक डिजिटल फ़ुट प्रिंट और उन्नत वितरण माध्यमों पर जोर दे रहा है। मार्च 2020 तक, आपके बैंक में 8850 एटीएम हैं। बैंक के अलावा, 177 हाई–टेक ई–लाउंज चुनिंदा शाखाओं में सक्रिय हैं।

बैंक द्वारा अपनाए गए ऐसे वैकल्पिक वितरण चैनलों के परिणामस्वरूप, ई–ट्रांजेक्शन अनुपात मार्च 2020 तक 73.92% रहा । मोबाइल बैंकिंग के तहत पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 42.24 लाख है, जो 93.21% वर्ष दर वर्ष बढ़ गई है और नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या में मार्च 2020 तक 76.76% की वृद्धि के साथ 109.35 लाख वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है। बेंगलूरू, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में मौजूदा डिजिटल शाखा कैंडी के अलावे एक वर्ष के दौरान चंडीगढ़, इंदौर और पुणे में पूरी तरह से स्वचालित सुविधाओं और रोबोट सहायता के साथ ग्राहकों के लिए खाते खोलने और स्वयं लेनदेन करने के लिए शाखाएं खोली गई ।

ग्राहक केंद्रित पहल

ग्राहक किसी भी व्यवसाय के मूल आधार होते हैं। तीव्र सेवा प्रदान करने , विविध उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध करवाने, ग्राहकों के सवालों का जवाब देने एवं ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए कई पहल की गई है । शाखाओं द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, "शिकायत निवारण - केनरा बैंक में हम सुनना पसंद करते हैं" और "ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र" बैंक की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया । दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) की नियुक्ति की है, जो बैंक के आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्य करता है।

ग्राहक सुविधा को बढ़ाने के लिए, बैंक ने विभिन्न सेवाओं जैसे कि शेष पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट (अंतिम 5 लेन–देन), कार्ड की हॉट लिस्टिंग आदि के लिए आईवीआरएस (मिस्ड कॉल सुविधा) पर 24/7 स्वयं सेवा कार्य को लोकप्रिय बनाया है।

बैंक ने केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीजीआरएस) पोर्टल के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट में ग्राहकों की ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा लागू की है। बैंक के कॉल सेंटर पर प्राप्त शिकायतों को भी सीपीजीआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया , जो पेंशन निपटान और पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया था। एकल बिंदु संपर्क टोल फ्री नंबर 18004250018 के साथ एक कॉल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी के अलावे 9 क्षेत्रीय भाषाओं यथा कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, तेलगु, गुजराती, बंगाली और पंजाबी में ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए भी काम कर रहा है।

DIGITAL BANKING & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

In an age of information and technology, your bank recognizes the changing needs of the customers and caters to the need of young demographic base of the country. Thus, your bank gives thrust on digital foot prints and enhanced delivery channels. As of March 2020, your bank has 8850 ATMs. Besides the Bank has, 177 hi-tech E-lounges operational in select branches.

As a result of such alternate delivery channels adopted by the Bank, the e-transaction ratio stood at 73.92% as at March 2020. The number of registered users under Mobile Banking is at 42.24 lakhs, up by 93.21% y.o.y and Net Banking users increased to 109.35 lakhs, up by 76.76% y.o.y as at March 2020. Digital Branch - CANDI, was opened at Chandigarh, Indore & Pune during the year along with existing branches at Bangalore, Chennai, Delhi and Mumbai, with fully automated facilities and robotic assistance for customers to open accounts and do transactions themselves.

CUSTOMER CENTRIC INITIATIVES

Customers are the nerve centers of any business. Several initiatives were taken to remain customer focused through providing fast service, bringing in diversified products & services, responding to customers' queries and redressal of customer complaints. To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get the feedback, "Grievance Redressal - At Canara Bank we love to listen" and a "Customer Satisfaction Survey Form" were made available in the Bank's website. As per the Damodaran Committee recommendations, the Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (CCSO), who acts as an Internal Ombudsman of the Bank.

In order to enhance customer convenience, Bank has popularized 24/7 Self Service Functions on IVRS (Missed Call facility) for various services like Balance enquiry, Mini Statement (last 5 transactions), Hot Listing of Cards etc.

The Bank has implemented online grievance redressal facility of customers in the website for lodging grievances online under the portal Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS). The complaints received at the Call Centre of the Bank were also integrated with the CPGRS package, established exclusively for handling pensions and resolving pension related grievances. A Call Center with single point contact Toll free number 18004250018 is also functioning to cater to customers in 9 regional languages, viz., Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Oriya, Telugu, Gujarati, Bengali and Punjabi besides Hindi and English for redressal of grievances.

पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बैंक ने 'जीवन प्रमाणन' ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म 15जी / 15एच दाखिल करने की सुविधा ग्राहकों की सुविधा के लिए सक्षम है।

बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर कई पुरस्कार जीते। हमारे ग्राहकों की सुविधा के लिए, बैंक ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, आठ स्थानीय भाषाओं–तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम, बंगाली और पंजाबी में एटीएम लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराया है। लेन–देन पर्ची हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम और पंजाबी में भी प्राप्त की जा सकती है। हम सर्वोत्तम संभव ग्राहक सेवा का विस्तार करके अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

संस्थापक सिद्धांतों और शताब्दी पुरानी परंपरा कों आगे बढ़ाते हुए, बैंक विभिन्न कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का आयोजन कर रहे है। बैंक की सीएसआर के तहत बहुविध गतिविधियों है, जिनमें ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने, मेधावी अ.ज. / अ.ज.जा छात्राओं को छात्रवृत्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, सामुदायिक विकास, महिलाओं के सशक्तीकरण और अन्य सामाजिक पहलों जैसी गतिविधियाँ शामिल है।

पुरस्कार / सम्मान और उपलब्धियाँ

विभिन्न पहलों के तहत, बैंक को वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

- ✓ आईडीआरबीटी बैंकिंग प्रौद्योगिकी नवाचार प्रतियोगिता में केंडी शाखा के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्राप्त हुआ ।
- ✓ केनरा दिया ने स्कोच पुरस्कार 2019 में सिल्वर मेडल जीता।
- ✓ प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अधिक ग्राहक–केंद्रित बैंक बनने के लिए आई बी ए का 15वा वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 बैंक ने प्राप्त किया गया।
- ✓ वित्तीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार के लिए केंडी को फिन्नोविट 2020 पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- ✓ केनरा बैंक ने आयकर अधिनियम के टीडीएस / टीसीएस

Bank has introduced 'Jeevan Praman' online portal for submitting Life certificate for pensioners.

Facility for filing Form 15G / 15H through Net banking is enabled for the convenience of customers.

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review. For the convenience of our customers, Bank has made available ATM transactions in eight vernacular languages - Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Gujarati, Malayalam, Bengali and Punjabi, apart from Hindi and English. Transaction Slips can also be obtained in Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Malyalam and Punjabi, other than in Hindi and English. We are committed to increase our customer base by extending best possible customer service.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Following the founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC/ST Girl students, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women and other social initiatives.

AWARDS / ACCOLADES & ACHIEVEMENTS:

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with the following awards during the year 2019-20.

- ✓ Best innovation in Banking technology award for CANDI Branch received in IDRBT banking technology innovation contest.
- ✓ Canara DiYA won Silver in SKOCH Awards 2019.
- ✓ IBA's 15th Annual Banking Technology Award 2020 received for Most Customer-Centric Bank using Technology
- ✓ FINNOVITI 2020 award received for CANDLE for one of the best innovation in financial sectors' technology.
- ✓ Canara Bank won Tax Deductor of the Year Award

प्रावधानों के समय पर अनुपालन के लिए टैक्स डिडक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता।

- ✓ 'एम एस ई के लिए उल्लेखनीय ऋणदाता (सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक)' श्रेणी में सिडबी – ईटी इंडिया एमएसई पुरस्कार - 2019 प्राप्त हुआ ।
- ✓ बैंक को परिवर्तन जन कल्याण समिति, दिल्ली ने "राजभाषा कार्यान्वयन रत्न" से सम्मानित किया।

भविष्य की ओर

इस समय , महामारी से आर्थिक प्रभाव की गंभीरता अनिश्चित बनी हुई है। इसके बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के मौद्रिक और राजकोषीय प्रयासों का महामारी के बाद वांछित परिणाम प्राप्त होगा। इस प्रकार, हम चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही तक प्रतिबंधों से राहत और वाणिज्यिक गतिविधियों के पूर्ण रूप से फिर से शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। बैंक ग्राहकों की सभी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था के आर्थिक पुनरुद्धार में योगदान देते हुए उत्कृष्टता के लिए पुनः समर्पित है। हम वांछनीय ऋण वृद्धि के माध्यम से वित्त वर्ष 2021 में देश की आर्थिक वृद्धि में गति प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं। आगे बढ़ते हुए, बैंक ने खुदरा, एमएसएमई और कॉरपोरेट अग्रिमों पर संतुलित जोर देने के साथ-साथ दक्षता सुधार के लिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

बैंक का प्रबंधन पर्याप्त पूंजी और पर्याप्त व्यापार वृद्धि के साथ उद्योग में बाजार के सर्वोत्तम खिलाड़ियों में से एक के रूप में उभरने की आशा रखता है । आगामी वर्षों में, बैंक दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए समामेलन का लाभ उठाने के लिए प्रयासरत है।

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक: 13.07.2020

for recognition of timely compliance to the TDS / TCS provisions of Income Tax Act.

- ✓ 'SIDBI-ET INDIA MSE AWARD-2019' for noteworthy Lender to MSE - (Public Sector Bank) Award Category.
- ✓ The Bank received Rajbhasha Kaaraynvayan Ratna" Award by "Parivartan Jan KalyanSamiti, Delhi

WAY FORWARD

At this juncture the outlook remains uncertain given the depth of economic implications of the on-going pandemic wave. Notwithstanding, the monetary and fiscal efforts of the RBI and the Central Government shall yield desired results once the pandemic is contained. Thus, we are hopeful of recovery by the second half of the current fiscal with easing restrictions and commercial activities resuming to full swing. The Bank rededicates itself to champion in meeting all financial needs of the customers and contribute in economic revival of economy. We are optimistic about giving an impetus to the economic growth of the country in FY2021 through desirable credit growth. Going ahead, bank aims at improving the bottom-line further with balanced thrust on retail, MSME and corporate advances coupled with increased adoption of digitalization for efficiency improvement.

The Bank's management is highly confident about remaining as one of the leading market players in the industry with adequate capital to support augmented business growth. In the coming years, the Bank looks forward for leveraging amalgamation benefits for maximizing the efficiency and productivity.

L.V. Prabhakar
Managing Director & CEO

Date: 13.07.2020

केनरा बैंक में सिंडिकेट का समामेलन

केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का समामेलन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हो गया है। संयुक्त इकाई के पास सभी हितधारकों के लिए बेहतर मूल्य सहित सर्वोत्तम श्रेणी के उत्पादों और प्रक्रियाओं के साथ क्षमताओं में वृद्धि होगी । समामेलन से दोनों बैंकों के आम इतिहास, संस्कृति, आचार और दृष्टिकोण में तालमेल बिठाते हुए विरासत, शक्ति और सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठा पाएंगे । पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर लाभप्रदता में तब्दील होने के साथ–साथ, व्यापक उत्पाद प्रस्ताव और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने की उम्मीद है, जो विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा । इसके अलावा, समामेलन ऋण की वृद्धि दर में तेज़ी लाने, लागत दक्षता व सुधारित जोखिम प्रबंधन के लिए समामेलन संस्थाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा व्यापक पहुंच के ज़रिये वित्तीय समावेशन के लिए बढावा देगा।

देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समामेलित बैंक की उपस्थिति में सुधार दर्ज होगा। बैंक दो राज्यों यानी कर्नाटक और केरल में एसएलबीसी संयोजक होने के अलावा लक्षद्वीप के यूटीएलबीसी के संयोजक भी है और इसके साथ–साथ वह पूरे भारत में 60 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करेगा । समामेलित बैंक के पास 10403 शाखाएं और 13406 एटीएम का संयुक्त नेटवर्क होगा ।

समामेलन का तात्कालिक लाभ यह है कि दोनों बैंकों के ग्राहक अब शाखाओं / एटीएम के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की एक व्यापक सरणी तक पहुँच कायम कर सकते हैं । संयुक्त इकाई अब देश का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।

इसके अलावा, समामेलन के परिणाम निम्नानुसार होने की उम्मीद है :

- ✓ ग्राहकों के सम्मुख वाली भूमिकाओं के लिए अधिक संख्या में कर्मचारियों को आबंटन करने के कारण ग्राहक सेवा में सुधार होगा।
- ✓ बेहतर धन प्रबंधन / सेवाओं को जोड़ने का अवसर।
- ✓ सहायक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक क्षेत्र।
- ✓ आने वाले दिनों में आय और लागत के तालमेल का बेहतर परिणाम निकलने की उम्मीद है।

Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank

Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank has become effective from April 1, 2020. The combined entity will have enhanced capabilities with the best-in-class products and processes for better value to all the stakeholders. Amalgamation would synergize the common history, culture, ethos and vision of both banks and leverage the legacies, strength and best practices. The economies of scale and scope are expected to translate into better profitability, wide product offerings, and adoption of state-of-the-art technology serving as catalyst for growth. In addition, amalgamation would also provide impetus for ramping up credit growth, adoption of best practices across amalgamating entities for cost efficiency and improved risk management, and financial inclusion through wider reach.

Amalgamated Bank will have improved presence in all States & Union territory of the country. The Bank in addition to being the SLBC convenor in two states viz., Karnataka & Kerala and Convener of UTLBC of Lakshadweep will also have lead bank responsibilities in 60 districts Pan India. The amalgamated bank will have a combined network of 10403 branches and 13406 ATMs.

The immediate benefit of amalgamation is that the customers of both Banks can now access a wider array of products and services through a larger network of branches/ATMs. The combined entity is now the fourth largest Public Sector Bank in the country.

Further, the amalgamation is expected to result in:

- ✓ Improved customer service due to more allocation of staff to front end customer-facing roles.
- ✓ Opportunity of improved wealth management / add on services
- ✓ A wider arena for availing subsidiary services
- ✓ The income and cost synergies are expected to be realized in the days to come.

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

वार्षिक रिपोर्ट
2019-2020
ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020

विषयवस्तु

1. नोटिस 3
2. प्रगति की एक झलक 20
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2019–2020 21
   - प्रबंधन विचार–विमर्श व विश्लेषण 23
   - बैंकिंग क्षेत्र के मुख्य विकास 26
   - कारोबार निष्पादन 28
   - वित्तीय निष्पादन 30
   - वित्तीय समावेशन 41
   - निदेशकों के दायित्व वक्तव्य 65
   - सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 67
4. कारोबार दायित्व रिपोर्ट 73
5. कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट 99
   - निदेशकों की गैर-अनर्हता का प्रमाण पत्र 138
6. कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 141
7. मुख्य पदों, कार्यपालक प्रमुखों और महाप्रबंधकों / मुख्य महाप्रबंधकों की सूची 142
8. एकल वित्तीय विवरण
   - लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 148
   - असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा 160
   - सीईओ / सीएफओ प्रमाणन-सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यएँ) विनियमन, 2015 का विनियम 17 (8) 161
   - तुलन पत्र 163
   - लाभ व हानि खाता 164
   - तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 165
   - लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 173
   - लेखांकन नीतियाँ 175
   - लेखा संबंधी टिप्पणियाँ 186
   - स्तंभ 3 (बासेल III) प्रकटन 251
   - नकद प्रवाह विवरण 253
9. समेकित वित्तीय विवरण
   - लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 257
   - असंशोधित विचार के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा 269
   - सीईओ / सीएफओ प्रमाणन - सेबी (एलओडीआर) विनियामक, 2015 का विनियम 17 (8) 270
   - समेकित तुलन पत्र 272
   - समेकित लाभ व हानि खाता 273
   - समेकित तुलन पत्र का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 274
   - समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ 281
   - लेखांकन नीतियाँ 283
   - समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ 297
   - समेकित नकद प्रवाह विवरण 311
10. लाभांश वितरण नीति 313

ANNUAL REPORT 2019-2020

CONTENTS

1. NOTICE 3
2. PROGRESS AT A GLANCE 20
3. DIRECTORS' REPORT 2019-2020 21
   - MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 23
   - MAJOR BANKING SECTOR DEVELOPMENTS 26
   - BUSINESS PERFORMANCE 28
   - FINANCIAL PERFORMANCE 30
   - FINANCIAL INCLUSION 41
   - DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT 65
   - SECRETARIAL AUDIT REPORT 67
4. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 73
5. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 99
   - CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS 139
6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE 141
7. LIST OF KEY POSITIONS, FUNCTIONAL HEADS & CHIEF GENERAL MANAGER / GENERAL MANAGER AS ON 31.03.2020 143
8. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
   - AUDITORS' REPORT 148
   - DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION 160
   - CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 161
   - BALANCE SHEET 163
   - PROFIT AND LOSS ACCOUNT 164
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET 165
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 173
   - ACCOUNTING POLICIES 175
   - NOTES ON ACCOUNTS 186
   - PILLAR 3 (BASEL III) DISCLOSURES 252
   - CASH FLOW STATEMENT 253
9. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
   - AUDITORS' REPORT 257
   - DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION 269
   - CEO / CFO CERTIFICATION - REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 270
   - CONSOLIDATED BALANCE SHEET 272
   - CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 273
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET 274
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 281
   - ACCOUNTING POLICIES 283
   - NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 298
   - CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 311
10. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY 313

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की अठारवीं वार्षिक सामान्य बैठक, **वीडियो कांफ्रेसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के द्वारा सोमवार, 10 अगस्त, 2020 को प्रात: 11.00 बजे** आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

1. यथा 31 मार्च, 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, यथा वर्षांत 31 मार्च, 2020 हेतु लाभ व हानि लेखा, तुलन-पत्र व लेखा पर लेखा व लेखा परीक्षक की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि हेतु बैंक की कार्रवाई व गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर परिचर्चा करना, उसे अनुमोदित करना व अंगीकृत करना ।

2. इसे विचारार्थ लेना एवं यदि सही पाया गया तो निम्न विशेष संकल्प को पारित करना:

"संकल्प लिया जाता है कि "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और समय-समय पर यथा संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (**"आर बी आई"**), भारत सरकार (**"जी ओ आई"**), भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (**"सेबी"**) और / या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति, अनुमती और मंजूरी यदी कोई हो, के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2018, यथा तारीख तक अद्यतन (आई सी डी आर विनियमावली), दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा अन्य सभी संबंधित प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ किये गये सूचीबद्ध करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीबद्ध किया गया है, एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद **"निदेशक मंडल"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on **Monday, the 10th August, 2020 at 11:00 A.M. through Video Conferencing/Other Audio Visual Means,** to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2020, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2020, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To consider and if thought fit, to pass the following special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India **("RBI"),** the Government of India **("GOI"),** the Securities and Exchange Board of India **("SEBI"),** and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (ICDR Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include any

अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गयी या इसके आगे की जाने वाली कोई समिति भी शामिल है) को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का आंबटन और / या प्रतिस्पर्धी आधार पर और कानून द्वारा यथा अनुमत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / विवरण-पत्र अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए भारत में या विदेश में, ऐसी संख्या में ईक्विटी शेयरों और / या अधिमान शेयरों को (चाहे संचित या अन्यथा; ईक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय या अन्यथा) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तों एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं तथा / या अन्य अनुमत प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तित होने में सक्षम हैं या नहीं, **कुल राशि ₹5000 करोड़ से अनधिक है (रुपए पाँच हजार करोड़ केवल)**, ऐसे प्रीमियम को सम्मिलित करना, जो इक्विटी शेयरों पर ऐसे अवसर या समय पर तय किए जा सकते हैं, ऐसी कीमत या कीमतों में, छूट पर या किसी संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार प्राधिकृत पूंजी की संवर्धित मात्रा तक जिसे भविष्य में इस प्रकार अधिनियमित किया जा सकता है कि केन्द्र सरकार के पास हमेशा बैंक की चुकता ईक्विटी पूंजी 52% से कम नहीं हो, जिसमें एक या अधिक शेयरधारक, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एन आर आई"), कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों (**"क्यू आई बी"**) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफ आई आई"), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्युच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों / दिशानिदेर्शों के अनुसार बैंक के ईक्विटी / अधिमानी शेयरों / प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा यथा उचित समझे गए तरीके से इनमें से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बट्टा या प्रीमीयम सहित होगी।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू, निजी प्लेसमेंट / अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) या भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य तरीके के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण

Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and / or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and/ or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, **for an aggregate amount not exceeding ₹5000 Crore (Rupees Five Thousand Crore only)**, inclusive of such premium as may be fixed on the Equity Shares at such time or times, at such price or prices, at a discount or premium to market price or prices in one or more tranches in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank, including to one or more of the shareholders, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on public issue, rights issue, Private Placement / Qualified Institutional Placement (QIP) / or any other mode approved by GOI / RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital

अपेक्षाएं) विनियमावली 2018 **(आई सी डी आर विनियमावली)** एवं भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या यथा लागू अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवसर या समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि जहां आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और या अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू कानून, नियम, विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक जो बैंक के विद्यमान शेयरधारक हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा जिसका मूल्य आई सी डी आर विनियम के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार यथा निर्धारित मूल्य से कम न हो ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी सेबी (सूचीकरण दायित्त्व व प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में यथा अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रुप से "समुचित प्राधिकारी" कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद "अपेक्षित अनुमोदन" कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तो के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय–समय पर अधिपत्रों (वारंटों) को छोडकर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनिमय योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में परिभाषित है) **स्थान नियोजन दस्तावेज और / या ऐसे अन्य दस्तावेजों /**

and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 **("ICDR Regulations")** and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and / or underwriters and / or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing shareholders of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and / or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs)

प्रलेखों / परिपत्रों / ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, पात्र संस्थागत स्थान नियोजक (क्यू आई पी), जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में परिभाषित है, की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूँजी का 52% से कम धारित न करता हो ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के अनुसरण में

क) पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VI के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होगीं और इस संकल्प की तिथि से 12 महीनों के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।

ख) बैंक आई सी डी आर विनियमावली के विनियम 176(1) के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य से कम मूल्य पर, जो पाँच प्रतिशत से कम न हो, पर शेयर आबंटित करने के लिए प्राधिकृत है ।

ग) प्रतिभूतियों के आधार मूल्य निर्धारण की संबंधित तिथि आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार होगी ।

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा यथा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी संस्थागत निवेशकों और / या अन्य पात्र विदेशी निवेशको को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा किंतु जैसा की लागू हो, अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के

(as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through **a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and** in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VI of the ICDR Regulations.

a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution."

b) The Bank is pursuant to proviso to Regulation 176(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price.

c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares / securities if any, to NRIs, FIIs and / or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares

मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या इक्विटी शेयरों / अधिमान शेयरों / प्रतिभूतियों को आबंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु बोर्ड जाएगा प्रधिकृत है, जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर / प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलें और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या वांछित समझे तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम,आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार के सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं, परिवर्तनों, उच्छेदन, संवर्धन, संबंधी शर्तो के प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, शेयरधारकों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर, अग्रणी प्रबंधकों, बैकरों, हामीदारों, निक्षेपागारों, रजिस्ट्रारों, लेखापरीक्षकों एवं इस प्रकार की सभी एजेन्सियों से जो इस प्रकार के इक्विटी / अधिमान शेयरों / प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ ऐसी सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा यथा नियुक्त अग्रणी प्रबंधक, हामीदारों, सलाहकारों और / या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (प्रीमियम यदि कोई हो सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम की **राशि / प्रतिभूतियों के रूपांतरण / अधिपत्रों (वारंटों) का प्रयोग / प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, इक्विटी शेयर / अधिमान शेयर** या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त

of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/ preference shares / securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares / securities are to be allotted, number of shares / securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount

या बट्टा / प्रतिभूतियों का रूपांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि / रिकार्ड तारीख का नियतन या बही समापन तथा संबंधित या प्रासंगिक मामले, ईक्विटी शेयरों / अधिमानी शेयरों की संख्या या प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन या मोचन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, प्रतिभूतियों को जारी संपरिवर्तन के संबंध में मूल्य, प्रीमियम या छूट (डिस्काउंट), भारत में और या विदेश में एक या अनेक स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत है । "

"आगे संकल्प लिया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/ प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा यथा अनुमत है।

"आगे संकल्प लिया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए, निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों का निर्वाह करने, जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और इक्विटी शेयरों / प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों का निर्वाह करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय स उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा ।"

"आगे संकल्प लिया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशक /कों या निदेशकों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है"।

निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 13-07-2020

on issue / conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue / conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares / securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & Chief Executive Officer or to the Executive Director / (s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

By Order of the Board of Directors

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 13-07-2020

टिप्पणियां

1. **व्याख्यात्मक वक्तव्य**

   प्रदत्त पूँजी जुटाने से संबंधित मद संख्या 2 के संबंध में तात्विक तथ्यों को स्थापित करने वाले व्याख्यात्मक विवरण नीचे दिया गया है।

2. **वीडियो कान्फरेन्सिंग के माध्यम से एजीएम**

   कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉक डाउन स्थिति तथा सामाजिक दूरी के अलावा आवाजाही पर प्रतिबंध को देखते हुए, एमसीए (कार्पोरेट मामले मंत्रालय) ने परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के माध्यम से कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए अपनी सामान्य वार्षिक बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग / ओवीएम के माध्यम से करने की अनुमति दी है । सेबी ने अपने परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट संबंधी कुछ प्रावधानों में अतिरिक्त रियायत दी है । उक्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, बैंक अपनी 18वीं वार्षिक सामान्य बैठक को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कर रहा है जिसे इसके बाद से "ई–एजीएम" के नाम से जाना जाएगा।

   बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा ई–एजीम के आयोजन के लिए उपस्थिति समर्थन प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को नियुक्त किया है । बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक आयोजन का स्थान माना जाएगा

3. **वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) / ऑडियो विजुअल माध्यम (एवीम) के द्वारा ई–एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश**

   क) वीसी / एवीएम पहले आओ पहले पाओ (फस्ट–कम–फस्ट सर्व) के आधार पर कम से कम 1000 शेयरधारयों की भागीदारी की अनुमति देगा ।

   ख) बड़े शेयरधारकों (2% की शेयर धारिता या अधिक शेयर धारिता), प्रायोजकों, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधक कार्मिकों तथा लेखा परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षकों के संबंध में ई–एजीएम में फीफो के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं ।

   ग) बैठक के कोरम की संख्या का पता लगाने के लिए ई–एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारयों की उपस्थिति की गणना की जाएगी ।

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT**

   The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 2 of the Notice regarding Raising of Paid-up Capital is annexed below.

2. **AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING**

   In view of the prevailing lockdown situation across the country due to outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions on the movements apart from social distancing, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular Nos. Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated 05th May 2020, permitted companies to hold their AGM through VC / OVAM for the calendar year 2020. The SEBI vide its circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 further relaxed certain provisions related to Annual Report. Pursuant to the said guidelines, Bank is conducting its 18th AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

   The Bank has appointed KFin Technologies Private Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM. The Head Office of the Bank shall be the deemed venue for the meeting.

3. **INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / AUDIO VISUAL MEANS (AVM)**

   a) The VC / AVM would allow participation of at least 1000 shareholders on first-come-first serve basis.

   b) No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

   c) The attendance of shareholders attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.

घ) शेयरधारक बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तथा बाद ई-एजीम में भाग ले सकते हैं ।

ङ) शेयरधारक, रिमोट ई-मतदान क्रेडेंशियल का उपयोग करते हुए शेयरधारक / शेयरधारक लॉगिन के तहत https://emeetings.kfintech.com / shareholders/ members में वीडियो कांफ्रेसिंग में भाग ले सकते हैं । ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक / शेयरधारक लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां आयोजन (ईवेंट) और बैंक का नाम चुना जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-मतदान निर्देशों का पालन करते हुए इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

च) शेयरधारक किसी भी सहायता के लिए evoting@ kfintech.com पर आरटीए / तकनीकी हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं ।

4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

वे शेयरधारक जो कार्यसूची मद पर अपने विचारों / प्रश्नों को व्यक्त करना चाहते हैं, अपना नाम, फोलियो / डीमैट विवरण, ईमेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर देते हुए 05.08.2020 (शाम 05:00 बजे) तक या पहले ईमेल आईडी hosecretarial@ canarabank.com में अपने प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं । अध्यक्ष बैठक की अवधि के दौरान शेयरधारकों के प्रश्नों का जवाब देंगे ।

शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे https://evoting.karvy.com/ पर लॉग इन करें और "Post your Queries" पर क्लिक करें और उपलब्ध कराये विंडों में अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए प्रश्नों / विचारों / सवालों को पोस्ट करें। "एजीएम प्रश्न" विंडो 7 अगस्त 2020 को सुबह 10.00 बजे से 9 अगस्त 2020 को शाम 5.00 बजे तक सक्रिय होगा।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक के प्रश्नों / विचारों / सवालों का जवाब तब दिया जाएगा, जब शेयरधारक कट-ऑफ की तारीख पर यानी 3 अगस्त 2020 तक शेयरों का धारण जारी रखेगा।

बैठक में बोलने की इच्छा रखने वाले शेयरधारकों को कैमरा के लिए अनुमति देने की आवश्यकता होगी, और बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए एक अच्छी गति वाले इटंरनेट का उपयोग करना होगा। शेयरधारक उपरोक्त पोर्टल में "स्पीकर पंजीकरण" के तहत प्रदान किए गए विकल्प के माध्यम से अपना पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो अपलोड कर सकते हैं।

d) The Shareholders can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.

e) Shareholders may access the VC at https:// emeetings.kfintech.com / under shareholders login by using the remote evoting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholders login where the EVENT and the name of the bank can be selected. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

f) The stakeholders may contact RTA/Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The shareholders who would like to express their views / pose queries on agenda items may submit their questions in the e-mail ID : hosecretarial@ canarabank.com on or before 05.08.2020 (05:00 PM), by mentioning their name, folio / demat details, e-mail ID and mobile number. The Chairman would answer the queries of shareholders during the course of the meeting.

Shareholders who would like to express their views/ ask questions during the meeting may log into https://evoting.karvy.com/ and click on “Post your Queries” and post their queries/views/questions in the window provided by mentioning the name, demat account number/folio number, email id and mobile number. The “AGM Questions” window shall be activated from 10.00 AM on 7th August 2020 till 5.00 PM on 9th August 2020.

Please note that, shareholder’s queries/views/ questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date i.e., 3rd August 2020.

Shareholders who wish to speak at the Meeting will be required to allow Camera, and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under “Speaker Registration”

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों को कनेक्ट करने से उनके संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो नष्ट होने की संभावना है । इसलिए किसी भी तरह की पूर्वोक्त असुविधाओं को कम करने के लिए स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

शेयरधारक जो एजीएम में बोलने और सवाल उठाने के इच्छुक हैं, वे https://evoting.karvy.com/ पर लॉग इन कर सकते हैं तथा "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करके डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, शहर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके सबमिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई–एजीएम बैठक में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान वापस शामिल करने के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

शेयरधारक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल नहीं हो पाते हैं, वे अपने रिमोट ई वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके https://evoting.karvy.com/ पर KFintech की ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉग इन करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख सकते हैं।

5. **परोक्षी की नियुक्ति**

परोक्षी को एक शेयरधारक जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में सक्षम नहीं है, की ओर से सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी जाती है । चूंकि, यह बैठक वीडियो कांफ्रेसिंग / एवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेयरधारक की भौतिक उपस्थिति को बंद किया गया है, इसलिए परोक्षी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा इस बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

6. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**:

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉरपोरेट के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि संकल्प की एक प्रति उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करती, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रति प्रमाणित किया जाना है, जिस पर यह पारित किया गया था कि उसे hosecretarial@canarabank.com के माध्यम से बैंक के प्रधान कार्यालय को वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि के कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 5 अगस्त, 2020 को शाम 5:00 बजे तक बैंक के बंद होने के समय के पूर्व भेजा जाएगा ।

7. **शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क**

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो

Please note that Participants Connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable wi-fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into https://evoting.karvy.com/ and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number/folio number, city, email id, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this Meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of KFintech at https://evoting.karvy.com/ using their remote e-voting credentials.

5. **APPOINTMENT OF PROXY**

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC / AVM , where the physical attendance of the shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders would not be available for this meeting.

6. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank or through e-mail ID : hosecretarial@canarabank.com at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 05th August, 2020 by 5:00PM.

7. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their

वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें ।

केफिन टेक्नॉलजिस प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
सेलीनियम टॉवर बी, प्लॉट संख्या 31-32
गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा
हैदराबाद - 500 032

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई–मेल पता शेयर अंतरणकर्ता एजेंट (उपर्युक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन / ईमेल आईडी सूचित करें ।

8. लाभांश का भुगतान व बहियों को बंद करना

बैंक ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया है।

केनरा बैंक (शयरों व बैठक) विनिमय के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर व शेयर अंतरण बही, वार्षिक सामान्य बैठक की वजह से मंगलवार, 04 अगस्त 2020 से सोमवार 10 अगस्त 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रखी जायेगी।

9. फोलियो का समेकन

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि केफिन टेक्नॉलजिस प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी धारण का एक खाते में समेकन किया जा सके । आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे ।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो तो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है / पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, यानी वर्ष 2012-13 से 2014–15 और 2016-17 तक, उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन / डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें ।

बैंक ने शेयर अंतरणकर्ता एजेंट / या बैंक के साथ www.canarabank.com में दावा करने हेतु शेयरधारकों को

Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Pvt. Ltd.
Unit : Canara Bank
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District,
Nanakramguda, HYDERABAD - 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/ register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. PAYMENT OF DIVIDEND / CLOSURE OF BOOKS:

Bank has not paid any dividend for the Financial Year 2019-20.

Pursuant to Regulation 12 of Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, the Register of Shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Tuesday, the 04th August 2020 to Monday, 10th August 2020 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting.

9. CONSOLIDATION OF FOLIO

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate KFin Technologies Private. Limited, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2012-13 to 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants, updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to

सक्षम बनाने के लिए अदावकृत / अप्रदत्त लाभांश वारंट संबंधी विवरण अपने वेबसाइट hosecretarial@canarabank.com में पोस्ट किया है ।

केनरा बैंक की योजना 2020 में सिंडिकेट बैंक के समामेलन का अनुसरण करते हुए बैंक ने अनुमोदित शेयर विनिमय अनुपात (सिंडिकेट बैंक के प्रत्येक 1000 इक्विटी शेयर के लिए केनरा बैंक के 158 इक्विटी शेयर) के अनुसार 01.04.2020 को सिंडिकेट बैंक के पात्र शेयरधारकों को 42,32,68,155 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं । किसी शेयरधारक ने समामेलन से पोर्व सिंडिकेट बैंक द्वारा घोषित अपने लाभांश के लिए दावा नहीं किया है तो, हमारे शेयर अंतरण एजेंट / या hosecretarial@canarabank.com पर बैंक से संपर्क कर सकते हैं ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार सात साल की अवधि से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 की धारा 205सी/125 के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए । लागू प्रावधानों के अनुसार बैंक कथित निधि में समामेलित बैंक के अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांश राशि को वर्ष 2012–13 हेतु अंतरित करने की प्रक्रिया में है । तदनुसार, आई ई पी एफ के लिए वर्ष 2012–13 के अप्रदत्त लाभांश का अंतरण निम्न तारीखों पर देय है:

- ***ई–सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) के लिए*** : *28.07.2020*
- ***केनरा बैंक के लिए*** : *22.08.2020*

11. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक कृपया नाटे करे कि विद्यमान कोविद–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और परिपत्र 20/2020, 17/2020 व 14/2020, एमसीए, भारत सरकार व सेबी द्वारा जारी सेबी परिपत्र सेबी एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/ सीआईआर/पी/2020/79 के अनुपालन में बैंक द्वारा शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी जायेंगी । वार्षिक रिपोर्ट की संपूर्ण प्रति बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड हुआ है। शेयरधारक वेबसाइट से इसके पठनीय संस्करण को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड व ई–वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com, https://evoting.karvy.com/ पर भी देखा जा सकता है ।

claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Pursuant to Scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank Scheme, 2020, the Bank allotted 42,32,68,155 equity shares to the eligible shareholders of Syndicate Bank on 01.04.2020, as per the approved share exchange ratio (158 equity shares of Canara Bank for every 1000 equity shares of Syndicate Bank). Any shareholder who has not claimed their dividend declared by E-Syndicate Bank, pre-amalgamation may also contact our Share Transfer Agent / or Bank at hosecretarial@canarabank.com

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C/125 of the Companies Act, 1956 / 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed/Unpaid Dividend amount of amalgamated Bank for the year 2012-13 to the said fund as per applicable provisions. Accordingly, the transfer of unpaid dividend amount for the year 2012-13 to IEPF falls due on following dates:

- *For E-Syndicate Bank (Now Canara Bank)* : *28.07.2020*
- *For Canara Bank* : *22.08.2020*

11. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in view of Prevailing Covid-19 Pandemic and in compliance with the Circulars 20/2020 ,17/2020 & 14/2020, SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 issued by MCA, GOI and SEBI, the bank will not be sending the physical copies of Annual Report to the shareholders. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com) Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Private Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com, https://evoting.karvy.com/ respectively.

12. शेयरधारकों का मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक के किसी भी शेयरधारक, सिवाय केंद्र सरकार के, अपने पास धारित बैंक के समग्र शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है ।

13. ई–वोटिंग {सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को प्रसन्नता है कि वह बैंक के शेयरधारकों को नोटिस में दी गई मदों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने में सक्षम बनाने के लिए मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रहा है ।

बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में एस. एन. अनंतसुब्रमणियन व कंपनी, कंपनी सचिवालय की नियुक्ति की है ।

शेयरधारकों / लाभार्थी मालिकों के ई–वोटिंग अधिकारों को उनके द्वारा यथा सोमवार, 03 अगस्त 2020 को धारित ईक्विटी शेयरों के मद्दे होगा जो कि **इस प्रयोजन के लिए अंतिम तारीख है।** अंतिम तारीख को, भौतिक या विमुद्रीकृत रूप में शेयर धारित करने वाले बैंक के शेयरधारक, **नोटिस की कार्यसूची मद पर** इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं ।

ई–मतदान के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

अ. ई–मतदान के लिए निम्नलिखित युआरएल का उपयोग करें: https://evoting.karvy.com

आ. लॉगिन क्रेडेंशियल प्रविष्टी

आपका फोलियो नं. / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपका प्रयोक्ता (यूजर) आईडी होगा । पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा ।

इ. उनके लिए जिनका ईमेल पता पंजीकृत नहीं है लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया:

शेयरधारक जिन्होंने अपना मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और परिणाम स्वरूप उन्हें वार्षिक रिपोर्ट, ई–एजीएम और ई–वोटिंग नोटिस की सूचना नहीं दी जा सकी है, उसे भेजने के लिए अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता तथा मोबाइलनम्बर लिंक :https://ris.kfintech.com/email_registration/ पर क्लिकिंग करते हुए केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को प्रदान किए गए हैं को प्राप्त करें । शेयरधारियों से अनुरोध है कि वे नोटिस और ई–मतदान निर्देशों के साथ–साथ प्रयोक्ता (यूजर) आईडी और पासवर्ड भेजने के लिए ईमेल पते और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें । किसी भी प्रश्न के लिए

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to the shareholders of the Bank through Kfin Technologies Pvt Ltd to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

The Bank has appointed S. N. Ananthasubramanian & Co, Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-Voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Monday, 03rd August, 2020 **being the Cut-off date for the purpose.** Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically **on the agenda items of the Notice.**

The instructions for e-Voting are as under:

a. To use the following URL for e-voting: https://evoting.karvy.com

b. Enter the login credentials

Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail ID.

c. Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those, whose e-mail addresses are not registered:

Shareholders who have not registered their mail address and in consequence the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited, by clicking the link: https://ris.kfintech.com/email_registration/ for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the

शेयरधारक einward.ris@kfintech.com पर लिखें ।

वार्षिक रिपोर्ट, ई–एजीम की नोटिस तथा ई–मतदान अनुदेश भेजने के लिए सदस्य वैकल्पिक रूप से इलैक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ईमेल पता, मोबाइल नम्बर, स्वयं सत्यापित पैन प्रति तथा ग्राहक मास्टर प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि तथा भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं ।

ई. उचित रूप से विवरण प्रविष्ट करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें ।

उ. आप पासवर्ड बदलने के मेनू तक पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा । नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिसमें एक बड़ा अक्षर (ए–जेड), एक छोटा अक्षर (ए–जेड), एक संख्यात्मक मूल्य (0–9) और एक विशेष अक्षर शामिल होगा । पहले लॉगिन पर सिस्टम आपसे पासवर्ड बदलने तथा संपर्क विवरण जैसे मोबाइल, ईमेल आदि अद्यतन करने के लिए निर्देश देगा । यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का गुप्त प्रश्न और उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। दृढ़ता से यह अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाये रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें ।

ऊ. आपको नए क्रेडेंशियल के साथ दोबारा लॉगिन करना आवश्यक है ।

ऋ. सफल लॉगिन करने पर सिस्टम आपको ईवेंट जैसे **केनरा बैंक** का चयन करने का निर्देश देगा ।

ए. **कार्यसूची मद 1 व 2 के लिए :** मतदान पृष्ठ पर यथा **अंतिम तिथि** (03 अगस्त 2020) तक शेयरधारक द्वारा धारित अनुसार शेयरों की संख्या प्रदर्शित होंगी । यदि आप उक्त कार्यसूची मद के प्रस्तावों के लिए सभी मतों को असहमति / असहमति देने की इच्छा रखते हैं, तो सभी शेयरों में प्रविष्ट करें और मामले के अनुसार "के लिए" / "के विरुद्ध" पर क्लिक करें । आपको अपने सभी वोट एक ही तरह से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप कितनी भी संख्या में आंशिक रूप से "के लिए" में और आंशिक रूप से "के विरुद्ध" प्रविष्ट कर सकते हैं, लेकिन "के लिए / के विरुद्ध " दोनों की साथ में ली गई कुल संख्या आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए जैसा कि यहां ऊपर उल्लिखित है। यदि आप मतदान से बचना चाहते हैं तो आप "एबस्टेन" विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप या तो "के लिए" या " के विरुद्ध" इंगित नहीं करते हैं, तो इसे "एबस्टेन" के रूप में माना जाएगा और धारित किए गए शेयरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा । पुष्टी हेतु ओके करें वरना संशोधन के लिए रद्द (कैंसल) करें । आपके द्वारा पुष्टी करने के बाद आपको मत में संशोधन

User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com.

Alternatively member may send an e-mail request at the e-mail id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual Report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., **Canara Bank.**

h. **FOR THE AGENDA ITEMS 1 & 2** : On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the **Cut-off Date** (03rd August 2020) will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click “FOR” / “AGAINST” as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in “FOR” and partially in “AGAINST” but the total number in “FOR / AGAINST” taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option “ABSTAIN” in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either “FOR” or “AGAINST” it will be treated as “ABSTAIN” and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify.Once you confirm, you will not be allowed to modify

करने की अनुमति बहावेध नहीं होगी । मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक इन प्रस्तावों पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं ।

ऍ. फोलियो / डीमैट अकाउंट रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे ।

तथापि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंकिंग कंपनियों की धारा 3 (2ई) (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के संदर्भ में, भारत सरकार के अलावा किसी भी हिस्सेदार को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

ऐ. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को ई–मेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से समीक्षक को वोट करने के लिए प्राधिकृत विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित हस्ताक्षर सहित संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है ।

ए. एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना मत देते हैं, तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी ।

ऐ. रिमोट ई–मतदान अवधि

मतदान के लिए पोर्टल **गुरुवार, 6 अगस्त 2020 को प्रातः 9:00 बजे से रविवार, 9 अगस्त 2020 को शाम 5:00 बजे तक (दोनों दिन सम्मिलित) खुला रहेगा तथा आरटीए उसके बाद ई–मतदान प्लैटफार्म को अक्षम कर देगा ।**

ऑ. किन्हीं प्रश्नों के मामले में https://evoting.karvy.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के लिए ई–मतदान प्रयोक्ता मैन्युअल का संदर्भ लें या 040 67162222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री न.) पर केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के यहां श्री एस वी राजु से संपर्क करें ।

ऒ. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और इसे गोपनीय बनाये रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें ।

ओ. ई–वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट में की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा ।

कृपया नोट करें की एक बार जब आप ई–वोटिंग के तहत अपना वोट डालते हैं, तो आप वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान को संशोधित या मतदान नहीं कर सकते हैं । तथापि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और यदि कोई चर्चा होती है तो उसमें भाग ले सकते हैं ।

14. बैठक के दौरान ई– मतदान प्रणाली

केवल वे शेयरधारक जो ई–एजीएम में मौजूद हैं और जिन्होंने

your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.

However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

j. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF / JPG format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory (ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net

k. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

l. Remote e-Voting Period

The Portal will remain open for voting from: **9.00 a.m. on Thursday the 06th August, 2020 to 5.00 p.m. on Sunday the 9th August, 2020 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter.**

m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting User Manual for shareholders available at the download section of https://evoting.karvy.com or contact Mr. S V Raju of Kfin Technologies Pvt Ltd at 040 67162222 or at 1800 345 4001 (toll free).

n. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

o. The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

14. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING:

Only those shareholders who are present in the

रिमोट ई–मतदान के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। शेयरधारक बैठक के दौरान दिए गए अनुदेशों का पालन करते हुए वीसी/एवीएम में लॉगिन करने के बाद उपलब्ध लिंक https://emeetings.kfintech.com/ पर क्लिक करते हुए मतदान कर सकते हैं।

15. मतदान पोल के यहां संवीक्षक

मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन व कंपनी, कंपनी सेक्रटरी बैठक की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई–वोटिंग व ई–वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

16. रिमोट ई–वोटिंग व पोल के परिणाम

ई–एजीएम में रिमोट ई–वोटिंग व वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो दिनों के भीतर या बैठक के अंत में की जायेगी और बैंक, स्टॉक एक्सचेंजों व केफिन टेक्नॉलजिस लिमिटेड की वेबसाइटों पर भी होस्ट किया जाएगा।

नोटिस की मद संख्या 2 में उल्लिखित कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. 31 मार्च, 2020 को बैंक की वर्तमान इक्विटी पूंजी ₹1030.23 करोड़ और बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.65% है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 10.875% से अधिक है। तथापि, बैंक की कुछ विस्तार योजनाओं, बेसल III मानदंडों के कार्यान्वयन, और परिणामस्वरूप पूंजी प्रभार के मद्देनजर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत करने के लिए पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. बैंक ने अपनी 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक 25.07.2019 को आयोजित की थी, जिसमें अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन सहित विभिन्न मोड के माध्यम से ₹6,000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) के इक्विटी शेयरों के नये इश्यू के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे, बैंक ने दिनांक 23.11.2019 के डाक मतदान द्वारा एक विशेष संकल्प के ज़रिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर प्रति शेयर ₹237.23 के इश्यू मूल्य पर प्रत्येक ₹10 के 27,69,88,576 इक्विटी शेयर जारी करते हुए 04.12.2019 को ₹6,571 करोड़ जुटाये हैं।

3. 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में प्राप्त संकल्प क्यू आई पी के लिए एक वर्ष तक समित है, बैंक के टियर 1 पूँजी को बढाने के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने फॉलो–ऑन इश्यू, राइट इश्यू, सरकारी और वित्तीय संस्थानों के लिए अधिमान्य इश्यू, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और पूँजी बढ़ाने के अन्य अनुमत

e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link https://emeetings.kfintech.com/available after logging in to VC/AVM by following the instructions mentioned therein.

15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote evoting and e-voting in respect of all the agenda items of the meeting.

16. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-voting and voting at the e-AGM will be announced within two days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Private Limited.

EXPLANATORY STATEMENT IN RESPECT OF THE BUSINESS MENTIONED AGAINST ITEM NO. 2 OF THE NOTICE:

1. The current Equity Capital of the Bank is ₹1030.23 Crore and the Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2020 is 13.65 %, which is well above the 10.875% stipulated by the Reserve Bank of India. However, in view of certain expansion plans of the Bank, the implementation of BASEL III norms, and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

2. The Bank had at its 17th AGM held on 25.07.2019 passed a special resolution for fresh issue of equity shares of upto ₹6,000 Crore(including premium) by way of various modes including Qualified Institutional Placement. While the Bank did not raise capital through any of the modes approved by the Shareholders, the Bank raised ₹6,571 Crore on 04.12.2019 by issue of 27,69,88,576 equity shares of ₹10 each at an issue price of ₹237.23 per share on preferential basis to Government of India after obtaining shareholders approval by way of Special resolution through Postal Ballot notice dated 23.11.2019.

3. As the validity of the resolutions obtained in the 17th AGM is restricted to one year for QIPs, In order to shore the Bank's Tier I capital, the Board of Directors of the Bank have decided to raise Capital to the extent of ₹5000 Crores (including premium) through various modes including Follow-on Issue, Right Issue,

माध्यम सहित विभिन्न माध्यमों से ₹5000 करोड़ों (प्रीमियम सहित) की सीमा तक पूंजी बढ़ाने का फैसला किया है।

4. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बी)(सी) के अनुसार बैंक प्रदत्त पूंजी को संवर्धित करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, ईक्विटी केन्द्र सरकार हर समय बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूंजी का न्यूनतम 52% अनुरक्षित रखेगा।

5. *सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) यह प्रावधान करता है कि जब भी बैंक द्वारा कोई इश्यू या प्रस्ताव दिया जाए तो मौजूदा शेयरधारकों को तब तक यही आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये जब तक कि शेयरधारक सामान्य बैठक में अन्यथा निर्णय न ले। कथित संकल्प यदि पारित होता है तो बैंक की ओर से बोर्ड को यह अनुमति प्रदान करेगा कि मौजूदा शेयरधारकों को अन्यथा आनुपातिक आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी व आबंटित करें।*

6. संकल्प, बैंक को सार्वजनिक इश्यू पर अनुसरण द्वारा, अधिकार इश्यू और / या निजी प्लेसमेंट के आधार पर या भारत सरकार / भा.रि.बै. द्वारा अनुमोदित किसी अन्य माध्यम द्वारा ईक्विटी शेयर / अधिमानी शेयर / प्रतिभूति निर्मित, प्रदान, जारी व आबंटित करने हेतु सक्षम करने की मांग करता है। इश्यू आगम बैंक को समय–समय पर भा.रि.बै. द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अनुसार अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को सशक्त करने में सक्षम करेगा।

7. आईसीडीआर विनियमनों द्वारा परिभाषित अनुसार योग्य संस्थागत खरीदारों के साथ योग्य संस्थागत प्लेसमेंट करने हेतु संकल्प, निदेशक मंडल को सशक्त करने की मांग करता है। निदेशक मंडल अपने विवेकाधिकार में शेयरधारकों से नए अनुमोदन की मांग किये बगैर बैंक हेतु निधि उगाही के लिये आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII के तहत निर्धारित अनुसार इस तंत्र को अपना सकता है।

   आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VI अनुसार क्यूआईपी इश्यू के मामले में क्यूआईपी आधार पर प्रतिभूतियाँ जारी की जा सकती हैं, जिसका मूल्य "प्रासंगिक तिथि" के पूर्व के दो हफ्तों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पर उद्धृत शेयर के समापन मूल्य के साप्ताहिक उच्च व निम्न के औसत से कम न हो। "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ है उस बैठक की तिथि जिसमें बोर्ड या बैंक की समिति क्यूआईपी इश्यू खोलने का निर्णय लेती है।

8. प्रस्ताव हेतु विस्तृत नियम व शर्तें प्रचलित बाजार संबंधी परिस्थिति व अन्य विनियामक आवश्यकताओं को ध्यान में

Preferential Issue to Government and Financial Institutions, Qualified Institutional Placement and other permitted mode of raising capital.

4. The Bank in terms of Section 3(2B)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, will obtain requisite approval of the Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid-up capital. However, the Central Government shall, at all times, hold not less than fifty two per cent of the paid-up equity capital of the Bank.

5. *The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.*

6. The Resolution seeks to enable the Bank to create, offer, issue and allot equity shares / preference shares / securities by way of follow on public issue, rights issue and/or on a private placement basis or any other mode approved by GOI / RBI. The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy requirements as specified by RBI from time to time.

7. The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a qualified institutional placement with qualified institutional buyers as defined by ICDR Regulations. The Board of Directors may in their discretion adopt this mechanism as prescribed under Chapter VIII of the ICDR Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

   In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Bank decides to open the QIP Issue.

8. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors,

रखते हुए सलाहकार, अग्रणी प्रबंधकों व हामीदार व ऐसे अन्य अधिककारी या प्राधिकारियों व आवश्यकता अनुसार प्रधिकरण के साथ परामर्श से निर्धारित की जायेंगी ।

9. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य–निर्धारण बाद में करने के अलावा अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अतः यह संभव नहीं है कि जारी होने वाले शेयर का मूल्य बताया जा सके । यद्यपि, यह आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 व समय–समय पर यथा संशोधित अनुसार केनरा बैंक (शेयर व बैठक) विनियमन, 2000 एवं लागू या आवश्यक अनुसार किसी अन्य दिशानिर्देशों / विनियमनों / सहमति के अनुसार होगा ।

10. उपर्युक्त कारणों हेतु, इश्यू की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिये बोर्ड को उचित लचीलापन व विवेकाधिकार देने के क्रम में समर्थनकारी संकल्प पारित करना प्रस्तावित किया गया है ।

11. आबंटित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के साथ सभी प्रकार से सममात्रा में हैं ।

इस उद्देश्य हेतु बैंक को विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है । अतः उपरोक्त प्रस्ताव हेतु आपकी सहमति का अनुरोध किया गया है ।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखितानुसार विशेष संकल्पों को पारित करने हेतु सिफारिश करता है ।

बैंक के किसी भी निदेशक का उपर्युक्त उल्लिखित संकल्प में कोई हित या संबंध तिहित नहीं है, सिवाय बैंक में उनके शेयरधारण के हद तक, यदि हो तो।

निदेशक मंडल के आदेशों द्वारा

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 13-07-2020

Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements.

9. As the pricing of the offering cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.

10. For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

11. The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a special resolution. Hence your consent is requested for the above proposal.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as mentioned in the notice.

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By Order of the Board of Directors

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 13-07-2020

प्रगति एक नज़र में / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ / Amt. ₹ Crore)

मापदंड / Parameters	2017-18	2018-19	2019-20
घरेलू शाखाओं की संख्या / Number of Domestic Branches	6204	6310	6329
ए टी एम की संख्या / Number of ATMs	9395	8851	8850
चुकता पूंजी / Paid-up Capital	733	753	1030
आरक्षित निधिआँ / Reserves	34872	35424	38263
सकल जमा / Aggregate Deposits	524772	599033	625351
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y.o.y	5.96	14.15	4.39
अनिवासी जमा / Non-Resident Deposits	39688	37246	39694
विदेशी पण्यावर्त कारोबार / Foreign Business Turnover	261469	257078	293425
सकम अग्रिम / Gross Advances	400843	444216	451223
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y.o.y	12.82	10.82	1.58
खुदरा अग्रिम / Retail Advances	57296	71185	79800
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y.o.y	12.43	24.24	12.10
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances	185626	197013	203029
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y.o.y	15.82	6.13	3.05
कृषि अग्रिम / Agriculture Advances	82456	90543	96043
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y.o.y	11.31	9.81	6.07
कृषि (संवितरण) / Agriculture Advances (Disbursal)	67902	76384	84891
एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances	82098	85168	78773
वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) / Growth (%) y.o.y	10.49	3.74	(7.51)
डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme	112	101	101
अ.जा./अ.ज.जा को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients	7991	8190	8284
निर्यात ऋण / Export Credit	11587	11089	7826
कुल आय / Total Income	48195	53385	56748
कुल व्यय / Total Expenditure	38647	42794	47388
परिचालन लाभ / Operating Profit	9548	10591	9360
निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit / Net Loss	(4222)	347	(2236)
कर्मचारियों की संख्या / Total Number of Staff	58855	58350	58632
नकद वसूली / Cash Recovery	6458	10355	10886
मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%)			
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio	13.22	11.90	13.65
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात / Gross NPA Ratio	11.84	8.83	8.21
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात / Net NPA Ratio	7.48	5.37	4.22
आस्तियों पर औसतन प्रतिलाभ / Return on Average Assets	(0.75)	0.06	(0.32)
इक्विटी पर प्रतिलाभ / Return on Equity	(16.74)	1.40	(8.05)
बही मूल्य / Book Value	315	348	281
निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin	2.42	2.63	2.29

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

निदेशकों की रिपोर्ट

2019-2020

DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट: 2019-20

निदेशक मंडल द्वारा यथा 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए तुलनपत्र व यथा 31 मार्च, 2020 को समप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा सहित 51वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

बैंक के वित्तीय निष्पादन का एक स्नैपशॉट नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च-19	मार्च-20	वृद्धि (%)
वैश्विक कारोबार	**599033**	**625351**	**4.39%**
जिनमें से - देशी जमा	565917	601664	6.32%
विदेशी (समुद्रपारीय) जमा	33116	23687	(28.47%)
देशी जमा	**565917**	**601664**	**6.32%**
चालू खाता जमा	23274	26458	13.68%
बचत बैंक जमा	151535	169749	12.02%
कासा जमा	174809	196207	12.24%
देशी कासा में से देशी जमा (%)	**30.86**	**32.59**	
वैश्विक अग्रिम	**444216**	**451223**	**1.58%**
जिनमें से - देशी अग्रिम	419005	426684	1.83%
विदेशी (समुद्रपारीय) अग्रिम	25211	24539	(2.67%)
कुल आस्तियाँ	**694767**	**723875**	**4.19%**
निवल ब्याज आय (एन आई आई)	**14478**	**13124**	**(9.35%)**
अन्य आय	**6575**	**7813**	**18.83%**
जिनमें से - शुल्क आय	2442	2685	9.94%
विदेश विनिमय आय	633	1115	76.23%
व्यापार लाभ	402	758	88.70%
टीडब्ल्यूओ से वसूली	1304	1470	12.69%
एन आई आई + अन्य आय	**21053**	**20937**	**(0.55%)**
परिचालन व्यय	**10462**	**11577**	**10.66%**
परिचालन लाभ	**10591**	**9360**	**(11.62%)**
प्रावधान	**10244**	**11596**	**13.20%**
जिनमें से – एनपीए के लिए एवं अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान	12723	10655	(16.25%)
कर पूर्व लाभ	(2327)	(1756)	-
कर के लिए प्रावधान	(2674)	480	-
निवल लाभ	**347**	**(2236)**	-

DIRECTORS' REPORT: 2019-20

The Board of Directors have pleasure in presenting the 51st Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2020 and Profit & Loss Account for the financial year ended March 31, 2020.

A snapshot of Bank's financial performance is given below:

(In ₹ Crore)

Particulars	Mar-19	Mar-20	Growth (%)
Global Deposits	**599033**	**625351**	**4.39%**
of which - Domestic Deposits	565917	601664	6.32%
Overseas Deposits	33116	23687	(28.47%)
Domestic Deposits	**565917**	**601664**	**6.32%**
Current Account Deposits	23274	26458	13.68%
Savings Bank Deposits	151535	169749	12.02%
CASA Deposits	174809	196207	12.24%
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	**30.86**	**32.59**	
Global Advances	**444216**	**451223**	**1.58%**
of which - Domestic Advances	419005	426684	1.83%
Overseas Advances	25211	24539	(2.67%)
Total Assets	**694767**	**723875**	**4.19%**
Net Interest Income (NII)	**14478**	**13124**	**(9.35%)**
Other Income	**6575**	**7813**	**18.83%**
of which - Fee Income	2442	2685	9.94%
Forex Income	633	1115	76.23%
Trading Gains	402	758	88.70%
Recovery from TWO	1304	1470	12.69%
NII + Other Income	**21053**	**20937**	**(0.55%)**
Operating Expenses	**10462**	**11577**	**10.66%**
Operating Profit	**10591**	**9360**	**(11.62%)**
Provisions	**10244**	**11596**	**13.20%**
of which - Provisions for NPAs & Bad debts written off	12723	10655	(16.25%)
Profit Before Tax	(2327)	(1756)	-
Provision for Tax	(2674)	480	-
Net Profit	**347**	**(2236)**	-

यथा मार्च 2020 को वर्ष-दर-वर्ष 4.41% की वृद्धि सहित ₹1028348 करोड़ की देशी कारोबार पर विशेष जोर के साथ बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष-दर-वर्ष 3.19% बढ़कर ₹1076574 करोड़ हो गया । बचत खाते में वर्ष-दर-वर्ष 12.02% और चालू खाते में वर्ष-दर-वर्ष 13.68% वृद्धि के साथ कासा जमा वर्ष-दर-वर्ष 12.24% बढ़कर ₹196207 करोड़ हो गया । इस प्रकार देशी कासा हिस्सेदारी यथा मार्च 2020 को 173 बीपीएस के साथ 32.59% का ठोस सुधार दर्ज किया ।

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता की निगरानी, नियंत्रण और रख–रखाव के संबंध में विभिन्न कदम उठाए। बैंक के निरंतर प्रयासों से संपत्ति की गुणवत्ता में उचित परिणाम प्राप्त हुए हैं जिससे सकल एनपीए में 62 बीपीएस से 8.21% और निवल एनपीए में 115 बीपीएस से 4.22% की गिरावट हुई है । संचयी नकद वसूली ₹10886 करोड़ रही। इसके अलावा प्रावधान कवरेज अनुपात पिछले वर्ष के 68.13% से बढ़कर 75.86% हो गया है। 13.65% का स्वस्थ सीआरएआर, जो 175 बीपीएस तक वर्धित है, यह बताता है कि बैंक आने वाली तिमाहियों में जैविक विकास के लिए अच्छी तरह से तैयार है। वित्तीय वर्ष 2020 में बैंक का परिचालन लाभ ₹9360 करोड़ और निवल हानि ₹2236 करोड़ रहा ।

लाभांश

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाभांश भुगतान के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण बैंक वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लाभांश का भुगतान करने के लिए पात्र नहीं है।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2019–20/218 डीओआर.बीपी.बीसी.सं.64/21.02.067/2019–20 दिनांकित 17 अप्रैल, 2020 द्वारा निर्देशित किया है कि, कोविड़–19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और हानि को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए पूंजी का संरक्षण करें । तदनुसार, सभी बैंक इस संबंध में अगले निर्देश तक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित मुनाफे से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। यह प्रतिबंध 30 सितंबर, 2020 को समाप्त होनेवाली तिमाही के लिए बैंकों के वित्तीय परिणामों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा पुनर्निर्धारित किया जाएगा ।

प्रबंधन विचार–विमर्श व विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था कैलेंडर वर्ष 2018 की 3.6% से, सुस्त मांग, सिकुड़ती वैश्विक व्यापार मात्रा और भू–राजनीतिक संकटों के कारण, घटकर कैलेंडर वर्ष 2019 में 2.9% हुई । वैश्विक घटनाओं जैसे अमेरिकी-चीन व्यापार युद्ध तनाव, ब्रेक्सिट पर अनिश्चितता और मध्य पूर्व एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में भू-राजनीतिक तनाव आदि पिछले वर्ष के दौरान आर्थिक गतिविधियों की धीमी गति के लिए

The global business of the bank increased to ₹1076574 crore, up by 3.19% y.o.y, with specific thrust on domestic business which grew by 4.41% y.o.y to ₹1028348 crore as at March 2020. CASA deposits surged 12.24% y.o.y to ₹196207 crore with Savings Account growing at 12.02% y.o.y and Current Account at 13.68% y.o.y. Thus, domestic CASA share registered a robust improvement by 173 bps to 32.59% as at March 2020.

Bank took various steps in respect of monitoring, control and maintaining asset quality. The sustained efforts of the bank has yielded results on the asset quality front which showed a commendable fall in Gross NPA by 62 bps to 8.21% and Net NPA to 4.22%, down by 115 bps. Cumulative Cash recovery stood at ₹10886 crore. Further the provision coverage ratio has improved to 75.86% from 68.13% in the previous year. The healthy CRAR of 13.65%, up by 175 bps, highlights that the bank is well cushioned for an organic growth in the coming quarters. In FY2020, operating profit of the Bank stood at ₹9360 crore and net loss at ₹2236 crore.

Dividend

Bank is not eligible to pay dividend for the Financial Year 2019-20 on account of not meeting the eligibility criteria as stipulated by RBI for this purpose.

Further, RBI vide its Circular No. RBI/2019-20/218 DOR.BP.BC.No.64/21.02.067/2019-20 dated April 17th, 2020 has directed that, in an environment of heightened uncertainty caused by COVID-19, it is important that Banks conserve capital to retain their capacity to support the economy and absorb losses. Accordingly, all banks shall not make any further dividend payouts from the profits pertaining to the financial year ended March 31, 2020 until further instructions. This restriction shall be reassessed by the Reserve Bank based on the financial results of banks for the quarter ending September 30, 2020.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL ECONOMY

The global economy slowed down to 2.9% in 2019 Calendar Year from 3.6% in 2018 on the back of sluggish demand, dwindling global trade volumes and geo-political woes. A slew of global events such as US-China trade war tensions, uncertainty over Brexit and geo-political tensions in Middle East and other parts of the world were responsible for the slow pace of

जिम्मेदार थे। नए कोविड़-19 वायरस का प्रकोप पूरे विश्व को जनवरी 2020 के मध्य से निस्तब्ध कर दिया । इसके परिणामस्वरूप, वैश्विक वृहद आर्थिक स्थितियों में सभी मामलों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है।

हालांकि वैश्विक वित्तीय बाजार साल के प्रमुख हिस्से में व्यापक रूप से लचीले बने रहे, इक्विटी और कर्ज सेगमेंट के संबंध में जनवरी 2020 तक, महामारी से प्रेरित अस्थिर स्विंग स्पष्ट था। सभी प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने अवसरोचित कार्य करते हुए वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में महामारी के तरंग प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

वर्ष के पूर्वार्ध में कच्चे तेल और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई, हालांकि महामारी के प्रकोप के बाद, बड़े पैमाने पर बिकने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। दूसरी ओर, निवेशकों ने सुरक्षित ठिकाने के रूप में सोने को प्राथमिकता देने के कारण सोने की कीमतों में वृद्धि हुई । खाद्य पदार्थों के अंतरराष्ट्रीय कीमतें, उच्च मांग और आपूर्ति बहुलता के कारण साल के उत्तरार्ध के दौरान बढ़ गई ।

कोविड़-19 वायरस के अभूतपूर्व फैलाव ने वर्ष 2020 के विकास के अनुमानों को कमजोर किया और हर मामले में इसके नतीजे प्रत्याशित से कहीं अधिक गहरे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की उभरती चुनौतियों के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2020 में विश्व आर्थिक उत्पादन की 4.9% की संकुचन और वर्ष 2021 में 5.4% की गति से पुनर्प्राप्ति का अनुमान लगाया। आर्थिक विकास का पुनरुत्थान पहले के अनुमानों की तुलना में अब और अधिक क्रमिक होने का अनुमान है । वर्ष 2020 में उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ वर्ष-दर-वर्ष 8.0% घटेगी, जबकि उभरते हुए बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ वर्ष-दर-वर्ष 3.0% कम होंगे । फिर भी, वर्ष 2021 के दौरान सकारात्मक वृद्धि की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में, विशेषकर विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में, कोविड़-19 महामारी अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करने के कारण वित्त वर्ष 2019 के 6.1% की तुलना में, वित्त वर्ष 2020 के दौरान अर्थव्यवस्था 4.2% बढ़ी । कृषि एकमात्र क्षेत्र था जिसमें सामान्य मानसून और मजबूत खाद्य उत्पादन के कारण वर्ष-दर-वर्ष 4% की स्वस्थ वृद्धि देखी गई। कृषि उत्पादों की आवश्यक सेवा स्थिति ने मार्च के अंतिम दो सप्ताहों में लॉकडाउन के दौरान भी, क्षेत्र के सामान्य प्रवर्तन में योगदान दिया। पर्यटन एवं वित्तीय सेवाओं में ढिलाई ने मार्च 2020 में वर्ष-दर-वर्ष 7.7% की तुलना में सेवा क्षेत्र की वृद्धि को 5.5% तक सीमित रखा । वित्तीय सेवाओं में कम वृद्धि एनबीएफसी संविभाग में दीर्घकालीन तरलता संकट का कारण बन सकता है । वित्त वर्ष 2020 में व्यय के मामले में, निजी उपभोग व्यय वर्ष-दर-वर्ष 5.3% तक कम हो गया, जबकि सरकारी व्यय वर्ष-दर-वर्ष 11.8% की गति से बढ़ा और निवेश वर्ष-दर-वर्ष 2.8% तक घट गई ।

economic activities in the bygone year. The outbreak of the novel Covid-19 virus, kept the entire world standstill, since mid-January 2020. Consequently, the global macroeconomic conditions have undergone a massive change in all respects.

Though global financial markets broadly remained resilient in the major part of the year, pandemic induced volatile swing was evident post January 2020 with respect to equities and debt segments. All major central banks turned dovish and provided accommodative guidance in the latter part of the fiscal to mitigate the ripple effects of the pandemic.

First part of the year saw elevated crude oil and gold prices, however post pandemic outbreak, crude oil prices nosedived due to massive sell offs. On the other hand, gold prices increased as investors preferred safe havens. International food prices inched up tracking higher demand and supply gluts during the latter part of the year.

The unprecedented Covid-19 virus spread dented the growth estimates further for 2020 and its repercussions in every respect are deeper than ever anticipated. Citing the evolving challenges of the global economy, International Monetary Fund (IMF) estimated the world economic output to contract by 4.9% in 2020 and recover at a pace of 5.4% in 2021. The revival of the economic growth is now projected to be more gradual than earlier estimates. Advanced Economies will contract by 8.0% y.o.y, while Emerging Market and Developing Economies will shrink 3.0% y.o.y in 2020. Nevertheless, positive growth is expected during 2021.

INDIAN ECONOMY

The domestic economy grew at 4.2% in FY2020, lower than 6.1% in FY2019, as the Covid-19 pandemic adversely impacted economic activity in the last month of the fiscal year, especially manufacturing and construction. Agriculture was the only sector which saw a healthy growth of 4% y.o.y, led by normal monsoon and robust food production. The essential services status of agriculture produce contributed to the near normal functioning of the sector in last two weeks of March even during the lockdown. Sluggishness in tourism and financial services pulled down the service sector growth to 5.5% y.o.y from 7.7% y.o.y in March 2020. The lower growth in financial services can be attributed to prolonged liquidity crisis in the NBFC segment. On the expenditure front, private consumption expenditure decelerated to 5.3% y.o.y, while Government expenditure increased at a pace of 11.8% y.o.y and investments contacted to 2.8% y.o.y in FY2020.

वर्ष के उत्तरार्ध में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी और खाद्य कीमतों में उलटफेर के कारण वित्त वर्ष 2020 में 4.8% के ऊंचे स्तर पर रही। हालांकि, मुख्य मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में कम अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबाव को उजागर करते हुए 4.0% तक कम रही ।

महामारी की चुनौती के बीच घरेलू बृहद अर्थिक फंडामेंटल के बदलते परिदृश्य के साथ, कृषि के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों के निकट अवधि में म्यूट होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक गतिविधियों का पुनरुद्धार, आपूर्ति श्रृंखलाओं की पुनर्स्थापना और बेहतर मांग आवेग आदि अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर वापस रखने की पूर्व शर्तें हैं। इस प्रकार, चालू वित्त वर्ष में मौजूदा सुस्त अनिश्चितता ने वित्त वर्ष 2021 में घरेलू वृद्धि के जोखिम को कम किया है और महामारी संबंधी चिंताएं दूर होने के कारण वित्त वर्ष 2022 में यह सकारात्मक रहने की संभावनाएं हैं । सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की विस्तारक राजकोषीय और मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए कुछ और तिमाहियों के लिए सहायक रहेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किया। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2019 से मौजूदा 4.0% के स्तर तक संचयी 200 आधार अंकों की दर से रेपो दर में कटौती की और एक नीतिगत रुख बनाए रखा। महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पर्याप्त तरलता प्राप्त करने के लिए टीएलटीआरओ 1 और 2 के तहत ₹1.5 लाख करोड़ की नीलामी सहित कई उपायों का सहारा लिया।

सरकार ने वर्ष की पहली छमाही के दौरान विकास में वृद्धि और अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। उन उपायों में, बिना किसी छूट के कॉर्पोरेट कर में 30% से 22% तक की कटौती, सबसे महत्वपूर्ण था ।

महामारी से होने वाले आर्थिक जोखिम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ₹20 लाख करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिसमें से ₹6 लाख करोड़ का वित्त पोषण बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जाएगा। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों की यह प्रभावी संपूरकता वास्तव में आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास को गति देगा।

एमएसएमई को ऋण देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट गारंटी, और विशेष आर्थिक पैकेज में एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई को तरलता समर्थन के लिए उठाए गए उपाय से बैंक क्रेडिट को गति प्राप्त होने की संभावनाएं है । आर्थिक वृद्धि में रिबाउंड के साथ ऋण वृद्धि में तेजी की उम्मीद है।

The headline inflation rose in the later part of the year and stood at an elevated level of 4.8% in FY2020 owing to the reversal in food prices. However, the core inflation remained low at 4.0%, highlighting lower underlying inflationary pressure in the economy.

With changing landscape of domestic macroeconomic fundamentals amid pandemic challenge, economic activities other than agriculture are expected to be muted in the near term. The revival of commercial activities, restoration of supply chains and improved demand impulses are the prerequisite to keep economy back on growth track. Thus, with lingering uncertainty in the current fiscal, downside risk to domestic growth is pronounced in FY2021 and by FY 2022, it is likely to be in the positive zone as pandemic concerns ebb off. The expansionary fiscal and monetary policy of the Government and RBI will remain supportive for few more quarters to support economic growth.

RBI provided significant monetary stimulus to support economic growth. The central bank cut the repo rate, by a cumulative 200 basis points since April 2019 to the current 4.0% level and maintained an accommodative policy stance. In a bid to mitigate the economic impact of the pandemic, RBI resorted to several measures including auctioning under TLTRO.1 and 2 to the tune of ₹1.5 lakh crore to infuse adequate liquidity.

Government also announced several measures to arrest the slide in growth and support the economy during the first half of the year. The most important among those measures was the cut in corporate tax from 30% to 22% without any exemptions.

Keeping the economic risk emanating from the pandemic, Government has rolled out ₹20 lakh crore plus stimulus package for all significant sectors in the economy, out of which ₹6 lakh crore will be financed through banking channel. This effective complementarity of fiscal and monetary policies will indeed give impetus to economic growth in the coming years.

The credit guarantee provided by the central Government for lending to MSMEs, and slew of measures taken for liquidity support to NBFCs, HFCs and MFIs in the special economic package is likely to stimulate bank credit off take. The credit growth is expected to pick up in tandem with rebound in economic growth.

बैंकिंग क्षेत्र के मुख्य विकास

वित वर्ष 2020 में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में संरचनात्मक सुधार देखे गए। पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसबी) के 10 बैंकों के मेगा विलय की घोषणा की। इसके फलस्वरूप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में विलय हो गए, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय हो गया, आंध्रा बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से सरकारी बैंकों में ₹70,000 करोड़ की प्रारंभिक पूँजी लगाई है ।

संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) एजेंडा के उन्नयन और कार्यान्वयन के मद्देनजर डिजिटलीकरण को बैंकिंग उद्योग के चालक के रूप में मान्यता प्राप्त होने के कारण, अधिकांश बैंकों ने वित्त वर्ष 2020 में 59 मिनट में पीएसबी ऋण psbloansin59minutes जैसे ऑनलाइन सेवा प्रावधानों का सहारा लिया। यहाँ तक कि बैंकिंग सेवाओं में प्रवेश करने वाले भारतीय डाक ने पीपीएफ और बचत खाते के लिए मोबाइल सुविधाएं प्रदान करके डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाया। बैंकिंग क्षेत्र में, नकद रहित (कैशलेस) अर्थव्यवस्था की पहल का समर्थन करने के लिए डिजिटल मोड़ में आमूल–चूल परिवर्तन देखा गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, वित्त वर्ष 2020 में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एवं आवस, वाहन आदि खरीदने के लिए और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध सभी नए अस्थिर दर (फ्लोटिंग रेट) ऋणों को बाहरी बेंचमार्क ब्याज दर से जोड़ना, अक्तूबर 1 से सभी बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है ।

कोविड़–19 महामारी के समय बैंक द्वारा उठाए गए कदम

कोविड़-19 महामारी के मद्देनजर, एक जिम्मेदार संगठन के रूप में बैंक ने आवश्यक उपाय करके कोविड़-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन किया।

देशव्यापी तालाबंदी (लॉकडाउन) के दौरान, ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए 97% शाखाएं और 92% एटीएम पूरी तरह से कार्यरत थे। ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल चैनलों का प्रभावी उपयोग किया गया है एवं मार्च 25 से अब तक ई–लेनदेन 24 करोड़ तक बढ़ गया है । कारोबार संपर्ककर्ताओं (बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स) की सेवाओं को आगे बढ़ाया गया और तालाबंदी के दौरान इस चैनल के माध्यम से लेनदेन 1.2 करोड़ रहा । बैंक ने पीएम किसान के तहत ₹783 करोड़ और पीएमजेडीवाई के तहत महिला लाभार्थियों को ₹1029 करोड़ प्रदान करके सामुदायिक सहायता पहलों में सक्रिय रूप से भाग लिया। बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के एक हिस्से के रूप में कोविड़-19 राहत उपायों के लिए ₹4.35 करोड़ खर्च

MAJOR BANKING SECTOR DEVELOPMENTS

The fiscal 2020 witnessed structural reforms with respect to banking sector. In order to tap the economies of scale, the Central Government announced mega merger of 10 Public Sector Banks (PSBs). Consequently Oriental Bank of Commerce (OBC) and United Bank of India (UBI) merged into Punjab National Bank (PNB), Syndicate Bank merged with Canara Bank, Andhra Bank and Corporation Bank merged with Union Bank of India and Allahabad Bank merged into Indian Bank. An upfront capital infusion of ₹70,000 crore in state-run banks was made in the last fiscal by way of recapitalisation bonds.

Digitalization being recognized as the driver of the banking industry in the wake of upgradation and implementation of EASE agendas, majority of the banks resorted to online service provisions such as psbloansin59minutes launched in FY2020. Even the India Post who entered into banking services stepped up the digital services by providing mobile facilities for PPFs and Savings Account. There is a paradigm shift witnessed across the banking sector in turning more digital to support cashless economy initiatives.

In FY2020, RBI made it mandatory for banks to link all new floating rate loans to micro and small enterprises (MSME) and loans to buy homes, vehicles and for personal consumption to an external interest rate benchmark effective from October 1st.

STEPS TAKEN BY THE BANK AMID COVID-19 PANDEMIC

In view of the Covid-19 pandemic, the Bank as a responsible organization discharged the duties duly following the Covid-19 guidelines by taking required measures.

During nation-wide lockdown, 97% of the branches and 92% of ATMs were fully operational to serve customers effectively in the wake of pandemic. Digital channels have been used effectively to make the banking services available to the customers and E-transactions increased by 24 crore since March 25th. Services of Business Correspondents was stepped up and the transactions thorough this channel stood at 1.2 crore during the shutdown days. The Bank actively participated in the community support initiatives by crediting ₹783 crore under PM Kisan and ₹1029 crore to PMJDY women beneficiaries. As a part of CSR initiatives, bank spent

किया गया । महामारी से पीड़ित लोगों के साथ ऐक्य भाव को दर्शाते हुए बैंक के कर्मचारियों ने पीएम केयर फंड को ₹15.53 करोड़ का योगदान किया ।

बैंक ने कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घर से काम करने का विकल्प दिया, भिन्न कार्य–समय उपलब्ध कराया गया और कार्य स्थल के सानिटैसेशन (कीटानुशोधन) किया । बायोमेट्रिक मशीनों को सैनिटाइज करने के लिए 7745 बिज़नेस करेस्पोंडेंट्स को ₹1.30 करोड़ भी दिए गए हैं।

बैंक ने उसके सभी वैकल्पिक वितरण चैनल निर्बाध रूप से काम करना सुनिश्चित किया है । इसके अलावा, महामारी संकट की तीव्रता को देखते हुए, बैंक ने परिचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी निवारक कदम उठाए हैं। बैंक के पास एक आपदा बहाली (डिजास्टर रिकवरी) साइट है जो सीबीएस और बैंक के अन्य कार्यों को संभालने में सक्षम है। डाटा सेंटर बंद होने की स्थिति में, बैंक आपदा बहाली साइट से कार्य करेगा।

महामारी के वित्तीय प्रभाव का विवरण लेखा संबंधी टिप्पणी खंड में प्रदान किया गया है। विस्तारित विवरण के अनुसार, बैंक के वित्तीय संविभाग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वर्ष 2020-21 के लिए दृष्टिकोण

महामारी से उत्पन्न संकट की सीमा को देखते हुए, इस मोड़ पर, अगले वित्त वर्ष के लिए दृष्टिकोण अनिश्चित है। इसके होते हुए भी, व्यावसायिक गतिविधियों की फिर से शुरू होने से और तालाबंदी (लॉकडाउन) शर्तों में कमी होने से उबरने की अधिक संभावनाएं हैं। राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन आगामी वर्ष में वृद्धि में सहायक रहेगा।

बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हुए सुगम वसूली का मार्ग सुनिश्चित कर रहा है । आने वाले वर्षों में बेहतर निष्पादन के प्रयासों में बैंक थोक जमा पर सजगतापूर्वक निर्भरता को कम करते हुए, कासा जमा पर जोर देता है। बैंक खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कार्पोरेट क्रेडिट के उचित समामेलन के साथ संतुलित अग्रिम पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने एमएसएमई सेगमेंट के ऋणों को अविश्वसनीय समर्थन के साथ शत प्रतिशत गारंटी प्रदान की है। आदर्श ऋण निगरानी, नई स्लिपेज को नियंत्रित कर व मजबूत वसूली प्रयासों के साथ बैंक एनपीए प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहा है । बैंक डिजिटल क्षमताओं को और मजबूत कर, संपूर्ण डिजिटल समाधानों के साथ ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है । बैंक बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों को देखते हुए प्रक्रिया और उत्पाद सुधार के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। बैंक ने पहले ही संगठनात्मक संरचना को तर्कसंगत बना दिया है और अपने

₹4.35 crore for Covid-19 relief measures. In solidarity with those suffering from the pandemic, the Bank's employees have contributed ₹15.53 crore to PM CARES Fund.

The Bank has given Work from Home options for the employees, introduced staggered working hours and sanitization of working units for ensuring employees' safety. ₹1.30 cr has been provided to 7745 Business Correspondents for sanitizing the Biometric machines.

The Bank ensured that all its alternate delivery channels work uninterrupted. Further, foreseeing the depth of pandemic crisis, the Bank has taken all precautionary initiatives to ensure continuity in operations. The Bank has a Disaster Recovery site which is capable of handling the CBS and other functions of the Bank. In case of closure of Data Centre, Bank will function from the Disaster Recovery Site.

The details of the financial impact of the pandemic are provided in the Notes on Account Section. As per the detailing, there would not be any significant impact on the Bank's financials.

OUTLOOK FOR 2020-21

Given the extent of crisis emanated from the pandemic, outlook for the next fiscal remains uncertain at this juncture. Notwithstanding, a recovery is most likely with resuming of commercial activities and easing of lockdown. The fiscal and monetary stimulus will remain growth supportive in the coming year.

The banking sector continues to serve as the backbone of the economy ensuring smooth recovery path. To strive for better performance in the coming years, the Bank gives thrust on shoring up of CASA while consciously reducing the reliance on bulk deposits. The Bank focuses on balanced advance portfolio with proper mix of retail, agriculture, MSME and corporate credit. The bank has provided hundred per cent guaranteed MSME lending to give unrelenting support to this segment in tandem with Government guidelines. The Bank takes adequate efforts for NPA management with ardent credit monitoring, contain fresh slippages and strengthen recovery efforts. Further strengthening of digital capabilities is in the anvil ensuring best services to customers with end-to-end digital solutions. The bank will continue to strive for process and product improvements in view of changing requirements and circumstances. Bank has already rationalised the organisational structure and

शाखा नेटवर्क को और अधिक अनुकूलित करने की योजना बना रहा है। अलग-अलग संविभाग और समर्पित कार्यबल व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता करेंगे। आगामी वर्षों में, बैंक दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए समामेलन का लाभ उठाने के लिए तत्पर है।

केनरा बैंक 2019-20 में

केनरा बैंक ने विभिन्न व्यावसायिक मापदंडों के तहत तादात्म्य स्थापित करते हुए अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ वर्ष के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया यथा : संतुलित विकास, इष्टतम संसाधन जुटाना, खुदरा आस्तियों का विस्तार करना, जिसमें कृषि, आवास तथा अन्य खुदरा क्षेत्र शामिल हैं साथ ही संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार।

कारोबार निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार वर्षानुवर्ष 3.19% बढ़कर ₹1076574 करोड़, वैश्विक जमा राशि 4.39% की गति से वर्षानुवर्ष बढ़कर ₹625351 करोड़ और वैश्विक अग्रिम 1.58% के दर से ₹451223 करोड़ हो गया।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यवसाय वृद्धि परिदृश्य

विवरण	मार्च-19	मार्च-20	वृद्धि वर्षानुवर्ष (%)
वैश्विक जमा	**599033**	**625351**	**4.39%**
घरेलू जमा	565917	601664	6.32%
विदेशी जमा	33116	23687	(28.47%)
घरेलू जमा	**565917**	**601664**	**6.32%**
चालू खाता जमा	23274	26458	13.68%
बचत खाता जमा	151535	169749	12.02%
कासा जमा	174809	196207	12.24%
घरेलू कासा के लिए घरेलू जमा (%)	**30.86**	**32.59**	
अग्रिम	**444216**	**451223**	**1.58%**
घरेलू अग्रिम	419005	426684	1.83%
अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम	25211	24539	(2.67%)
कुल आस्तियां	**6,94,767**	**7,23,875**	**4.19%**

plans to further optimize its branch network. Separate verticals and dedicated workforce will support in augmentation of business. In the coming years, the Bank looks forward for leveraging amalgamation benefits for maximizing the efficiency and productivity.

CANARA BANK IN 2019-20

Under various business parameters, Canara Bank performed better during the year in sync with its major thrust areas, viz. balanced growth, optimal resource mobilization, expanding retail assets, including Agriculture, Housing and other retail segments, and improving asset quality.

BUSINESS PERFORMANCE

During FY2020, the global business of the Bank increased to ₹1076574 crore, up by 3.19% y.o.y with global deposits growing at a pace of 4.39% y.o.y at ₹625351 crore and global advances growing 1.58% y.o.y at ₹451223 crore.

A snapshot of business growth in FY2020

Particulars	Mar-19	Mar-20	Growth y.o.y (%)
Global Deposits	**599033**	**625351**	**4.39%**
of which- Domestic Deposits	565917	601664	6.32%
Overseas Deposits	33116	23687	(28.47%)
Domestic Deposits	**565917**	**601664**	**6.32%**
Current Account Deposits	23274	26458	13.68%
Savings Bank Deposits	151535	169749	12.02%
CASA Deposits	174809	196207	12.24%
Domestic CASA to Domestic Deposits (%)	**30.86**	**32.59**	
Advances	**444216**	**451223**	**1.58%**
of which- Domestic Advances	419005	426684	1.83%
Overseas Advances	25211	24539	(2.67%)
Total Assets	**6,94,767**	**7,23,875**	**4.19%**

जमा

मार्च 2020 तक कुल जमा एक वर्ष पहले ₹599033 करोड़ रुपए की तुलना में 4.39% की वर्षानुवर्ष की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹625351 करोड़ हो गया । मार्च 2020 को बैंक की चालू और बचत (कासा) जमा राशि 12.24% की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ ₹196207 करोड़ हो गई। बैंक की घरेलू जमा के लिए कासा जमा हिस्सा पिछले वर्ष के 30.86% से बढ़कर 32.59% हो गया । बचत जमा 12.02% बढ़कर ₹169749 करोड़ रुपए हो गया। चालू जमा 13.68% बढ़कर ₹26458 करोड़ रुपए हो गया।

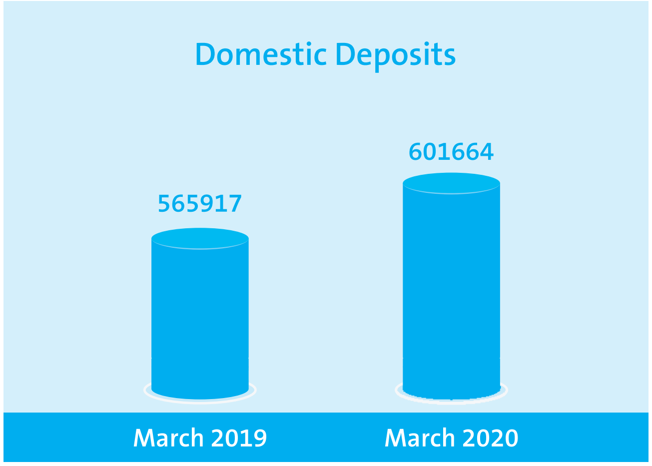

Deposits

Total Deposits increased to ₹625351 crore as at March 2020 compared to ₹599033 crore a year ago, with a y.o.y growth of 4.39%. Current and Saving (CASA) deposits of the Bank increased by 12.24% y.o.y. to ₹196207 crore on March 2020. The Bank's CASA deposits share to domestic deposits stood at 32.59% from the last year's 30.86%. Savings deposits grew by 12.02% to ₹169749 crore. Current deposits grew by 13.68% to ₹26458 crore.

कासा के तहत औसत शेष राशि में सुधार करने के लिए प्रमुख कासा उत्पादों जैसे केनरा गैलेक्सी, केनरा प्रेविलेज, एसबी पावर प्लस और एनआरआई खातों पर ध्यान दिया गया। जमा ग्राहकों के विस्तार की रणनीति के तहत, बैंक ने वर्ष के दौरान 39 लाख जमा ग्राहक जोड़े, कुल जमा ग्राहकों की संख्या 7.37 करोड़ हो गई।

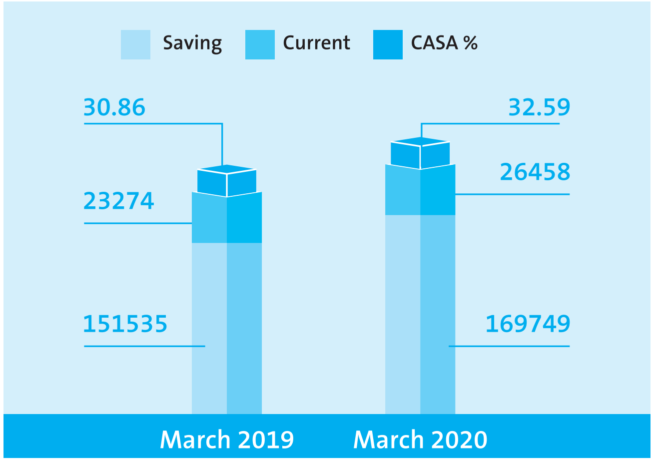

The focus on premier CASA products, like, Canara Galaxy, Canara Privilege, SB Powerplus and NRI accounts were given to improve the average balances under CASA. Pursuing a strategy of expanding deposit clientele, the Bank added 39 lakhs deposit clientele during the year, taking the total number of deposit clientele to 7.37 crore.

अग्रिम

बैंक ने अपने आस्ति आधार का विस्तार अच्छी तरह विविधतापूर्ण तरीके से किया है, जिसमें अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों जैसे, कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और खुदरा आस्तियों के साथ आवास, शिक्षा और वाहन ऋण खंड अन्य उत्पादक क्षेत्र शामिल हैं ।

बैंक का अग्रिम (सकल) एक वर्ष पहले की तुलना में ₹444216 करोड़ रुपए से 1.58% बढ़कर मार्च

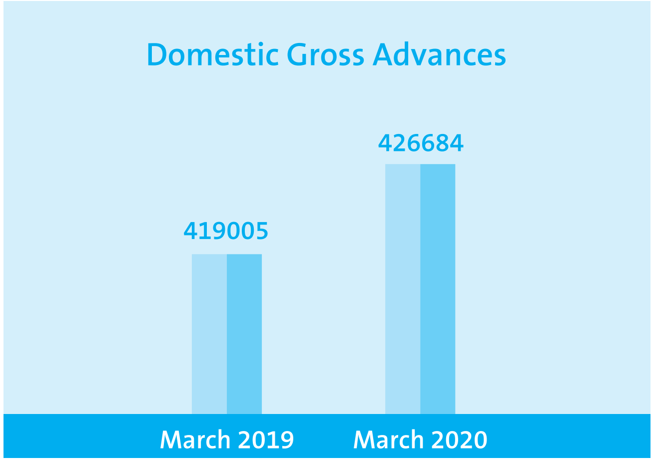

Advances

The Bank expanded its asset base in a well-diversified manner comprising of the productive segments of the economy, like, Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and other productive sectors in addition to Retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loan segments.

Advances (Gross) of the Bank grew by 1.58 % to reach ₹451223 crore as at March 2020 compared to ₹444216

2020 तक ₹451223 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। मार्च 2020 तक उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या बढ़कर 82.75 लाख हो गई।

पिछले वर्ष के ₹1043249 करोड़ रुपये की तुलना में बैंक का कुल कारोबार 3.19% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹1076574 करोड़ रुपये हो गया।

वित्तीय निष्पादन

बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष ₹10591 करोड़ रुपये की तुलना में ₹9360 करोड़ रुपए रहा। बैंक को वर्ष 2019-20 के दौरान ₹347 करोड़ रुपए के निवल लाभ की तुलना में ₹2236 करोड़ की निवल हानि हुई है। बैंक की शुद्ध ब्याज आय पिछले वर्ष के दौरान ₹14478 करोड़ रुपए की तुलना में ₹13124 रही। एनआईएम 2.29% और अग्रिमों पर प्रतिफल 8.18% पर रहा।

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च-19	मार्च-20
निधियों पर लागत	5.24	5.12
निधियों पर प्रतिफल	7.59	6.99
जमा पर लागत	5.66	5.57
जमा पर प्रतिफल	8.39	8.18
निवल ब्याज मार्जिन (निम)	2.63	2.29
आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)	0.06	(0.32)
इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)	1.40	(8.05)
आय अनुपात पर लागत	49.69	55.30

आय और व्यय विश्लेषण

गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान, कुल आय में 6.30% के साथ ₹56748 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें अग्रिमों से ₹36076 करोड़ ब्याज, निवेशों से ₹11336 करोड़ ब्याज, गैर–ब्याज आय से ₹7813 करोड़ और अन्य ब्याज आय से ₹1523 करोड़ शामिल हैं।

बैंक का परिचालनात्मक प्रदर्शन (करोड़ ₹ में)

विवरण	मार्च-19	मार्च-20	वृद्धि (%)
अर्जित ब्याज	46,810	48,935	4.54%
व्यय किया ब्याज	32,332	35,811	10.73%
कुल ब्याज आय (एनआइआइ)	14,478	13,124	(9.35%)
अन्य आय	6,575	7,813	18.83%
जिसमे सम्मिलित हैं - शुल्क आधारित आय	2442	2685	9.94%
विदेशी मुद्रा आय	633	1,115	76.23%
ट्रेडिंग लाभ	402	758	88.70%
टीडब्ल्यूओ से वसूली	1,304	1,470	12.69%

crore a year ago. The number of borrowal clientele increased to 82.75 lakhs as at March 2020.

Total business of the Bank increased to ₹1076574 crore, with a y.o.y. growth of 3.19% compared to ₹1043249 crore in the previous year.

FINANCIAL PERFORMANCE

Operating profit of the Bank stood at ₹9360 crore compared to ₹10591 crore last year. Bank reported a net loss of ₹2236 crore for 2019-20 compared to a net profit of ₹347 crore during last year. Net Interest income of the bank stood at ₹13124 Crore compared to ₹14478 crore generated during last year. NIM stood at 2.29% and Yield on Advances at 8.18%.

Key Financial Ratios (%)	Mar-19	Mar-20
Cost of Funds	5.24	5.12
Yield on Funds	7.59	6.99
Cost of Deposits	5.66	5.57
Yield on Advances	8.39	8.18
Net Interest Margin (NIM)	2.63	2.29
Return on Assets (RoA)	0.06	(0.32)
Return on Equity (RoE)	1.40	(8.05)
Cost to Income Ratio	49.69	55.30

Income and Expenditure Analysis

During the year, total income increased by 6.30% y.o.y to ₹56748 crore, comprising ₹36076 crore interest from advances, ₹11336 crore interest from investments, ₹7813 crore from non-interest income and ₹1523 crore from other interest income.

Operating performance of the Bank (In. ₹ Crore)

Particulars	Mar-19	Mar-20	Growth (%)
Interest Earned	46,810	48,935	4.54%
Interest Expended	32,332	35,811	10.73%
Net Interest Income (NII)	14,478	13,124	(9.35%)
Other Income	6,575	7,813	18.83%
of which- Fee Income	2442	2685	9.94%
Forex Income	633	1,115	76.23%
Trading Gains	402	758	88.70%
Recovery from TWO	1,304	1,470	12.69%

परिचालन आय (एनआइआइ + अन्य आय)	21,053	20,937	(0.55%)
परिचालन आय	10,462	11,577	10.66%
कर्मचारी व्यय	6,040	7,134	18.11%
अन्य परिचालन व्यय	4,422	4,443	0.47%
परिचालन लाभ	10,591	9,360	(11.62%)
प्रावधान	10244	11596	13.20%
जिसमे सम्मिलित हैं - एनपीए के प्रावधान व बट्टे खाते डाले गये अशोध्य ऋण	12,723	10,655	(16.25%)
मानक अग्रिम के लिए प्रावधान	406	379	(6.65%)
निवेश पर मूल्यह्रास का प्रावधान	370	(278)	-
अन्य प्रावधान	(580)	359	-
कर देने से पूर्व लाभ	(2,327)	(1,756)	-
कर के लिए प्रावधान	(2,674)	480	-
शुद्ध लाभ	347	(2,236)	-

बैंक के महत्व वाले क्षेत्रों के अनुरूप, गैर–ब्याज आय (ट्रेडिंग लाभ को छोड़कर) पिछले वर्ष के दौरान हुए ₹6173 करोड़ की तुलना में 14.27% से ₹7054 करोड़ तक की वृद्धि दर्ज की गई। व्यापार लाभ के अतिरिक्त, अन्य प्रमुख गैर - ब्याज आय जैसे, सेवा शुल्क (₹1319 करोड़), कमीशन तथा विनिमय (₹824 करोड़), बट्टे खाते डाले गये खातों से वसूली (₹1470 करोड़) तथा विनिमय लेनदेन से लाभ (₹1115 करोड़) ने बैंक की गैर-ब्याज आय में योगदान दिया। कुल आय में गैर–ब्याज आय का हिस्सा 13.77% था।

पिछले साल के दौरान बैंक का कुल खर्च 10.73% बढ़कर ₹42794 करोड़ से ₹47388 करोड़ हो गया। बैंक का ब्याज खर्च 10.76% बढ़कर ₹35811 करोड़ हो गया। परिचालन व्यय 10.66% बढ़कर ₹11577 करोड़ हो गया, जिसमें कर्मचारियों की लागत ₹7134 करोड़ और अन्य परिचालन व्यय ₹4443 करोड़ है। वित्त वर्ष 20 में मुख्यतः अधिवर्षिता लाभ के लिए बढ़े हुए प्रावधान और वेतन संशोधन के

Operating Income (NII + Other Income)	21,053	20,937	(0.55%)
Operating Expenses	10,462	11,577	10.66%
Employee Expenses	6,040	7,134	18.11%
Other Operating Expenses	4,422	4,443	0.47%
Operating Profit	10,591	9,360	(11.62%)
Provisions	10244	11596	13.20%
of which- Provisions for NPAs & Bad debts written off	12,723	10,655	(16.25%)
Provision for Standard Advances	406	379	(6.65%)
Provision for Depreciation on Investment	370	(278)	-
Other Provisions	(580)	359	-
Profit Before Tax	(2,327)	(1,756)	-
Provision for Income Tax	(2,674)	480	-
Net Profit	347	(2,236)	-

In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income (Excl. Trading profit) registered a growth of 14.27% to ₹7054 Cr compared to ₹6173 crore during last year. Apart from trading profit, other major sources of non-interest income, like, service charges (₹1319 crore), commission and exchange (₹824 crore), recovery from written off accounts (₹1470 crore) and Profit from exchange transaction (₹1115 Crore) contributed to the non-interest income of the Bank. The share of non-interest income to total income stood at 13.77%.

Total expenditure of the Bank increased by 10.73% y.o.y to ₹47388 crore from ₹42794 crore incurred during last year. Interest expenses of the Bank increased by 10.76% to ₹35811 crore. Operating expenses increased by 10.66% to ₹11577 crore, comprising staff cost of ₹7134 crore and other operating expenses of ₹4443 crore. Staff cost increased in FY 20, mainly on account of the increased

लिए अतिरिक्त प्रावधान के कारण कर्मचारियों की लागत में वृद्धि हुई है । अन्य परिचालन व्यय, मुख्य रूप से बैंक की संपत्ति, बीमा व्यय, एएमसी खर्च, सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के रखरखाव और जीएसटी खर्चों में वृद्धि के कारण बढ़े हैं।

ब्याज दरों में कमी के कारण, बैंक की जमा राशि पिछले वर्ष के 5.66% से 9 बीपीएस घटकर 5.57% हो गई। शुद्ध ब्याज आय, बैंक द्वारा अर्जित ब्याज और ब्याज के बीच का अंतर, पिछले साल के ₹14148 करोड़ की तुलना में 9.35% घटकर ₹13124 करोड़ रह गया।

पूंजी तथा आरक्षित निधि

मार्च 2020 तक बैंक की शुद्ध संपत्ति, मार्च 2019 के ₹26180 करोड़ की तुलना में ₹28969 करोड़ थी।

जबकि बैंक की कुल चुकता पूंजी ₹1030.23 करोड़ थी, भंडार और अधिशेष बढ़कर ₹38262.73 करोड़ हो गया।

पूंजी की संरचना (₹ करोड़ में)	मार्च 2019 बेसिल III	मार्च 2020 बेसिल III
जोखिम भारित अस्तियां	352456	360906
सीइटीआइ	29300	33881
सीइटीआइ (%)	8.31%	9.39%
एटीआइ	2551	2648
एटीआइ (%)	0.72%	0.73%
टियर ल् पूंजी	31851	36529
सीआरएआर (%) (टियर I)	9.04%	10.12%
टियर II पूंजी	10082	12727
सीआरएआर (%) (टियर II)	2.86%	3.53%
कुल पूंजी	41933	49256
सीआरएआर (%)	11.90%	13.65%

यथा मार्च 2020 को बेसेल III के तहत विनियामक आवश्यकताएं 10.875% के विरुद्ध पूंजी संरक्षण बफर 1.875% सहित पूंजी पर्याप्तता अनुपात 13.65% था । पूंजी पर्याप्तता अनुपात के भीतर, सीईटी I अनुपात 9.39% और टियर I पूंजी अनुपात 10.12% था ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के माध्यम से बैंक में ₹6571 करोड़ की पूंजी डाली है । बैंक ने अधिमानी आधार पर

provision towards Superannuation benefits and additional provision for wage revision. Other operating expenses, increased mainly on Bank's property, insurance expenses, AMC expenses, maintenance of software/hardware and increase in GST expenses.

Due to the decrease in interest rates, the Bank's cost of deposits decreased by 9 bps to 5.57% from the last year's 5.66%. The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank, declined by 9.35% to ₹13124 crore compared to the last years ₹14478 crore.

Capital and Reserves

Net worth of the Bank, as at March 2020 stood at ₹28969 crore compared to ₹26180 crore as at March 2019.

While the total paid-up capital of the Bank stood at ₹1030.23 Crore, the reserves and surplus increased to ₹38262.73 crore.

Composition of Capital (₹ Cr)	March 2019 Basel III	March 2020 Basel III
Risk Weighted Asset	352456	360906
CET I	29300	33881
CET I (%)	8.31%	9.39%
AT I	2551	2648
AT I (%)	0.72%	0.73%
Tier I Capital	31851	36529
CRAR (%) (Tier I)	9.04%	10.12%
Tier II Capital	10082	12727
CRAR (%) (Tier II)	2.86%	3.53%
Total Capital	41933	49256
CRAR (%)	11.90%	13.65%

Capital Adequacy Ratio, under Basel III was 13.65% as at March 2020 against the regulatory requirement of 10.875%, including capital conservation buffer of 1.875%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 9.39% and Tier I capital ratio was at 10.12%.

Ministry of Finance, Government of India has infused Capital of ₹6571 Crore in the Bank during the current financial year by way of preferential allotment of equity shares. The Bank issued 27,69,88,576 fully paid-up equity

भारत सरकार को ₹10 की ₹227.23 प्रीमियम सहित ₹237.23 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर कुल मिलाकर ₹6571 करोड़ की 27,69,88,576 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी किया ह और इस प्रकार भारत सरकार की बैंक में हिस्सेदारी 78.52% तक बढ़ गई।

खुदरा उधार परिचालन

वर्ष के लिए निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अनुरूप, बैंक के खुदरा ऋण परिचालन में वर्षानुवर्ष अच्छी वृद्धि दर्ज की गई ।

(राशि ₹ करोड़)

खुदरा क्षेत्र	यथा मार्च		वर्षानुवर्ष वृद्धि	
	2019	2020	प्रमात्रा	(%)
1. आवास	33581	39611	6030	17.96
2. वाहन	9446	10446	1000	10.59
3. अन्य व्यक्तिगत	19299	20320	1021	5.29
4. शिक्षा	8859	9423	564	6.37
मूल खुदरा ऋण (1+2+3+4)	71185	79800	8615	12.10
5.अप्रत्यक्ष आवास ऋण	17854	16172	(1682)	(9.42)
6.अप्रत्यक्ष+ खरीद	8346	9075	729	8.73
कुल खुदरा ऋण (1+2+3+4+5+6)	**97385**	**105047**	**7662**	**7.87**

यथा मार्च 2020 को मूल खुदरा ऋण पोर्टफोलियो वर्षानुवर्ष 12.10% से बढ़कर ₹79800 करोड़ हो गया। आवास ऋण पोर्टफोलियो वर्षानुवर्ष 17.96% वृद्धि के साथ 39611 करोड़ हो गया और मूल खुदरा ऋण में इसकी हिस्सेदारी 49.63% है । वाहन ऋण और अन्य व्यक्तिगत ऋण में क्रमशः 10.59% और 5.29% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने ₹24748 करोड़ के 250527 खुदरा ऋण मंजूर किए हैं ।

वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान अप्रत्यक्ष आवास ऋण में गिरावट का कारण आवास वित्त कम्पनी / गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी के प्रति हमारे जोखिम में कमी है। वित्त वर्ष 2018–2019 के दौरान आवास वित्त कम्पनी / गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी में हमारा जोखिम ₹16268 करोड़ था,जो वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान घटकर ₹13290 करोड़ रह गया ।

shares of ₹10/- each at an issue price of ₹237.23 per equity share including premium of ₹227.23 aggregating ₹6571 crore, on preferential basis to the Government of India and there by Government of India holding in the bank increased to 78.52%.

RETAIL LENDING OPERATIONS

In line with the thrust areas set for the year, the Bank's retail lending operations recorded good y.o.y growth.

(Amt. ₹ Crore)

Retail Segments	As at March		Y.O.Y Growth	
	2019	2020	Quantum	(%)
1. Housing	33581	39611	6030	17.96
2. Vehicle	9446	10446	1000	10.59
3. Other Personal	19299	20320	1021	5.29
4. Education	8859	9423	564	6.37
Core Retail Loans (1+2+3+4)	71185	79800	8615	12.10
5.Indirect HL	17854	16172	(1682)	(9.42)
6.Indirect+ Buyout	8346	9075	729	8.73
Total Retail Loans (1+2+3+4+5+6)	**97385**	**105047**	**7662**	**7.87**

The outstanding Core Retail loans portfolio grew by 12.10% y.o.y to ₹79800 crore as at March 2020. The outstanding housing loan portfolio rose to 39611 crore, with a y.o.y growth of 17.96 % and accounted for 49.63 % of the Core retail lending portfolio. Vehicle loans and other personal loans increased by 10.59% and 5.29% y.o.y respectively. During 2019-20, Bank has sanctioned 250527 retail loans amounting to ₹24748 Crs.

The reason for decline in indirect Housing Loan is decrease in our exposure towards HFCs / NBFCs during the FY 2019-2020. Our exposure towards HFCs / NBFCs during FY 2018-2019 was ₹16268 crs which declined to ₹13290 crs during FY 2019-2020.

शिक्षा ऋण

इन वर्षों में, बैंक ने भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में होनहार छात्रों की सहायता की है। यथा मार्च 2020 तक बैंक का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹9423 करोड़ हो गया। बैंक ने यथा मार्च 2020 तक लगभग 2.80 लाख छात्रों का वित्त पोषण किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने ₹1604 करोड़ का शिक्षा ऋण संवितरित किया है।

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में, हमारा बैंक शिक्षा ऋण देने में अग्रणी है। इसके अतिरिक्त, हाल के वर्षों में कौशल विकास पर भारी जोर को देखते हुए, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के कौशल विकास की पहल का समर्थन करने के लिए "आईबीए कौशल ऋण योजना" को लागू किया गया है। बैंक के पास आईआईटी, आईआईएम, आईएसबी इत्यादि जैसे प्रमुख संस्थानों में दाखिला लेने वाले मेधावी छात्रों के लिए ₹36 लाख की सीमा तक रियायती ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त एक विशेष शिक्षा ऋण योजना नामतः **"विद्या तुरंत"**, जरूरतमंद और मेधावी छात्रों की सहायता के लिए चयन / काउंसलिंग के समय सीईटी / काउंसलिंग प्राधिकरणों को किए जाने वाले आवश्यक डाउन पेमेंट के लिए पूरक ऋण योजना नामतः **"विद्या सहाय"** और रियायती ब्याज दर के साथ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन उपकरणों के लिए व्यय सहित दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा ऋण योजना **"विद्या शक्ति"** है।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक कृषि, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्गों और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को महत्व देता है।

यथा मार्च 2020 तक बैंक का **प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम** 3.05% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹203029 करोड़ पर पहुंच गया और समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC) के 40% अनिवार्य मानदंड के मुकाबले 44.66% हासिल किया ।

प्राथमिकता क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़)

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	यथा मार्च		वर्षानुवर्ष वृद्धि	
	2019	2020	प्रमात्रा	(%)
कुल प्राथमिकता क्षेत्र	197013	203029	6016	3.05
कृषि	91843	97043	5200	5.66

कृषि के लिए ऋण वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, कृषि पोर्टफोलियो के तहत बैंक की अग्रिम 5.66% बढ़कर ₹97043 करोड़

Education Loans

Over the years, the Bank has assisted substantial number of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹9423 crore as at March 2020. The Bank has financed around 2.80 lakh students as at March 2020. During 2019-20, the Bank has disbursed education loans worth ₹1604 crores.

Among all Nationalized Banks, our Bank is in the forefront in extending education loans. Further, considering the huge thrust on skill development in recent years, "IBA Skill Loan Scheme" has been implemented to support skill development initiatives of Department of Financial Services (DFS). The Bank has a special education loan scheme namely **"Vidya Turant"**, Collateral-free Education loans for the meritorious students who are admitted to premier institutes such as IITs, IIMs, ISB etc up to a limit of ₹36 Lakh with concessional rate of Interest, Bridge Loan Scheme namely "**Vidya Sahay**" to assist the needy and meritorious students who are in need of the down payment to be made to the CET / Counseling Authorities at the time of selection /c ounseling and "**Vidya Shakthi**", education loan scheme for the PWD category of students including expenses for specially designed equipments for differently abled persons with concessional interest rate.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing, social infrastructure, renewable energy, microcredit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2020 reached ₹203029 crore, recording a y.o.y growth of 3.05% and achieved 44.66% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

Priority Sector

(Amt. ₹ Crore)

Priority Sector Advances	As at March		Y.O.Y Growth	
	2019	2020	Quantum	(%)
Total Priority Sector	197013	203029	6016	3.05
Agriculture	91843	97043	5200	5.66

With a focus on credit delivery to **Agriculture,** the Bank's advances under agriculture portfolio increased by 5.66%

हो गई, जिसमें 72 लाख से अधिक किसान शामिल हैं। कृषि ऋण के तहत, बैंक ने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) 18.58% अनिवार्य मानदंड के खिलाफ 18% हासिल किया । वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक का कृषि ऋण संवितरण पिछले वर्ष के ₹76384 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹84891 करोड़ हो गया। मार्च 2020 तक अनिवार्य लक्ष्य 8% के मुकाबले (निवल पीएसएलसी–एसएफ / एम एफ बिक्री) लघु और सीमांत किसानों को अग्रिम, समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) 13.01% की प्राप्त किया ।

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹13872 करोड़ की राशि के 8.48 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए। यथा मार्च 2020 तक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) तहत बकाया ऋण ₹20263 करोड़ था। 7.87 लाख पात्र खातों के विरुद्ध 97.71% की उपलब्धि के साथ 7.69 लाख किसान रूपे कार्ड जारी किए गए थे।

7.5% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 8.24% प्राप्त करते हुए सूक्ष्म उद्यम (प्राथमिकता) अग्रिम ₹33485 करोड़ रहा ।

बैंक ने **सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं,** जैसे, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) में सक्रिय रूप से भाग लिया।

यथा मार्च 2020 तक, लगभग 15.97 लाख लाभार्थी को शामिल करते हुए निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत कुल अग्रिम ₹13505 करोड़ है ।

सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत निष्पादन:

(राशि ₹ करोड़)

योजना	मार्च-2020	
	खाते	राशि
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	21548	920
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम)	79672	1824
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम)	7594	73
विभेदक ब्याज दर	112951	101
स्टैंड अप इंडिया	3835	600
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)	1371603	9987
कुल	**1597203**	**13505**

to ₹97043 crore, covering over 72 lakh farmers. Under agriculture lending, the Bank achieved 18.58% to ANBC against 18% mandated norm. During 2019-20, the Bank's agriculture credit disbursal increased to ₹84891 crore compared to ₹76384 crore in the previous year. Advances to Small & Marginal Farmers achieved 13.01% to ANBC as against the mandatory Target of 8% (Net of PSLC-SF / MF sale) as at March 2020.

During the year, the Bank issued 8.48 lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹13872 crore. The credit outstanding under KCCs was at ₹20263 crore as at March 2020. 7.69 lakh Kisan RuPay Cards were issued against eligible accounts of 7.87 lakh, with an achievement of 97.71%.

Advances to Micro Enterprises (Priority) stood at ₹33485 crores achieving 8.24% to ANBC as against the mandatory Target of 7.5%.

The Bank actively participated in various **Government Sponsored Schemes,** such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, Stand Up India, Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).

As at March 2020, the outstanding advances under the following Government Schemes, aggregated to ₹13505 crore, involving around 15.97 lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes:

(Amt. ₹ Crore)

Scheme	Mar-20	
	Accounts	Amount
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)	21548	920
Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)	79672	1824
Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM)	7594	73
Differential Rate of Interest	112951	101
Stand Up India	3835	600
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)	1371603	9987
Total	**1597203**	**13505**

विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) में अग्रिम ₹101 करोड़ रहा, जिसमें 1.13 लाख लाभार्थी शामिल थे, इनमें से ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखाओं द्वारा अग्रिम की राशि ₹78 करोड़ थी। यथा मार्च 2020 को समाज के पिछड़े वर्गों के लिए 5.03 लाख उधारकर्ताओं को शामिल करते हुए , **एससी / एसटी लाभार्थियों** को प्रदत्त अग्रिम राशि ₹8284 करोड़ थी। कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का 4.08% एससी / एसटी के लिए था। कमजोर वर्गों के लिए अग्रिम 10% के अनिवार्य मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) 18.48% करते हुए ₹94619 करोड़ पहुंच गया।

यथा मार्च 2020 तक कमजोर वर्गों को अग्रिम के विभिन्न घटक:

(राशि ₹ करोड़)

क्षेत्र	बकाया	
	खाता	राशि
छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, कियेदार किसान और बटाईदार	6585686	72403
कारीगर, ग्रामीण व कुटीर उद्योग	32247	670
एस सी/ एस टी लाभार्थी	503377	8284
डीआर आई ऋण	112951	101
स्वयं सहायता समूह	165642	4079
संयुक्त देयता समूह	49727	990

यथा मार्च 2020 को, निर्धारित 15% मानक के मुकाबले 17.85% योगदान के साथ निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों का कुल अग्रिम ₹35977 करोड़ रहा ।

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

लगभग 10.50 लाख उधारकर्ताओं को शामिल करते हुए एमएसएमई अग्रिम ₹78773 करोड़ रहा। इस बीच मार्च 2020 तक एमएसई अग्रिम ₹63666 करोड़ रहा । इस खंड में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए, वित्त वर्ष 2020 में बैंक ने विशिष्ट क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न जरूरत आधारित योजनाएं और उत्पाद लॉन्च किए हैं।

- ✓ केनरा जीएसटी - जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई के कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए
- ✓ केनरा सहयोग - एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए अस्थायी तरलता बेमेल पूरा करने के लिए आपात ऋण योजना
- ✓ कोविड-19 प्रभावित ग्राहकों (सीसीएस) को कैनरा क्रेडिट समर्थन - कोविड-19 प्रकोप से उत्पन्न तरलता बेमेल को पूरा करने हेतु निधि आधारित कार्यशील पूंजी मांग ऋण

Advances to DRI stood at ₹101 crore, consisting of 1.13 lakh beneficiaries, of which, advances by rural and semi-urban branches amounted to ₹78 crore. In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's **advances to SCs / STs** beneficiaries amounted to ₹8284 crore as at March 2020, covering 5.03 lakh borrowers. The advances to SCs / STs comprised 4.08% of total priority sector advances. **Advances to Weaker Sections** reached ₹94619 crore, constituting 18.48% to ANBC against mandated norm of 10%.

Various components of advances to Weaker Sections as at March 2020:

(Amt. ₹ Crore)

Sector	Outstanding	
	Accounts	Amount
Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers	6585686	72403
Artisans, Village and Cottage Industries	32247	670
SC / ST Beneficiaries	503377	8284
DRI Loan	112951	101
Self Help Group	165642	4079
Joint Liability Group	49727	990

As at March 2020, advances to **specified minority communities** aggregated to ₹35977 crore, accounting for 17.85% of the actual priority sector advances against the stipulated 15% norm.

MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

Advances to MSME stood at ₹78773 Crore reaching out to around 10.50 Lakh Borrowers. Meanwhile MSE advances stood at ₹63666 Crores as at March 2020. In order to increase credit flow to this segment, in FY20 the Bank has launched various need based Schemes and products catering to the needs of specific segments.

- ✓ Canara GST - For Working Capital needs of GST Registered MSMEs
- ✓ Canara Sahyog - Stand By Line of Credit for MSME borrowers to meet the temporary liquidity mismatch
- ✓ CANARA CREDIT SUPPORT to COVID - 19 affected Customers (CCS)-Fund based Working Capital Demand Loan to meet liquidity mismatches arising out of COVID-19 Outbreak

✓ एमएसएमई सुगम : समूर्ण भारत में 31.03.2021 तक वैधता के साथ सूक्ष्म ,लघु व मध्यम उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी जरूरतों / परिसंपत्ति निर्माण के लिए एनबीएफसी / फिन-टेक के साथ सह संगठन / संगठन के तहत लघु अवधि ऋण

देश भर में स्थापित 52 एसएमई सुलभ, 167 एसएमई विशेषीकृत शाखाएं, 500 एसएमई फोकस ब्रांच और एसएमई क्लस्टर्स के साथ, यूएनआईडीओ द्वारा पहचान किए गए सभी 388 क्लस्टर्स में बैंक की शाखाएं हैं। इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से ऋण संवितरण हेतु बैंक द्वारा विशिष्ट एसएमई विपणन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ।

मार्च 2020 में ₹15000 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 102% उपलब्धि (आरआरबी सहित) के साथ वित्त वर्ष 2020 में मुद्रा ऋण के तहत ₹15362.55 करोड़ मंजूर किए गए ।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की विभिन्न श्रेणियों के तहत मंजूरी और संवितरण निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2019–20 (राशि ₹ करोड़ में)			
	खातों की संख्या	मंजूर राशि	संवितरण राशि	बकाया राशि
शिशु (<₹50,000)	446327	676	673	666
किशोर (₹50,000 से - ₹5 लाख)	150994	3910	3722	3565
तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख)	58628	4904	4604	4557
कुल	**655949**	**9490**	**8999**	**8788**

मुख्य बातें

✓ स्टैण्ड अप इंडिया के तहत बैंक ने वर्ष के दौरान वर्षानुवर्ष 111% की वृद्धि के साथ ₹989 करोड़ के 3998 खातों को मंजूरी दी ।

✓ वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान पीएमईजीपी के तहत बैंक ने ₹144 करोड़ की कुल मार्जिन राशि के साथ ₹150 करोड़ की राशि के 4810 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 30% अधिक है ।

✓ 59 मिनटों में पीएसबी ऋणों के संबंध में बैंक **31.03.2020 तक 7002 सैद्धांतिक मंजूरियों के साथ इस पोर्टल पर सर्वश्रेष्ठ** कार्यनिष्पादकों में से एक है ।

✓ टीआरईडीएस पर बैंक ने **₹333.79** करोड़ के **1703 बिल** भुनाए ।

✓ MSME SUGAM for the purpose of Working Capital requirements / asset creation to Micro Small and Medium Enterprises by way of Short term Loan under Co-origination / Origination with NBFCs / Fin-Techs with validity up to 31.03.2021 on a PAN India basis.

With 52 SME Sulabhs, set up across the country, 167 SME Specialised Branches, 500 SME Focus Branches and SME Clusters, Bank has Branches in all 388 UNIDO identified clusters. Specialised SME Marketing Officers have also been employed by the bank to proactively disburse credit to this segment.

Sanctions under MUDRA loans in FY20 stood at ₹15362.55 crore with 102% achievement (Including RRBs) as against the target of ₹15000 crore in March 2020.

Sanctions and disbursals under different categories of Pradhan Manthri Mudra Yojana (PMMY) are as under:

Category	FY 2019-20 (Amt. in ₹ Crore)			
	No. of Accounts	Sanction Amount	Disbur-sement Amount	Out-standing Amount
Shishu (<₹50,000)	446327	676	673	666
Kishore (Above ₹50,000-₹5 Lakhs)	150994	3910	3722	3565
Tarun (Above ₹5 Lakh to ₹10 Lakhs)	58628	4904	4604	4557
Total	**655949**	**9490**	**8999**	**8788**

Major highlights

✓ Under Stand Up India, the Bank sanctioned 3998 accounts to the tune of ₹989 crore with a growth of 111% y.o.y were made during the year.

✓ During FY20, under PMEGP the Bank sanctioned 4810 proposals amounting to ₹150 crore, with total margin money claimed stood at ₹144 crore, which is 30% more than last fiscal.

✓ With respect to PSB Loans in 59 minutes, the Bank is one of the top performers on this portal with **7002 in-principle sanctions since the inception till 31.03.2020 on this platform.**

✓ On TReDS, the Bank has discounted **1703 bills** to the tune of **₹333.79** Crores.

✓ कोविड-19 के प्रकोप के बाद बैंक ने कोविड प्रभावित ग्राहकों (सीसीएस) के लिए केनरा क्रेडिट सपोर्ट का शुभारंभ किया, यह कोविड के कारण नकदी असंतुलन से निपटने के लिए फंड आधारित कार्यशील पूंजी मांग ऋण है । बैंक ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत एक विशेष योजना के रूप में एमएसएमई के लिए गारंटीकृत आपातकालीन ऋण सुविधा (जीईसीएल) का शुभारंभ भी किया ।

डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक वितरण चैनल

मार्च 2020 तक बैंक के 8850 एटीएम हैं। बैंक का ई वी एम डेबिट कार्ड आधार 2.44 करोड है। उपरोक्त के अलावा, 177 हाई-टेक ई-लाउंज भी चुनिंदा शाखाओं में है, जिसमें एटीएम, वॉयस गाइडेड सिस्टम के साथ कैश डिपॉजिट कियोस्क, चेक डिपॉजिट कियॉस्क, सेल्फ प्रिंटिंग पासबुक कियॉस्क, इंटरनेट बैंकिंग टर्मिनल, ऑनलाइन ट्रेडिंग टर्मिनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट जैसी सुविधाएं हैं। इंटरएक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम भी चुनिंदा ई-लाउंज में स्थापित किया गया है ।

बैंक द्वारा अपनाए गए ऐसे वैकल्पिक वितरण चैनलों के परिणामस्वरूप, मार्च 2020 में ई-लेनदेन अनुपात 73.92% हो गया। मार्च 2020 तक मोबाइल बैंकिंग के तहत पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 42.24 लाख (वर्षानुवर्ष 93.21% की वृद्धि) और नेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर 109.35 लाख (वर्षानुवर्ष 76.76% की वृद्धि) हो गई। वर्ष के दौरान चंडीगढ़, इंदौर और पुणे में डिजिटल शाखा-केनडी खोली गई जो बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में पहले ही खोली जा चुकी है । इनमें ग्राहकों के लिए पूरी तरह से स्वचालित सुविधाओं और रोबोटिक सहायता के साथ खाते खोलने और स्वयं लेनदेन करने के लिए सुविधा दी गई है।

❖ **2019–20 के दौरान मोबाइल बैंकिंग में शुरू की गई नई कार्यप्रणाली:**
"केनडी" - केनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप । यह 11 भाषाओं यानी कि अंग्रेज़ी, हिंदी, कन्नड़, तेलूगु, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती और ओडिया भाषा में उपलब्ध है । केनडी नवीनतम विशेषताओं के साथ उपलब्ध है जैसे:

- ➢ बायोमैट्रीक ऑथेंटीकेशन
- ➢ बिना कार्ड नकद आहरण
- ➢ जीवन शैली सेवाएं (मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, होटल बुकिंग आदि)
- ➢ ओमनी चैनल कंज़ुमर इंटरनेट बैंकिंग ऐप्लिकेशन डिजिटल बैंकिंग चैनल का एक उपकरण और प्लैटफॉर्म अनुकूल माध्यम है जो टैब, मोबाइल ब्राउज़र, मोबाइल ऐप, कंप्यूटर और लैपटॉप आदि पर निर्बाध रूप से काम करता है ।

✓ Post outbreak of COVID-19, Bank has introduced CANARA CREDIT SUPPORT to COVID-19 affected Customers (CCS) - Fund based Working Capital Demand Loan to meet liquidity mismatches arising out of COVID-19 Outbreak. Bank has also launched Guaranteed Emergency Credit Line (GECL for MSMEs, as a special scheme under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS).

DIGITAL BANKING & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

The bank has 8850 number of ATMs as on March 2020. The Bank's EMV debit card base is at 2.44 crore. Besides the above, 177 hi-tech E-lounges were operational in select branches, with facilities like ATM, Cash Deposit Kiosk with voice guided system, Cheque Deposit Kiosk, Self Printing Passbook Kiosk, Internet Banking Terminal, Online Trading Terminal and Corporate Website Access. Interactive Video Conference System was also configured at select e-Lounges.

As a result of such alternate delivery channels adopted by the Bank, the e-transaction ratio stood at 73.92% as at March 2020. The number of registered users under Mobile Banking is at 42.24 lakhs (up by 93.21% y.o.y) and Net Banking users increased to 109.35 lakhs (up by 76.76% y.o.y) as at March 2020. Digital Branch-CANDI, was opened at Chandigarh, Indore & Pune during the year along with existing branches at Bangalore, Chennai, Delhi and Mumbai, with fully automated facilities and robotic assistance for customers to open accounts and do transactions themselves.

❖ **New functionalities introduced in Mobile Banking during 2019-20:**
"CANDI" - Canara Bank Mobile Banking App. It is made available in 11 languages i.e English, Hindi, Kannada, Telugu, Punjabi, Marathi, Bengali, Tamil, Malayalam, Gujarati and Oriya. CANDI is flavored with latest features like:

- ➢ Biometric Authentication
- ➢ Cardless Cash withdrawal
- ➢ Lifestyle services (Mobile Recharge, DTH, Flight Booking, Bus Booking, Hotel Booking etc.)
- ➢ Omni Channel Consumer Internet Banking application is a device and platform compatible mode of digital banking channel, which works seamlessly on tabs, mobile browser, mobile App, PCs, and laptops etc.

❖ **2019–20 के दौरान इंटरनेट बैंकिंग में पेश की गई नई कार्यप्रणाली:**

निम्नवत की शुरूआत की गयी:

➢ जमा के एवज़ में ऋण
➢ ग्रीन पिन का विकल्प
➢ कार्ड सुरक्षा प्रबंधन
➢ ब्याज प्रमाणपत्र निकालना
➢ एफडी का आंशिक मोचन
➢ नामिती सुविधा

❖ **2019-20 के दौरान एटीएम में पेश की गई नई कार्यप्रणाली:**

➢ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताये गये सभी सुरक्षा उपायों (यानी कि टर्मिनल सिक्योरिटी सॉल्युशन, एंटी स्किमिंग डिवाइस, ईएमवी का अनुपालन) को हमारे सभी एटीम में निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया ।

➢ सभी एटीएम को केंद्रीकृत मिलान के योग्य बनाया गया ।

➢ ₹10,000 से अधिक की राशि के नकद आहरण के लिए ओटीपी का कार्यान्वयन ।

विभिन्न स्तरों पर ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए बैंक द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम

डिजिटल चैनल

➢ **केनरा दीया** - केनरा डीआईवाईए (डिजिटली योर अकाउंट) बिना शाखा में गये तत्काल ऑनलाइन खाता खोलने का एक ऐप्लीकेशन (ऐप / ब्राउज़र) है । यह एक झंझट रहित ऐप है जिसमें बहुत सी अन्य विशेषताएं हैं ।

➢ **केनडी** - यह एक कागज़रहित, डिजिटल शाखा है जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं है । ग्राहक कियोस्क के माध्यम से खाता खोल सकता है और तुरंत अपने नाम का डेबिट कार्ड पा सकता है, डिजिटल चालान व टोकन प्रबंधन, रॉबोट और वीडियो बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है ।

➢ **केनरा रिकवरी मोबाइल ऐप** - स्पेशल मेंशन अकाउंट, एनपीए और अतिदेय खातों की वसूली हेतु कर्मचारियों के लिए । इसमें उपयोगकर्ता के लिए विकल्प है कि वह अतिदेय का भुगतान करने के लिए एसएमएस / व्हाट्स अप के द्वारा ग्राहकों को संदेश भेज सके । यह कर्मचारियों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे किसी भी समय, कहीं भी एसडब्ल्यूएल और एनपीए खातों की स्थिति का पता चल सकता है ।

➢ **सरकारी कारोबार को संभालने के लिए नया पैकेज** - पेंशन, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, गोल्ड मनीटाइज़ेशन

❖ **New functionalities introduced in Internet Banking during 2019-20:**

Following features were introduced:

➢ Loan against Deposit
➢ Green Pin option
➢ Card Security Management
➢ Generation of Interest Certificates
➢ Part Redemption of FD
➢ Nomination Facility

❖ **New functionalities introduced in ATM during 2019-20:**

➢ All safety measures mandated by RBI (i.e. Terminal Security Solution, Anti-skimming Devices, EMV compliance) have been successfully implemented in all our operational ATMs within the timelines.

➢ All ATMs are migrated for centralised reconciliation.

➢ Implemented OTP for cash withdrawal above ₹10,000.

Important initiatives taken by the Bank to improve customer service at various levels

Digital Channels

➢ **Canara DiYA** - Canara DiYA (Digitally Your Account) is an instant online account opening application (App / Browser) without visiting branch. This App is hassle-free and comes with a host of added features.

➢ **CANDI** - It is a paperless, digital branch, without human intervention. Customer can open Account through Kiosk & get Instant Personalized debit card, Digital Challan & Token management, Humanoid Robot and Video Banking.

➢ **Canara Recovery mobile app** - for employees to recover Special Mention Accounts, NPA and Overdue accounts. Option enabled for Users to send notifications to customers via SMS / WhatsApp to remit the overdues. It is very useful to employees to know the status of SWL and NPA accounts anywhere any time.

➢ **New Packages for handling Government Business** - Pension, Kisan Vikas Patra, Senior Citizen Savings

योजना, ओएलटीएएस (ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम), पीपीएफ और शाखाओं/कार्यालयों के लिए जारी किया गया आर बी आई - रीलिफ बॉन्ड मोड्युल ।

- **केनरा ओटीपी (ऑफ लाइन)**: इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वित्तीय लेनदेन करने के लिए ग्राहकों द्वारा स्वयं ओटीपी जनरेट करने का ऐप । यह मुख्य रूप से एनआरआई ग्राहकों और उन ग्राहकों के लिए सहायक होगा जिनको यात्रा करते समय मोबाइल नेटवर्क की परेशानी होती है ।

- **केनरा साथी ऐप** – (क्रेडिट कार्ड सेवाएं) टोग्गल ऑन / ऑफ, हॉटलिस्ट, पेमेंट, स्टेटमेंट जनरेट करना, कार्ड विवरण देखना व जो लेनदेन बिल में नहीं आए हैं, उन्हें देखना, जो लेनदेन बिल में नहीं आये हैं उन्हें ईएमआई में बदलना ।

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) नेटवर्क

पारंपरिक एचएचएम (हैंड हेल्ड मशीन) मॉडल छोड़कर बैंक ने बीसी हाईब्रिड मॉडल (टैब आधारित सोल्युशन) अपनाया,जो आसान, तेज़ और सुरक्षित है । बीसी चैनल के तहत निम्नवत सेवाएं उपलब्ध हैं:

1. आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) ऑनयूएस – नकद जमा / नकद आहरण / शेष राशि पूछताछ / निधि अंतरण / मिनि स्टेटमेंट
2. एईपीएस ऑफ यूएस - नकद आहरण / शेष राशि पूछताछ / निधि अंतरण / मिनि स्टेटमेंट
3. रूपये ऑनयूएस - नकद आहरण / शेष राशि पूछताछ / मिनि स्टेटमेंट
4. थर्ड पार्टी डिपोज़िट
5. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) नामाकंन
6. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) नामाकंन
7. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामाकंन
8. भारत बिल भुगतान प्रणाली
9. ईकेवाईसी आधारित खाता खोलना (अधार नंबर और बायोमैट्रिक ब्यौरों को देकर सिर्फ 3 मिनटों में खाता खोला जा सकता है ।)
10. आधार सीडिंग / लिंकिंग की स्थिति
11. शिकायत दर्ज करना और उसे ट्रैक करना
12. पेंशन जीवन प्रमाणपत्र अद्यतन (जीवन प्रमाण) टैब आधारित सोल्युशन के कार्यान्वयन से लेनदेन की संख्या 40% बढ़ गई और लेनदेन प्रभार 60% तक घट गए ।

Scheme, Gold Monetization Scheme, OLTAS (Online Tax Accounting System), PPF & RBI - Relief Bond modules are released for branches / offices.

- **Canara OTP (Off-line) -** App based self-generation of OTP by customers themselves for doing financial transactions through internet banking. This will be mainly helpful for NRI customers and customers on travel facing mobile network issues.

- **Canara Saathi app -** (Credit Card Services) Toggle ON / OFF, Hotlist, Payment, Generate Statement, View Card Summary & Un-billed transactions, option to convert unbilled transactions to EMI.

Business Correspondent (BC) network

Bank has migrated from traditional HHM (Hand Held Machines) model to BC Hybrid model (TAB based solution), which is easily accessible, fast, convenient and secure. Services under BC channels are as follows:

1. Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) ONUS - Cash Deposit / Cash Withdrawal / Balance Enquiry / Funds Transfer / Mini Statement
2. AEPS OFFUS - Cash Withdrawal / Balance Enquiry / Funds Transfer /Mini statement
3. RuPay ONUS - Cash Withdrawal / Balance Enquiry / Mini Statement
4. Third Party Deposit
5. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) enrollment
6. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) enrollment
7. Atal Pension Yojana (APY) enrollment
8. Bharat Bill Payment System
9. E-KYC Based Account opening (Account can be opened under 3 minutes by just giving AADHAAR number and Biometric details)
10. AADHAAR seeding / status of linking
11. Lodge & Track Complaints
12. Pension Life Certificate updation (Jeevan Praman) With the implementation of TAB based solution, number of transactions has increased by 40% and transaction charges has decreased by 60%.

अन्य चैनल

- **एनपीएस ऑल सिटिज़न मॉडल** - नई पेंशन योजना के तहत जनता द्वारा नैशनल पेंशन सिस्टम इन ऑल सिटिज़न पोर्टल में पीआरएएन हेतु आवेदन करने के लिए ।
- **आई लीड** - कर्मचारियों में विपणन की प्रतिभा जगाने और बैंक व्यापार को बढ़ाने के लिए एक प्रेरणादायक प्रणाली ।

वित्तीय समावेशन

बैंकिंग मुख्यधारा के तहत बड़ी उपेक्षित आबादी को लाने के मूल उद्देश्य के लिए बैंक एक समावेशी कदम उठा रहा है । वित्तीय समावेशन अभियान के तहत बैंक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से उपेक्षित और हाशिये पर मौजूद वर्गों को उपलब्ध कराकर अधिक समावेशी विकास की दिशा में प्रयास कर रहा है। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक वित्तीय समावेशन के प्रयासों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें प्रौद्योगिकी का व्यापक और गहन उपयोग और वित्तीय साक्षरता की वकालत के माध्यम से बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार करना, उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश करना है ।

- ✓ बैंक में शाखा मॉडल के तहत 903 वित्तीय समावेशन (एफआई) शाखाएं हैं और व्यापार संवाददाता (बीसी) मॉडल के तहत 2652 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स (बीसीए) भी लगे हुए हैं ।
- ✓ बैंक ने बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी) द्वारा एफएलसी का प्रचार करने के साथ साथ बैंक के वित्तीय साक्षारता केंद्रों (एफएलसी) के मामलों का ध्यान रखने के लिए 'केनरा वित्तीय परामर्श न्यास' का गठन किया है । बैंक के देशभर में विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में 82 एफएलसी हैं जिनका प्रबंधन परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त बैंकर) द्वारा किया जाता है ।
- ✓ बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत बैंक ने 76.38 लाख खाते खोले हैं ।
- ✓ 903 ब्रिक एंड मोर्टार शाखाएं खोलकर और शेष स्थानों में 2652 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट्स (बैंक मित्रा) को लगा कर 3371 शहरी वार्डों और 3962 आबंटित एसएसए के साथ आबंटित सभी 10049 गांवों को वित्तीय समावेशन के तहत लाया गया है ।
- ✓ भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वर्ष के दौरान पीएमजेजेबीवाई व पीएमएसबीवाई के तहत निम्नवत नामांकन किए गए ।

Other channels

- **NPS All Citizen Model -** National Pension System in All Citizen portal for public to apply for PRAN under New Pension Scheme.
- **i-Lead -** Inspiring lead system for inculcating marketing culture among staff and to augment Bank business.

FINANCIAL INCLUSION

In a bid to cover considerable unbanked population under the mainstream banking channel, the Bank undertakes an inclusive approach. As a part of financial inclusion drive, the bank makes its products and services available to financially excluded and marginalized sections of the society. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been proactive in financial inclusion efforts, with key interventions, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and advocacy of financial literacy.

- ✓ The Bank has 903 Financial Inclusion (FI) Branches under branch model and also engaged 2652 Business Correspondent Agents (BCAs) under Business Correspondents (BC) model.
- ✓ Bank formed 'Canara Financial Advisory Trust' to take care of the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank as well as the FLCs promoted by the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. The Bank has 82 FLCs in districts & blocks level across the country, managed by the Counsellors (retired bankers).
- ✓ Bank opened 76.38 lakh accounts under PMJDY.
- ✓ Covered all allotted 10049 villages comprising of 3962 allotted SSAs and 3371 Urban wards by opening of 903 brick & mortar branches and engaging 2652 Business Correspondent Agents (Bank Mitras) at remaining locations.
- ✓ Under social security schemes launched by the Government of India during the year, following enrolments have been made under PMJJBY & PMSBY.

यथा मार्च 2020 तक नवीकरण के साथ योजना में नामांकन

(लाख में)

के साथ योजना में नामांकन	यथा मार्च 2020 तक
प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	107.12
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	37.24
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)	**3.86**

✓ सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक ने 15211 खाते खोले हैं।

आधार नामांकन अद्यतन केंद्र

बैंक आधार नामांकन के लिए एक रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी है। यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को बैंक शाखा परिसर के 10% के अंदर केंद्र स्थापित करने हैं। तदनुसार बैंक ने 791 केंद्र स्थापित किए, जिसमें बैंक के लिए 613 केंद्र और 2 प्रायोजित आरआरबी के लिए 178 केंद्र (केएजीबी 116 और केजीबी 62) शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तीकरण अनुभाग, प्रधान कार्यालय सहित देश के 21 अंचल कार्यालयों और 118 क्षेत्रीय कार्यालयों में महिला उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडीडब्ल्यू) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अथक रूप से काम कर रहे हैं। ये केंद्र संभावित उद्यमियों तक पहुंचकर, परामर्श प्रदान करते हैं, उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का समर्थन करते हैं, वित्त प्रदान करते हैं और उनके लिए विपणन की व्यवस्था करते हैं। महिला उद्यमिता विकास केंद्रों द्वारा 2019-20 के दौरान कुल 360 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अग्रणी बैंक जिम्मेदारी

बैंक देश के 31 जिलों में, यानि कि कर्नाटक में 8, तमिलनाडु में 7, केरल में 5, उत्तर प्रदेश में 5, दिल्ली में 3, तेलंगाना में 2 और बिहार में 1, अग्रणी बैंक जिम्मेदारी निभा रहा है। बैंक केरल में राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और व्यापार

बैंक की 5 विदेशी शाखाएं हैं, जिनमें लंदन (यू.के), हांगकांग, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), न्यूयॉर्क (यू.एस.ए) और दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी), दुबई (यूएई) हैं। उपरोक्त 5 विदेशी

Scheme Enrolments including Renewals as at March 2020

(In Lakhs)

Scheme Enrolments including Renewal	As at March 2020
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)	107.12
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)	37.24
Atal Pension Yojana (APY)	**3.86**

✓ Under Sukanya Samriddhi Yojana, the Bank has mobilized 15211 accounts

AADHAAR Enrolments Updation Centres

The Bank is a Registrar and Enrolment Agency for Aadhaar Enrolment. As per UIDAI guidelines, the Bank has to establish ASKs at 10% of the bank branch premises. Accordingly, bank has established 791 ASKs, comprising of 613 centres for the bank and 178 centres for the 2 sponsored RRBs (KAGB 116 & KGB 62).

Empowering Women

Women Empowerment Section at Head office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 21 Circle Offices and 118 Regional offices across the country are working relentlessly towards economic empowerment of women. These CEDWs have reached potential entrepreneurs, undertaken counselling, supported their training needs, provided finance and arranged marketing facilities. A total of 360 Programmes were organized by the CEDWs during 2019-20.

Lead Bank Responsibility:

The Bank has Lead Bank Responsibility in 31 Districts in the country, viz., 8 in Karnataka, 7 in Tamil Nadu, 5 in Kerala, 5 in Uttar Pradesh, 3 in Delhi, 2 in Telangana and 1 in Bihar. The Bank is the Convenor of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in Kerala.

INTERNATIONAL OPERATIONS AND BUSINESS

The Bank has 5 overseas branches, viz., London (U.K.), Hong Kong, Johannesburg (South Africa), New York (U.S.A.) and Dubai International Financial Centre (DIFC),

शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यूएई) में एक प्रतिनिधि कार्यालय, केनरा बैंक (तंज़ानिया) लि. तंजानिया में दार–एस सलाम की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी और वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, भारतीय स्टेट बैंक के साथ मॉस्को, रूस में एक संयुक्त उद्यम है ।

वित्तीय वर्ष के अंत तक ₹23687 करोड़ रुपये की जमा और ₹24539 करोड़ रुपये के अग्रिम सहित विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार ₹48226 करोड़ रुपये है । विदेशी व्यापार, बैंक के कुल कारोबार का 4.50% है । विदेशी शाखाओं के तर्कसंगतकरण योजना के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान शंघाई (चीन), मनामा (बहरीन) की शाखाओं को बंद किया और जोहानसबर्ग शाखा ने जमा स्वीकार करना बंद किया ।

आस्ति गुणवत्ता

आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए बैंक के ठोस प्रयासों से मार्च, 2019 तक सकल एनपीए 8.83% (39224 करोड़ रुपये) से घटकर मार्च 2020 तक 8.21% (37041 करोड़ रुपये) हो गया है। मार्च 2019 में निवल एनपीए 5.37% (रु 22955 करोड़) से घटकर मार्च 2020 में 4.22% (18251 करोड़ रुपये) हो गया। आस्ति गुणवत्ता में यह उल्लेखनीय सुधार महत्वपूर्ण वसूलियों और उन्नयन के कारण था।

वित्तीय वर्ष 20 के दौरान संचयी नकद वसूली पिछले वर्ष के ₹10355 करोड़ के मुकाबले ₹10886 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 19 में ₹3074 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 20 के लिए उन्नयन ₹1208 करोड़ रुपये रहा। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) अवधि के दौरान 68.13% से 75.86% तक सुधार हुआ। वित्तीय वर्ष 19 में ₹1304 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 20 के लिए लिखित खातों में वसूली ₹1470 करोड़ रुपये रही। स्लिपेज को वर्ष के दौरान पर्याप्त रूप से समाहित किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹15480 करोड़ रुपये के मुकाबले ₹15044 करोड़ रुपये तक ले गया ।

वित्तीय वर्ष 20 के दौरान, सरफेसी अधिनियम के तहत कुल ₹1653.06 करोड़ की वसूली की गयी । वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने

Dubai (UAE). Besides the above 5 overseas branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE), Canara Bank (Tanzania) Ltd., a wholly-owned subsidiary at Dar-es Salaam in Tanzania and Commercial Indo Bank LLC, a Joint Venture with State Bank of India in Moscow, Russia.

Total business of the overseas branches aggregated to ₹48226 crore comprising of deposits of ₹23,687 crore and advances of ₹24,539 crore as at the end of the financial year. Overseas Business constituted 4.50% of the Bank's global business. As per the rationalisation plan for overseas branches, bank has closed Shanghai (China), Manama (Bahrain) branches during the financial year and Johannesburg branch has stopped accepting deposits.

ASSET QUALITY

The consistent efforts of the bank for improving the asset quality have yielded results with Gross NPA decreasing from 8.83% (₹39224 Crore) as at March, 2019 to 8.21% (₹37041 Crore) as at March 2020. Net NPA reduced from 5.37% (₹22955 crore) as at March 2019 to 4.22% (₹18251 crore) as at March 2020. This marked improvement in asset quality was on the back of significant recoveries.

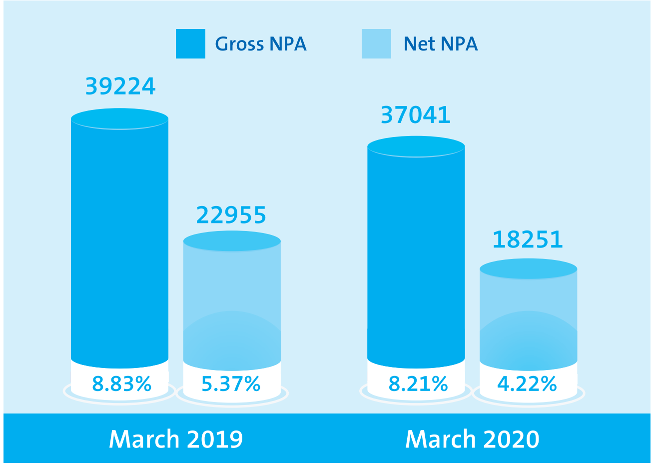

The cumulative Cash Recovery during FY20 was at ₹10886 crore as against ₹10355 crore last year. Upgradation for FY20 was at ₹1208 crore compared to ₹3074 crore in FY19. Provision Coverage Ratio (PCR) improved considerably during the period from 68.13% to 75.86%. Recovery in written off accounts for FY20 was ₹1470 crore as against ₹1304 crore in FY19. Slippage has been contained during the year to ₹15044 crore as against ₹15480 crore last year.

During FY 20, recoveries amounting to ₹1653.06 Crore were made on account of initiating actions under the

945 वसूली बैठकों का आयोजन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1700 करोड़ राशि वसूल की गयी। वित्तीय वर्ष 20 के दौरान 251146 मामले लोक अदालत को भेजे गये, जिनमें से 24014 मामले का निपटान किया गया, जिसकी कुल राशि ₹478 करोड़ रही। बैंक ने खातों को एनपीए में स्लीपेज से रोकने के लिए और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में बढ़ोत्तरी लाने के लिए कई पहल की। इनमें, एकबारगी निपटान (ओटीएस) के लिए शाखा स्तर पर केन अदालतों का संचालन, क्षेत्रीय स्तर पर क्लस्टर अदालत और अंचल स्तर पर मेगा अदालत, जिला स्तर पर लोक अदालतें, कॉल सेंटर के माध्यम से ऋण खातों में अतिदेय का नियमित अनुवर्तन, जब्त संपत्ति की बिक्री के लिए ई - नीलामी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ सख्त वसूली उपाय करना, आदि शामिल हैं। यथा मार्च 2020 तक ₹6065.94 करोड़ की बकाया राशि के साथ 573 इरादतन चूककर्ता रहे।

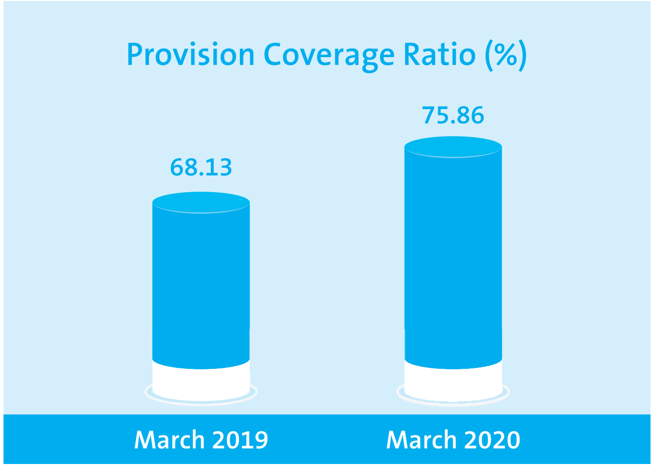

बैंक ने 31.03.2020 की स्थिति में एनसीएलटी में हमारे दावे को दर्ज करके 223 मामलों के संबंध में समाधान प्रक्रिया शुरू की है और 2020-21 के दौरान समाधान के माध्यम से पर्याप्त वसूली की उम्मीद है । वित्तीय वर्ष 20 में एनसीएलटी में दर्ज खातों में से ₹3750.82 करोड़ की वसूली की गई। बैंक ने कृषि शिक्षा ऋण, ट्रैक्टर ऋण तथा अन्य फार्म प्रणाली आदि में लघु मूल्य वाले एनपीए के निपटान के लिए विशेष ओटीएस योजनाओं का निर्माण किया।

मार्च 2020 की स्थिति में, बैंक का बकाया दबावग्रस्त आस्ति संविभाग (पुनर्रचित मानक खाते सहित) ₹42223 करोड रहा जो सकल अग्रिमों का 9.36% है।

जोखिम प्रबंधन

बेसल III पूंजी पर्याप्तता ढांचा और भावी रणनीतियाँ

प्रधान कार्यालय में बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र रूप से नोडल केन्द्र के रूप में जोखिम प्रबंधन विभाग कार्य कर रहा है । बैंक में, विभिन्न जोखिम प्रबंधन

SARFAESI Act. The Bank conducted 945 Recovery Meets during FY 2019-20 that has resulted in recovery of ₹1700 crore. In FY20, 251146 cases were referred to Lok Adalat, out of which, 24014 cases were settled, covering an amount of ₹478 crore. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, conduct of Can Adalats at branch level, cluster adalats at Regional level and mega adalats at Circle level for one time settlements (OTS), Lok Adalats at district level, regular follow-up of overdue in loan accounts through Call Centre, conduct of e-auctions for sale of seized assets and initiation of stringent recovery measures against Wilful Defaulters. As on March 2020, there were 573 Wilful Defaulters with an outstanding amount of ₹6065.94 crore.

The Bank has initiated resolution process in respect of 223 Cases by referring to NCLT / filing our claim as at 31.03.2020 and is expecting substantial recovery through resolution during 2020-21. In FY 20, recoveries amounting to ₹3750.82 Cr were done in NCLT referred accounts. The Bank has also formulated various special OTS Schemes for settlement of small value NPAs in agriculture, Education loans, tractor loans and other farm mechanisation, etc.

As on March 2020, the outstanding stressed assets portfolio (including restructured standard accounts) of the Bank stood at ₹42223 Crore, accounting for 9.36% of gross advances.

RISK MANAGEMENT

BASEL III Capital Adequacy Framework and Future Strategies

An independent Risk Management Wing at the Head Office is functioning as a nodal centre for overall implementation of various risk management initiatives

नीतियां हैं जिनमें, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और समूह जोखिम प्रबंधन शामिल हैं । बैंक में, बासेल III के स्तंभ 2 के तहत आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) उपलब्ध है। आईसीएएपी प्रक्रिया बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन, अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम, प्रायोजित इकाइयां और सहयोगी संस्था को प्रावरित करती हैं। बैंक द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित जोखिमों का पता लगाने के लिए बैंक द्वारा दबाव परीक्षण अभ्यास भी किया जाता है । बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल द्वारा आईसीएएपी प्रलेख की समीक्षा की जाती है और अनुमोदित की जाती है ।

बेसल III के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण अपनाना

ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिम के संबंध में पूँजी के परिकलन हेतु बासेल III के तहत उन्नत दृष्टिकोण ढांचे की ओर बढ़ने के अपने प्रयास में एकीकृत जोखिम प्रबंधन समाधान के माध्यम से उद्यम का क्रियान्वयन के उद्देश्य से बैंक ने स्वयं तथा समूह इकाइयों के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की ताकि अपेक्षित जोखिम प्रबंधन ढांचे का निर्माण किया जा सके। उद्यम–व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढ्रांचे के कार्यान्वयन की पूर्वापेक्षा के रूप में बैंक ने जोखिम समाधान प्राप्त किया है जिससे कि वह उन्नत मापन दृष्टिकोण की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके ।

बेसल III के लिए तैयारी

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार, बासेल III पूँजी विनियमावली के पूर्ण क्रियान्वयन की परिवर्ती अवधि को 30.09.2020 तक बढा दिया गया है । सितंबर 2020 के अंत तक भारत में स्थित बैंकों को 5.50% की न्यूनतम समान ईक्विटी टायर 1 (सीईटी 1) पूँजी, 7.00% की टायर 1 पूँजी, 9.00% की कुल पूँजी और 2.50% की पूँजी परिरक्षण बफर (सीसीबी) को बनाये रखने की आवश्यकता है। बैंकों को जोखिमपूर्ण पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय पूरक उपाय के रूप में 3.50% का न्यूनतम टीयर 1 लीवरेज अनुपात बनाए रखना है। बैंक पर्याप्त रूप से पूँजीकृत रहने के लिए प्रयास कर रहा है तथा संक्रमण दौर के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना तैयार की है। भारत सरकार से पुनःपूँजीकरण समर्थन प्राप्त करने सहित बाजार से पूँजी जुटाने के लिए बैंक के पास पर्याप्त गुंजाइश है। आगे बढ़ते हुए, बैंक की पूँजी संबंधी अपेक्षा की पूर्ति - नयी ईक्विटी पूँजी लगाने, लाभ बरकरार रखने, कारोबार को इष्टतम स्तरों तक ले जाने और पूँजी संबंधी योजना व प्रबंधन के ज़रिए की जाएगी ।

ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम के मुद्दों और विचारों को व्यापक रूप से निपटान करने के लिए बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है। ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सुदृढ़ प्रणाली है जिसमें ऋण की मंजूरी के लिए ऋण प्रस्ताव की व्यवहार्यता और आवेदक की साख योग्यता

across the Bank. The Bank has in place various policies on Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Asset Liability Management and Group Risk Management. The Bank has in place an Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 of Basel III norms. The ICAAP exercise covers the domestic and overseas operations of the Bank, Subsidiaries, Joint Ventures, Sponsored Entities and Associates. Stress testing exercise is also performed by the Bank to ascertain the potential risks faced by the Bank. The ICAAP document is reviewed and approved by the Risk Management Committee of the Board and the Board of Directors.

Adoption of Advanced Approaches under Basel III

In an endeavour to move towards Advanced Approaches under Basel III for computation of capital for Credit, Market and Operational Risks, the Bank has engaged the services of a Consultant for implementation of Enterprise-wide Integrated Risk Management solution for itself and the Group Entities, so as to build requisite risk management framework. As a pre-requisite for the implementation of Enterprise wide Integrated Risk Management architecture, the Bank has procured a Risk Solution that would enable it to meet requirements of Advanced Measurement Approaches.

Preparedness for Basel III

As per RBI guidelines, the transitional period for full implementation of Basel III Capital regulations are extended up to 30.09.2020. The banks in India need to maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET1) capital of 5.50%, Tier 1 capital of 7.00%, total capital of 9.00% and Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% at the end of September 2020. The banks also have to maintain a minimum Tier 1 Leverage Ratio of 3.50% as a credible supplementary measure to the risk based capital requirements. The Bank endeavours to remain adequately capitalized and has drawn plans to meet the capital requirements stipulated by the RBI in transitory phase. The Bank has adequate headroom to raise capital from the market, including recapitalization support from the Government of India. Going forward, the Bank's capital requirement shall be met by injecting fresh equity capital, retention of profits, optimization of business levels, proactive capital planning and management.

Credit Risk Management

In order to comprehensively address the issues and concerns of the Credit Risk, the Bank has put in place a comprehensive Credit Risk Management Policy.

का मूल्यांकन करने हेतु पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना, सुपरिभाषित ऋण मंजूरी प्रक्रिया और प्राधिकरण मैट्रिक्स, संपार्श्विक प्रबंधन के लिए मानकों, ऋण निगरानी, अग्रिमों, एमएसएमई और ऑफ बैलेंस शीट एक्स्पोज़र की पुनर्संरचना आदि का का पालन किया जाता है ।

संविभाग स्तर पर ऋण जोखिम और जोखिम संकेन्द्रण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए नीति विभिन्न जोखिम सीमाओं को निर्धारित करती है। आस्तियों पर प्रतिलाभ तथा निवल ब्याज मार्जिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आय सृजन हेतु उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण किया जाता है ।

बाजार जोखिम प्रबंधन

बैंक के बाज़ार जोखिम ढ्रांचे का उद्देश्य, सभी प्रकार के बाज़ार ज़ोखिमों को कम करना तथा विभिन्न बाज़ार जोखिम कारकों के लिए सीमा संरचना व उत्प्रेरक स्थापित करना है। एक्सपोज़र सीमा, जैसे ट्रेडिंग बुक पर हानि रोध सीमा, विभिन्न मुद्राओं की स्थिति के बारे में इंट्राडे व ओवरनाइट सीमा, डीलर–वार सीमा, सकल अंतर सीमा, मुद्रा बाज़ार परिचालन की सीमाएं, निवेश संविभाग के लिए संशोधित अवधि सीमा और जोखिम निवारक / उत्प्रेरक के लिए वीएआर सीमा निर्धारित किये गये हैं।

परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है जिसमें परिचालन जोखिम प्रबंधन ढाँचा, बाह्यस्रोतीय गतिविधियाँ तथा कारोबार निरंतरता योजना जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। वर्तमान में, बैंक मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) से बेसल III ढांचे के उन्नत दृष्टिकोण में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में है। बैंक ने पहले से ही घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग के लिए हादसा प्रबंधन मॉड्यूल, प्रमुख जोखिम संकेतक की समीक्षा (केआरआई), परिचालन जोखिम के पूंजी प्रभार की गणना के लिए जोखिम नियंत्रण और आत्म मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यशालाओं और परिदृश्य विश्लेषण कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

आस्ति देयता प्रबंधन

नीति ढांचे के भीतर, बैंक के बोर्ड ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की स्थापना की है, जिसे वित्त पोषण रणनीतियों और इसकी संरचना, उत्पाद मूल्य निर्धारण, तनाव परीक्षण और दूसरों के बीच आकस्मिक कार्य योजना सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रबंधन की भूमिका के साथ सौंपा गया है। बैंक ने 01.01.2015 से तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को लागू किया है। 01.01.2017 से बैंक एलसीआर की दैनिक आधार पर गणना कर रहा है। 31.03.2020 तक, बैंक का एलसीआर निर्धारित न्यूनतम 100% से ऊपर है।

A robust system for appraisal of loan / credit proposals, including seeking adequate information for appraising the viability of the proposal and creditworthiness of the applicant for sanctioning credit limits, well defined credit approval process and authorization matrix, standards for collateral management, credit monitoring, restructuring of advances, MSME and Off Balance Sheet Exposures, is followed.

In order to address the credit risk at portfolio level and the issue of concentration risk, the Policy prescribes fixation of various exposure ceilings. Risk Based Pricing is in tune with the Risk profile of the borrower to generate returns to achieve targeted RoA and NIM

Market Risk Management

The Market Risk framework of the Bank aims at restricting loss from all types of market risk loss events and also to establish limit structure and triggers for various market risk factors. Exposure limits, such as, Stop Loss Limits on Trading Book, Intraday and Overnight Limit for various Currency Positions, Dealer-wise Limits, Aggregate Gap Limit, Limits on Money Market Operations, Modified Duration Limits for investment portfolio and VaR Limits are fixed to act as risk mitigants / triggers.

Operational Risk Management

The Bank has adopted polices for management of Operational Risk, which covers various aspects, such as, Operational Risk Management Structure, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan. At present, the Bank is in the process of migration to Advanced Approach of Basel III framework from the Basic Indicator Approach (BIA). The Bank has already put in place Incident Management module for timely reporting of incidents, Review of Key Risk Indicators (KRI), Conducting of Risk Control & Self-Assessment (RCSA) workshops and Scenario Analysis workshops to compute capital charge for Operational Risk.

Asset Liability Management

Within the policy framework, the Board of the Bank has set up Asset Liability Management Committee (ALCO), which is entrusted, inter alia, with the role of management of assets and liabilities including the funding strategies and its composition, product pricing, stress test and contingency action plan among others.

The Bank has implemented the RBI guidelines with respect to Liquidity Coverage Ratio (LCR) with effect from 01.01.2015. Bank has been computing LCR on a daily basis w.e.f 01.01.2017. As on 31.03.2020, LCR of the Bank is above the stipulated regulatory minimum of 100%.

समूह जोखिम

बैंक में विभिन्न सहायक, संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं हैं, जो विविध गतिविधियाँ कर रही हैं। जैसा कि इन समूह संस्थाओं में बैंक की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, बैंक ने अंतर समूह लेनदेन में जोखिम की पहचान करने और प्रबंधन करने के लिए एक समूह जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है। बैंक ने समूह संस्थाओं के बीच हितों के संघर्ष को कम करके कॉरपोरेट अभिशासन के मानक को बढ़ाने के लिए एक्सपोजर हेतु नीति रखी है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार मापदंडों के संबंध में संस्थाओं के बीच 'स्वतंत्र संव्यवहार का सिद्धांत' है। बैंक का समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) समूह संस्थाओं के जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी कर रहा है।

अंतराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन :

बैंक को डेटा सेंटर, आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र और सूचना तकनीकी विभाग के लिए आईएसओ: 27001: 2013 के साथ प्रमाणित किया गया है और प्रमाणन दिनांक 11/04/2020 से 3 साल की अवधि के लिए मान्य है। यह प्रमाणित है कि संगठन की सूचना प्रबंधन प्रणाली का आकलन आईएसओ 27001:2013 मानक की आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

एकीकृत कोषागार

मार्च 2020 में बैंक के कुल निवेश (निवल) ₹174311 करोड़ रहा। मार्च 2020 में निवेश संविभाग की संशोधित अवधि 4.46 रही, जबकि बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) संविभाग की संशोधित अवधि मार्च 2019 के 3.01 से घटकर मार्च 2020 को 1.39 हो गई है। निवेश पर प्रतिफल 31 मार्च 2019 के 7.62% की तुलना में 31 मार्च 2020 को 7.33% पर रहा। ट्रेडिंग संविभाग के सक्रिय मिश्रण तथा अनुमत सीमा के तहत एचटीएम संविभाग से प्रतिभूतियों को निकालने के कारण वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान घरेलू कोष परिचालन के अंतर्गत व्यापार लाभ ₹402 करोड से ₹758 करोड़ हो गया। बैंक का, सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारी (पीडी) के रूप में सक्रिय भूमिका निभाना जारी है।

हामीदारी अंकन के लिए जमा बोलियों की कुल राशि ₹86274 करोड़ थी, जिनमें से आरबीआई द्वारा स्वीकार की गई हामीदारी अंकन प्रतिबद्धता ₹46975 करोड़ रही। प्राथमिक व्यापारी कारोबार के तहत ट्रेजरी बिलों के संबंध में, प्रत्येक अर्ध वर्ष में 40% की न्यूनतम सफलता अनुपात के मुकाबले सितंबर 2019 को समाप्त हुए पहले छमाही वर्ष के लिए बैंक का सफलता अनुपात 42.36% और मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए 72.34% था।

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी व्यापार कारोबार पण्यावर्त ₹293425 करोड़ रहा जिसमें, निर्यात के तहत ₹148204 करोड़, आयात के तहत ₹86086 करोड़ और विप्रेषण के तहत ₹59135 करोड़ रुपये शामिल है।

Group Risk

The Bank has various Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Entities, which are engaged in diversified activities. As the Bank has considerable stake in these Group Entities, it has put in place a Group Risk Management Policy to identify and manage risk in intra Group transactions. It has also put in place policies for exposure to raise the standard of Corporate Governance by reducing and avoiding conflicts of interest between the Group Entities and to ensure 'Arm's Length Principle' among Entities, with regard to business parameters. The Group Chief Risk Officer (GCRO) of the Bank is supervising the risk management activities of the Group Entities.

Compliance to International Standards:

Bank has been certified with ISO: 27001:2013 for Data Centre, Disaster Recovery centre and Department of Information Technology Wing and the certification is valid from 11/04/2020 for a period of 3 years. It is certified that the Information Security management system of the organization has been assessed and found to be in accordance with the rerquirement of the ISO 27001:2003.

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments (net) of the Bank stood at ₹174311 crore as at March 2020. While modified duration of the investments portfolio stood at 4.46 as at March 2020, the modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has decreased to 1.39 as at March 2020 from 3.01 as at March 2019. The yield on investments stood at 7.33% as at 31st March 2020 as compared to 7.62% as at 31st March 2019. The trading profit under domestic treasury operations during the year increased to ₹758 crore from ₹402 crore during FY 2018- 2019 on account of active churning of the trading portfolio and offloading of securities from the HTM portfolio under permissible limit. The Bank continues to be an active player in the Government Securities Market as a Primary Dealer (PD).

The total amount of bids submitted for underwriting was ₹86274 crore, of which, the underwriting commitment accepted by the RBI was ₹46975 crore. With regard to Treasury Bills under PD business, as against the minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has a success ratio of 42.36% for the first half year ended September 2019 and 72.34% for the second half year ended March 2020.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹293425 crore, comprising of ₹148204 crore under exports, ₹86086 crore under imports and ₹59135 crore under remittances during the year ended March 2020.

अन्य सेवाएं

व्यापार बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक के व्यापारी बैंकिंग प्रभाग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड (आरईसी), इंडियन रेलवे फाईनेंस कॉरपोरेशन लि. (आईआरएफसी) तथा पॉवर फाईनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के 54ईसी–पूँजीगत अभिलाभ बांड निर्गम के निजी स्थानन का निर्वहन किया। वर्ष के दौरान उपरोक्त निर्गम के संदर्भ में ₹53.78 करोड़ रु की राशि प्राप्त की गई ।

संग्रहकर्ता बैंकर के रूप में बैंक ने चार निजी स्थानन निर्गमन में सहभागिता की जिसमें कुल ₹741.57 करोड़ का संग्रहण किया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने अवरुद्ध राशि आधारित आवेदन (एएसबीए) के तहत 74 ईक्विटी निर्गम तथा 32 डेट निर्गम किए तथा ₹1301.55 करोड़ की राशि को अवरुद्ध किया। वर्ष के दौरान प्रभाग द्वारा 'इक्विटी का निष्पक्ष मूल्यांकन' के दो विशेष कार्य का निर्वाह किया गया। बैंक के व्यापार बैंकिंग प्रभार द्वारा बासेल III अनुपालन के टियर II बांड प्रस्ताव के दस्तावेज को अंतिम रूप दिया तथा इसे बांड में सूचिबद्ध करने के लिए एनएसई को भेजा गया।

बैंक–बीमा और म्यूच्युअल फंड

बैंक के पास अपनी बैंक-बीमा आर्म के तहत जीवन और गैर-जीवन बीमा दोनों क्षेत्र में टाई-अप व्यवस्था है। वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ₹114.89 करोड़ रुपये की कमीशन आय अर्जित की। म्यूचुअल फंड कारोबार के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम, केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से ₹24.43 करोड़ रुपये का कमीशन अर्जित किया। तीन साधारण बीमा भागीदारों बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की टाई-अप व्यवस्था से गैर-जीवन (सामान्य) बीमा व्यवसाय के तहत ₹34.27 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई थी। बैंक ने अपने हेल्थ इंश्योरेंस उत्पादों के विपणन के लिए एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती एएमएचआई) के साथ अपने समझौते से ₹24.07 करोड़ रुपये की कमीशन आय अर्जित की।

सरकारी कारोबार

बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेंशन का भुगतान, पोस्टल लेनदेन और राज्य सरकार के ट्रेजरी लेनदेन, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना और वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना का भुगतान करने वाले सरकारी कारोबार करता है

OTHER SERVICES

Merchant Banking

During the year the Bank's Merchant Banking Division has handled, as arrangers for private placements of 54EC-Capital Gains Bond Issues of National Highways Authority of India (NHAI), Rural Electrification Corporation Ltd (REC), Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) and Power Finance Corporation (PFC). The amount mobilized in respect of these issues during the year was ₹53.78 crore.

As a Collecting Banker, the Bank was involved in four Private Placement Issues, collecting an amount of ₹741.57 crore. Further, the bank has handled 74 Equity Issues and 32 Debt Issues under Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and the amount blocked therein was ₹1301.55 crore. Two specialized assignments of 'Fair Market Valuation of Equity' were also handled by the Division during the year. The Merchant Banking Division of the Bank has finalised the Basel III Compliant Tier II Bond Offer Document and filed the same with NSE for listing of Bonds.

Bancassurance and Mutual Funds

The Bank has tie-up arrangements in both life and non-life insurance segments under its 'Bancassurance' arm. During the year 2019-20, the Bank earned a commission income of ₹114.89 crore from its joint venture, M/s Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹24.43 crore from its joint venture, M/s Canara Robeco Asset Management Company Ltd. A commission income of ₹34.27 crore was earned under Non-Life (General) Insurance business from its tie-up arrangements with all the three GI Partners M/s Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd, M/s TATA AIG General Insurance Co. Ltd and M/s The New India Assurance Co. Ltd. The Bank also earned a commission income of ₹24.07 crore from its tie-up agreement with M/s HDFC Ergo Health Insurance Co. Ltd (Erstwhile AMHI) for marketing their health insurance products.

Government Business

The Bank undertakes Government Business, comprising Direct and Indirect Tax collections, payment of Central Government and State Government Pensions, Handling of Postal Transactions and State Government Treasury Transactions, Public Provident Fund Scheme and

जिसमें राष्ट्रीक स्वर्ण बांड और सुकन्या समृद्धि योजना जारी की जाती है। इन उत्पादों ने इअदअ को बेहतर बनाने में योगदान दिया और वित्तीय वर्ष-20 के दौरान ₹105.29 करोड़ रुपये की शुल्क आय अर्जित की।

बैंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय(एमएचआरडी), संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), नई दिल्ली के लिए मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में अधिकृत किया गया है। बैंक 2012-13 से स्वावलंबन योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू कर रहा था। भारत सरकार ने असंगठित क्षेत्र को परिभाषित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से स्वावलंबन के स्थान पर अटल पेंशन योजना (एपीवाई) शुरू की है। बैंक मार्च 2020 तक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 3,86,957 खाते जुटा सकता है।

संगठन और समर्थन सेवाएं

शाखा नेटवर्क-संपूर्ण भारत में उपस्थिति का विस्तार

पहुंच का विस्तार करने के लिए, बैंक ने वर्ष के दौरान 45 घरेलू शाखाओं को खोला । मार्च 2020 तक, विशिष्ट शाखाओं और 5 विदेशी शाखाओं सहित बैंक की 6334 शाखाएँ थीं।

ब्रांच नेटवर्क की संरचना

वर्ग	शाखाओं की संख्या		वर्ष के दौरान खोले गए
	31.03.2019	31.03.2020	
महानगर	1282	1273	10
शहरी	1204	1226	25
अर्ध-शहरी	2003	2004	6
ग्रामीण	1821	1826	4
विदेशी	6	5	0
कुल घरेलू शाखाएँ	**6310**	**6329**	**45**

नोट: वर्ष के दौरान 26 घरेलू शाखाओं को विलय / बंद कर दिया गया था।
वर्ष के दौरान 1 विदेशी शाखा को विलय / बंद कर दिया गया।
बैंक की कुल विशिष्ट शाखाएँ मार्च 2020 तक 291 थी।

Senior Citizens' Saving Scheme, issuing Sovereign Gold Bonds and Sukanya Samridhi Scheme. These products contributed to improvement of CASA and earned a fee income of ₹105.29 crores during FY20.

The Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Human Resources Development (MHRD), Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs & Sports, Archaeological Survey of India and Unique Identification Authority of India (UIDAI), New Delhi. The Bank was implementing the National Pension System for Unorganised Sectors under Swavalamban Scheme since 2012-13. The Government of India has launched Atal Pension Yojana (APY) in place of Swavalamban with a view to provide defined pension to unorganised sector. The Bank could mobilise 3,86,957 accounts under APY as at March 2020.

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network-Expanding Pan India Presence

In a bid to expand the reach, the bank added 45 domestic branches during the year. As at March 2020, the Bank had 6334 branches, including Specialized Branches and 5 overseas branches.

Composition of Branch Network

Category	No. of Branches		Opened during the year
	31.03.2019	31.03.2020	
Metropolitan	1282	1273	10
Urban	1204	1226	25
Semi-urban	2003	2004	6
Rural	1821	1826	4
Overseas	6	5	0
Total domestic Branches	**6310**	**6329**	**45**

Note: 26 domestic branches were merged / closed during the year.
1 Overseas branch was merged / closed during the year.
The total Specialized Branches of the Bank stood at 291 as at March 2020.

श्रम शक्ति प्रोफाइल

मार्च 2020 तक, बैंक के पास अपने 58632 कर्मचारी थे। श्रमशक्ति का संवर्ग-वार विवरण इस प्रकार है:

संवर्ग	मार्च 2019	मार्च 2020
अधिकारी	29882	32596
क्लर्क	19951	18353
उप कर्मचारी*	8517	7683
कुल	58350	58632

*इसमें पार्ट टाइम कर्मचारी (पीटीई) शामिल हैं

बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या में 56% अधिकारी, 31% क्लर्क और 13% अधीनस्थ कर्मचारी शामिल थे। बैंक की महिला कर्मचारियों की संख्या 18,167 थी, जो कर्मचारियों का 31% था। मार्च 2020 तक पूर्व सैनिक कर्मचारियों की कुल संख्या 4,573 थी। बैंक में 1538 शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी कार्यरत थे। वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 3497 व्यक्तियों की भर्ती की, जिसमें से 641 अनुसूचित जाति (एससी) के थे और 256 अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के थे। वर्ष के दौरान विभिन्न कैडरों में 197 पूर्व सैनिकों की भर्ती की गई थी। 1129 महिला कर्मचारियों की भर्ती की गई।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण नीति

मार्च 2020 तक अ. जा. / अ. ज. जा. / अ. पि. व / डीएपी कर्मचारियों की संरचना इस प्रकार थी:

संवर्ग	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी
अधिकारी	5941	2586	9242	810
क्लर्क	3354	1174	5169	630
उप कर्मचारी	2324	443	2216	98
कुल	11619	4203	16627	1538

बैंक भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन कर रहा है।

Manpower Profile

As at March 2020, the Bank had 58632 employees on its roll. The cadre-wise break-up of manpower is as follows:

Cadre	March 2019	March 2020
Officer	29882	32596
Clerk	19951	18353
Sub Staff*	8517	7683
Total	58350	58632

*includes Part Time Employees (PTEs)

Total staff strength of the Bank comprised of 56% Officers, 31% Clerks and 13% Sub Staff. The Women staff strength of the Bank was 18,167, constituting 31% of the employees. The total number of ex-servicemen staff as at March 2020 stood at 4,573. There were 1538 Physically Challenged Employees on the rolls of the Bank. During the year, the Bank recruited 3497 persons in various cadres, out of which 641 belonged to Scheduled Castes (SCs) and 256 to Scheduled Tribes (STs) categories. 197 ex-servicemen were recruited in various cadres during the year. 1129 women employees were recruited.

Reservation Policy in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disabilities

The composition of SCs / STs / OBCs / DAPs employees as at March 2020 was as under:

Grade	SCs	STs	OBCs	PWDs
Officer	5941	2586	9242	810
Clerk	3354	1174	5169	630
Sub Staff	2324	443	2216	98
Total	11619	4203	16627	1538

The Bank has been strictly adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with Disabilities as per the Government of India guidelines.

मानव संसाधन विकास (मानव संसाधन) गतिविधियाँ

- बदलते बैंकिंग परिदृश्य के अनुरूप बैंक की मानव संसाधन नीतियों को संशोधित किया गया है।
- हमारे बैंक का ई–लर्निंग पोर्टल, जिसका नाम "कैन्डल" (केनरा डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस) है, लॉन्च किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य हमारे कर्मचारियों को उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी ऑनलाइन शिक्षण सुविधा प्रदान करना रहा है। यह पोर्टल ऑनलाइन सीखने को सरल और सुगम बनाता है और सामग्री वितरण के संदर्भ में पारंपरिक प्रशिक्षण को भी पूरक बनाता है। यह पोर्टल बैंक के सभी कर्मचारियों, एकल खिड़की परिचालकों से लेकर शीर्ष स्तर के कार्यपालकों के लिए उपलब्ध है। वे पोर्टल में स्व-पंजीकरण कर सकते हैं और सभी संसाधनों को सुपुर्द कर सकते हैं, विभिन्न आयोजनों में भाग ले सकते हैं और पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से फ्रंटलाइन कर्मचारियों के बीच व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए **'सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम'** जैसी मानव संसाधन पहल शुरू की गई है।
- बैंक का बेंगलूरु में उत्कृष्टता कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय और देश भर में 25 क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय (क्षे.क.प्र.म) के साथ एक सुदृढप्रशिक्षण सेटअप है। इसके अलावा, लगभग 3000 कर्मचारियों को आईआईएम, एक्सएलआरआई - जमशेदपुर, आईडीआरबीटी हैदराबाद, टीआईएसएस - मुम्बई, एनआईबीएम - पुणे, एसआईबीएसटीसी - बैंगलोर, सीआरआईएसआईएल-मुंबई, फ्रैंकलिन-कोवे नोएडा और सीएबी (आरबीआई) पुणे जैसे प्रतिष्ठित (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) के वाह्य संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है।
- बैंक ने महत्व वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें ऋण प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए अभिमुखता / प्रेरण कार्यक्रम, कृषि विस्तार अधिकारी और विशेषज्ञ अधिकारी शामिल हैं।
- पदोन्नति पर, कार्यपालक अधिकारियों को आईआईएम, एक्सएलआरआई जमशेदपुर, टीआईएसएस मुंबई आदि जैसे संस्थानों में 05 से 07 दिनों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए भेजा जाता है।
- प्रबंध निदेशक व सीईओ के नेतृत्व में प्रशिक्षण सेटअप के लिए एक शासी निकाय बैंक की प्रशिक्षण नीतियों की निगरानी करता है और उन्हें सुव्यवस्थित करता है। प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन के रूप में शीर्ष प्रदर्शनियों के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2019–2020 के दौरान लगभग 320 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को वाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD) ACTIVITIES

- The HR policies of the Bank have been revised to suit the changing banking scenario.
- The e-Learning portal of our Bank, named "CanDLE" (Canara Digital Learning Experience) was launched. The objective of the project has been to provide an effective online learning facility for our employees for enhancing their knowledge and skills. The portal brings the ease and convenience of online learning and also supplements traditional training in terms of delivery of content. The portal is accessible to all the employees of the Bank, Right from Single Window Operators to Top Level Executives. They can self-register in the portal and refer all the resources, participate in various events and utilize the facilities available on the portal.
- HR initiatives like **'Soft Skill Training Program'** for bringing attitudinal change among frontline staff through reputed institutes have been introduced.
- The Bank has in place a robust Training Setup with the Apex Staff Training College at Bengaluru & 25 Regional Staff Training Colleges (RSTCs) across the country. In addition to this, around 3000 employees have been trained at external institutes of repute (domestic & international) like IIMs, XLRI-Jamshedpur, IDRBT-Hyderabad, TISS-Mumbai, NIBM-Pune, SIBSTC - Bangalore, CRISIL-Mumbai, Franklin - Covey Noida and CAB (RBI)-Pune.
- Bank has focused on the thrust areas, including Credit Management, Risk Management, Orientation/ Induction Program for Probationary Officers, Agriculture Extension Officers and Specialist Officers.
- Executives on promotion are sent for 05 to 07 days Leadership Development Programs at institutes like IIMs, XLRI Jamshedpur, TISS Mumbai etc.
- A Governing Body for the training setup, headed by the Managing Director & CEO monitors and streamlines the training policies of the Bank. A scheme for Training as Incentive to Top Performers has been formulated. Under the scheme, around 320 top performing officers were sent for training at External institutes during the FY 2019-2020.

ग्राहक उन्मुखीकरण

शीघ्र सेवा प्रदान करने के माध्यम से, विविध उत्पादों और सेवाओं को लाकर, ग्राहकों के सवालों के जवाब देकर और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण करके ग्राहक केंद्रित बने रहने के लिए कई पहल किए गए।

- ✓ भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा जारी 'ग्राहकों की प्रतिबद्धता का संहिता' और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) का 'संशोधित नागरिक चार्टर' बैंक के वेबसाइट के होमपेज **<www.canarabank.com>** पर उपलब्ध है।

- ✓ आईबीए और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने जुलाई 2015 से आरबीआई द्वारा दिए सलाह के अनुसार ग्राहक अधिकार नीति को अपनाया है, जो ग्राहकों के अधिकारों और बैंकर की जिम्मेदारियों को भी बताता है। शाखाओं द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, "शिकायत निवारण - केनरा बैंक में हम सुनना पसंद करते हैं" और **"ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण प्रपत्र"** बैंक की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया था।

- ✓ दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) की नियुक्ति की है, जो बैंक ग्राहकों के आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्य करता है।

- ✓ ग्राहक फोकस बढ़ाने के लिए, 'प्रोजेक्ट शिखर - शाखा परिवर्तन' अप्रैल 2014 से लागू किया गया है, जहाँ विभिन्न ग्राहक केंद्रित पहलें जैसे स्वागत डेस्क, कतार प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), एकल खिड़की परिचालन और 'ग्राहक प्रतीक्षा क्षेत्र' के लिए बड़े स्थान के आवंटन आदि के साथ-साथ स्वयं-सेवा कियोस्क (क्षेत्र को व्यक्त कर सकते हैं) को लगाया गया है।

- ✓ ग्राहक सुविधा को बढ़ाने के लिए, बैंक ने विभिन्न सेवाओं जैसे कि शेषराशि पूछताछ, लघु विवरणियाँ (अंतिम 5 लेन-देन), कार्ड की हॉट लिस्टिंग आदि के लिए आईवीआरएस (मिस्ड कॉल सुविधा) पर 24/7 स्वयं सेवा कार्य को लोकप्रिय बनाया है।

- ✓ शिकायतों के निवारण के लिए एक कॉल सेंटर एकल बिंदु संपर्क टोल फ्री नंबर 1800 425 0018 पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, बंगाली और पंजाबी जैसे 9 क्षेत्रीय भाषाओं में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

CUSTOMER ORIENTATION

Several initiatives were taken to remain customer focused through providing fast service, bringing in diversified products & services, responding to customers' queries and redressal of customer complaints.

- ✓ The 'Code of Commitment to Customers' issued by Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and 'Revised Citizen's Charter' of Indian Banks Association (IBA) are made available in the Bank's homepage of the website **<www.canarabank.com>.**

- ✓ As per the instructions of IBA and RBI, the Bank has adopted Customer Rights Policy as advised by the RBI since July 2015, which spells out the Rights of the Customers and also responsibilities of the Banker. To assess the quality of customer service rendered by the branches and to get the feedback, **"Grievance Redressal - At Canara Bank, We Love to Listen"** and a "Customer Satisfaction Survey Form" were made available in the Bank's website.

- ✓ As per the Damodaran Committee recommendations, the Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (CCSO), who acts as an Internal Ombudsman of the Bank. Customers.

- ✓ In order to enhance customer focus, 'Project Shikhar - Branch Transformation' is being implemented since April 2014 wherein various customer centric initiatives like Welcome Desk, Queue Management System (QMS), Single Window Operation and allocation of larger space for 'Customer Waiting Area' etc., along with self-service kiosks (CAN express area) are put in place.

- ✓ In order to enhance customer convenience, Bank has popularized 24/7 Self Service Functions on IVRS (Missed Call facility) for various services like Balance Enquiry, Mini Statement (last 5 transactions), Hot Listing of Cards etc.

- ✓ A Call Center with single point contact Toll free number 1800 425 0018 is also functioning to cater to customers in 9 regional languages, viz., Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Oriya, Telugu, Gujarati, Bengali and Punjabi besides Hindi and English for redressal of grievances.

- ✓ बैंक ने केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपीजीआरएस) पोर्टल के तहत ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट में ग्राहकों की ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा लागू की है। बैंक के कॉल सेंटर पर प्राप्त शिकायतों को भी सीपीजीआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया था, जो पेंशन से निपटने और पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया था।

- ✓ शाखा स्तर पर समाधान के लिए एक पूर्वनिर्धारित टर्न अराउंड टाइम 6 दिनों के लिए है और 7 वें दिन शिकायतें अगले उच्च प्राधिकारी के लिए स्वतः बढ़ जाती हैं।

- ✓ शिकायत के निपटान पर वेब लिंक के साथ एक एसएमएस ग्राहकों को समाधान के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए भेजा जाता है। 41 केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र खाता खोलने के उद्देश्यों के लिए चयनित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (ईबीटी) में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के लिए ग्राहक संरक्षण पर एक नीति बनाई है।

- ✓ हमारे बैंक ने शाखाओं में ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर को मापने के लिए एक एसएमएस आधारित ग्राहक सेवा प्रतिक्रिया तंत्र निकाला है। इस प्रतिक्रिया तंत्र का उपयोग काउंटरों पर ग्राहक सेवा के स्तर को मापने के लिए किया जाता है और हमारे ग्राहक सेवा चैंपियन को पुरस्कृत करने के लिए अंतर्दृष्टि को साबित करने में मदद करता है और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई भी करता है।

- ✓ पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए बैंक ने 'जीवन प्रमाण' ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। ग्राहकों की सुविधा के लिए 15जी / 15एच फॉर्म दाखिल करने की सुविधा नेट बैंकिंग के माध्यम से सक्षम है। हम सर्वोत्तम संभव ग्राहक सेवा का विस्तार करके अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आंतरिक लोकपाल

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने आंतरिक लोकपाल (आईओ) को उन शिकायतों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं। बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के नज़रिए से कि ग्राहकों की शिकायतों का निवारण बैंक के स्तर पर ही किया जाता है, आंतरिक लोकपाल तंत्र को शुरू किया गया है। आंतरिक लोकपाल ग्राहक की शिकायतों को संभालने वाले

- ✓ The Bank has implemented online grievance redressal facility of customers in the website for lodging grievances online under the portal Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS). The complaints received at the Call Centre of the Bank were also integrated with the CPGRS package, established exclusively for handling pensions and resolving pension related grievances.

- ✓ There is a pre-defined Turn Around Time for resolution at Branch Level for 6 days and on 7th day, grievances are auto escalated to next higher authority.

- ✓ On closure of grievance a SMS with web link is pushed to the customers, to submit his / her feedback regarding resolution. 41 Central Processing Centers are established at selected places for account opening purposes. The Bank has framed a policy on Customer Protection for limiting liability of customers in unauthorized Electronic Banking Transactions (EBT) in tune with the RBI guidelines.

- ✓ Our Bank has brought out an SMS based Customer Service Feedback mechanism to measure customer satisfaction levels at branches. This feedback mechanism is used to gauge the customer service levels over the counters and helps in providing insights for rewarding our customer service champions and also taking remedial actions, wherever required.

- ✓ Bank has introduced 'Jeevan Praman' online portal for submitting Life certificate for pensioners. Facility for filing Form 15G / 15H through Net banking is enabled for the convenience of customers. We are committed to increase our customer base by extending best possible customer service.

INTERNAL OMBUDSMAN

In terms of the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has appointed an Internal Ombudsman (IO) as an independent authority to review complaints that are partly or wholly rejected by the Bank. The IO mechanism is set up with a view to strengthen the internal grievance redresal system of the Bank and to ensure that the complaints of the customers are redressed at the level of Bank itself. The Internal Ombudsman reports

बैंक के प्रबंध निदेशक / कार्यकारी निदेशक को रिपोर्ट करता है। आंतरिक लोकपाल शिकायतों के मूल कारणों का पता लगाने के लिए कार्रवाई करने के लिए, शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण करने वाली बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को अपनी गतिविधियों की आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आंतरिक लोकपाल की सिफारिशों के आधार पर प्रक्रियाओं / दिशानिर्देशों पर जहां परिवर्तन आवश्यक हैं, वे भी किए गए हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के तत्वावधान में कई लोकसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ऑनसाइट आरबीआईए के कार्यक्रम के अनुसार सूचना आधारित प्रणाली लेखा परीक्षा (आईएस ऑडिट) के साथ 4605 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) संचालित की गई। समवर्ती / निरंतर ऑडिट 956 शाखाओं / सेवा इकाइयों में आयोजित किए गए, जिनमें से 440 शाखाएँ / सेवा इकाइयाँ आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती / निरंतर ऑडिट के अधीन थीं और 516 शाखाएँ / सेवा इकाइयाँ थीं। बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखा–परीक्षा के अधीन, बैंक के कुल कारोबार का 70% अग्रिम और 50% जमा को प्रावरित करते हुए। 410 शाखाएं तिमाही आधार पर आय / राजस्व लेखा–परीक्षा के अधीन थीं।

- ✓ लेखा–परीक्षा को सशक्त बनाने के हिस्से के रूप में, तीन पैमानों के तहत शाखाओं / सेवा इकाइयों को वर्गीकृत करने के लिए नीति को संशोधित किया गया है - निम्न, सामान्य, मध्यम और उच्च के मौजूदा चार पैमाने की रेटिंग के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईऐ) में कम, मध्यम और उच्च।

- ✓ बैंक में नवीनतम बदलावों और रुझानों को शामिल करने के लिए चेकलिस्ट को संशोधित करते हुए बैंक लगातार लेखा-परीक्षा पैकेज के उन्नयन की ओर जा रहा है। इसके अलावा, वर्तमान लेखा-परीक्षा प्रणाली संस्करण का नवीनीकरण आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप चेकलिस्ट को संशोधित करते हुए प्रभावी रूप से लागू किया गया था।

- ✓ बैंक ने धोखाधड़ी के संबंध में शून्य-सहनशीलता दिखाई है, तथा इस प्रक्रिया में बैंक ने निरीक्षण / लेखा परीक्षा संबंधी नीति को संशोधित किया है और तदनुसार वे शाखाएं जहां धोखाधड़ी का पता चला अथवा जहां गंभीर अनियमितताओं को देखा गया उन शाखाओं की श्रेणी को उच्च जोखिम के रूप में पुनः निर्धारित किया गया ताकि ऐसी शाखाओं / इकाइयों पर और अधिक नियंत्रण रखा जा सके।

to the Managing Director / Executive Director of the Bank handling customer grievances. The IO submits periodical reports on his activities to the Customer Service Committee of the Board analyzing the pattern of complaints, for taking action to address the root cause of complaints. Changes where necessitated on the procedures / guidelines have also been carried out based on the IO's recommendations. During the year, the Bank has conducted a number of Outreach Programmes under the auspices of Reserve Bank of India to create awareness on the Banking Ombudsman scheme at various locations.

INTERNAL CONTROL AND AUDIT

Risk based Internal Audits (RBIA) numbering 4605 were conducted along with Information System audit (IS Audit) across branches / service units as per the program for onsite RBIA for the FY 2019-20. Concurrent/ continuous audits were conducted in 956 branches / service units, of which 440 branches / service units were subjected to concurrent / continuous audit by Internal Auditors and 516 branches / service units were subjected to concurrent audit by External Auditors, covering 70% of Advances and 50% of Deposits of the total business of the Bank. 410 branches were subjected to income/ revenue audit on quarterly basis.

- ✓ As part of strengthening the audit process, policy has been revised to grade the branches / service units under three scales - LOW / MODERATE & HIGH in RBIA as against the existing four scale rating of LOW, NORMAL, MODERATE and HIGH.

- ✓ The Bank has been continuously going for upgradation of audit packages, duly revising the checklists to include latest developments and trends in the Bank. Further, the Concurrent Audit System version upgradation was effected duly revising the checklist in line with the RBI directions.

- ✓ Bank has shown NIL tolerance on frauds and in that process the Inspection / Audit policy of the bank has been revised and accordingly the branches where fraud has been detected or serious irregularities were observed the gradation was reassigned as "**High Risk**" to have more control on such branches / units.

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

वित्त-वर्ष 2014–15 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के बदले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हामारे बैंक को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) के अंतर्गत लाया गया है। वर्तमान में, बैंक ने जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के छठवें चक्र को पूर्ण किया है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षण को जोखिम और पूंजी के मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) के रूप में नामित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, बैंक के जोखिम का एक विस्तृत मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन ऑफ़-साइट और ऑन-साइट जोखिम खोज प्रक्रिया(आरडीवाई) के संयोजन के माध्यम से चालू आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया जाता है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / एएमएल / सीएफटी

बैंक केवाईसी / एएमएल / सीएफटी नियमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और इसकी अपूर्णता के प्रति बैंक की शून्य-सहनशीलता है। इसे सुनिश्चित करने हेतु, बैंक ने रोबस्ट प्रणाली और प्रक्रिया को स्थान दिया है। नामित व्यक्तियों / संस्थाओं के संबंध में नियामक द्वारा जारी की गई सलाह बारीकी से मानी जाती है। स्टॉफ़–सदस्यों को केवाईसी से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से नियमित प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।

राजभाषा कार्यान्वयन

बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और समीक्षा-वर्ष के दौरान विभिन्न स्तरों पर अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। मार्च 2020 तक, 88% से अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है तथा बैंक ने राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत शाखाओं की अधिसूचना की आवश्यकतानुसार गुन पालन किया है। ये सभी कर्मचारी जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं इन्हें हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यात्मक हिंदी में प्रशिक्षण प्राप्त हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान, बैंक ने ऐसी 336 कार्यशालाएं आयोजित की हैं। राजभाषा में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग के क्षेत्र में, यूनिकोड स्तर माध्यम से हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए बैंक ने वर्ड-प्रोसेसिंग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हुए यूनिकोड पैकेज उपयोग को बढ़ावा दिया है तथा साथ ही बैंक के एटीएम स्क्रीनों में 8 क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेन को करने को लेकर प्रावधान किया है। हिंदी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त, लेनदेन पर्चियां मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और मराठी में हमारे एटीएम से प्राप्त की जा सकती हैं (लेनदेन संबंधित भाषा में होने पर)।

सभी स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है यथा, प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, और बैंक की सभी शाखाओं में ताकि तिमाही आधार पर बैठकों का आयोजन करते हुए हिंदी के प्रयोग संबंधी प्रगति की समीक्षा की जा सके। एटा, आगरा, हाथरस, कोयम्बतूर, डिंढिगुल और तिरुवनंतपुरम में हमारा बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है और बैठकों का आयोजन यथासमय किया जा रहा है।

RISK BASED SUPERVISION

The Bank is brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI) from FY 2014-15. Presently, the Bank has completed the 6th cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by the RBI on an on-going basis through a combination of offsite and onsite Risk Discovery Process (RDY).

Know Your Customers (KYC) / AML / CFT

The bank is committed to implement the KYC / AML/ CFT norms in its completeness and has zero tolerance towards non-compliance. To ensure this, the bank has put robust systems and processes in place. Advisories issued by the regulators with respect to designated individuals/entities are scrupulously followed. Regular training is provided to staff members to increase their awareness on matters regarding KYC / AML / CFT.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank made noteworthy progress under the implementation of official language and won many prizes at various levels during the year under review. As at March 2020, more than 88% of employees possess working knowledge in Hindi and the Bank has complied with the requirement of notification of branches under Rule 10(4) of OL Rules 1976. All these employees who possess working knowledge in Hindi have been trained in functional Hindi through Hindi workshops. During the year under review, Bank has conducted 336 such workshops. In the sphere of using Information Technology in the Official Language, the Bank has furthered the use of Unicode package for word processing by training the employees for use of more and more Hindi through Unicode standard and also made provision in ATM screens of the Bank for carrying transaction in 08 Regional languages. Apart from Hindi and English, transaction slips can be obtained in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Punjabi and Marathi from our ATMs (Transactions done in concerned language).

Official Language Implementation Committees have been constituted at all levels i.e., Head Office, Circle Offices, ROs and in all the branches of the Bank for reviewing progress made in use of Hindi by conducting quarterly meetings promptly. Our Bank is the convener for the Town Official Language Implementation Committee at Etah, Agra, Hatharas, Coimbatore, Dindigul and Thiruvananthapuram and the meetings are being conducted promptly.

क्षेत्रीय भाषाओं में उल्लेखनीय पहल

हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा, ख और ग क्षेत्रों में हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया जा रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं में प्राप्त पत्रों का उत्तर संबंधित क्षेत्रीय भाषा में दिया जा रहा है।

कुछ मुख्य पहल निम्नानुसार हैं:

- ✓ ग्राहकों की सुविधा के लिए एटीएम लेनदेन 8 भारतीय भाषाओं में उअपल्ब्ध कराए गए हैं - तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम, बंगाली, पंजाबी।
- ✓ ख और ग क्षेत्रों में, राजभाषा नियमों के अनुसार सभी नामपट्ट, सूचना-पट्ट क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध कराए गए हैं।
- ✓ बैनरों और विज्ञापन - सामग्री में त्रिभाषी / द्विभाषी प्रारूप सुनिश्चित किया गया है।
- ✓ बैंक के विज्ञापन व नोटिस क्षेत्रीय समाचार पत्रों में संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किए जा रहे हैं।
- ✓ राजभाषा नियम के अनुसार, ख और ग क्षेत्र में हिंदी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिए जाते हैं।
- ✓ अंचल कार्यालयों की ओर से ग्राहकों को पत्र, वसूली नोटिस, स्वर्ण ऋण नोटिस आदि क्षेत्रीय भाषाओं में भेजते हैं।

खेलकूद के लिए प्रोत्साहन

केनरा बैंक सदा से ही खेलों को प्रोत्साहित और समर्थित करता आया है । साथ ही देश भर में खेलकूद-प्रतियोगिताओं को प्रायोजित करके, प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-राशि आदि प्रदान कर बैंक खेल संबंधी गतिबिधियों में उदारता से योगदान देता है। बैंक में खेल–कूद गतिविधियों पर नज़र रखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1982 में प्रधान कार्यालय में एक खेल परिषद को स्थापित किया गया था। बैंक ने खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए एक व्यापक बोर्ड द्वारा अनुमोदित खेल नीति को स्थान दिया है। एक पृथक और समर्पित खेल कक्ष भी स्थापित किया गया है जिसका प्रमुख एक खिलाड़ी होता है जो प्रधान कार्यालय खेल परिषद के संयोजक के रूप में कार्य करता है। कर्मचारियों के बीच प्रत्येक वर्ष इस खेल परिषद के तत्वाधान में खेल भावना, टीमवर्क आदि को मनोगत करने के लिए कर्मचारी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

Notable Initiatives in Regional Languages

Apart from Hindi and English, importance is being given to regional languages along with Hindi in B and C Regions. Letters are being replied in the regional language as and when received.

A few initiatives are as under:

- ✓ ATM Transactions are made available in 8 Indian Languages for the convenience of customers -Tamil, Telugu, Kannada, Marathi, Gujarati, Malayalam, Bengali, Punjabi.
- ✓ In 'B' Region and 'C' Region, as per the Official Language Rules all the name boards, informatory boards are made available in Regional Language also.
- ✓ Trilingual / Bilingual format in display of Banners and Publicity Material is ensured.
- ✓ Bank Advertisements and Notices in regional news papers are being published in concerned regional Languages.
- ✓ According to OL rules, importance is being given to Regional languages along with Hindi in B and C regions
- ✓ Circle offices are sending letters, recovery notices and Gold loan notices in regional Languages

PROMOTION OF SPORTS

Canara Bank has always been encouraging & supporting sports and contributed generously to sporting activities all over the country by sponsoring tournaments, providing scholarships to talented sports personalities, etc. A Sports Council at Head Office was setup in the year 1982 to monitor and encourage sports activities in the Bank. Bank has put in place a comprehensive Board approved Sports Policy for the development of Sports and Sportspersons in the Bank. A separate and dedicated Sports Cell is also setup, headed by a Sportsperson and who acts as Convener of Head Office Sports Council. Every year, under the aegis of this Sports Council, Employees Sports Competitions are held to inculcate sportsmen spirit and team work etc., amongst employees.

वर्तमान में बैंक के पास 6 खेलों की टीमें हैं।

श्रेणी	लिंग		सदस्य
	पुरुष	स्त्री	
एथलेटिक्स	-	5	5
गेंद बैडमिंटन	3	-	3
क्रिकेट	14	-	14
हॉकी	18	-	18
शटल बैडमिंटन	1	-	1
टेबल टेनिस	1	1	2
कुल	**37**	**06**	**43**

कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे बैंक में भूमिका निभा रहे हैं। उनमें कुछ मुख्य हैं श्री बी के वेंकटेश प्रसाद व श्री सुनील बी जोशी (क्रिकेट), श्रीमती एम के आशा व श्रीमती एच एम ज्योति (एथलेटिक्स), श्री पी सन्मुगम, श्री भरत कुमार चेत्री (कप्तान भारतीय हॉकी टीम, लंदन ओलंपिक 2012) और श्री के एम सोमन्ना (सीनियर हॉकी), श्री विनीत मनुआल (शटल बैडमिंटन)।

केनरा बैंक देश के उन चुनिंदा संस्थानों में से है जिन्हें सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय हॉकी चैंपियंशिप और सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय गेंद बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीधा प्रवेश मिला है। फरवरी 2020 के दौरान कोलकाता मे आयोजित अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारी सकल महिला एथलेटिक टीम को "सर्वश्रेष्ठ महिला टीम" और "सर्वश्रेष्ठ ट्रैक और फ़ील्ड महिला टीम" घोषित किया गया था।

प्रधान कार्यालय में टीमों के अतिरिक्त,बैंक द्वारा अंचल स्तर पर भी बजट प्रदान कर खेलकूद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और साथ ही कर्मचरियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन जो कि अंचल स्तरीय खेल परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

सतर्कता सेट-अप

मुख्य सतर्कता अधिकारी(सीवीओ) बैंक के सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं। अंचलों, आर आर बी, और बैंक सब्सीडरी में तैनात सतर्कता अधिकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी के सहायक के तौर पर कार्य करते हैं। बैंक में सतर्कता प्रबंधन में निवारक, निगरानी और पहचान, दंडात्मक और सुरक्षात्मक कार्य शामिल हैं।

28 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक हमारे बैंक में सतर्कता जागरुकता सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसका विषय था "ईमानदारी

The Bank is presently having teams in 6 disciplines.

Category	Gender		Members
	M	F	
Athletics	-	5	5
Ball Badminton	3	-	3
Cricket	14	-	14
Hockey	18	-	18
Shuttle Badminton	1	-	1
Table Tennis	1	1	2
TOTAL	**37**	**06**	**43**

The Bank has several National & International Sportspersons on its roles. Prominent amongst them are Shri B K Venkatesh Prasad & Shri Sunil B Joshi (Cricket), Smt M K Asha, & Smt H M Jyothi(Athletics), Shri P Shanmugam, Shri Bharath Kumar Chetri (Captain Indian Hockey Team, London Olympics-2012) & Shri K M Somanna (Senior-Hockey), Shri Vineet Manual (Shuttle Badminton).

Canara Bank is one of the few Institutions in the country to get direct entry to the Senior National Inter State Hockey Championships and Senior National Inter State Ball Badminton Championships. Our All Women Athletic Team was adjudged the "BEST WOMEN TEAM" and "BEST TRACK & FIELD WOMEN TEAM" at the All India Public Sector Athletic Championships held at Kolkata during Feb 2020.

Apart from the teams at Head Office, the Bank is also encouraging sports at Circle level by allotting Annual Budget for sports activities and also by organizing sports competitions for employees which are duly monitored by Circle level Sports Councils.

VIGILANCE SETUP

Vigilance Wing of the Bank is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO). The CVO is assisted by the Vigilance Officers stationed at Circles, RRBs and the Bank's Subsidiaries. Vigilance Management in the Bank includes preventive, surveillance and detection, punitive and proactive functions.

'Vigilance Awareness Week' was observed in our Bank from 28th October 2019 to 2nd November 2019, with

- एक जीवनशैली" और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों जैसे संगोष्ठी, कार्यशाला, ग्राहक शिकायत निवारण बैठकें, ग्राम पंचायतों में जागरुकता सभाएं, पैनल चर्चा, स्कूल और महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं (निबंध लेखन, वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी) आयोजित करने में सभी शाखाओं / कार्यालयों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक भारतीय लेखा मानक (भा.ले.मा.) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुगम अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति बनाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी पत्र संख्या: डीपीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन को अगले सूचना तक के लिए स्थकित किया है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को प्रो–फॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक, 'वन स्टॉप बैंकिंग' के उद्देश्य के साथ ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है, 1980 के दशक के अंत में अनुषंगिया खोलकर विधिक व्यवसायिक गतिविधियों मे भाग लिया। आज,विविध क्षेत्रों में नौ घरेलू अनुषंगिया / सहायक / संयुक्त उद्यम के साथ बैंक एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य करता है। सभी घरेलू अनुषंगिया / सहायक / संयुक्त उद्यम की वर्ष 2019–20 के दौरान संतोषजनक प्रस्तुति रही।

केनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल)

मेसर्स केनफिन होम्स लिमिटेड, केनरा बैंक की एक प्रायोजक इकाई है जो कि देश की श्रेष्ठ वित्तीय इकाइयों में से एक है। कंपनी के पास बैंक की 30% हिस्सेदारी है। मार्च 2020 तक कंपनी का ऋण बकाया ₹20708 करोड़ था। । कंपनी ने यथा 31.03.2020 को कर चुकौती के बाद 26.74% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ ₹376.12 करोड़ रुपये के मुनाफा कमाया, जो कि पिछले वर्ष ₹296.76 करोड़ था । कंपनी का सकल एनपीए ₹157.13 करोड (0.76%) था और शुद्ध अनर्जक आस्थि ₹111.82 करोड (0.54%) था। कंपनी ने वर्ष 2019–20 के लिए 100% लाभांश का प्रस्ताव रखा।

केनरा बैंक प्रतिभूति लिमिटेड (सीबीएसएल)

मेसर्स केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है । सीबीएसएल ने केनरा बैंक से डिपॉजिटरी

the theme "Integrity - A way of Life (ईमानदारी - एक जीवन शैली)" and all the Branches / Offices have actively participated in conducting various activities such as Seminars, Workshops, Customer Grievance Redressal Meetings, Awareness Sabhas in Gram Panchayats, Panel Discussions, Competitions in Schools / Colleges (viz. Essay Writing, Debate & Quiz Competitions) & Walkathon/ Marathons etc., to bring awareness in the Society about the ill effects of corruption.

Implementation of Indian Accounting Standards

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref : DBR. BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March,2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. Bank is submitting Pro-Forma Financial Statements to RBI for every quarter as per the guidelines of RBI.

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with nine Domestic Subsidiaries / Associate / Joint Venture in diversified fields. All the Domestic Subsidiaries / Associate / Joint Venture of the Bank recorded satisfactory performance during the year 2019-20.

CANFIN HOMES LIMITED (CFHL)

M/s Canfin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country. The bank holds 30% stake with the company. The loans outstanding of the Company as at March 2020 were ₹20708 crore. The Company earned a profit after tax of ₹376.12 crore as against ₹296.76 crore in theprevious year, with y.o.y growth of 26.74%. Gross NPAs of the Company was ₹157.13 crore (0.76%) and Net NPA was ₹111.82 crore (0.54%) as on 31.03.2020. The Company proposed 100% dividend for the year 2019-20.

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL)

M/s Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank.

पार्टिसिपेंट सेवाएं 01.04.2017 से मे. केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड डीपी ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। कंपनी संस्थागत और खुदरा दोनों ग्राहकों को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने इंस्टा डीमेट खाता, पहला पीएसयू डिपॉजिटरी प्रतिभागी का शुभारंभ किया है, जिसके पास इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से तत्काल डीमैट खाता खोलने की सुविधा है। कंपनी ने रुपये के कर के बाद लाभ की घोषणा की है। ₹22.71 करोड़ रुपये के मुकाबले। पिछले वर्ष में ₹9.71 करोड़ और वर्ष 2019-20 के लिए 42.50% का लाभांश घोषित किया।

केनरा आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएमसीआर)

मे. केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन लिमिटेड, मे. रोबेको ग्रुप एन वी के साथ एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें बैंक की धारिता 51% स्टेक है। इस संयुक्त उद्यम की स्थापना 2007 में मे.केन बैंक म्यूचुअल फंड के 49% स्टेक का विनिवेश मे. रोबेको एन वी के पक्ष में करके की गई है। यथा मार्च 2020 को 11.98 लाख निवेशक आधार के साथ कंपनी की प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्तियां ₹15823 करोड़ है। कंपनी वर्तमान में 28 म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन कर रही है, जिसमें गोल्ड एक्सचेंज फंड भी शामिल है। कंपनी ने वर्ष 2019–20 में 23.24 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया तथा 11% का लाभांश घोषित किया।

केनबैंक फैक्टरी लिमिटेड (सीएफएल)

मे. केनबैंक फैक्टरी लिमिटेड बैंक की फैक्टरिंग अनुषंगी है, जिसके पास बैंक की 70% हिस्सेदारी है। 2019-20 के दौरान, कंपनी का कुल कारोबार ₹1308 करोड़ का था। कंपनी ने पिछले वर्ष में ₹2.72 करोड़ रुपये के मुकाबले ₹4.44 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।

केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (च्वाइस) जीवन बीमा संयुक्त उद्यम है, जिसे बैंक ने एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग लिमिटेड और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर 2007 में शुरू किया था। संयुक्त उद्यम 16.06.2008 से आरंभ हुआ। इसका व्यवसाय संचालन, केनरा बैंक द्वारा 51% की बहुमत हिस्सेदारी के साथ, इसके बाद एचएसबीसी (26%) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (23%) ने किया। कंपनी ने ₹1528 करोड़ रुपये का नवीन व्यवसाय प्रीमियम और वर्ष के दौरान ₹3889 करोड़ का सकल प्रीमियम दर्ज किया। कंपनी ने 2019–20 के लिए ₹105 करोड़ रुपये का वैधानिक लाभ प्राप्त किया।

CBSL has taken over the Depository participant services from Canara Bank w.e.f. 01.04.2017. M/s Canara Bank Securities Ltd is extending Online Trading Facility to DP clients. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. Company has launched INSTA DEMAT ACCOUNT opening, the First PSU Depository Participant having the facility of opening of instant Demat A/c through Internet and Mobile Banking. The Company has declared a profit after tax of ₹22.71 crore as against ₹9.71 Cr in the previous year and declared a dividend of 42.50% for the year 2019-20.

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LIMITED (CRAMC)

M/s Canara Robeco Asset Management Company Limited is a joint venture (JV) with M/s Robeco Groep N V with the Bank's holding of 51% Stake. This JV was formed in 2007 divesting 49% Stake held by the bank in M/s Can Bank Mutual Fund in favour of M/s Robeco Groep N V. Total Assets under Management (AUM) was at ₹15823 crore with investor base of 11.98 lakhs as at March 2020. The Company is currently managing 28 Mutual Fund Schemes, including Gold Exchange Traded Fund. The Company has declared a net profit of ₹23.24 crore and declared a dividend of 11% for the year 2019-20.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL)

M/s Canbank Factors Limited is a factoring Subsidiary of the Bank with 70% stake held by the Bank. During 2019-20, the Company had a total business turnover of ₹1308 crore. The Company has made a profit of ₹4.44 crore as against ₹2.72 crore in the previous year.

CANARA HSBC ORIENTAL BANK OF COMMERCE LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

M/s Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd (CHIOCE) is a Life Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Oriental Bank of Commerce in the year 2007. The JV commenced its business operations with effect from 16.06.2008, with majority shareholding of 51% by Canara Bank, followed by HSBC (26%) and Oriental Bank of Commerce (23%). The Company recorded new business premium of ₹1528 crore and gross premium of ₹3889 crore during the year. The Company achieved a statutory profit of ₹105 crore for 2019-20.

केनबैंक वेंचर कैपिटल फ़ंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल)

मे. कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड, केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड की ट्रस्टी और प्रबंधक है तथा यह बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी हैं। कंपनी ने अब तक 5 निधियों के साथ ₹552.78 करोड़ रुपये का प्रबंधन किया है। सीवीसीएफएल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा, ₹2206 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ), जिसमें भारत सरकार से ₹2200 करोड़ रुपये के साथ केनरा बैंक से ₹5 करोड़ रुपये और सीवीसीएफएल से ₹1 करोड़ रुपये है, का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया है। "एम्पावर इंडिया फंड" नामक एक अन्य नए फंड को ₹650 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ व्यवस्थित किया जा रहा है। कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए पिछले वर्ष के ₹4.50 करोड़ रुपये के मुकाबले ₹5.02 करोड़ रुपये के कर के बाद लाभ दर्ज किया है।

कैनबैंक कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल)

मैसर्स कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें बैंक द्वारा 69.14% हिस्सेदारी है। सीसीएसएल मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, बीपीओ सेवाओं, एटीएम / किसी भी समय भुगतान सेवाओं, प्रशिक्षण, परामर्श और पंजीकरण व स्थानांतरण एजेंट (आर एंड टी एजेंट) में लगी हुई है। कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए पिछले वर्ष के ₹3.01 करोड़ रुपये के मुकाबले ₹3.94 करोड़ रुपये के कर के बाद लाभ दर्ज किया है।

कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (केनफिन)

मैसर्स कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड देय खातों के तहत् बकाया राशि की वसूली और प्रतिभूतियों में पिछले लेन-देन से संबंधित कानूनी मामले से संबंधित अपनी गतिविधियां नियंत्रित कर रही है। कंपनी ने लंबित मामलों में वसूली के साथ वर्ष 2019-20 के लिए ₹62.21 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी [हेफा]

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा), एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसे बैंक द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम शेयर धारक समझौते के तहत स्थापित किया गया है।

हेफा की स्थापना अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना सहित शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए की गई है, जिससे संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग तक पहुँचने में मदद मिली है। मा.सं.वि.मं. ने हेफा इक्विटी बेस के मौजूदा शासनादेश और वित्तपोषित संस्थानों की सीमा को बढ़ाया। अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर ₹10,000 करोड रुपये कर दिया गया है, जिसमें सरकार ₹5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक ₹500 करोड़ रुपये का योगदान देगा। 31.03.2020 तक, मा.सं.वि.मं. ने ₹4612.50 करोड़ रुपये की पूंजी और केनरा बैंक ने ₹461.25 करोड़ रुपये की

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL)

M/s Canbank Venture Capital Fund Limited is the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund and a wholly owned subsidiary of the Bank. The company has managed 5 funds so far with total Asset under Management of ₹552.78 crore. CVCFL has been appointed by the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) to manage the Electronic Development Fund (EDF) with a corpus of ₹2206 crore, with ₹2200 crore from Government of India, ₹5 crore from Canara Bank and ₹1 crore from CVCFL. Another new fund named as “Empower India Fund” is being setup with a target corpus of ₹650 crore. The Company recorded a profit after tax of ₹5.02 crore against the previous year ₹4.50 crore for the year 2019-20.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL)

M/s Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector Bank in the country, with a 69.14% shareholding by the Bank. CCSL is mainly engaged in IT and Software development services, BPO services, ATM / Any Time Payment services, Training, Consultancy and R&T agent. The Company has posted a profit after tax of ₹3.94 crore for 2019-20 as against ₹3.01 crore in the previous year.

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA):

M/s Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matters arising out of past transactions in securities and recovery of dues under decreed accounts. Company has posted a profit of ₹62.21 crore for the year 2019-20 with recovery in pending cases.

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY [HEFA]

Higher Education Financing Agency (HEFA), a not-for profit organization, is set up by the bank under a joint venture share holder agreement with the Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India.

HEFA has been set up for developing the educational infrastructure, including R&D infrastructure thereby enabling the institutions to reach top rankings globally. MHRD extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. The authorized capital has been increased to ₹10,000 crore wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5000 crore and Canara Bank will contribute ₹500 crore. As on 31.03.2020, MHRD has infused Capital of ₹4612.50 crore and Canara Bank has contributed

पूंजी का क्रमशः का योगदान दिया है। 31.03.2020 को स्वीकृत कुल ऋण ₹29233.84 करोड़ रु. और संवितरित ₹7630.10 करोड़ है। हेफा ने विभिन्न संस्थानों को ₹5095.09 करोड़ का ऋण संवितरित किया है और बैंक ₹50.95 करोड़ प्रबंधन शुल्क प्राप्त करने के लिए पात्र है।

राइज़ 2022 (2022 तक शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों को मजबूत) के तहत्, सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाओं का समावेश करने के लिए हेफा की भूमिका को बेहद विस्तारित किया गया है। इस मॉडल के तहत्, हेफा सभी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को आगे बढ़ाते हुए संस्थानों की बड़ी टोकरी का वित्तपोषण करेगी। अगले 4 वर्षों में ₹1,00,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। यह ऋण और इक्विटी के मिश्रण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। इक्विटी योगदान ₹10,000 करोड़ होने का अनुमान है और अवशिष्ट ₹90,000 करोड़ को बाजार से कर्ज के रूप में उठाया जाना है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

मार्च 2020 तक, बैंक के दो प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् केरल में केरल ग्रामीण बैंक और कर्नाटक में कर्नाटक ग्रामीण बैंक थे।

केरल ग्रामीण बैंक केरल राज्य के सभी 14 जिलों में 634 शाखाओं और 320 एटीएम के साथ काम करता है। मार्च 2020 तक केरल ग्रामीण बैंक का कुल कारोबार ₹37188 करोड़, जिसमें कुल जमा राशि ₹19276 करोड़ और अग्रिम ₹17912 करोड़ रुपये हैं।

कर्नाटक ग्रामीण बैंक कर्नाटक के 21 जिलों में 1142 शाखाओं और 236 एटीएम के साथ काम करता है। मार्च 2020 तक कर्नाटक ग्रामीण बैंक का कुल कारोबार ₹50236 करोड़ रुपये था और कुल जमा राशि ₹28436 करोड़ रुपये और अग्रिम ₹21800 करोड़ रुपये थे।

मार्च 2020 तक दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सकल व्यवसाय बढ़कर ₹87,424 करोड़ रुपये हो गया, जबकि सालभर में 7.33% की वृद्धि हुई थी, जिसमें ₹47712 करोड़ रुपये के जमा और ₹39712 करोड़ रुपये के अग्रिम शामिल थे। बैंक के बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से, मार्च 2020 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एटीएम सह डेबिट कार्ड सेवाओं और स्थापित 556 एटीएम / नकदी भुगतान मशीन (केरल ग्राणीण बैंक द्वारा 320 और कर्नाटक ग्रामीण बैंक द्वारा 236) जैसी सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 100% सीबीएस अनुरूप हैं और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, रुपेय डेबिट कार्ड सेवाओं और आधार समर्थित सेवाओं और अपने ग्राहकों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) / तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से प्रेषण सुविधा प्रदान करके प्रौद्योगिकी पक्ष के अंतर्गत अपने समकक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आगे है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने चेक ट्रंकेशन प्रणाली और ई–केवाईसी तकनीक को अपना रखा है।

₹461.25 crore respectively. The total loans sanctioned as on 31.03.2020 is ₹29233.84 crore and disbursed is ₹7630.10 crore HEFA has disbursed ₹5095.09 crore of loans to different institutions and bank is eligible to get ₹50.95 crore of Management Fee.

Under **RISE by 2022** (Revitalizing Infrastructure & Systems in Education (RISE) sector by 2022), HEFA's role is hugely expanded to cover all centrally funded institutions. Under this model, HEFA would be funding larger basket of institutions by moving all infrastructure financing. The investment proposed over the next 4 years is ₹1,00,000 crore This would be financed through a mix of debt and equity. The equity contribution is estimated to be ₹10,000 crore and the residual ₹90,000 crore is to be raised from the market in the form of debt.

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As at March 2020, the Bank had two sponsored RRBs, viz., Kerala Gramin Bank (KeGB) in Kerala and Karnataka Gramin Bank (KaGB) in Karnataka.

Kerala Gramin Bank (KeGB) operates in all the 14 districts of Kerala State with 634 branches and 320 ATMs. The total business of the KeGB was ₹37188 crores as at March 2020, comprising a total Deposits of ₹19276 crore and Advances of ₹17912 crores.

Karnataka Gramin Bank (KaGB) operates in 21 districts of Karnataka with 1142 branches & 236 ATMs. The total business of the KaGB was ₹50236 crores as at March 2020 with total Deposits of ₹28436 crores and Advances of ₹21800 crores.

Aggregate business of both the RRBs increased to ₹87,424 crores as at March 2020 with a y.o.y growth of 7.33 % comprising Deposits of ₹47712 crores and Advances ₹39712 crores. Through the Bank's infrastructure support, the RRBs are extending facilities, like, ATM cum Debit Card services and installed 556 ATMs / Cash Dispensers (320 by KeGB, 236 by KaGB) as at March 2020. The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front by extending IT based products, like Internet Banking, Mobile Banking, RuPay Debit Card services and also Aadhaar enabled services and remittance facilities through NEFT / RTGS to their customers. The RRBs have put in place Cheque Truncation System and e-KYC technology.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

संस्थापक सिद्धांतों और शताब्दी पुरानी परंपरा के अनुवर्तन में, बैंक विभिन्न कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में लगा हुआ है। बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने, मेधावी अ.जा. / अ.ज.जा. छात्राओं को छात्रवृत्ति, विद्यालयों की मरम्मत और जरूरतमंद शैक्षणिक संस्थानों को अन्य ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, पेयजल, सामुदायिक विकास, महिलाओं का सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत और अन्य सामाजिक पहलों जैसी बहुविध गतिविधियों का समावेश करती हैं। कुछ सामाजिक पहल नीचे उल्लिखित हैं।

- ✓ संचयी रूप से, बैंक ने 62 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित / सह–प्रायोजित किया है, जिन्होंने 74% के निपटान दर के साथ अब तक 8.83 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया है।
- ✓ बैंक ने अपने उत्पादों के विपणन के लिए महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों की सहायता के लिए 4 हाई–टेक, कस्टम–निर्मित, सौर ऊर्जा संचालित 'रिटेल मोबाइल मार्केटिंग वैन' का अनुदान किया है।
- ✓ मेधावी अ.जा / अ.ज.जा छात्राओं को केनरा विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल ₹3.34 करोड़ रुपये की राशि के उपभोग से 7392 छात्र लाभान्वित हुए है।
- ✓ बेहतर जीवन जीने के लिए दिव्यांगता (पीडब्ल्यूडी), बेघर और बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को गरीबी और कुपोषण से निपटने के लिए वित्तीय सहायता।

संसदीय समितियों द्वारा दौरा

वर्ष 2019–20 के दौरान, अधीनस्थ विधान से सम्बन्धित संसदीय समितियाँ, वाणिज्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित संसदीय समितियों ने अध्ययन यात्रा का आयोजन किया और बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की।

पुरस्कार / उपाधियाँ और उपलब्धियाँ

विभिन्न पहलों में, बैंक को वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

- ✓ केनरा बैंक ने अंतरराष्ट्रीय ब्रांड कंसल्टिंग कॉरपोरेशन, यू.एस.ए. द्वारा भारत की सर्वाधिक विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग सेवा कंपनी, 2019 पुरस्कार प्राप्त किया।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Following the founding principles and century old tradition, the Bank is engaged in varied Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR initiatives of the Bank are multifarious, covering activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC / ST Girl students, repair of schools and providing of other infrastructural facilities to needy educational institutes, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women, environment protection, Swachh Bharat and other social initiatives. A few social initiatives are outlined below.

- ✓ Cumulatively, the Bank has sponsored / co-sponsored 62 training institutes, which have trained more than 8.83 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 74%.
- ✓ The Bank has donated 4 hi-tech, custom- built, solar powered 'Retail Mobile Marketing Vans to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.
- ✓ Canara Vidya Jyothi Scholarship scheme to meritorious SC / ST Girl Students. During FY 2019-20, 7392 students have been benefitted utilizing a total amount of ₹3.34 Crores.
- ✓ Financial assistance for combating poverty & malnutrition to persons with disability (PWD), homeless and people affected by floods for supporting to lead a better life.

Visits by Parliamentary Committees

During the year 2019-20, Parliamentary Committees relating to Subordinate Legislation, Standing Committee on Commerce, Social Justice and Empowerment conducted study visit and reviewed the Bank's performance.

AWARDS / ACCOLADES & ACHIEVEMENTS

In recognition of the varied initiatives, the Bank was conferred with the following awards during the year 2019-20.

- ✓ Canara Bank received 'India's Most Trusted Public Sector Banking Services Company 2019' award by International Brand Consulting Corporation, USA.

- ✓ बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसन्धान संस्थान के बैंकिंग प्रौद्योगिकी नवाचार प्रतियोगिता में कैंडी शाखा ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार प्राप्त किया गया।
- ✓ केनरा दीया ने स्कोच अवाड्र्स 2019 में रजत जीता।
- ✓ प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अधिकांश ग्राहक–केंद्रित बैंक के लिए भारतीय बैंक संघ का 15 वां वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 प्राप्त किया गया।
- ✓ वित्तीय क्षेत्र की तकनीक में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों में से एक के लिए फिन्नोविटी 2020 का पुरस्कार कैन्डल (ई-लर्निंग) को मिला।
- ✓ केनरा बैंक ने आयकर अधिनियम के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) / स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) प्रावधानों के समय पर अनुपालन के लिए 'टैक्स डिडक्टोर ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता ।
- ✓ एमएसई के लिए उल्लेखनीय ऋणदाता के लिए - (सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक) पुरस्कार श्रेणी में 'सिडबी-ईटी इण्डिया एमएसई' पुरस्कार-2019 ।
- ✓ बैंक ने परिवार जन कल्याण समिति, दिल्ली द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन रत्न पुरस्कार प्राप्त किया ।

निदेशक में बदलाव, जिसमें प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं:

क्रम सं.	नाम पदनाम	पद	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1	श्री आर ए शंकर नारायणन	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	15.04.2019	31.01.2020
2	श्री एल.वी. प्रभाकर	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	01.02.2020	31.12.2022
3	श्री आर केशवन	भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक	26.04.2019	अगले आदेश तक
4	श्री एस रघुनाथ	अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक	21.10.2019	31.03.2020
5	श्री वेंकटचलम रामकृष्ण अय्यर	शेयरधारक निदेशक	27.07.2019 (पुनः निर्वाचित)	26.07.2022
6	श्री कृष्णमूर्ति एच	शेयरधारक निदेशक	27.07.2016	26.07.2019
7	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	शेयरधारक निदेशक	27.07.2019	26.07.2022
8	श्रीमती उमा शंकर	भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक	23.02.2015	25.04.2019

- ✓ Best innovation in Banking technology award for CANDI Branch received in IDRBT banking technology innovation contest.
- ✓ Canara DiYA won Silver in SKOCH Awards 2019.
- ✓ IBA's 15th Annual Banking Technology Award 2020 received for Most Customer-Centric Bank using Technology
- ✓ FINNOVITI 2020 award received for CANDLE for one of the best innovation in financial sectors' technology.
- ✓ Canara Bank won Tax Deductor of the Year Award for recognition of timely compliance to the TDS / TCS provisions of Income Tax Act.
- ✓ 'SIDBI-ET INDIA MSE AWARD-2019' for noteworthy Lender to MSE - (Public Sector Bank) Award Category.
- ✓ The Bank receieved Rajbhasha Kaaraynvayan Ratna Award by Parivartan Jan Kalyan Samiti, Delhi

Change in Director, including Managing Director/ Whole-time Director:

Sl No.	Name Designation	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation
1	Shri R A Sankara Narayanan	Managing Director & CEO	15.04.2019	31.01.2020
2	Shri L V Prabhakar	Managing Director & CEO	01.02.2020	31.12.2022
3	Shri R Kesavan	RBI Nominee Director	26.04.2019	Until further orders
4	Shri S Raghunath	Part-Time Non-Official Director	21.10.2019	31.03.2020
5	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	Shareholder Director	27.07.2019 (Re-elected)	26.07.2022
6	Shri Krishnamurthy H	Shareholder Director	27.07.2016	26.07.2019
7	Shri Bimal Prasad Sharma	Shareholder Director	27.07.2019	26.07.2022
8	Smt Uma Shankar	RBI Nominee Director	23.02.2015	25.04.2019

निदेशक मंडल
(वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / समाप्ति)

नियुक्ति:

केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (क) के तहत् **श्री आर ए शंकर नारायणन** को 15.04.2019 से उनकी सेवानिवृत्ति अर्थात 31.01.2010 तक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (क) के तहत् **श्री एल वी प्रभाकर** को 01.02.2020 से 31.12.2022 तक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ग) के तहत् **श्री आर केशवन** को 26.04.2019 से अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था ।

केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970, अनुछेद 9 (3) (3-ए) (एच) के तहत **श्री एस रघुनाथ** को दिनांक 21.10.2019 से 31.03.2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए, या बैंक के समामेलन तक अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था ।

केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970, अनुछेद 9 (3) (आई) के तहत 27.07.2019 से 26.07.2022 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए **श्री बिमल प्रसाद शर्मा** को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया ।

केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970, अनुछेद 9(3)(आई) के तहत 27.07.2019 से 26.07.2022 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए **श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर** को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में फिर से चुना गया ।

कार्यकाल की समाप्ति

श्री आर शंकर नारायणन द्वारा 31.01.2020 से अधिवर्षिता प्राप्त करने के बाद प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अवधि को समाप्त कर दिया गया ।

Board of Directors
(Appointment / Cessation of Directors during the year 2019-20)

Appointments:

Shri R A Sankara Narayanan was appointed as Managing Director and Chief Executive Officer w.e.f 15.04.2019, by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 till his superannuation i.e. 31.01.2020.

Shri L V Prabhakar was appointed as Managing Director and Chief Executive Officer w.e.f 01.02.2020, by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 upto 31.12.2022.

Shri R Kesavan was appointed as RBI Nominee Director w.e.f. 26.04.2019 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.

Shri S Raghunath was appointed as Part-time Non-official Director w.e.f. 21.10.2019 by the Central Government u/s 9 (3) (3-A) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of one year, or until the amalgamation of the Bank i.e. 31.03.2020.

Shri Bimal Prasad Sharma was elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 27.07.2019 u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years. i.e. upto 26.07.2022.

Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer was re-elected as Shareholder Director of the Bank w.e.f. 27.07.2019 u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years. i.e. upto 26.07.2022.

Cessations

Shri R A Sankara Narayanan ceased to be Managing Director and Chief Executive Officer w.e.f 31.01.2020 upon attaining the age of superannuation.

श्री आर केशवन की नियुक्त पर आरबीआई द्वारा नामित डायरेक्टर श्रीमती उमा शंकर के कार्यकाल को 25.04.2019 से समाप्त किया गया।

श्री एस रघुनाथ अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक को उनकी कार्यअवधि समाप्त होने पर 31.03.2020 से उनका कार्य समाप्त कर दिया गया।

श्री कृष्णमूर्ति एच शेयरधारक निदेशक को 27.07.2019 से उनके 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कार्य समाप्त कर दिया गया ।

निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण

निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वार्षिक लेखों की तैयारी में निम्नलिखित की पुष्टि की हैं:

- वार्षिक लेखा तैयार करने में, सामग्री के प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ ही लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था ।
- कि उन्होंने इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय व प्राक्कलन दिए जो कि उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति के बारे में और उसी अवधि के लिए बैंक के लाभ या हानि की सही और निष्पक्ष विचार दिया जा सके ।
- उनके द्वारा बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने के लिए भारत में बैंकों पर लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई थी ।
- उनके द्वारा वार्षिक खातों को चिंताजनक आधार पर तैयार किया गया था ।
- बैंक में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पिछले दिशानिर्देशों के अनुसार ही किया गया और इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं ।
- निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधान के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों को तैयार किया गया था और इस तरह के सिस्टम पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित थे ।

Smt Uma Shankar ceased to be RBI Nominee Director w.e.f. 25.04.2019 on the appointment of Shri R Kesavan.

Shri S Raghunath ceased to be Part-time Non-official Director w.e.f. 31.03.2020 on completion of his tenure.

Shri Krishnamurthy H ceased to be Shareholder Director w.e.f. 27.07.2019 on completion of his tenure of 3 years.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2020, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.
- Internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

सचिवियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लेखा परीक्षा

सेबी (एल.ओ.डी.आर.) विनियम, 2015 तथा सेबी के परिपत्र CIR/CFD/CMDI/27/2019, दिनांकित 08 फरवरी, 2019, में विनियम 24ए की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने 2019-20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में श्री विश्वनाथन प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सीओपी 5284) की नियुक्ति की है। उनकी रिपोर्ट में बैंक के सदस्यों को संबोधित किया गया जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है जो की बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

अभिस्वीकृति

बोर्ड अपने ग्राहकों को उनके द्वारा संरक्षण, शेयरधारकों के समर्थन, सरकारी अधिकारियों और भारतीय रिज़र्व बैंक के मूल्यवान निर्देशन एवं समर्थन, वित्तीय वर्ष की समीक्षा के तहत बैंक के निदेशकों को उनके लेखा कार्यकाल के दौरान, बैंक के प्रतिनिधि को भारत में तथा विदेशों में उनके सहयोग और सद्भावना के लिए और सभी कर्मचारी सदस्यों को संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता की खोज में उनके पूर्ण समर्थन के लिए प्रशंसा करता है।

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

SECRETARIAL AUDIT FOR FINANCIAL YEAR 2019-20

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMDI/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Mr. S. VISWANATHAN Practicing Company Secretary (COP 5284) as the Secretarial Auditor for 2019-20 and their report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेबी के 24ए (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के 24ए विनियम और सेबी परिपत्र: *CIR/CFD/CMD1/27/2020* दिनांक: 8 फरवरी, 2020 से संबंधित।

प्रेषक
सदस्य,
केनरा बैंक
112, जे सी रोड, टाउन हॉल
बेंगलूरु - 560 002
कर्नाटक

मैंने **केनरा बैंक** द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से आयोजित किया गया था, जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

मैंने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए मुझे उपलब्ध कराए गए,बैंक द्वारा बनाए गए बही , कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है ।

केनरा बैंक को निम्नलिखित विधानों और इनके समय–समय पर किए गए संशोधनों के तहत नियंत्रित किया जाता है:

1. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949
2. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970
3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
4. केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000।
5. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

केनरा बैंक के शेयरों / प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1(4)(सी) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधान बैंकिंग कंपनियों पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि जब तक

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31st, 2020

[Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular: CIR/CFD/CMD1/27/2020 Dated: February, 08 2020]

To,

The Members,
CANARA BANK
112, J C Road, Town Hall
Bengaluru - 560 002
Karnataka

I have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate governance practices by **CANARA BANK.** Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing my opinion thereon.

I have examined the books, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended, 31st March, 2020 and made available to me.

Canara Bank is a Nationalized Bank, governed under the following legislations, and as amended from time to time:

1. Banking Regulations Act, 1949
2. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
3. The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
4. Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000
5. Reserve Bank of India Act, 1934

The shares / securities of Canara Bank are listed with Stock Exchanges.

As per Section 1(4)(c) of the Companies Act, 2013, the provisions of the Act shall apply to Banking companies,

उक्त प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के साथ असंगत हैं

सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, केनरा बैंक द्वारा बनाए गए कार्यवृत्त पुस्तक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड और मेरे अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि, मेरी राय में, बैंक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए, ऑड-ईवन अवधि के दौरान, यहां उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी है कि बैंक के पास उचित तरीके से बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं, जिस तरह से और विषय में इसके बाद की गई रिपोर्टिंग:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और नियम बैंक के लिए लागू सीमा तक किए गए।

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और नियम बनाए गए

iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियमों और उपनियमों को भंग किया गया।

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियमों और विनियमों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक कर दिया।

v) पैरा 3 में उपर्युक्त बैंकिंग विधान

vi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी) के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं और समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचिबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ काम करने के बारे में

except in so far as the said provisions are inconsistent with the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)

Based on my verification of the minute books, forms and returns filed and other records maintained by Canara Bank and also the information provided by its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, I hereby report that, in my opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended 31st March, 2020, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder to the extent applicable to a Nationalized Bank.

ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the Rules made thereunder

iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings, if any.

v) Banking Legislations as mentioned above in Para 3

vi) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI) and as amended from time to time.

a) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

b) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue and listing of Debt Securities) Regulations, 2008

d) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचिबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर टू इश्यू) विनियम, 1994

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011

मैंने केनरा बैंक द्वारा अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केनरा बैंक द्वारा स्थापित **प्रणालियों और तंत्रों** की भी समीक्षा की है और निम्नलिखित प्रमुख मदों / समूहों के तहत वर्गीकृत किया गया है:

1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
3. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
5. उपदान संदाय अधिनियम, 1972
6. औद्योगिक विमोचन अधिनियम, 1947
7. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), 1946
8. नियोक्ता भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
9. बोनस संदाय अधिनियम, 1965
10. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881
11. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
12. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
13. दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953
14. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

"अन्य कानूनों" के बारे में, अन्य कानूनों के प्रावधान के अनुपालन के लिए उचित प्रणाली और तंत्र हैं।

मैंने बोर्ड बैठकों और सामान्य बैठकों से संबंधित इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ़ इंडिया (ICSI) द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानकों के लागू होने वाले नियमों के अनुपालन की भी जाँच की

e) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

f) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992

g) The Securities and Exchange Board of India (Banker to Issue) Regulations, 1994

h) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

I have also reviewed the **systems and mechanisms** established by Canara Bank for ensuring compliances under other applicable Acts, Laws, Rules, Regulations, Guidelines to the extent applicable to Canara Bank and categorized under the following major heads / groups:

1. Indian Contract Act, 1872
2. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
3. Payment of Wages Act, 1936
4. The Minimum Wages Act, 1948
5. Payment of Gratuity Act, 1972
6. Industrial Disputes Act, 1947
7. Industrial Employment (Standing Orders), 1946
8. Employers Provident Fund and Misc. Provisions Act, 1952
9. The Payment of Bonus Act, 1965
10. The Negotiable Instrument Act, 1881
11. Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
12. Maternity Benefits Act, 1961
13. Shops and Establishment Act, 1953
14. Trade Union Act, 1926

Regarding "Other laws", there are proper systems and mechanisms in place for Compliance with the Provisions of "Other laws".

I have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) relating

है – **बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 और बोर्ड बैठक और सामान्य बैठक से संबंधित अन्य लागू नियम, विनियम, परिपत्र, आरबीआई / भारत सरकार द्वारा समय– समय पर जारी और संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है ।**

मैं रिपोर्ट करता हूं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अन्य अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में कोई लेनदेन नहीं देखा गया:

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा 9(3) के तहत किया जाता है और, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (संशोधित) कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र / शेयरधारक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन संबंधित कृत्यों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बैंक के मामलों का प्रबंधन और संचालन बोर्ड के बोर्ड और उसकी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

1) लेखा परीक्षा समिति
2) सीएसआर समिति
3) नामांकन समिति
4) नामांकन और पारिश्रमिक समिति
5) जोखिम प्रबंधन समिति
6) एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी
7) हितधारकों के संबंध समिति

बोर्ड बैठकों , कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स अग्रिम रूप से भेजने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है,

to Board Meetings and General Meetings. **The Bank is complying with the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and other applicable rules, regulations, circulars, notification issued by RBI / GOI relating to Board Meeting and General Meetings, as amended from time to time.**

I report that during the period under review, the Bank has complied with the provisions of the applicable Other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, etc. mentioned above.

During the period under review, no transactions were observed relating to compliance with the provisions of the following Regulations:

a) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009

b) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998

I further report that

The Board of Directors of the Bank is duly constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of Undertaking} Act, 1970 (as amended) and, Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended) with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent / Shareholder Directors. The changes in the composition of Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the relevant acts.

The affairs of the Bank are managed / governed through the Board and its Committees of the Board.

1) Audit Committee
2) CSR Committee
3) Nomination & Remuneration Committee
4) Management Committee
5) Risk Management Committee
6) Asset Liability Management Committee
7) Stakeholders Relationship Committee

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda

और बैठक से पहले और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची के मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। ।

सदस्यों के विचारों को दर्ज करने और कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज करने के दौरान अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान, बैंक के पास प्रमुख विशिष्ट घटनाओं या कार्यों का पालन होता है जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में बैंक पर असर डाल सकते हैं।

1. वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित केनरा बैंक 2020 में सिंडिकेट बैंक के समामेलन की योजना, भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में दिनांक 04.03.2020 की अधिसूची हो गई, जो 01.04.2020 से लागू हो गई है।

2. बैंक ने दिनांक 04.12.2019 को **27,69,88,576** (सत्ताइस करोड़ उनहत्तर लाख अटासी हज़ार पाँच सौ छिहत्तर) इक्विटी के अंकित मूल्य ₹10 के इक्विटी शेयर प्रत्येक / के इश्यू मूल्य ₹237.23 रुपये (लागू प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार के बैंक के प्रमोटर को ₹6571 करोड़ रुपये प्रति शेयर प्रीमियम सहित, बैंक के प्रमोटर, भारत सरकार द्वारा पूंजीगत आसव की ओर, लागू प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया है ।

3. बैंक ने 11.03.2020 को ₹3000 करोड़ की राशि 7.18% अनसिक्योर्ड रेटेड लिस्टेड सबऑर्डिनेटेड नॉन कनवर्टेबल फुली पेड अप टैक्सेबल रिडीमेंबल बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्ड्स - सीरीज़ I 2019–20 को जारी और आवंटित किया है ।

एस. विश्वनाथन
कंपनी सचिव पेशेवर
एसीएस सं : 5284
सीपी सं : 5284
यूडीआईएन : A005284B000294837

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई, 2020

are sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decisions are carried through while dissenting members views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that, during the year under the review, Bank had following major specific events or actions which might have bearing on the Bank in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

1. Scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank 2020 notified by Ministry of Finance, GOI vide their notification dated 04.03.2020 in official gazette of India, which has come into force w.e.f. 01.04.2020.

2. The Bank has, on 04.12.2019, allotted **27,69,88,576** (Twenty Seven Crore Sixty Nine Lakhs Eighty Eight Thousand Five Hundred and Seventy Six only) equity shares of face value of ₹10/- each at an Issue Price of ₹237.23 (including premium of ₹227.23) per share aggregating to ₹6571 Crores to Government of India, Promoter of the Bank, towards capital infusion by GOI by way of preferential allotment, in accordance with the applicable provisions.

3. The Bank has on 11.03.2020, issued and allotted 7.18% Unsecured Rated Listed Subordinated Non-convertible Fully Paid-up Taxable Redeemable Basel III Compliant Tier II Bonds - Series I 2019-20 Bonds amounting to ₹3000 Crore.

S. Viswanathan
Practicing Company Secretary
ACS No: 5284
CP No: 5284
UDIN : A005284B000294837

Place : Bengaluru
Date : 29th May, 2020

अनुबंध क

सेवा में,
सदस्य,
केनरा बैंक

इस तिथि की मेरी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1) सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।

2) मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रिया का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। मेरा मानना है कि जिन प्रक्रिय और अभ्यास का मेने पालन किया है, उसे अपनी शय बनाने के लिए यथापि अधार प्राप्त हुआ।

3) मैंने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता–बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहाँ भी आवश्यक हो, मैंने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रत्यावेदन प्राप्त किया है।

5) कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

6) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

एस विश्वनाथन
कंपनी सचिव पेशेवर
एसीएस सं : 5284
सीपी सं : 5284
यूडीआईएन : A005284B000294837

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई, 2020

Annexure A

To,
The Members
CANARA BANK

My report of even date is to be read along with this letter.

1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on my audit.

2) I have followed the audit practices and process to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the process and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.

3) I have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

4) Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

5) The compliance of the Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedure on test basis.

6) The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

S Viswanathan
Practicing Company Secretary
ACS No: 5284
CP No: 5284
UDIN : A005284B000294837

Place : Bengaluru
Date : 29th May, 2020

कारोबार दायित्व रिपोर्ट 2019–20
(सूचीबद्धता करार के अनुच्छेद 55 के अंतर्गत)

भाग ए : बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

1. **कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) :**
2. **कंपनी का नाम:** केनरा बैंक
3. **पंजीकृत पता:** केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड, बेंगलूरु: 560 002
4. **वेबसाइट:** www.canarabank.com
5. **ई मेल आईडी :** edscrt2@canarabank.com
6. **सूचित वित्तीय वर्ष:** 2019-20
7. **क्षेत्र (त्रों) जिसमें कंपनी (औद्योगिक गतिविधि कोड वार) लगी हुई है:** वित्तीय सेवाएँ, मुख्य रूप से बैंकिंग।
8. **तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची, जिसका कंपनी विनिर्माण करती है / प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार):** 1. थोक बैंकिंग 2. खुदरा बैंकिंग 3. ग्रामीण और कृषि–बैंकिंग ।
9. **उन स्थानों की संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधि की जाती है।**

   I. **अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या**
   (प्रमुख 5 का विवरण प्रदान करें)
   लंदन (यूनाइटेड किंगडम)
   हांग कांग (हांग कांग)
   न्यूयॉर्क (यूएसए)
   दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई ।
   जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका)।

   II. **राष्ट्रीय स्थानों की संख्या: 6329**

10. **कंपनी द्वारा सेवारत बाजार - अंतर्राष्ट्रीय**

    उपरोक्त बिंदु संख्या 9 (i) के तहत उल्लिखित स्थानों के अलावा, बैंक का शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में एक प्रतिनिधि कार्यालय, मॉस्को, रूस में एसबीआई के साथ एक संयुक्त उद्यम बैंक, अर्थात, वाणिज्यिक बैंक ऑफ इंडिया, एलएलसी और दार–एस–सलाम, तंजानिया में, पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी अर्थात केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड (सीबीटीएल) है ।

भाग बी : कंपनी का वित्तीय विवरण

1. **प्रदत्त पूंजी (आईएनआर): ₹1030.23 करोड़**
2. **कुल व्यापार / कुल कारोबार (आईएनआर):** ₹10,76,574 करोड़– कुल जमा: ₹6,25,351 करोड़ + निवल अग्रिम: ₹4,32,175 करोड़।

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2019-20
(Under Clause 55 of Listing Agreement)

Section A: General Information about the Bank

1. **Corporate Identity Number (CIN) of the Company:**
2. **Name of the Company:** Canara Bank
3. **Registered Address:** Canara Bank, Head Office, 112, J C Road, Bengaluru - 560 002
4. **Website:** www.canarabank.com
5. **E-mail Id:** edscrt2@canarabank.com
6. **Financial Year Reported:** 2019-20
7. **Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise):** Financial Services, mainly banking.
8. **List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet):** 1. Wholesale Banking 2. Retail Banking 3. Rural and Agri-Banking
9. **Total number of locations where business activity is undertaken by the Company.**

   I. **Number of international locations:**
   (Provide details of major 5)
   London (United Kingdom)
   Hong Kong (Hong Kong)
   New York (USA)
   Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai.
   Johannesburg (South Africa)

   II. **Number of national locations: 6329**

10. **Markets served by the Company - International**

    Besides locations mentioned under Point No.9(i) above, the Bank has a Representative Office at Sharjah, UAE, a Joint Venture Bank with SBI in Moscow, Russia, viz., Commercial Bank of India, LLC and a wholly owned subsidiary at Dar-es-salaam, Tanzania, viz. Canara Bank Tanzania Ltd (CBTL).

Section B: Financial details of the Company

1. **Paid-up Capital (INR): ₹ 1030.23 Crores**
2. **Total Turnover/Total Business (INR):** ₹10,76,574 Crores. Total Deposits: ₹6,25,351 Crores + Net Advances: ₹4,32,175 Crores

3. कर अदायगी के बाद कुल लाभ: ₹2,236 करोड़ एकल (विवरण तैयार होने पर अद्यतन किया जाएगा)

4. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर व्यय : स्वीकृत परियोजनाएं: ₹26.82 करोड़, उपयोग: ₹20.49 करोड़।

5. 2019–20 के दौरान सीएसआर के तहत स्वीकृत गतिविधियों की सूची : वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर के तहत निधियों की क्षेत्रवार मंजूरी /उपयोग : समेकन (लाखों ₹ में)

क्र. सं.	क्रियाकलाप	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
क	शिक्षा	909.78	374.60
ख	स्वास्थ्य	340.26	260.21
ग	गरीबी व पोषण	15.70	15.70
घ	कौशल विकास	921.7	921.7
ङ	स्वच्छ भारत	22.05	22.05
च	ग्रामीण विकास	85.34	67.34
छ	महिला सशक्तिकरण	46.49	46.49
ज	वित्तीय साक्षरता	292.41	292.41
झ	खेल, दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) एवं अन्य गतिविधियां	49.13	49.13
	कुल	**2682.86**	**2049.63**

स्वीकृत सीएसआर परियोजनाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण :

(क) शिक्षा क्षेत्र (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक की ग्रामीण, अर्द्धशहरी, शहरी शाखाएं	सरकारी विद्यालयों की कक्षा 5 से 10वीं तक के मेधावी अ.जा. – अ.ज.जा छात्राओं के लिए – केनरा विद्याज्योति छात्रवृत्ति	400.00	334.32
2	जामिया कस्मिया अरबी कॉलेज	गरीब बच्चों हेतु शिक्षा	1.00	1.00
3	मुगावरी फाउंडेशन	कॉलेज के छात्रों की शिक्षा	1.00	1.00

3. **Total Profit after Taxes:** ₹2,236 Crores (Loss) Stand-alone

4. **Spending on Corporate Social Responsibility (CSR):** Sanctioned projects: ₹26.82 Crores, Utilized: ₹20.49 Crores.

5. List of activities sanctioned under CSR during 2019-20: Sector-wise sanction / utilization of funds under CSR during the financial year 2019-20: Consolidation (₹ in lakhs)

Sl. No.	Activity	Amount sanctioned	Amount utilized
a	Education	909.78	374.60
b	Health	340.26	260.21
c	Poverty & Nutrition	15.70	15.70
d	Skill Development	921.70	921.70
e	Swachh Bharat	22.05	22.05
f	Rural Development	85.34	67.34
g	Women Empowerment	46.49	46.49
h	Financial Literacy	292.41	292.41
i	Sports, Persons with Disability (PWD) & other activities	49.13	49.13
	Total	**2682.86**	**2049.63**

Sector-wise classification of CSR projects sanctioned:

(a) Education Sector (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	Rural, Semi Urban & Urban Branches of Canara Bank	Canara Vidya Jyothi Scholarship to meritorious SC-ST girl students V to X std. of Govt. schools	400.00	334.32
2	Jamaiah Qasmiyah Arabic College	Education for Poor Children	1.00	1.00
3	Mugavari Foundation	College Students Education	1.00	1.00

4	उमलिंग उच्च प्राथमिक विद्यालय	मेघालय में शौचालय का निर्माण और 8 पंखों का दान	1.09	1.09
5	सरकारी उच्च विद्यालय पैलेस, गुट्टाहल्ली	20 मेज	1.46	1.46
6	वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति, गाजियाबाद	मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण	1.50	1.50
7	श्री मुनेश्वर स्वामी चैरिटी एंड एजुकेशन ट्रस्ट	सामग्री के साथ स्मार्ट क्लास इंटरेक्टिव बोर्ड	1.69	1.69
8	विवेकानंद केंद्र विद्यालय, जिगनी	यूपीएस व बैटरी	1.94	1.94
9	बोधानंद मेमोरियल एलपीएस कूर्कन्चेरी	फर्श व ट्रस्ट कार्य हेतु	2.00	2.00
10	केनरा बैंक शिक्षा निधी	बुक बैंक	5.00	5.00
11	एक्सटेंशन मिडिल स्कूल, तुत्तुकुडी	विद्यालय भवन का नवीनीकरण	15.00	6.50
12	शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत केनरा बैंक के विभिन्न शाखाओं / क्षे. का. / अं. का. द्वारा सीएसआर गतिविधियाँ	किताबें / स्कूल बैग / स्कूल / फर्नीचर / वर्दी का निर्माण	478.09	17.09
	कुल		**909.78**	**374.60**

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्र (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1	उपायुक्त पलामू	रक्तदान कुर्सी का दान	1.03	1.03
2	बीच हॉस्पिटल कालीकट	क्रैश कार्ट व मैकेनाइज्ड फ़्लोर क्लीनर	3.22	3.22
3	बंटारगल्ली गाँव, ग्राम पंचायत	आरओ वाटर प्लांट की स्थापना	3.56	3.56

4	Umling Upper Primary School	Construction of toilets at Meghalaya & donation of 8 fans	1.09	1.09
5	Govt. High School, Palace Guttahalli	20 desks	1.46	1.46
6	Varishta Nagari Seva Samiti, Ghaziabad	Distribution of scholarship to Meritorious Girl Students	1.50	1.50
7	Sri Muneshwara Swamy Charity and Education Trust	Smart Class Interactive Board with contents	1.69	1.69
8	Vivekananda Kendra Vidyalaya, Jigani	UPS and Batteries	1.94	1.94
9	Bodhananda Memorial LPS Koorkencherry	For Flooring & Trust Work	2.00	2.00
10	Canara Bank Jubilee Education Fund	Book Banks	5.00	5.00
11	Extension Middle School, Thoothukudi	Renovation of school building	15.00	6.50
12	CSR activities at various Branches/ ROs/ COs of Canara Bank under Education Sector	Books / School Bags/ Construction of School / Furniture / Uniforms	478.09	17.09
	Total		**909.78**	**374.60**

(b) Health Sector (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	Deputy Commissioner, Palamu	Donation of Blood Donation Chair	1.03	1.03
2	Beach Hospital, Calicut	Crash Carts & Mechanised Floor Cleaner	3.22	3.22
3	Bantargalli Village Grama Panchayath	Installation of RO Water Plant	3.56	3.56

4	न्यू आर्क मिशन–होम ऑफ डेस्टिच्यूट	सेमी फाउलर– हॉस्पिटल कॉट	4.50	3.55
5	सिस्टर्स ऑफ चैरिटीज	मारुति ईको एम्बुलेंस	6.92	6.92
6	पैलियम इंडिया	मारुति एर्टिगा वाहन	9.52	9.52
7	रामकृष्ण मिशन आश्रम – विवेकानंद नेत्रालय	अल्कॉन लिजन फेकोइम ल्सिफिकेशन मशीन – नेत्र जाँच माइक्रोस्कोप	19.00	19.00
8	श्री पेजावर अधोक्षज ट्रस्ट	अस्पताल का निर्माण	211.00	211.00
9	स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत केनरा बैंक के विभिन्न शाखाओं / क्षे. का. / अं.का. में सीएसआर गतिविधियाँ	विभिन्न स्वास्थ्य परियोजानाओं को सहयोग	81.51	2.41
	कुल		**340.26**	**260.21**

(ग) गरीबी व पोषण (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1	पुणे अंचल कार्यालय	सांगली नगर निगम को कपड़े, कंबल और कार्यालय मेज के आठ सेट	1.16	1.16
2	त्रिवेंद्रम अंचल कार्यालय	मलप्पुरम में बाढ़ राहत गतिविधियाँ	1.67	1.67
3	पुणे अंचल कार्यालय	खाद्य, बुनियादी फार्मास्यूटिकल्स और आवश्यक स्वच्छता सामग्री	1.80	1.80
4	राज्य परियोजना निर्देशक सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्न भोजन	10000 खाने की प्लेट	1.96	1.96

4	New Ark Mission- Home of Destitutes	Semi Fowler- Hospital Cots	4.50	3.55
5	Sisters of Charities	Maruti Echo Ambulance	6.92	6.92
6	Pallium India	Maruti Ertiga Vehicle	9.52	9.52
7	Ramakrishna Mission Ashram- Vivekananda Netralaya	Alcon legion Phacoemul sification Machine - Eye Testing Microscope	19.00	19.00
8	Sri Pejavara Adhokshaja Trust	Construction of Hospital	211.00	211.00
9	CSR activities at various branches/ ROs/ COs of Canara Bank under health sector	Support to various Health Projects	81.51	2.41
	Total		**340.26**	**260.21**

(c) Poverty & Nutrition (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	Pune CO	Clothes, blankets and eight sets office tables to Sangli Municipal Corporation	1.16	1.16
2	Trivandrum CO	Flood relief activities at Malappuram	1.67	1.67
3	Pune CO	Food, Basic Pharma ceuticals & Essential Sanitary items	1.80	1.80
4	Rajya Pariyojna Nirdeshak Sarwa Shiksha Abhiyan, Madhyaan Bhojan	10000 Eating Plates	1.96	1.96

5	गरीबी और पोषण क्षेत्र के तहत केनरा बैंक के विभिन्न शाखाओं/क्षे का / अंका में सीएसआर गतिविधियाँ	असहायों को पानी फिल्टर, कपड़े, रेफ्रिजरेटर आदि	9.11	9.11
	कुल		**15.70**	**15.70**

5	**CSR activities at various branches/ ROs/ COs of Canara Bank under Poverty and Nutrition**	Water filters, clothes, refrigerators etc. for under privileged	9.11	9.11
	Total		**15.70**	**15.70**

(घ) कौशल विकास (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सीबीसी आरडीटी)	पूरे भारत में 23 आरसेटी 3 कारीगर प्रशिक्षण संस्थान और 5 सीबीआईआईटी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण, एटा, कासगंज और डिंडिगुल में आरसेटी भवनों का निर्माण व्यय	762.81	762.81
2	ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेटी)	पूरे भारत में 27रूडसेटी के कौशल विकास प्रशिक्षण पर व्यय	128.56	128.56
3	देशपांडे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (डी – आरसेटी), हलियाल	कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय	15.33	15.33
4	ग्रामीण व उद्यमिता विकास बैंकर्स संस्थान (बीआईईआरडी)	कौशल विकास प्रशिक्षण व्यय	15.00	15.00
	कुल		**921.70**	**921.70**

(d) Skill Development (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	**Canara Bank Centenary Rural Development Trust (CBCRDT)**	Skill Development Training through 23 RSETIs, 3 Artisan Training Institutes and 5 CBIITs all over India and construction expenses of RSETI buildings at Etah, Kasganj & Dindigul	762.81	762.81
2	**Rural Development & Self Employment Training Institute (RUDSETI)**	Skill Development Training expenditure of 27 RUDSETIs all over India	128.56	128.56
3	**Deshpande Rural Self Employment Training Institute (D-RSETI), Haliyal**	Skill Development Training expenditure	15.33	15.33
4	**Bankers Institute of Rural and Entrepreneurship Development (BIRED)**	Skill Development Training expenditure	15.00	15.00
	Total		**921.70**	**921.70**

(ड) स्वच्छ भारत (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1	डी आर डी ए तिरुपुर	शौचालय निर्माण	1.00	1.00
2	अक्षय पात्र फाउंडेशन	हाई प्रेशर क्लीनर	1.05	1.05
3	जिला न्यायालय, देवरिया	वाटर कूलर की स्थापना के लिए शेड निर्माण व सिविल कार्य के साथ जलशोधक वाटर प्योरिफायर सहित वाटर कूलर।	1.39	1.39
4	जीवीईजेडपीजीएच स्कूल धर्मावरम	जल शोधक संयंत्र और 30 पंखे का दान	1.48	1.48
5	इरोड नगर निगम	शौचालय निर्माण	2.00	2.00
6	स्वच्छ भारत के तहत केनरा बैंक के विभिन्न शाखाओं/ क्षे का / अंका में सीएसआर गतिविधियाँ	विभिन्न स्वच्छ भारत परियोजनाएं	15.13	15.13
	कुल		**22.05**	**22.05**

(e) Swachh Bharat (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	**DRDA, Tiruppur**	Construction of Toilets	1.00	1.00
2	**Akshaya Patra Foundation**	High Pressure Cleaners	1.05	1.05
3	**District Court, Deoria**	Water Cooler with Purifier & civil work construction of shed for installation of water cooler	1.39	1.39
4	**GVEZPGH School, Dharmavaram**	Donation of Water Purifier Plant and 30 Fans	1.48	1.48
5	**Erode Municipal Corporation**	Construction of Toilets	2.00	2.00
6	**CSR activities at various Branches/ ROs/COs of Canara Bank under Swachh Bharat**	Various Swachh Bharat Projects	15.13	15.13
	Total		**22.05**	**22.05**

(च) ग्रामीण विकास क्षेत्र (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1	क्षेत्रीय कार्यालय एरणाकुलम	पिझला गाँव के ग्रामीणों को कपड़े के थैले	1.10	1.10
2	श्री कपिलेश्वर देव मंदिर	अतिथि गृह का निर्माण	2.00	2.00
3	जिला पंचायत, रायपुर	एनआरएलएम के तहत लाभार्थियों के लिए चप्पल बनाने वाली मशीन	5.00	5.00

(f) Rural Development Sector (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilised
1	**RO, Ernakulam**	Cloth bags to villagers of Pizhala village	1.10	1.10
2	**Sri Kapileswar Dev Temple**	Construction of Guest House	2.00	2.00
3	**Zilla Panchayat, Raipur**	Slippers making machine for beneficiaries under NRLM	5.00	5.00

4	तमिलनाडु निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निर्माण	10.00	10.00
5	आदिचुंचनगिरी शिक्षण ट्रस्ट	ट्रैवेलर्स स्कूल वैन	16.00	16.00
6	मेसर्स प्रत्यक्ष चैरिटेबल ट्रस्ट	अमर कंटक भोपाल में बहु सुविधा केंद्र का निर्माण	18.00	0.00
7	टी डब्ल्यू ए डी बोर्ड	वर्षा जल संचयन का निर्माण	25.00	25.00
8	ग्रामीण विकास क्षेत्र के तहत केनरा बैंक के विभिन्न शाखाओं/ क्षे.का./ अंका में सीएसआर गतिविधियाँ	विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम	8.24	8.24
	कुल		**85.34**	**67.34**

(छ) महिला सशक्तिकरण (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1	सीईडी कक्ष द्वारा अंचल कार्यालय व प्रधान कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम	महिला उद्यमिता, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता – कैन बाजार आदि हेतु कार्यक्रम।	46.49	46.49
	कुल		**46.49**	**46.49**

(ज) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर राशि	प्रयुक्त राशि
1	मेसर्स केनरा वित्तीय सलाहकार न्यास / साक्षरता केंद्र	केनरा बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से विभिन्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम	292.41	292.41
	कुल		**292.41**	**292.41**

4	**Tamilnadu Construction Workers Welfare Board**	Construction of Storm Water Drain	10.00	10.00
5	**Adichunchana giri Shikshana Trust**	Travellers School Van	16.00	16.00
6	**M/s Pratyaksha Charitable Trust**	Construction of Multi-facility centre, Amarkantak, Bhopal	18.00	0.00
7	**TWAD Board**	Construction of Rainwater Harvesting	25.00	25.00
8	**CSR activities at various branches/ ROs/ COs of Canara Bank under rural development sector**	Various Rural Development Programmes	8.24	8.24
	Total		**85.34**	**67.34**

(g) Women Empowerment (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	**Programmes conducted by CED cells at CO & HO**	Programmes towards Women Entre preneurship, Skill Training, Marketing assistance - Can Bazaars, etc.	46.49	46.49
	Total		**46.49**	**46.49**

(h) Financial Literacy Programmes (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	**M/s Canara Financial Advisory Trust/Literacy Centers**	Various Financial Literacy Programmes through Financial Literacy Centres of Canara Bank	292.41	292.41
	Total		**292.41**	**292.41**

(झ) खेलकूद, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) व अन्य क्षेत्र (₹ लाखों में)

क्र. सं.	दानग्राही / आयोजक का नाम	उद्देश्य	मंजूर की गई राशि	प्रयुक्त राशि
1	केनरा बैंक अ.जा/ अ ज जा. कल्याण संघ	खेलकूद	1.00	1.00
2	कलेक्ट्रेट, त्रिशूर	2 मोटर चालित व्हील चेयर	1.00	1.00
3	स्वतंत्रता दिवस समारोह	प्रधान कार्यालय में गतिविधियां	1.12	1.12
4	जेड पी एच स्कूल, वेलातूर	बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण	1.20	1.20
5	तमिझागा पेंगल इयाक्कम	वृक्षारोपण	1.25	1.25
6	पुलिस अधीक्षक जगतियाल	चालक / यातायात प्रशिक्षण सिमुलेशन प्रणाली की खरीद	2.00	2.00
7	वेल्लोर जिला कलेक्ट्रेट	वनीकरण गतिविधियाँ	2.00	2.00
8	नेत्रहीन के लिए स्नेहदीप ट्रस्ट	नेत्रहीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन	2.43	2.43
9	हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन	नेत्रहीन छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण	6.00	6.00
10	केनरा बैंक राहत और कल्याण सोसाइटी	ब्रेल सेंटर गतिविधियाँ	5.00	5.00
11	ए ए डी आई	मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण	5.13	5.13

(i) Sports, Divyang (PwD) & Other Sectors (₹ in lakhs)

Sl. No.	Name of Donee/ Organised by	Purpose	Amount sanctioned	Amount utilized
1	**Canara Bank SC / ST Welfare Association**	Sports	1.00	1.00
2	**Collectorate, Thrissur**	2 Motorised Wheel Chairs	1.00	1.00
3	**Independence Day Celebration**	Activity at HO	1.12	1.12
4	**ZPH School, Vellatur**	Basketball Court construction	1.20	1.20
5	**Thamizhaga Pengal Iyakkam**	Planting Tree Saplings	1.25	1.25
6	**Superin-tendent of Police, Jagtial**	Purchase of Driver / Traffic Training Simulation System	2.00	2.00
7	**Vellore Dist. Collectorate**	Afforestation activities	2.00	2.00
8	**Snehadeepa Trust for Disabled**	For conducting International Football Tournament for the Blind	2.43	2.43
9	**Help the Blind Foundation**	Computer training to Blind Students	6.00	6.00
10	**Canara Bank Relief & Welfare Society**	Braille Centre activities	5.00	5.00
11	**AADI**	Skill Development Training to Mentally & Physically Challenged Students	5.13	5.13

12	खेल और अन्य गतिविधियों के तहत केनरा बैंक के विभिन्न शाखाओं / क्षे. का / अं. का. में पर सीएसआर गतिविधियां	खेलकूद, विकलांग व्यक्तियों और अन्य गतिविधियों को सहयोग	21.00	21.00
	कुल		**49.13**	**49.13**

भाग ग : अन्य विवरण

1. **क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी / कंपनियां हैं?**

   हां, कंपनी की सात घरेलू अनुषंगियां हैं। अतंर्राष्ट्रीय पहुँच के संबंध में, बैंक का एसबीआई के साथ मास्को में एक संयुक्त उद्यम अर्थात् कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी है और पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी, केनरा बैंक तंजानिया लि. (सीबीटीएल) दार– एस – सलाम, तंजानिया में है।

   क) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.

   ख) केनबैंक फैक्टर्स लि.

   ग) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि.

   घ) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.

   ङ) केनबैंक फाइनेंसियल सर्विसेस लि.

   च) केनरा रोबेको एसेट मैंनेजमेंट कंपनी लि.

   छ) केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्शयोरेंस कंपनी लि.

   ज) केन फिन होम्स लि. (सहयोगी कंपनी)

   झ) एसबीआई के साथ मॉस्को में कॉमर्शिल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी (संयुक्त उद्यम)

   ञ) दार– एस – सलाम, तंजानिया में पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी, केनरा बैंक तंजानिया लि. (सीबीटीएल)

2. **क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां बीआर पहल में मूल कंपनी के साथ भाग लेती हैं? यदि हाँ हो ऐसी अनुषंगी कंपनी (यों) की संख्या दें।**

   हाँ, एक अनुषंगी – केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इन्शयोरेंस कंपनी लि. बीआर पहल में भाग लेती है।

3. **क्या अन्य संस्था/संस्थाएं (यानी आपूर्तिकर्त्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी कारोबार करती हैं, कंपनी के बी आर पहल में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं। (30% से कम, 30–60%, 60% से ज्यादा)**

   नहीं

12	**CSR activities at various Branches / ROs/COs of Canara Bank under sports and other activities**	Support to Sports, Persons with Disability & other activities	21.00	21.00
	Total		**49.13**	**49.13**

Section C: Other Details

1. **Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?**

   Yes. The Company has seven domestic subsidiaries. Regarding overseas presence, Bank has one Joint Venture with SBI viz: Commercial Bank of India LLC, in Moscow and a Wholly Owned Subsidiary, Canara Bank Tanzania Ltd.(CBTL) at Dar-es-Salaam, Tanzania.

   a) Canbank Venture Capital Fund Ltd.

   b) Canbank Factors Ltd.

   c) Canara Bank Securities Ltd.

   d) Canbank Computer Services Ltd.

   e) Canbank Financial Services Ltd.

   f) Canara Robeco Asset Management Company Ltd.

   g) Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd.

   h) Canfin Homes Ltd. (Associate Company)

   i) Commercial Bank of India LLC, in Moscow in association with SBI (Joint Venture)

   j) Canara Bank Tanzania Ltd.(CBTL) at Dar-es-Salaam, Tanzania, a wholly owned subsidiary

2. **Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s).**

   Yes. One Subsidiary, viz., Canara HSBC OBC Life Insurance Company Ltd. is involved in BR initiatives.

3. **Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%].**

   No

भाग घ : कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. बीआर के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण

क) बीआर नीति / नीतियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों का विवरण :

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	06930826
2	नाम	सुश्री ए मणिमेखलै
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
1.	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं
2.	नाम	पी पी तंगवेलु
3.	पदनाम	महा प्रबंधक
4.	दूरभाष संख्या	080-22340236
5.	ई-मेल आई डी	hofid@canarabank.com

Section D: BR Information

1. Details of Director / Directors responsible for BR.

a) Details of the Director / Directors responsible for implementation of the BR policy / policies.

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	06930826
2.	Name	A Manimekhalai
3.	Designation	Executive Director

b) Details of the BR Head

Sl. No.	Particulars	Details
1.	DIN Number (if applicable)	Not Applicable
2.	Name	P P Thangavelu
3.	Designation	General Manager
4.	Telephone number	080-22340236
5.	e-mail id	hofid@canarabank.com

2. सिद्धांत-वार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश के अनुसार) बीआर पॉलिसी / पॉलिसियां (हां / नहीं में उत्तर)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास....... के लिए नीति / नीतियाँ हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या नीति शेयरधारकों के परामर्श के साथ बनायी गयी हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या नीति राष्ट्रीय /अतंर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, बताएं (50 शब्दों बाद)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हां तो क्या यह एमडी / मालिक / सीईओ / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी नीति के कार्यांवयन का पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड `/ निदेशक/ अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दर्शाएं।	www.canarabank.com								
7.	क्या नीति को सभी आतंरिक तथा बाह्य शेयरधारकों को सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आतंरिक व्यवस्था है?.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में नीति / नीतियों से संबंधित शेयरधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने आतंरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के क्रियांवयन के लिए ऑडिट/मूल्यांकन करवाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

2. Principle-wise (as per National Voluntary Guidelines) BR Policy/policies (Reply in Y/N)

Sl. No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1.	Do you have a policy/policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2.	Has the policy been formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	Does the policy conform to any National / International standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD/Owner/CEO/Appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5.	Does the Company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6.	Indicate the link for the policy to be viewed online.	www.canarabank.com								
7.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8.	Does the Company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10.	Has the Company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

2क) यदि क्र. सं 1 के किसी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया कारण बताएं (विकल्प 2 तक चिह्न लगाएं) – लागू नहीं

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	कंपनी सिद्धातों को नहीं समझ पाई									
2	कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि विशिष्ट सिद्धांतों के लिए नीति बनाए व उसे लागू कर पाए।									
3	कंपनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या मानवीय संसाधन नहीं हैं									
4	अगले 6 महीने में इसे करने की योजना है									
5	अगले 1 साल में इसे करने की योजना है									
6	अन्य कोई कारण (कृपया बताएं)									

2a. If answer to Sl. No.1 against any principle, is "No", please explain why: (Tick up to 2 options) - NA

Sl.No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The Company has not understood the principles									
2	The Company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The Company does not have financial or manpower resources available for the task									
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within the next 1 year									
6	Any other reason (please specify)									

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

- **कंपनी के बीआर निष्पादन का निदेशक मंडल, बोर्ड समिति या सीईओ द्वारा कितने अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है। 3 महीने में, 3–6 महीने में, सालाना, एक साल से ज्यादा**

  3–6 महीने

- **क्या कंपनी बीआर या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए क्या हाईपरलिंक है? कितने अंतराल पर इसे प्रकाशित किया जाता है?**

  रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है और www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx हाइपर लिंक पर उपलब्ध कराया गया है।

भाग ड. : सिद्धांतवार निष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाए तथा स्वयं अभिशासित हो ।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को प्रावरित करती है? नहीं**

   क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?

   हाँ । बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट अभिशासन नीति है जो कि सभी हितधारकों अर्थात जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को कॉरपोरेट मूल्यों, आचार संहिताओं तथा अन्य उचित व्यवहार के मानकों का अनुसारण करते हुए सतत मूल्य का अनुकूलन करने के समग्र उद्देश्य के साथ तैयार की गयी है। बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन नीति अनुषंगियों पर भी लागू है।

   बोर्ड की अनुमति से बैंक ने समूह जोखिम प्रबंधन (जीआरएम) नीति बनाई है। इस नीति बैंक की समूह जोखिम प्रबंधन नीति

3. Governance related to BR

- **Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year**

  3-6 months

- **Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?**

  The Report published annually and made available under the hyperlink "www.canarabank.com/english/scripts/Annualreport.aspx"

Section E: Principle-wise Performance

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. **Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? No.**

   Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs /Others?

   Yes. The Bank is having a Board approved "Corporate Governance Policy", which is drawn with an overall objective to optimize sustainable value to all stake holders viz., depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to corporate values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behavior. The Corporate Governance Policy of the Bank extends to its subsidiaries also.

   The Bank has put in place a Group Risk Management (GRM) Policy with the permission of the Board

अनषंगियों/संयुक्त उद्यमों तथा बैंक द्वारा प्रयोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की प्रावरित करती हैं

शाखाओं के आरबीआईए (जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा) के समय यादृच्छिक रूप से कर्मचारियों के खातों की जांच की जाती है। ऑफ़लाइन लेनदेन निगरानी प्रणाली में कर्मचारियों के खातों में ₹50000 से अधिक के लेनदेन की निगरानी की जाती है।

बैंक में निर्दिष्ट आवधिक अंतराल पर शाखाओं / इकाइयों/ कार्यलयों की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा सहित नियमित निरीक्षण (आरबीआईए) की प्रणाली है। मासिक आधार पर चयनित शाखाओं/कार्यालयों की समवर्ती लेखापरीक्षा होती है।

2. **विगत वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन में से कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से सुलझाया गया है? यदि हां तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।**

शेयरधारक शिकायतें : वर्ष 2019–20 में बैंक ने शेयरधारकों से 1091 अभ्यावेदन / शिकायतें प्राप्त की तथा सभी शिकायतों का निवारण संतोषजनक ढंग से किया गया ।

अधिकांश शिकायतें लाभांश वारंट प्राप्त नहीं होने से संबंधित है। इसका कारण संबंधित शेयरधारक द्वारा अपने पते को अद्यतन नहीं करना है। शिकायतें दूर करते समय बैंक ने उनके पते अद्यतन करने, बैंक विवरण प्राप्त करने, ईसीएस अधिदेश (आवश्यक फार्म उपलब्ध कराकर) लेने जैसे कदम उठाए हैं ताकि दुबारा ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

ग्राहक शिकायतें : वर्ष 2019 –20 के दौरान बैंक ने 53110 शिकायतें प्राप्त की तथा 98.19% को संतोषजनक ढंग से निपटाया गया। बैंक अपनी ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए विविध उत्पाद / सेवाएं, अद्यतन तकनीक, कर्मचारी प्रशिक्षण तथा ग्राहकों की पूछताछ का जवाब व ग्राहक शिकायतों को दूर करने जैसे अनेक उपाय कर रही हैं।

सिद्धांत 2 : कारोबार ऐसे उत्पाद व सेवाएं उपलब्ध कराए जो सुरक्षित हों तथा अपने जीवन चक्र में धारणीयता बनाए रखें ।

of the Bank. The GRM Policy of the Bank covers Subsidiaries/ Joint Ventures and the Regional Rural Banks sponsored by the Bank.

Scrutiny of staff accounts at random is undertaken at the time of RBIA (Risk Based Internal Audit) of the branches. The transactions above ₹50000 in staff accounts are monitored in Offline Transaction Monitoring system.

The Bank has a system of conducting regular inspection (RBIA) including Information System Audit at the branches / units / offices at specified periodical intervals. The Concurrent Audit of identified branches / offices is conducted on monthly basis.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

Shareholders Complaints: The Bank received 1091 representations/ grievances from Shareholders during 2019-20 and all the grievances have been resolved satisfactorily.

Majority of the representations is on account of non-receipt of Dividend Warrants. This is due to non-updation of the addresses by the concerned Shareholders. While resolving the grievances, the Bank has been taking steps to update their addresses, bank details, ECS mandate (by providing the necessary forms) so as to avoid recurrence of such instances.

Customer Complaints: During 2019-20 the Bank received 53110 complaints and 98.19% of the complaints were satisfactorily redressed. The Bank is taking several measures to improve customer service by bringing in diversified products/services, updated technology, staff training and responding to customers' queries and redressal of customer complaints.

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरण मामले, जोखिम और/या अवसरों को शामिल किया गया है ।**

i. **वित्तीय समावेशन अभियान:** शुरुआती शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती पहुंच, कियोस्क मॉडल बैंक बिजनेस आउटलेट / बैंकिंग टच प्वाइंट्स की स्थापना, पीएमजेडीवाई खातों को जुटाना, पीएमजेडीवाई ओडी के तहत सहयोग , केसीसी के तहत ऋण प्रदान करना, एसएचजी की क्रेडिट लिंकिंग, सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन प्रदान करना जैसे विभिन्न ग्रामीण गतिविधियों को प्रावरीत करते हुए आधार नामांकन, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना ।

ii. **ग्रामीण विकास:** बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 62 स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित/सह–प्रायोजित/सहायता प्रदान की है जो कि ग्रामीण युवकों में उद्यमिता विकास तथा उन्हें स्व–रोजगार क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन संस्थानों अब तक 8.83 लाख बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया है जिनकी व्यवसाय प्राप्ति दर 74 % है।

iii. **हरित बैंकिंग :** बैंक ने विभिन्न पर्यावरण अनुकूल कार्य किए हैं जैसे सीबीएस, कहीं भी बैंकिंग व माइको एटीएम इटंरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ग्रामीण जनता के लिए बायो–मेट्रिक, माइक्रो एटीएम और कुछ आतंरिक कार्यकलाप। इसके अलावा, दो स्थानों पर एटीएम, नकद/ चेक स्वीकर्ता, पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क, इटंरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और 182 जगहों पर टेलिबैंकिंग जैसे उच्च तकनीक बैंकिंग सुविधाओं के साथ ई–लाउजं बैंक स्थापित किए हैं तथा वर्ष के दौरान ऐसे ही ओर ई–लाउजं स्थापना करने की योजना है। हमारे एटीएम में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए पेपरलेस ग्रीन पिन सुविधा, पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से नेटबैंकिंग पासवर्ड,सफल नकद निकासी और बैलेंस पूछताछ के लिए द्धरसीदह की छपाई के साथ सक्षम किए गए हैं। पेपरलेस बैंकिंग के लिए अत्याधुनिक कैंडी शाखाएं खोलीं गई हैं ।आतंरिक रूप से, बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन व अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई–गवर्नेंस को कार्यान्वित किया है।

2. **इस तरह के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति यूनिट (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

1. **List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.**

i. **Financial Inclusion Programme** - Covering varied rural activities, such as increasing access to banking services through opening branches, establishment of kiosk model Bank Business Outlet / Banking Touch Points, mobilizing PMJDY accounts, support under PMJDY OD, providing credit under KCCs, credit linking of SHGs, providing micro-insurance & micro pension, Aadhaar enrollment, Enhancing financial literacy through Financial Literacy Centres and rural branches.

ii. **Rural Development:** The Bank has sponsored/ co-sponsored / supported 62 self employment training institutes in varied fields which promote entrepreneurship development among rural youth and encourage them to take up self-employment activities. These institutes have trained more than 8.83 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 74 %.

iii. **Green Banking:** The Bank has introduced several environment-friendly measures, viz., Core Banking Solution, Anywhere Banking, Internet Banking, Tele Banking, Mobile Banking, ATMs, Biometric ATMs & Micro-ATMs for the use of rural folk and certain back office operations. Further, the Bank has set up E-lounges with Hi-tech banking facilities like ATM, cash / cheque acceptor, passbook printing kiosk, internet banking, online trading and telebanking at 182 select centres and more such e-lounges are planned during the year. Enabled Paperless Green PIN facility for Debit & Credit Cards, Net Banking passwords through SMS on registered mobile numbers, dispensed with printing of 'Receipt' for successful cash withdrawal & balance enquiry in our ATMs. Opened Hi-tech CANDI branches for paperless banking. Internally, the Bank has implemented e-governance for its human resources management and certain other administrative areas

2. **For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):**

i. **मूल्य श्रृंखला के दौरान पिछले वर्ष से लेकर अबतक सोर्सिंग/ उत्पादन / वितरण के समय आई कमी?**

लागू नहीं

ii. **पिछले वर्ष से अबतक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग (ऊर्जा, पानी) में आई कमी?**

बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने वाले अपने सभी परिसरों में नई एलईडी जुड़नार के साथ सीएफएल / फ्लोरेसेंट प्रकाश जुड़नार की जगह ले रहा है।

सीएसआर कार्यक्रम के तहत जल शोधन प्लांट की स्थापना तथा हरित क्षेत्र में सुधार हेतु बागवानी के लिए अपशिष्ट जल का उपयोग, सार्वजनिक हितार्थ सौर लाइट प्रदान की गई है ।

3. **क्या कंपनी में वहनीय सोर्सिंग के लिए कोई पद्धति है (परिवहन सहित) यदि हां तो निवेशित का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से सोर्स किया गया है? 50 शब्दों में विवरण दें।**

आपूर्तिकर्ताओं को ऊर्जा उत्पादन मानकों, प्रदूषण मुक्त वातावरण, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पूर्ति करने हेतु बैंक में निर्धारित नीति है ।

4. **क्या कंपनी स्थानीय व छोटे उत्पादकों जिसमें आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत समुदाय शामिल हैं, से माल व सेवाएं खरीदने के कदम उठाए हैं? यदि हां तो स्थानीय व छोटे वेंडरों की क्षमता व योग्यता बढाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?**

जहां भी छोटी खरीदारी की जाती है,स्थानीय और छोटे उत्पादन से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता बढ़ जाती है।

5. **क्या कंपनी के उत्पादों और अपशिष्ट को पुर्ननवीनीकृत करने का कोई तंत्र है? यदि हां तो उत्पदों तथा अपशिष्ट का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरण किया जा रहा है (5% से कम, 5–10%, >10% से अधिक, अलग – अलग बताएं) । 50 शब्दों में विवरण दें।**

लागू नहीं

i. **Reduction during sourcing / production / distribution achieved since the previous year throughout the value chain?**

Not applicable.

ii. **Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?**

Bank is replacing CFL / Fluorescent lighting fixtures with new LED fixtures in all its premises ensuring higher energy efficiency.

Setting up of water purification plants and using the waste water for gardening for improving the green cover, providing solar lights for the benefit of public under CSR programme.

3. **Does the Company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)? If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.**

For sourcing, Bank has a set policy as per which the suppliers should meet the standards of energy generation, eco-friendly, pollution-free climate friendly technologies.

4. **Has the Company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?**

Procurement of goods and services from the local & small producers are being practiced wherever small purchases are done, facilitating the capability of local and small vendors.

5. **Does the Company have a mechanism to recycle products and waste? If yes, what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.**

Not applicable.

सिद्धांत 3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दे ।

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

   यथा 31.03.2020 को कर्मचारियों की कुल संख्या 58632 है।

2. **कृपया अस्थाई / संविदा / अनौपचारिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या इंगित करें ।**

एफओसी–प्रशिक्षण	शून्य
लोकपाल	1
सलाहकार	2
ईआरओ–ऑडिट उद्देश्य	328
कुल	**331**

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।**

   यथा 31.03.2020 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या 18167 है।

4. **कृपया स्थायी विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें।**

   यथा 31.03.2020 को स्थायी विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 1538 है।

5. **क्या आपके यहां कर्मचारी संगठन है जिसको प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है।**

   हमारे बैंक में प्रबन्धन द्वारा मान्यता–प्राप्त केनरा बैंक कर्मचारी संघ (पंजीकृत) व केनरा बैंक अधिकारी संघ (पंजीकृत) क्रमश: कामगारों व अधिकारियों हेतु दो प्रमुख संघ हैं ।

6. **आपके कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्य हैं ?**

अधिकारी संघ	85.36
कर्मचारी यूनियन	76.93

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या इंगिक करें।**

Principle 3: Businesses should promote the well-being of all employees.

1. **Please indicate the total number of employees.**

   Total number of employees as at 31.03.2020 is 58632.

2. **Please indicate the total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.**

FOC- training	Nil
Ombudsman	1
Advisors	2
ERO - audit purpose	328
Total	**331**

3. **Please indicate the number of permanent women employees.**

   The number of permanent women employees as at 31.03.2020 is 18167.

4. **Please indicate the number of permanent employees with disabilities.**

   The number of permanent employees with disabilities as at 31.03.2020 is 1538.

5. **Do you have an employee association that is recognized by management?**

   In our Bank, Canara Bank Employees Union (Regd.) and Canara Bank Officers' Association (Regd.) are two major Union/Association of workmen and officer employees respectively, which are recognized by the Management.

6. **What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association?**

Officers' Association	85.36
Workmen Union	76.93

7. **Please indicate the number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as at the end of the financial year.**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम, बेगार, अस्वैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	3	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा व कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

स्थायी कर्मचारी	62.5%
नियमित महिला कर्मचारी	55.14%
आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी	शून्य
विकलांग कर्मचारी	45.12%

सिद्धांत 4: कारोबार सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करे तथा विशेषरूप से वंचित, कमजोर और उपेक्षित के प्रति संवेदनशील हो।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों को प्रतिचित्रित किया है?**

   हाँ, बैंक के हितधारकों में सरकार, निवेशक, कर्मचारी तथा बैंक के ग्राहक शामिल हैं।

2. **उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने कमजोर, वंचित व उपेक्षित हितधारकों की पहचान की है?**

   हां.

3. **क्या कंपनी वंचित, कमजोर व उपेक्षित हितधारकों से जुडने के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां तो 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

   कर्मचारी: बैंक जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना सभी कर्मचारियों के साथ

Sl. No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as at end of financial year
1	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
2	Sexual harassment	3	NIL
3	Discriminatory employment	NIL	NIL

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Permanent Employees	62.5%
Permanent Women Employees	55.14%
Casual / Temporary / Contractual Employees	NIL
Employees with Disabilities	45.12%

Principle 4: Businesses should respect the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. **Has the company mapped its internal and external stakeholders?**

   Yes. The stakeholders of the Bank include Government, Investors, Employees and the Customers of the Bank.

2. **Out of the above, has the Company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders?**

   Yes.

3. **Are there any special initiatives taken by the Company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   Employees: The Bank practices the policy of equal treatment of all employees without

समान व्यवहार की नीति अपनाता है। बैंक सरकार के दिशानिर्देशानुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष लाभ/ सुविधाएँ / सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, विकलांग कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समतुल्य पारिश्रमिक/ वेतन, पदोन्नति दी जाती है।

ग्राहक : समाज के उपेक्षित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ने अन्य योजनाओं के साथ, सीमित सुविधा बचत खाता योजना, केनरा नयी दिशा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और सूक्ष्म पेंशन योजना ,शहरी गरीब के लिए सूक्ष्म वित्त शाखाएं, किसानों के लिए किसान क्रेडिट, स्वयं सहायता समूहों को ऋण,मनरेगा मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण, बायोमेट्रिक एटीएम, विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ऋण,महिला उद्यमियों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की सहायता के लिए ऋण योजनाएं शुरु की हैं।

सिद्धांत 5: कारोबार मानवाधिकार का सम्मान व प्रोत्साहन करे।

1. **मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति क्या कंपनी पर ही लागू होती है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर सरकारी संगठन / अन्य पर भी लागू है?**

   बैंक भारत के संविधान में निहित मानवाधिकारों की विषयवस्तु से परिचित है तथा संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार का आदर करता है।

   मानव संसाधन से संबंधित नीतियां केवल बैंक के परिचालन पर लागू है। इसके अलावा, बैंक की मानव संसाधन नीतियां सभी कर्मचारियों को समान और निष्पक्ष व्यवहार प्रदान करती हैं तथा विशेष-राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, उम्र, विकलांगता, कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति या कानून द्वारा निषिद्ध किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

बैंक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निषेध करता है। सेवा शर्तों में, यौन उत्पीड़न की रोकधान के लिए विशेष प्रावधान हैं। यौन उत्पीड़न पर नीति अधिनियम "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के संदर्भ में लागू की गई है। अधिनियम में नीति के अनुसार बैंक ने समिति के पीठासीन अधिकारी निर्धारित व अन्य सदस्यों को नामित करते हुए सभी प्रभासनिक इकाईयों में अंतरिक समीति गठित किया हैं।

any discrimination and bias on the basis of caste, creed and religion. The Bank extends certain special benefits/ facilities/ assistance to employees belonging to SC/ST category as per Government guidelines. Further, the wages/salaries, promotions and other benefits extended to employees with disabilities are at par with other employees.

Customers: In order to cater to, No-frill Savings Accounts Scheme, Micro-insurance and Micro-pension under Canara Nayee Disha Scheme, Micro-finance Branches for urban poor, Kisan Credit Cards for farmers, loans to Self-help Groups, electronic benefit transfer for payment of MGNREGA wages and social security pension, biometric ATMs, loans under Differential Rate of Interest scheme, loans to women entrepreneurs and support to the needs of marginalized segments of the society, the Bank has introduced, among other micro & small enterprises.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights.

1. **Does the policy of the Company on human rights cover only the Company or extend to the Group/Joint Ventures / Suppliers / Contractors / NGOs / Others?**

   The Bank is aware of the human rights content of the Constitution of India and respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

   The HR related policies cover the operations of the Bank only. Further, the HR policies of the Bank are well laid out with equal and fair treatment of all the employees and no discrimination is made based on nationality, religion, gender, age, disabilities, social and economic status of the employees or any other basis prohibited by the law.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at work places. In the Service Conditions, there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work places. The policy on sexual harassment has been implemented in terms of Act. "The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013". As per the policy, Bank has constituted Internal Committees at all administrative units by nominating Presiding Officer and other members to the Committee as stipulated in the Act.

आतंरिक शिकायत समिति में पीठासीन अधिकारी होंगे जो वरिष्ठ स्तर की एक महिला कर्मचारी होंगी और कर्मचारियों में से 2 सदस्य होंगे जो महिलाओं की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं या सामाजिक कार्य / कानूनी ज्ञान में अनुभव रखते हैं और एक तृतीय पक्ष सदस्य (एनजीओ आदि) इसके सदस्य के रूप में होंगे ।

समिति की रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। बैंक सेवा शर्तों, नियमों, महिला कर्मचारियों को लाभ, महिला कर्मचारियों के अधिकार, यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समय–समय पर परिपत्र जारी करता है।

कर्मचारी शिकायत निवारण नीति

बैंक ने सेवा शर्त से संबंधित वास्तविक व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य और उसके त्वरित समाधान के लिए कर्मचारी शिकायत निवारण नीति बनाई है। इस नीति के तहत निर्धारित समय के भीतर शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। अंचल स्तरीय निवारण समिति के निर्णय के खिलाफ अपील का भी प्रावधान है।

केनराइट शिकायत निवारण प्रणाली के तहत कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र की त्वरित निवारण के उद्देश्य से अधिक कर्मचारी अनुकूल कागज रहित Quick Links > SAS Biometric Login > General > Canarite Grievance Redressal System (CGRS). में शुरु किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की परिभाषा के अनुसार केनरा बैंक एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए जनता को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है।

विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेना:

बैंक अपने परिसर में सिविल निर्माण/विद्युत / रख–रखाव कार्यों के लिए ठेकेदारों की सेवा लेते समय श्रम कानून विशेष तौर पर न्यूनतम मज़दूरी भुगतान तथा अन्य संबंधित मानवाधिकारों का पालन करता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई है और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का निपटान संतोषजनक रूप से किया गया?**

   1091 व 100%

सिद्धांत 6: कारोबार पर्यावरण को सम्मान, सुरक्षा और उसे पुर्नस्थापित करने का प्रयास करे।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी तक सीमित है या समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / गैर–सरकारी**

The Internal Complaints Committee will have Presiding Officer who shall be a senior level woman employee and will have 2 members from amongst the employees preferably committed to the cause of women or has experience in social work/legal knowledge and shall also have a third party member (NGO etc.) as its member.

The action is taken based on the reports of the Committee. The Bank issues Circulars from time to time reinforcing service conditions, rules, benefits to women employees, right of women employees, prevention of sexual harassment.

Employees' Grievances Redressal Policy

The Bank has framed Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a view to lend to the genuine individual grievances relating to service condition of the employees and for speedy resolution of the same. The complaints under this policy are redressed within the stipulated time. There is also an appeal provision against the decision of the Circle Level Redressal Committee.

With a view to make Employees' Grievance(s) Redressal mechanism more employee friendly, paperless and quick disposal of grievances of the employees, 'Canarite Grievance Redressal System' is introduced in Cannet under the path Quick Links > SAS Biometric Login > General > Canarite Grievance Redressal System (CGRS).

Right to Information Act

Canara Bank is a Public Authority, as per definition of Public Authority in the Right to Information Act, 2005, and thus, is under obligation to provide the information to members of public.

Engaging Contractors for various works

While engaging the services of Contractors for the civil construction/electrical/maintenance works at its premises, the Bank follows the labour laws especially payment of minimum wages and other related human rights.

2. **How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?**

   1091 & 100.00%

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment.

1. **Does the policy related to Principle 6 cover only the Company or extends to the Group/Joint Ventures/**

संगठन / अन्य पर भी लागू है?

नीति केवल बैंक को प्रावरित करती है।

2. **क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों जैसे पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि के लिए कोई योजना/पहल है ? हाँ /नहीं , यदि हॉं तो, कृपया वेबपेज इत्यादि का हाइपरलिंक दें।**

   हाँ ।

   ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के संदर्भ में, बैंक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस (ओडीएस) का उपभोग / उत्पादन करने वाली नई इकाइयों की स्थापना के वित्त पोषण नहीं कर रहा है।

   बैंक द्वारा उन लघु / मदयम स्तर की इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है जो सी.एफ.सी. का प्रयोग कर एरोसॉल इकाई के उत्पादन में लगे हुए हैं।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/नहीं**

   हाँ

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में उसका विवरण दें। और, यदि हां तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गयी है?**

   हाँ

   बैंक द्वारा किए गए विभिन्न हरित बैंकिंग पहलों में कोर बैंकिंग समाधान, ग्रामीण जनता के लिए कहीं भी बैंकिंग, इटंरनेट बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, बायोमेट्रिक एटीएम और माइक्रो–एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कागज रहित ग्रीन पिन सुविधा, पंजीकृत मोबाइल नंबर द्वारा एसएमएस के माध्यम से नेटबैंकिंग पासवर्ड, हमारे एटीएम में सफल नकद निकासी और बैलेंस जांच के लिए रसीद मुद्रण की समाप्ति कागज रहित बैंकिंग के लिए उच्च तकनीक कैंडी शाखाएं, इसके कर्मचारियों और प्रशासनिक क्षेत्रों में कागज रहित बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शाखाओं में ई–लाउंज और ई–गवर्नेंस आदि ।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की हैं? हाँ / नहीं, यदि हाँ तो वेबपेज इत्यादि का हाइपरलिंक दें।**

   बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा ऊर्जा दक्षता के कई पहल शुरू किए है । बैंक पर्यावरण के अनुकूल ऐसी हरित परियोजनाओं को प्राथमिकता व महत्व देता है जो कार्बन कम करते हैं जैसे पवन चक्की / सौर ऊर्जा परियोजनाएं आदि । बैंक के पास हरित व स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं को अधिमानी ऋण देने की योजनाएं हैं ।

Suppliers/Contractors/NGOs/others.

The Policy covers only the Bank.

2. **Does the Company have strategies / initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.**

   Yes.

   In terms of Credit Risk Management Policy, the Bank is not extending finance for setting up of new units consuming/ producing Ozone Depleting Substances (ODS).

   No financial assistance is extended by Bank to small/ medium scale units engaged in the manufacture of the aerosol units using CFC.

3. **Does the Company identify and assess potential environmental risks? Y / N**

   Yes.

4. **Does the Company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?**

   Yes.

   Various green banking initiatives undertaken by the Bank include Core Banking Solution, Anywhere Banking, Internet Banking, Tele Banking, Mobile Banking, ATMs, Biometric ATMs & Micro-ATMs for the use of rural folk, paperless Green PIN facility, for debit & credit cards, Net banking password through SMS on registered mobile numbers, dispensed with printing of 'Receipt' for successful cash withdrawal & balance enquiry in our ATMs, opened Hi-tech CANDI branches for paperless banking, E-lounges in branches and e-governance for its staff and administrative areas to promote paperless banking.

5. **Has the Company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc., Y/N If yes, please give hyperlink for web page etc.**

   Bank has undertaken a number of initiatives to promote clean technology and energy efficiency. Bank gives due weightage and preference to environment-friendly green projects which earn the carbon credits, such as, Wind Mills / Solar Power projects. Bank has schemes of extending preferential credits to the Green and clean technology projects.

बैंक उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने वाले अपने सभी परिसरों में सीएफएल / फ्लोरोसेंट लाइट्स की जगह नई एलईडी लगा रहा है । इसके अलावा, निदेशक मंडल ने दिनांक 18.09.2017 को बैंक को गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग नियंत्रण करने के उपायों के अभिनव तरीके को अपनाने की अनुमति दी है। उसके आधार पर, बैंक ने पहले चरण में पांच क्षेत्रों (संपूर्ण भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत, उत्तरी पूर्वी भारत) के लिए विक्रेताओं को पैनल बद्ध किया है । दूसरे चरण में, बैंके के सौर संयंत्रों को स्थापित करने के लिए अपने कुछ इमारतों की पहचान की है। प्रधान कार्यालय, अंचल कार्यालय चेन्नई, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद तथा चंडीगढ) तदनुसार अपने प्रधान कार्यालय 112 जे सी रोड भवन में हमने 52 केवीपी सौर उर्जा संयंत्र स्थापित किया है। अन्य स्थल / स्थान पर कार्य करने हेतु ठेकेदार की पहचान को गई है और कार्य प्रगति पर है

बैंक भी उच्च ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में स्तरीय ऊर्जा दक्ष उपकरणों अर्थात एयर कंडीशनर का उपयोग करने की नीति का अनुसरण कर रहा है

बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाते हुए जनरेटर के उपयोग में सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) नियम का पालन कर रहा है। बैंक अपने विभिन्न स्थानों पर सौर ऊर्जा संचालित यूपीएस लगाने और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी अपनाने की प्रक्रिया में है।

6. **क्या कंपनी द्वारा उत्सर्जन / उत्पन्न अपशिष्ट सूचित वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं?**

   बैंक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है अत: यह लागू नहीं है।

7. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त कानूनी नोटिस/ कारण बताओ नोटिसों की संख्या जो कि लंबित हैं? (यानी संतोषजनक के स्तर तक नहीं निपटाया गया है)**

   शून्य

सिद्धांत 7: कारोबार, जब आम जनता और विनियामक नीतियों को प्रभावित करता है तो ऐसा जिम्मेदारीपूर्वक किया जाए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेंबर या संघ का सदस्य है? यदि हां तो केवल उन बडी़ संस्थाओं के नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार होता है?**

   हाँ ।

   क) भारतीय बैंक संघ (आईबीए)

   ख) भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)

   ग) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)

   घ) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)

Bank is replacing CFL/ Fluorescent lighting fixtures with new LED fixtures in all its premises ensuring higher energy efficiency. Further, vide Board of Directors dated: 18.09.2017, Bank has permitted to adopt innovative way of control measures by using non-conventional energy sources. Based on that, Bank has done empanelment of vendors for five regions (Pan-India, South India, North India, Central India, West India, Northern East India) in first stage. In second stage Bank has identified few own buildings (Head Office, Chennai CO, Trivandrum CO, Hyderabad CO & Chandigarh CO to install solar plants. Accordingly, we have installed 52kWp solar power plants in our Head Office, J C Road building. Another sites / locations contractor identified to carry out the work and the work is under progress.

The Bank is also following a policy of using rated Energy Efficient Appliances, viz., air-conditioners towards ensuring higher energy efficiency.

The Bank is complying with the CPCB rules (Central Pollution Control Board) in usage of generators adopting clean technology. The Bank is also in the process of deploying solar powered UPS for its various locations and adopting renewable energy usage.

6. **Are the Emissions/Waste generated by the Company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?**

   The Bank is engaged in providing financial services and hence not applicable.

7. **Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.**

   Nil

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. **Is your Company a member of any trade and chamber or association? If Yes, name only those major ones that your business deals with:**

   Yes.

   a) Indian Banks' Association (IBA)

   b) Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)

   c) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS)

   d) National Institute of Bank Management (NIBM)

ड.) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

च) भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआई)

2. **क्या आपने जनहित की उन्नति या सुधार के लिए ऊपर संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/नहीं, यदि हाँ तो मौटेतौर पर उन क्षेत्रों के बारे में बताएं (अभिशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा, सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय हाँ, व्यावसायिक सिद्धांत, अन्य)**

   सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण बैंक पर देश के सभी क्षेत्रों व सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करने का सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके अलावा, बैंक मोटे तौर पर देश के स्थायी विकास में योगदान के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार, समावेशी विकास और समान विकास, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों को शामिल करते हुए समय – समय पर भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी नीतिगत निर्देशों / विनियमक दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है।

सिद्धांत 8: कारोबार समावेशी वृद्धि और समान विकास को संबल दे।

1. **क्या कंपनी में सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं है? यदि हाँ तो तत्संबंधी विवरण**

   बैंक ने समावेशी वृद्धि व समान विकास के लिए अनेक कार्यक्रमों/ पहलों / परियोजनाओं को चलाया है।

   विवरण निम्नवत है:

   बैंक ने सभी आबंटित 10049 गाँवों में 903 ब्रिक व मोर्टार शाखाएं खोलने और 2652 बीसी एजेंटों की सेवाएं लेते हुए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वहनीय खर्चे पर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य है । इसका कार्यावयन दो मॉडल यानी ब्रिक व मॉर्टर मॉडल और कारोबार संपर्की मॉडल के तहत किया गया ।

   बैंक ने मौजूदा मोबाइल बीसी मॉडल के बदले दिसंबर 2018 के दौरान नई हाइब्रिड कियोस्क मॉडल बीसी सेवाएं शुरू की हैं। नए हाइब्रिड मॉडल के तहत, बीसी एजेंट 4 घंटे के लिए निर्धारित स्थानों (बैंक बिजनेस आउटलेट्स) में काम करेंगे और उसके बाद वे अपने दरवाजे पर ग्रामीण लोग विशेष रूप से वृद्ध लोगों और वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए उन्हें आवंटित गांवों / क्षेत्रों को प्रावरित करेंगे।

e) National Payments Corporation of India (NPCI)

f) The Clearing Corporation of India (CCI)

2. **Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (Drop Box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy, Security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)**

   Yes, The Bank, being one of the public sector banks of India, is driven by the social objective of extending the benefits of the banking services to all regions of the country and to all classes of people. Further, the Bank is adhering to all the policy directions/ regulatory guidelines issued by Government of India and the Reserve Bank of India from time to time broadly covering the areas of economic and financial sector reforms, inclusive growth and equitable development, national priorities and food security contributing to sustainable development of the country.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development.

1. **Does the Company have specified programmes/ initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.**

   The Bank has undertaken various initiatives/ programmes / projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

   The details are as under:

   Bank has provided Banking facilities in all the allotted 10049 villages by opening 903 brick & mortar branches and engaging 2652 BC agents. The objectives are to provide the banking services at affordable cost in order to improve their standard of living. The implementation was done under two models, viz., Brick and Mortar model and Business Correspondent model.

   Bank has introduced new Hybrid Kiosk Model BC services during December 2018 in lieu of the existing Mobile BC model. Under the new Hybrid model, the BC Agents will work for 4 hours in fixed locations (Bank Business Outlets) and thereafter they will be covering villages/ areas allotted to them for servicing the rural folk, especially old aged people and senior citizens, at their doorsteps.

नया हाइब्रिड मॉडल बैंकिंग उद्योग में अद्वितीय और अपनी तरह का पहला है। नए मॉडल के तहत, सामान्य हैंड हेल्ड मशीन (एचएचएम) के बदले टैब का उपयोग किया जा रहा है।

बीसी सभी वित्तीय और गैर–वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे जैसे खाता खोलना, एईपीएस लेनदेन, नकद रसीदें, नकद भुगतान, और रूपे कार्ड, के माध्यम से लेनदेन। निधि अंतरण आदि । एईपीएस और रूपे कार्ड सेवाएँ न केवल बैंक के अपने ग्राहकों के लिए, बल्कि अन्य बैंक ग्राहकों के लिए भी विस्तारित हैं ।

बीसी एजेंट ऋण आवेदन, लघु मूल्य वर्ग के जमा लाएंगे सामाजिक सुरक्षा योजना तथा छोटे मूल्य वाले ऋण इत्यादि की वसूली भी करेंगे

बैंक ने 31.03.2020 या उससे पहले मौजूदा 2549 से बीसीए संख्या को 5000 तक बढ़ाने के लिए और 31.03.2021 तक या उससे पहले 10000 के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हुए बैंकिंग आउटलेट्स की परिकल्पना की है। इस प्रक्रिया में, अब तक 8770 स्थानों को कॉर्पोरेट बीसी को आवंटित किया गया है, जिनमें से 6441 स्थान बीसीए के साथ ऑन–बोर्ड किए गए हैं। उपरोक्त विस्तार को शाखा और शाखा रहित बैंकिंग के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ बैंकिंग आउटलेट्स के साथ प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने के लिए परिकल्पित किया गया है ।

72 एफएलसी जिला / ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं। 13,970 शिविरों का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से 25.56 लाख लोगों को शिक्षित किया गया और 88,612 लोगों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान परामर्श दिया गया। बैंक ने एफएलसी के माध्यम से 5,14,174 छात्रों को वित्तीय साक्षरता प्रदान की है।

2 **क्या कार्यक्रम / परियोजना आंतरिक टीम / स्व संस्थान / बाह्य गैर सरकारी संगठन / सरकारी संस्था / या कोई अन्य संगठन के माध्यम से किए जाते हैं?**

वित्तीय समावेशन परियोजना आंतरिक टीम की सहायता से लागू की गयी है । बैंक में प्राथमिकता साख और वित्तीय समावेशन विभाग के अंतर्गत एक अलग वित्तीय समावेशन प्रभाग है जिसके प्रमुख एक महाप्रबंधक है । बैंक वित्तीय साक्षरता न्यास के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रचार कर रहा है ।

न्यासों / सोसाइटियों का नाम निम्नत है जहाँ बैंक परियोजनाएं लागू करने के लिए शामिल है, जो जनता तथा समाज की सेवा में प्रभाव डाला शामिल है :–

1. केनरा बैंक शताब्दी ग्रामीण विकास न्यास
2. केनरा वित्तीय सलाहकारी न्यास

The new Hybrid model is unique and first-of-its-kind in Banking Industry. Under the new model, the TAB is being used instead of normal Hand Held Machines (HHMs).

The BCs will provide all financial and non-financial services such as opening of accounts, AEPS transactions, cash receipts, cash payments, and transactions through RuPay card, Funds Transfer etc. The AEPS and RuPay card services are extended not only to bank's own customers, but to other bank customers also.

BCAs will also source loan applications, canvass small value deposits, sourcing of social security schemes and recovery of small value loans etc.

Bank has envisaged provision of banking outlets in scaling up the BCA numbers to 5000 from the existing 2549 on or before 31.03.2020 and aiming to reach a level of 10000 on or before 31.03.2021. In the process, till date 8770 number of locations are allotted to Corporate BC, of which 6441 locations on-boarded with BCAs. The above expansion is envisaged to cover the major areas with the banking outlets, a composite approach towards branch and branchless banking.

72 FLCs are functioning at District/Block level. Conducted 13,970 camps through which 25.56 lakh people have been educated & 88,612 people were counselled during the financial year 2019-20. Bank has imparted financial literacy to 5,14,174 students through FLCs.

2. **Are the programmes / projects undertaken through in-house team / own foundation / external NGO/ Government structures / any other organization?**

The financial inclusion projects have been undertaken with the help of an in-house team. The Bank has a separate Financial Inclusion Section under Financial Inclusion Wing, headed by a General Manager. Bank is propagating financial literacy through Canara Financial Advisory Trust.

Following are the Trusts / Societies wherein Bank is involved in taking up of the projects which have created an impact in serving the people and the society:-

1. Canara Bank Centenary Rural Development Trust
2. Canara Financial Advisory Trust

3. केनरा बैंक जुबिली शिक्षा निधि
4. केनरा राहत व कल्याण सोसाइटी

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत इन न्यासों के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती है तथा निधीयन भी करती है ।

3. क्या अपने पहल का आपने प्रभाव मूल्यांकन किया है?

हाँ । बैंक के पहल का मुख्य प्रभाव अपने ग्राहकों को उत्पादों का वितरण करना है ।

मुख्य वितरण उत्पाद हैं :–

बैंक ने वर्ष 2019–20 के दौरान 5.67 लाख बैंकिंग सेवा रहित लोगों को बुनियादी बचत जमा खाते प्रदान किए हैं, 178.51 लाख बीएसबीडी खाते ₹6119 करोड़ के कासा शेष के साथ

सभी 903 एफआई शाखाओं ने ₹24289 करोड़ का कारोबार किया है। वित्तीय समावेशन शाखाओं का कासा घटक 26.67% या ₹6479 करोड़ था। औसत कारोबार प्रति एफआई शाखा ₹26.89 करोड़ है ।

बैंकिंग सेवा रहित ग्रामीणों को मूलभूत बचत जमा खाता, पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, ऋण सुविधा जैसे सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना, विभेदक ब्याज दर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऋण अदला–बदली (स्वेपिंग) योजना और कई ऋण उत्पाद उपलब्ध कराए गए ।

बैंक ने वर्ष 2019–20 के दौरान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) दोनों के तहत 52,69,469 नामांकन किए गए हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 386957 खाते जुटाए गए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 15211 खाते खोले गए हैं।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि रूपयों में तथा परियोजनाओं का विवरण ।

बैंक ने सी एस आर के तहत विभिन्न सामुदायिक विकास और सामाजिक - आर्थिक कल्याण गतिविधियों में लगे संगठनों को ₹26.82 करोड़ की राशि मंजूर की । (कृपया भाग ख बिंदु 5 का का संदर्भ लें)

5. क्या इस सामुदायिक विकास की पहल को सफलतापूर्वक समुदाय द्वारा अपनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए आपने कदम उठाए हैं ? कृपया 50 शब्दों में बताएं ।

3. Canara Bank Jubilee Education Fund
4. Canara Bank Relief & Welfare Society

Bank continues to actively fund and also involve in the activities of these Trusts under its CSR.

3. Have you done any impact assessment of your initiatives?

Yes. Major impact of the Bank initiatives is the delivery of the products to its customers.

The major deliverables are:

The Bank has provided Basic Savings Deposit accounts to 5.67 lakh unbanked people during the year 2019-20, 178.51 lakh BSBD accounts are outstanding with a CASA balance of ₹6119 Cr.

All the 903 FI branches have garnered business of ₹24289 Crores. The CASA component of Financial Inclusion branches stood at 26.67% or ₹6479 Crores. Average business per FI branch is ₹26.89 Crores.

The unbanked rural people are provided with basic Savings Deposit accounts, PMJDY overdraft facilities, and credit facilities under products like Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme, SHG and various other credit products.

The Bank has implemented social security schemes successfully during the year 2019-20. 52,69,469 lakh enrolments have been done under both Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) & Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY). Under Atal Pension Yojana (APY) 386957 accounts were mobilized. 15211 accounts have been opened under Sukanya Samriddhi Yojana.

4. What is your Company's direct contribution to community development projects? Amount in INR and the details of the projects undertaken.

The Bank has sanctioned a sum of ₹26.82 Crores under CSR for various community development and socio-economic welfare activities (Pl. refer Section B Point No.5).

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

बैंक सीएसआर प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले संगठन के बारे में समुचित सावधानी प्राप्त करती है और बैंक द्वारा स्वीकृत सीएसआर निधियों के अंतिम उपयोग पर दान ग्राही संगठन/ संस्थान से पुष्टि प्राप्त की जाती है।

परियोजनाओं के लिए सहायता विभिन्न चरणों में विकास कार्यों के प्रगति के आधार पर तथा साइट पर पूर्व–विकासात्मक व विकासोपरांत दौरा के पश्चात संवितरित किया जाता है । सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करके समुदाय के लोगों को शामिल करते हुए परियोजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करके सहायता वितरित किया जाता है ।

बैंक के पास यह सुनिश्चित करने हेतु तंत्र स्थापित है कि समुदाय विकास प्रक्रिया को अपना रहा है ।

सिद्धांत 9: कारोबार जिम्मेदारी से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़े और उन्हें सम्मान प्रदान करे।

1. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता मामले लंबित हैं?**

   वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 53100 ग्राहक शिकायतों में से 1725 (3.25%) लंबित थी ।

2. **क्या कंपनी, स्थानीय नियमों की अनिवार्यता के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की सूचना प्रदर्शित करती है? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचनाएं)**

   बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी पैम्पलेट्स और ब्रोशर के माध्यम से शाखाओं में उपलब्ध करायी जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध कराया गया है।

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित कारोबार व्यवहार, गैर जिम्मेदारान विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के किसी भी मामले के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा मामला दायर किया गया है और जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित है? यदि ऐसा है तो 50 शब्दों में विवरण दें।**

   शून्य ।

4. **क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान का पता लगाया है?**

The Bank obtains due diligence report about the donee organization prior to sanctioning of CSR proposals and confirmation from the donee organization / institute on the end use of the CSR funds sanctioned by the Bank is obtained.

The assistance for the projects is disbursed in stages depending upon the progress of the developmental work and after conducting pre-developmental and post-developmental site visits. The assistance is handed over by organizing public function involving the community members ensuring their participation in the projects.

The Bank has a mechanism to ensure that the community adopts to the developmental process.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

1. **What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year :**

   1725 (3.25%) of the 53110 customer complaints received were pending as at the end of the financial year.

2. **Does the Company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks (additional information) :**

   The information about the products and services offered by the Bank are made available in the branches through pamphlets and brochures and is also made available in the Bank's website.

3. **Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.**

   Nil.

4. **Did your Company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?**

बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया और अपने ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, एक स्व- निहित, स्टांपयुक्त प्रश्नावली उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए ग्राहकों को वितरित करने लिए बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष इस प्रकार है:

1. 53% ग्राहकों ने बैंक की सेवाओं को उत्कृष्ट माना है।
2. 20% ग्राहकों ने बैंकों की सेवाओं को औसत से अधिक के रूप में रेट किया है।
3. 87% ग्राहक बैंक शाखाओं की समग्र सेवाओं से संतुष्ट हैं।

To assess the quality of customer service rendered by the Bank's branches, an online survey was conducted and to get the feedback directly from the customers, a self contained, pre-stamped questionnaire was made available to all branches for distributing the same to customers for providing their feedback. The finding of the online satisfaction survey is as under:

1. 53% of the customers have rated the Bank's services as Excellent.
2. 20% of the customers have rated the Bank's services as Above Average.
3. 87% of the customers are satisfied with the overall services of the Bank Branches.

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

2019-2020

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1) कॉरपोरेट अभिशासन पर बैंक का सिध्दांत

"कॉरपोरेट अभिशासन सारे शेयरधारकों के सुस्थिर विकास के लिए संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।"

केनरा बैंक की संकल्पना, आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा शेयरधारकों को संवर्धित मूल्य के साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभरना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक, कॉरपोरेट गवर्नेन्स की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वार्तालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेजोड़ और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने शेयरधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक–जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970(यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है।

बोर्ड के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट "क" व "ख" में दिये गये हैं।

यथा 31.03.2020 को बैंक के निदेशकों में से किसी का भी परस्पर कोई संबंध नहीं है।

Report on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance

"Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders."

The vision of Canara Bank is to emerge as a world-class Bank with best practices in the realms of Asset Portfolio, Customer Orientation, Product Innovation, Profitability and enhanced value for stakeholders. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders - depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate Values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contributions towards the progress of the bank.

The composition of members of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

None of the Directors of the Bank has any relationships inter-se as on 31.03.2020.

निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताएं

बैंक के कारोबार के संदर्भ में अपेक्षित मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / क्षमताओं की सूची निम्नलिखित हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास उक्त कौशल हैं:

i. बैंक के कारोबार (विशेष रूप से ऋण और अग्रिम और जमा),नीतियों और संस्कृति (मिशन,दृष्टिकोण और मूल्यों सहित) पर बड़े जोखिम / खतरे और संभावित अवसरों और उद्योग, जिसमें बैंक संचालित होता है, के बारे में ज्ञान ।

ii. व्यापार रणनीति, क्रेडिट और जोखिम प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी / डिजिटलीकरण, पूंजी उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी क्रेडिट रेटिंग में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहल के लिए कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन करना ।

iii. व्यवहार कौशल - बैंक के विकास में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की विशेषताएं और दक्षताएं ।

iv. वित्तीय और प्रबंधन कौशल ।

v. बैंकिंग के व्यवसाय के संबंध में तकनीकी / व्यावसायिक कौशल और विशेष ज्ञान ।

निदेशक मंडल इस बात की पुष्टि करता है कि स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बिर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2018 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान निदेशकों को दिए गए परिचितीकरण कार्यक्रमो का विवरण बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर उपलब्ध है।

बोर्ड / निदेशक मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम और सेबी लिस्टिंग नियमों के प्रावधानों के लिए अपेक्षित है कि बोर्ड,समितियों और निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाए। केनरा बैंक के निदेशक मंडल का संयोजन और शर्तें "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970" अर्थात इस अधिनियम के माध्यम से अभिशासित की जाती हैं,अर्थात् इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 / 2013 के प्रावधान लागू नहीं है। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अलावा केंद्र सरकार के अनुसरण में शेयरधारकों के बीच चुने गए 2 निदेशकों को

Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors

The following are the list of core skills / expertise / competencies identified as required in the context of the Bank's business. The said skills are available with the Board Members:

i. Knowledge on Bank's businesses (especially loans & advances & deposits), policies and culture (including the Mission, Vision and Values) major risks / threats and potential opportunities and knowledge of the industry in which the Bank operates.

ii. Business Strategy, Credit & Risk Management, Information Technology / Digitization, efficiency of capital use, growth of business, NPA management, financial inclusion, improvement in external credit rating, initiative to improve asset quality, to conserve capital and HR initiatives for skill development and talent management.

iii. Behavioural skills - attributes and competencies to use their knowledge and skills to contribute effectively to the growth of the Bank.

iv. Financial and Management skills.

v. Technical / Professional skills and specialized knowledge in relation to Banking's business.

Board of Directors confirms that the independent directors fulfill the conditions specified in SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 and are independent of the management.

The details of familiarization programmes imparted to directors during FY 2019-2020 are available on Bank's website www.canarabank.com.

Board / Director Evaluation

The provisions of the Companies Act and the SEBI Listing Regulations require that the performance evaluation of the Board, the committees and directors are required to be carried out on an annual basis. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Canara Bank is governed through "Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970" i.e. the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956/2013 in this regard are Not Applicable. All the Directors, except 2 directors elected amongst the Shareholders' other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of

छोड़कर सभी निदेशक,भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) के तहत प्रावधानों के अनुसार नियुक्त / नामांकित हैं। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। दो शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से भी स्वतंत्र होते हैं।

वित्तीय सेवाएं विभाग,वित्त मंत्रालय,भारत सरकार (मंत्रालय) के पत्र क्रमांक सं.12/1/2014-बीओए दिनांक 18.08.2015 द्वारा सूचित अनुसार मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई)के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग कर संवर्धित अभिगम और सेवा उत्कृष्टता (सहजता) के तहत पीएसबी सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए भारांक के साथ पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किया। केपीआई सूचकांक व्यापक रूप से पूंजी के उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी ऋण मानदंड में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन के लिए पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहलों को आच्छादित करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंपनी अभिशासन में सुधार के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के अभिशासन में सुधार की अधिसूचना एफ.नं.6/20/2019-बीओ.-दिनांक 30.08.2019 को अधिसूचित की। सरकार ने गैर-सरकारी निदेशकों को बैंकिंग कंपनियों के धारा 9(3) के खंड (छ) और (ज) के तहत नामित गैर–सरकारी निदेशकों को (गैर-कार्यकारी उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 (अधिनियम), के तहत नामित करने के साथ ही गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना के खंड 5(1), 1970 / 1980 के तहत नियुक्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जो कि कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित "स्वतंत्र निदेशकों" के समान है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कॉरपोरेट प्रशासन में सुधार के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों को स्थापित किया।

शेयरधारकों के निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है। बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।

3) लेखापरीक्षा समिति

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (ए सी बी) का गठन एवं कार्यसंचालन, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के द्वारा प्रशासित है।

the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India / GOI guidelines. The Two Shareholder Directors (Independent Directors) fulfill the necessary conditions as per the RBI / GOI guidelines and are also independent of the Management.

During the year the Board carried out an annual evaluation and evaluation of performance of whole time directors is carried out using an evaluation matrix as per the key performance indicators (KPIs) for the assessment of Quantitative & Qualitative parameters as advised by Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI ("Ministry") vide their letter No.F.No.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015 along with the weightage of marks for implementation of the PSB Reforms Agenda under Enhanced Access & Service Excellence (EASE). The KPI indicators broadly covers efficiency of capital use, growth of business, NPA management, Financial inclusion, improvement in external credit rating, initiative to improve asset quality, to conserve capital and HR initiatives for skill development and talent management.

Government of India with a view to improve corporate governance in PSBs notified PSB Governance Reforms vide notification F.No.6/20/2019-BO.I dated 30.08.2019. The Government referred the non-official directors nominated under clauses (g) and (h) of section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 (Act), including non - executive chairman appointed under clause 5(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980 to be similar in nature to "Independent Directors" defined under Companies Act and instituted the performance evaluation measures to improve the corporate governance in PSBs.

The evaluation of shareholders directors / independent directors is being done on annual basis. Transparency and independence in functioning of the Board is ensured.

3) Audit Committee

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Bank as per guidelines of Reserve Bank of India and the Government of India.

i) एसीबी समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है ।

ii) बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का मुख्य कार्य निम्नवत है:

क.	बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना।
ख.	लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा
ग.	बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना
घ.	बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

एसीबी लेखा परीक्षा समिति द्वारा लॉन्ग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाये गये मामलों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा आरबीआई की रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों / मामलों का अनुवर्तन एवं अनुपालन कक्ष, अंतर–शाखा लेखा समाधान अनुभाग (आईबीएआर) आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस.एआरएस.बीसी संख्या: 4/08.91.20/2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा समीक्षा कैलेण्डर सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है । इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें समीक्षा कैलेण्डर के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के सामने विधिवत रखा जाता है। इसके द्वारा यह पुष्टि की गई है कि किसी भी कर्मी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में दिये गये हैं ।

i) ACB provides directions and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

ii) The major functions of the committee are as under:

a.	To oversee the bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
b.	To review with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and
c.	To review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of annual accounts and reports.
d.	To review Bank's finance and risk management policies.

ACB also reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR), follow-up on the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI, and also makes a review of reports received from Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO.4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews. It is hereby affirmed that no personnel has been denied access to Audit Committee.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A &B.

4) **नामांकन और पारिश्रमिक समिति**

जैसा कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके सूचना संदर्भ संख्या एस .सं.16/19/2019 बीओ. आई दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से निर्देशित किया गया है, बैंक के निदेशक मंडल ने एक एकल समिति यानी बोर्ड की नामांकन समित द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति और आरबीआई की संचार संख्या आरबीआई / डीबीआर/2019–20/71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीटीटी.नं:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से निर्दिष्ट संरचना के अनुसार बोर्ड की पारिश्रमिक समिति का गठन किया था।

बैंकिंग व्यवसाय की सामान्य कार्यप्रणाली के अलावा, बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनके सहायक या रिश्तेदारों, आदि के साथ किसी भी तरह के भौतिक रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ बड़े स्तर पर संभावित टकराव हो सकता है। । वर्ष के दौरान बैंक के गैर–कार्यकारी निदेशकों के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेनदेन नहीं थे। गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मापदंड हमारी वेबसाइट www.canarabank.com पर उपलब्ध है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति का विवरण परिशिष्ट ए और बी में दिया गया है।

5) **निदेशकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान**

क) निदेशकों को पारिश्रमिक, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अदा किया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को प्रदत्त वेतन विवरण निम्नवत हैं:

नाम और पदनाम	अवधि	कुल (₹)
श्री एल वी प्रभाकर प्र नि व मु का अ	01.02.2020 - 31.03.2020	5,21,716.00
श्री आर ए शंकर नारायण प्र नि व मु का अ	15.04.2019 - 31.03.2020	33,97,944.98
श्री मटम वेंकट राव कार्यपालक निदेशक	01.04.2019 - 31.03.2020	28,53,332.00
श्री देवाशीष मुखर्जी कार्यपालक निदेशक	01.04.2019 - 31.03.2020	28,11,214.00
सुश्री ए मणिमेखलै कार्यपालक निदेशक	01.04.2019 - 31.03.2020	27,29,904.84
कुल		**123,14,111.82**

4) **Nomination and Remuneration Committee**

As directed by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, vide Communication Ref No. F.No.16/19/2019 BO.I dated 30.08.2019, the Board of Directors of the Bank had constituted a single committee i.e Nomination and Remuneration Committee of the Board for carrying out the functions entrusted to the Nomination Committee of the Board and Remuneration Committee of the Board having composition as specified by RBI vide Communication RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No:9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019.

Other than those in the normal course of Banking Business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its Promoters, Directors or the Management, their Subsidiaries or Relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Director(s) vis-à-vis the Bank during the year. The criteria for making payment to Non-Executive Directors are available at our website www.canarabank.com.

The composition of members of Nomination and Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

5) **Remuneration to Directors**

a) Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time Directors of the Bank, during the year 2019-20 are as under:

Name & Designation	Period	Amount (₹)
Sri. L V Prabhakar MD & CEO	01.02.2020 - 31.03.2020	5,21,716.00
Sri. R A Sankara Narayanan MD & CEO	15.04.2019 - 31.03.2020	33,97,944.98
Sri. Matam Venkata Rao ED	01.04.2019 - 31.03.2020	28,53,332.00
Sri. Debashish Mukherjee ED	01.04.2019 - 31.03.2020	28,11,214.00
Ms A Manimekhalai ED	01.04.2019 - 31.03.2020	27,29,904.84
TOTAL		**123,14,111.82**

ख) गैर–कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक राशि नहीं दी जा रही है। गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण परिशिष्ट ग में दिया गया है। (पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार और भारिबै के प्रतिनिधि निदेशकों के लिए कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।)

6) **शेयरधारक संबंध समिति**

इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी की जाती है।

शेयरधारक शिकायत सांख्यिकी	
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों / अभ्यावेदनों की संख्या	1091
ऐसी शिकायतें जिनके समाधान से शेयरधारक संतुष्ट नहीं हुए	शून्य
लंबित शिकायतें	शून्य

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 6(1) के अनुसार श्री विनय मोहता, कंपनी सचिव दिनांक 31.03.2020 तक बैंक के अनुपालन अधिकारी थे।

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं ।

अन्य समितियाँ / उप समितियां

क) प्रबंधन समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 13 के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का

b) Non-Executive Directors are not being paid any other remuneration except Sitting Fee as fixed by Government of India. The Sitting Fee is paid to the Non-Executive Directors as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of Sitting Fee paid to directors during the year 2019-20 is given in the Appendix C. (No Sitting Fee is payable to whole-time Directors and Directors representing Government of India & RBI)

6) **Stakeholders Relationship Committee**

The Committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related to transfer of shares, non-receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

Shareholders' Grievances Statistics	
Complaints / Representations received during the year	1091
Complaints not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Pending complaints	Nil

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Shri Vinay Mohta, Company Secretary was the Compliance Officer of the Bank as on 31.03.2020.

The composition of members of Stakeholders Relationship Committee and details of attendance at the meeting are given in appendix A & B.

Other Committees / Sub committees

a) **Management Committee**

The Management Committee of the Board is constituted as per the Clause 13 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with

समझौता / निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है ।

प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना एवं बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं ।

ख) जोखिम प्रबंधन समिति

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन की व्याप्ति के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियाँ रूपायित की हैं ।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति रूपायित करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है ।

चूँकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, चार उच्च स्तरीय समितियां अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं समूह जोखिम प्रबन्धन समिति स्थापित हैं जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मसलों को संभालती हैं । इन चारों समितियों के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं तथा वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है ।

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और बैठक में उनकी उपस्थिति के विवरण अनुबंध 'क' तथा 'ख' में दिये गये हैं ।

ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है । समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

the Committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise / settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits / appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the Committee by the Board.

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are given in Appendix A & B.

b) Risk Management Committee

The Bank has evolved suitable Risk Management Policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board Level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated Risk Management System for the Bank.

As the Risk Management system is required to be implemented through a Committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The MD & CEO or ED of the Bank is the Chairman for all the four Committees, assisted by the senior level executives of the Bank.

The composition of members of Risk Management Committee of the Board and the details of attendance at the meetings are given in appendix A & B.

c) Asset Liability Management Committee

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD & CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the senior executives of the Bank.

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की व्याप्ति निम्नांकित है:

क) तरलता जोखिम प्रबंधन

ख) बाज़ार जोखिम प्रबंधन

ग) व्यापारिक जोखिम प्रबंधन

घ) निधीयन एवं पूंजी आयोजना

ङ) लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

घ) सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की उप समिति

इसी तरह,बोर्ड ने दिनांक 18.09.2017 को दिए आदेश के माध्यम से बैंक को आवंटित डिजिटल लेनदेन में उपलब्धि की प्रगति की निगरानी करने के लिए आईबीए और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय (एमईआईटीवाई)की सिफारिशों के आधार पर डिजिटल लेनदेन (एससी–डीटी) में उपलब्धि की निगरानी के लिए उप–समिति के गठन की अनुमति दी।

बोर्ड ने दिनांक 07.06.2003 को दिए आदेश के माध्यम से बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (एससीआईटी)के कार्यान्वयन में निगरानी के लिए बोर्ड को उप समिति के गठन की अनुमति दी।

जैसा कि उपरोक्त समितियों के कार्य समान हैं,बैंक ने वर्ष के दौरान दोनों उप समितियों का विलय कर दिया है।

ङ) पूंजी नियोजन प्रक्रिया के लिए बोर्ड की उप समिति

गैर–कोर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए बोर्ड की उप समिति के कार्य,अधिकार जारी करने की बोर्ड की उप समिति (एससी–आरआई),योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (एससी–क्यूआईपी) और अन्य संस्थानों(एससी ट्रएसएच) में शेयर धारक निदेशकों के लिए मतदान के लिए बोर्ड

The scope of ALCO functions is as follows:

A) Liquidity risk management

B) Management of market risk

C) Trading risk management

D) Funding and capital planning

E) Profit planning & growth planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net-interest Income.

d) Sub Committee of the Board for Monitoring the Progress in Implementation of Information Technology

The Board, vide orders dated 18.09.2017 permitted the formation of Sub-Committee for Monitoring the Progress of Achievement in Digital Transactions (SC-DT) based on the recommendations of IBA and Ministry of Electronics and Telecommunications (MeitY) to monitor the progress of achievement in Digital Transactions allotted to the Bank.

Similarly, the Board, vide orders dated 07.06.2003 permitted the formation of Sub Committee of the Board for Monitoring the Progress in Implementation of Information Technology (SC-IT) to monitor the progress, provide guidance and suggestions to implement Information Technology in the Bank.

As the functions of above Committees are similar, the Bank has merged both the Sub Committees during the year.

e) Sub Committee of the Board for Capital Planning Process

Functions of Sub Committee of the Board for Monetization of Non Core Assets, Sub Committee of the Board for Rights Issue (SC-RI), Sub Committee of the Board to decide on Modalities of Qualified Institutional Placement (SC-QIP) and Sub Committee of the Board for Voting for Share Holder Directors

की उप समिति पूंजी जुटाने की गतिविधियों से संबंधित हैं। इसलिए निदेशक मंडल ने उक्त समितियों को कैपिटल प्लानिंग प्रोसेस (एससी-सीपी)के लिए बोर्ड की उप समिति के साथ विलय करने की अनुमति दी है।

in other Institutions (SC-SH) are related to the Capital Raising activities. Hence Board of Directors has permitted to merge said Committees with Sub Committee of the Board for Capital Planning Process (SC-CP).

7) सामान्य बैठकें

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:

एजीएम (आईपीओ के बाद)	दिनांक	समय	स्थान
15वीं एजीएम	20.07.2017	03.30 अपराह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001
16वीं एजीएम	26.07.2018	10.15 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001
17वीं एजीएम	25.07.2019	10.30 पूर्वाह्न	ज्ञानज्योति ऑडिटोरियम, सेंट्रल कॉलेज, पैलेस रोड, बेंगलूर - 560 001

7) General Body Meetings

The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

AGM (After IPO)	Date	Time	Venue
15th AGM	20.07.2017	03.30 PM	Jnanajyothi Auditorium Central College Palace Road Bangalore - 560 001
16th AGM	26.07.2018	10.15 AM	Jnanajyothi Auditorium, Central College Palace Road, Bangalore - 560 001
17th AGM	25.07.2019	10.30 AM	Jnanajyothi Auditorium, Central College Palace Road, Bangalore - 560 001

पिछले तीन वार्षिक आम बैठक (यानी, बैंक की 15 वीं एजीएम, 16 वीं एजीएम और 17 वीं एजीएम) में से प्रत्येक के माध्यम से इक्विटी शेयरों के सृजन / प्रस्ताव / जारी करने / आवंटन और / या लागू दिशानिर्देशों के अनुसार वरीयता शेयरों के लिए विशेष संकल्प रखा गया।)

One special resolution each was put through in last three Annual General Meetings (ie., 15th AGM, 16th AGM and 17th AGM of the Bank) to create / offer / issue and allot equity shares and / or Preference Shares in accordance with the applicable guidelines.

17वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित निदेशकों के विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिये गये हैं।

Details of attendance of Directors at the 17th Annual General Meeting are given in Appendix B.

पोस्टल बैलट के माध्यम से पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण, यदि कोई हो:

Details of Special Resolutions passed through Postal Ballot, if any:

दिन एवं दिनांक	उद्देश्य / विशेष संकल्प
शनिवार, 23 नवंबर 2019	1. अधिमान्य निर्गम के तहत भारत सरकार को रुपये ₹6,571 करोड़ तक के रुपये ₹237.23 (शेयर प्रीमियम ₹227.23 सहित) के जारी मूल्य पर प्रति शेयर रुपये ₹10/- (रुपये 10 मात्र) की दर पर 27,69,88,576 इक्विटी शेयर सृजित, पेश करने, जारी करने के लिए।
बैंक ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मैसर्स मालती कुमार (सीओपी नंबर 10980), मेसर्स एस एन अनंतसुब्रमण्यन एवं सीओ, कंपनी सेक्रेटरी, थाणे को स्क्रूटिनीज़र के रूप में नियुक्त किया था।	
वर्तमान में, बैंक के पास पोस्टल बैलट के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की कोई योजना नहीं है। शेयरधारकों को इसकी योजना बनने पर सूचित किया जाएगा।	
पोस्टल बैलट की प्रक्रिया: सेबी के नियमन 44 (सूचीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकताएं) नियमन, 2015, समय-समय पर संशोधित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन सहित या बाद में पुन: संशोधन पर प्रभावी) के अनुसार	

8) **संप्रेषण का माध्यम**

केनरा बैंक, बैंक से संबंधित जानकारी मुख्यतया बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के ज़रिए देता है, जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा, नकद प्रवाह विवरण आदि शामिल हैं । शेयरधारकों को अखबारों में प्रकाशन, स्टॉक एक्स्चेंज को सूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ, विश्लेषकों से प्रस्तुतियों और वेबसाइट www.canarabank.com के माध्यम से सूचित किया जाता है। बैंक अपनी वेबसाइट में आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति, संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के लिए प्रस्तुतिकरण को भी प्रदर्शित करता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचिबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुसार वित्तीय परिणाम और मूल्य में संवेदनशीलता संबंधी अन्य सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती हैं।

Day & Date	Purpose / Special Resolution
Saturday, 23rd November, 2019	1. To create, offer, issue and allot 27,69,88,576 equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) at Issue Price of ₹237.23 (Inclusive of Share Premium of ₹227.23) aggregating upto ₹6,571 crore to the Government of India (GOI) under Preferential Issue.
The Bank had appointed Ms. Malati Kumar (COP No. 10980) of M/s. S.N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.	
At present, the Bank has no such plan to pass special resolution through Postal Ballot. The shareholders will be intimated as and when it will be planned.	
Procedure for Postal Ballot: As per Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force)	

8) **Means of Communication**

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors Report, audited accounts, cash flow statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances through publication in news papers, intimation to stock exchanges, press releases, presentations to Analysts and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official news releases, presentations made to institutional investors, analysts on its website.

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive information are furnished to Stock Exchanges.

परिणामों का प्रकाशन

समाप्त तिमाही	प्रकाशन की तारीख	समाचार पत्र	
		स्थानीय भाषाएं	राष्ट्रीय
31.03.2019 (एकल लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम)	11.05.2019	उदयवाणी	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
31.03.2019 (गैर लेखा परीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	23.05.2019	कन्नड प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
30.06.2019 (गैर लेखा परीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	25.07.2019	कन्नड प्रभा	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अग्रेंज़ी) जन सत्ता (हिन्दी)
30.09.2019 (गैर लेखा परीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	07.11.2019	कन्नड प्रभा	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अग्रेंज़ी) जन सत्ता (हिन्दी)
31.12.2019 (गैर लेखा परीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	24.01.2020	कन्नड प्रभा	बिजनेस स्टैण्डर्ड (अंग्रेज़ी व हिन्दी)
31.03.2020 (एकल लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम)	25.06.2020	कन्नड प्रभा	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अग्रेंज़ी) जन सत्ता (हिन्दी)
31.03.2020 (गैर लेखा परीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम)	25.06.2020	कन्नड प्रभा	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अग्रेंज़ी) जन सत्ता (हिन्दी)

Publication of Results

Quarter Ended	Date of Publication	Newspaper	
		Vernacular	National
31.03.2019 (Standalone Audited Financial Results)	11.05.2019	Udayavani	Business Standard (English & Hindi)
31.03.2019 (Consolidated Audited Financial Results)	23.05.2019	Kannada Prabha	Business Standard (English & Hindi)
30.06.2019 (Unaudited Reviewed Financial Results)	25.07.2019	Kannada Prabha	Financial Express (English) Jan Satta (Hindi)
30.09.2019 (Unaudited Reviewed Financial Results)	07.11.2019	Kannada Prabha	Financial Express (English) Jan Satta (Hindi)
31.12.2019 (Unaudited Reviewed Financial Results)	24.01.2020	Kannada Prabha	Business Standard (English & Hindi)
31.03.2020 (Standalone Audited Financial Results)	25.06.2020	Kannada Prabha	Financial Express (English) Jan Satta (Hindi)
31.03.2020 (Consolidated Audited Financial Results)	25.06.2020	Kannada Prabha	Financial Express (English) Jan Satta (Hindi)

9) शेयरधारकों को सामान्य सूचना

- **वित्तीय कैलेण्डर**

वित्तीय वर्ष	2019-2020
बही बंदी की तिथि (दोनों दिन सहित)	04.08.2020 से 10.08.2020
अधिकृत प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05.08.2020
ई-मतदान की निर्दिष्ट तिथि	03.08.2020
वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	10.08.2020
वार्षिक सामान्य बैठक का समय	11.00 बजे पूर्वाह्न
वार्षिक सामान्य बैठक का स्थान	वीसी / ओएवीएम

- **स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण**

निम्नांकित स्टाक एक्सचेंजों में केनरा बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है । संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक कूट उनके नाम के आगे दिया गया है ।

1	बी एस ई लिमिटेड	532483
2	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	CANBK

वर्ष 2019-20 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान निर्धारित देय तिथि के अंदर किया गया है ।

- **गैर अनुपालन**

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचिबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुलग्नक-V के उप-खंड (2) से (10) की कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करना: **शून्य**

9) General Shareholders' Information

- **Financial Calendar**

Financial Year	2019-2020
Book Closure Date (both days inclusive)	04.08.2020 to 10.08.2020
Last Date for receipt of Authorised Representative	05.08.2020
e-Voting Cut-Off Date	03.08.2020
Date of Annual General Meeting	10.08.2020
Time of Annual General Meeting	11.00 AM
Venue of Annual General Meeting	VC / OAVM

- **Listing on Stock Exchanges:**

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names.

1	BSE Limited	532483
2	National Stock Exchange of India Limited	CANBK

Annual Listing fee to stock exchanges for the year 2019-20 has been paid within the prescribed due date.

- **Non-compliance**

Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) of Annexure-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 : **NIL**

- बाजार मूल्य आंकड़े

माह	वर्ष	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.		
		अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	शेयरों की मात्रा
अप्रैल	2019	302.00	254.65	61,84,639	302.10	254.25	9,52,82,356
मई	2019	285.55	238.80	67,57,977	285.55	238.45	13,11,38,038
जून	2019	291.60	253.70	57,26,839	291.80	253.30	9,95,56,928
जुलाई	2019	296.50	223.85	1,00,38,548	296.55	229.30	14,86,03,335
अगस्त	2019	239.40	207.15	83,24,790	239.00	207.40	12,04,93,814
सितंबर	2019	213.35	180.00	1,09,10,579	214.00	180.00	19,46,85,395
अक्तूबर	2019	209.05	170.55	72,71,019	209.10	170.60	14,38,74,965
नवंबर	2019	234.30	193.80	1,12,04,926	234.25	193.70	20,11,31,084
दिसंबर	2019	232.90	206.40	59,77,412	232.85	206.10	15,60,95,522
जनवरी	2020	230.00	200.20	65,50,881	229.80	200.15	19,36,64,295
फरवरी	2020	205.45	141.10	68,67,825	205.55	140.15	17,26,84,426
मार्च	2020	147.90	73.85	1,07,49,545	147.90	73.65	24,33,61,564

- Market Price Data

Month	Year	BSE Ltd.			National Stock Exchange of India Ltd.		
		High (₹)	Low (₹)	Volume No.	High (₹)	Low (₹)	Volume No.
April	2019	302.00	254.65	61,84,639	302.10	254.25	9,52,82,356
May	2019	285.55	238.80	67,57,977	285.55	238.45	13,11,38,038
June	2019	291.60	253.70	57,26,839	291.80	253.30	9,95,56,928
July	2019	296.50	223.85	1,00,38,548	296.55	229.30	14,86,03,335
August	2019	239.40	207.15	83,24,790	239.00	207.40	12,04,93,814
September	2019	213.35	180.00	1,09,10,579	214.00	180.00	19,46,85,395
October	2019	209.05	170.55	72,71,019	209.10	170.60	14,38,74,965
November	2019	234.30	193.80	1,12,04,926	234.25	193.70	20,11,31,084
December	2019	232.90	206.40	59,77,412	232.85	206.10	15,60,95,522
January	2020	230.00	200.20	65,50,881	229.80	200.15	19,36,64,295
February	2020	205.45	141.10	68,67,825	205.55	140.15	17,26,84,426
March	2020	147.90	73.85	1,07,49,545	147.90	73.65	24,33,61,564

अदावी लाभांश,यदि हों तो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश अधिपत्र / उन्हें पिछले वर्षों के अर्थात 2012-13 से 2014-15 और 2016-17 के लाभांश प्राप्त हुए नहीं हुए हैं,उनसे अनुरोध है कि वे प्रतिलिपि लाभांश अधिपत्र के पुनर्वैधीकरण / निर्गम के लिए बैंक के शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता से संपर्क करें। बैंक ने अपनी साइट अर्थात www.canarabank.com पर अदावी / अदत्त लाभांश अधिपत्र का ब्योरा डाला है ताकि शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके शेयरधारकों को दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

बैंककारी कंपनी की धारा 10बी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970, के अनुसार, सात वर्षों की अवधि तक अदत्त या अदावी लाभांश की शेष राशि को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ)में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है। बैंक निम्नांकित दिनांक को वर्ष 2012–13 के लिए अदावी / अदत्त लाभांश राशि को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है:

- ई-सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) के लिए : 28.07.2020
- केनरा बैंक के लिए : 22.08.2020

- **अन्य प्रकटन**

सेबी ने अपने परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/डीआईएल/10/2010 दिनांक 16.12.2010 द्वारा ईक्विटी लिस्टिंग करार के खण्ड 5ए में संशोधन किये हैं। संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक या किसी अन्य इश्यू के परिणामस्वरूप भौतिक रूप में जारी किये गये शेयरों, जो अदावी रह जाते हैं, के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया अपनानी है।

बैंक ने 2002–03 के दौरान आईपीओ जारी करके निवेशकों को ₹10/– अंकित मूल्य के 41 करोड़ ईक्विटी शेयर भौतिक और डीमैट दोनों रूपों में जारी किये ।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन की अनुसूची V के मद एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के मामले में अदावी शेयर जारीकर्ता बैंक द्वारा निक्षेपागार सहभागी के साथ खोले गए उचंत खाते में जमा किया जाना है । तदनुसार बैंक ने केनरा बैंक, डीपी कक्ष, बेंगलूर

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2012-13 to 2014-15 & 2016-17, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants. The Bank has posted the details of the Unclaimed / Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank is in the process of transferring the Unclaimed / Unpaid Dividend amount for the year 2012-13 to the said fund on following dates :

- For E-Syndicate Bank (Now Canara Bank) : 28.07.2020
- For Canara Bank : 22.08.2020

- **Other Disclosures**

The SEBI, vide its Circular CIR/CFD/DIL/10/2010, dated 16.12.2010, made amendments to Clause 5A of the Equity Listing Agreement. As per the amendment, for shares issued in physical form pursuant to a public issue or any other issue, which remain unclaimed, the issuer company has to follow the procedure prescribed therein.

The Bank went for IPO during 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.

In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, the unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. Accordingly, the Bank had opened a

में एक विभौतिक (डीमैट) खाता खोला है । तत्संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

खाते का नाम	डीपीअईडी आईडी / ग्राहक पहचान संख्या	को शेष राशि" 31.03.2020
केनरा बैंक - अदावी उचंत खाता - भौतिक शेयर	301356 / 20552606	1200
केनरा बैंक - अदावी उचंत खाता - भौतिक शेयर	300394 / 19568668	9161

ई–सिंडिकेट बैंक के अदावी शेयर

खाते का नाम	डीपीअईडी आईडी / ग्राहक पहचान संख्या	को शेष राशि" 31.03.2020
सिंडिकेट बैंक - अदावी उचंत खाता - भौतिक शेयर	1305060000006721	14523
सिंडिकेट बैंक - अदावी उचंत खाता - डीमैट शेयर	1305060000006734	3207

Demat account with Canara Bank, DP Cell, Bangalore. The details are as under:

Name of the account	DPID / Client ID	Balance as on 31.03.2020
Canara Bank - Unclaimed Suspense A/c - Physical Shares	301356 / 20552606	1200
Canara Bank - Unclaimed Suspense A/c - Rights Issue-Demat Shares	300394 / 19568668	9161

Unclaimed Shares of e-Syndicate Bank

Name of the account	DPID / Client ID	Balance as on 31.03.2020
SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Physical Shares	1305060000006721	14523
SyndicateBank - Unclaimed Suspense Account - Demat Shares	1305060000006734	3207

ब्रॉड आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन Performance in Comparison to Broad Based Indices

CANARA BANK Share Price & BSE Sensex High

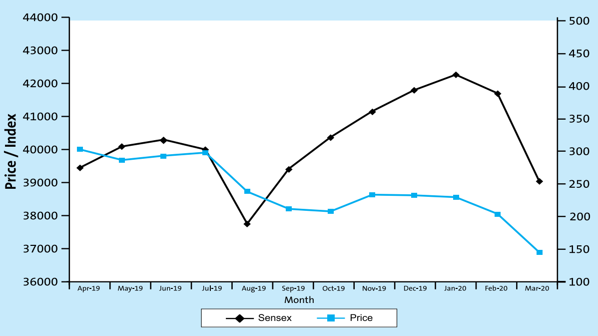

CANARA BANK Share Price & BSE Sensex Low

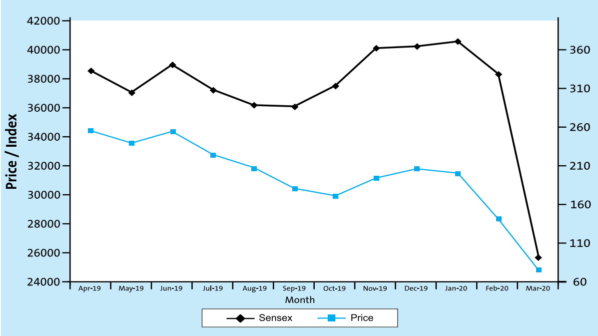

CANARA BANK Share Price & BSE Bankex High

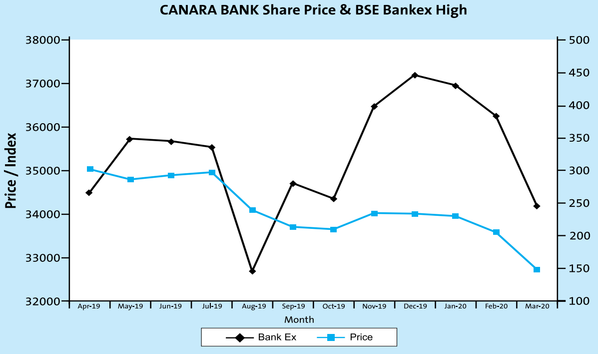

CANARA BANK Share Price & BSE-Index-Bankex Low

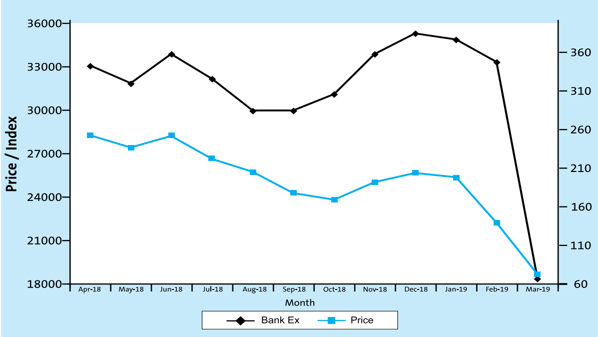

CANARA BANK Share Price & NSE Bank Nifty High

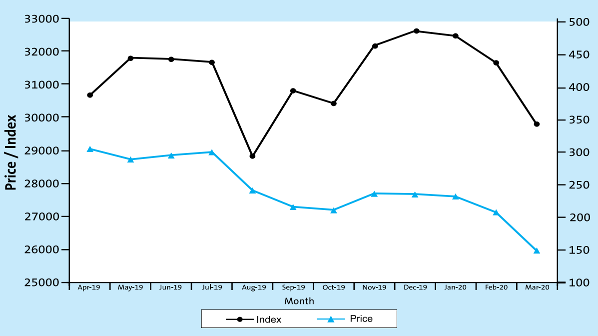

CANARA BANK Share Price & NSE Bank Nifty Low

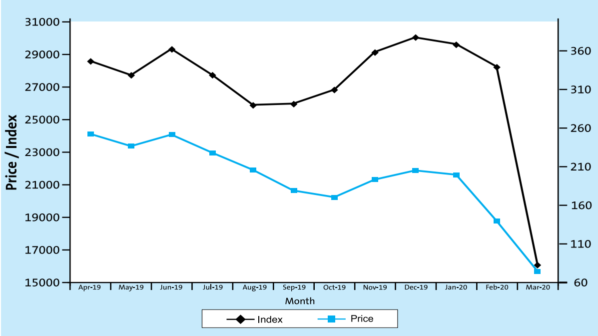

CANARA BANK Share Price & NIFTY HIGH

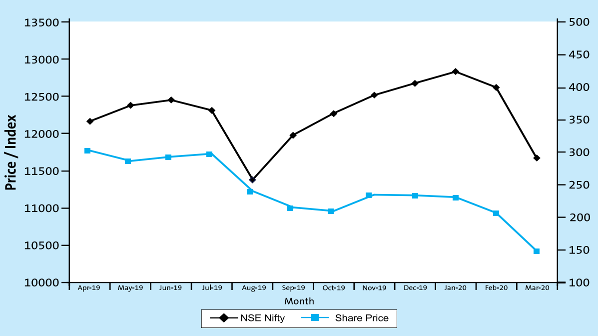

CANARA BANK Share Price & NIFTY Low

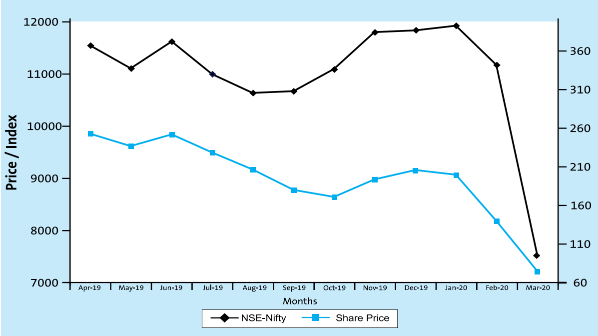

- **रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट**

केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
इकाई: केनरा बैंक
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
गाचीबॉवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा,
हैदराबाद- 500 032

- **शेयर अंतरण प्रणाली**

क) भौतिक शेयर

सेबी ने अधिसूचना क्रमांक एसईबीआई/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 के माध्यम से सेबी के विनियमन 40 (सूचीबद्धता निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) 2015 में संशोधन किया गया है, अब 5 दिसंबर, 2018 से प्रतिभूतियों का अंतरण केवल अभौतिकीकृत रूप में किया जाना अनिवार्य है। हालांकि, केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए अनुपालन की तारीख के विस्तार के लिए शेयरधारकों से प्राप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, सेबी ने अपने "प्रेस विज्ञप्ति" पीआर नंबर 49 / 2018 दिनांक 3 दिसंबर, 2018 के माध्यम से केवल अभौतिकीकृत रूप में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुपालन के लिए 1 अप्रैल, 2019 तक के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई। सभी निवेशक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उन्हें जल्द से जल्द एक डीमैट खाता खोलने पर विचार करना चाहिए और शेयरों की तरलता की रक्षा के लिए अपने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रतिभूतियों को केवल भौतिक रूप में प्रसारण और अंतरण के लिए अनुरोधों को स्वीकार किया जाएगा। मूल शेयर प्रमाणपत्रों के साथ–साथ शेयरों के प्रसारण / अंतरण के अनुरोध, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, को भेजा जाना चाहिए।

ख) डीमैट रूप में शेयर

डीमैट रूप में शेयर हों तो, उनको अंतरित करने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) को सुपुर्दगी अनुदेश देने हैं।

- **Registrar and Transfer Agent**

KFin Technologies Pvt. Ltd.
Unit: Canara Bank
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda
Hyderabad - 500 032

- **Share Transfer System**

a) Physical Shares

SEBI vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018, has amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, mandating transfer of securities to be carried out only in dematerialised form with effect from December 5, 2018. However, on the basis of representations received from shareholders for extension of the date of compliance for transfer of securities only in Demat Form, SEBI has vide its “Press Release” PR. No. 49/2018 dated December 3, 2018, extended the deadline till April 1, 2019 to comply with the requirement of transfer of securities only in Demat Form. All the investors who are holding shares in physical form, should consider opening a Demat account at the earliest and submit request for dematerialization of their shares in order to protect the liquidity of the shares.

Only the requests for transmission and transposition of securities in physical form, will be accepted. The original Share Certificates along with transmission / transposition request should be forwarded to KFin Technologies Pvt. Ltd, Hyderabad, the Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for transmission / transposition of shares.

b) Shares in Demat form

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

- **शेयरधारिता का वितरण** (31.03.2020)

क्र. सं	श्रेणी	# शेयरों की संख्या	शेयर धारण का %
1	भारत सरकार	80,89,33,351	78.52
2	बैंक व वित्तीय संस्थाएं	71,80,506	0.70
3	बीमा कंपनियाँ	7,01,75,191	6.81
4	म्युचुअल फंड	4,09,00,022	3.97
5	कॉरपोरेट निकाय	38,93,416	0.38
6	एन आर आई / ओ सी बी	9,66,514	0.09
7	निवासी व्यक्ति / अविभक्त हिन्दू परिवार / न्यास आदि	6,40,87,142	6.22
8	विदेशी संस्थागत निवेशक / एफ पी आई	3,40,97,209	3.31
	कुल	**103,02,33,351**	**100.00**

प्रत्येक शेयर का आंकित मूल्य ₹10/–

- **Distribution of Shareholding** (31.03.2020)

Sl. No.	Category	# No. of Shares	% of Shareholding
1	Government of India	80,89,33,351	78.52
2	Banks & Financial Institutions	71,80,506	0.70
3	Insurance Companies	7,01,75,191	6.81
4	Mutual Funds	4,09,00,022	3.97
5	Bodies Corporate	38,93,416	0.38
6	NRIs / OCBs	9,66,514	0.09
7	Resident Individuals / HUF / Trust etc.	6,40,87,142	6.22
8	Foreign Institutional Investors / FPIs	3,40,97,209	3.31
	TOTAL	**103,02,33,351**	**100.00**

Nominal value of each share is ₹10/-

मूल्य वार:

(31.03.2020)

शेयर धारण का नामिक मूल्य (₹)	शेयर धारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5000 तक	2,24,627	99.71	5,54,29,132	5.38
5001 से 10000	343	0.15	24,49,585	0.24
10001 से 20000	143	0.06	19,98,611	0.19
20001 से 30000	37	0.02	9,02,174	0.09
30001 से 40000	24	0.01	8,36,615	0.08
40001 से 50000	18	0.01	8,01,857	0.08
50001 से 100000	36	0.02	25,04,397	0.24
100001 व उससे अधिक	63	0.03	96,53,10,980	93.70
कुल	**2,25,291**	**100.00**	**103,02,33,351**	**100.00**

Value wise:

(31.03.2020)

Shareholding Nominal Value (₹)	No. of Shareholders	%	No. of Shares	%
Up to 5000	2,24,627	99.71	5,54,29,132	5.38
5001 to 10000	343	0.15	24,49,585	0.24
10001 to 20000	143	0.06	19,98,611	0.19
20001 to 30000	37	0.02	9,02,174	0.09
30001 to 40000	24	0.01	8,36,615	0.08
40001 to 50000	18	0.01	8,01,857	0.08
50001 to 100000	36	0.02	25,04,397	0.24
100001 and above	63	0.03	96,53,10,980	93.70
TOTAL	**2,25,291**	**100.00**	**103,02,33,351**	**100.00**

- **शेयरों का अभौतिकीकरण और नकदी**

बैंक के शेयरों का लेन–देन अनिवार्यतया अभौतिकीकृत रूप में ही किया जाता है । अपने शेयर के अभौतिकरण के लिए बैंक नैशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉसिटरीस सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) के साथ करार में प्रविष्ट हुआ। बैंक शेयर के लिए आबंटित आईएसआईएन आईएनई.476ए01014 है। शेयरों का अभौतिकरण उनका आसान नकदीकरण सुनिश्चित करता है।

बैंक के शेयरों का अभौतिक रूप में ही खरीद फरोख्त होने के कारण भौतिक रूप में शेयरों का धारण करनेवाले शेयरधारकों को किसी निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास विभौतिक खाता खोलकर शेयरों के अभौतिक रूप में बदलने के लिए संबंधित निक्षेपागार सहभागी को भेजना है जो उन्हें आगे केफिन टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को भेजेंगे, जो बैंक का रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट है।

अभौतिक / भौतिक रूप से धारण (31.03.2020)

	शेयरधारकों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भौतिक	19,121	8.29	42,92,052	0.42
इलेक्ट्रॉनिक-एनएसडीएल	1,47,155	63.82	20,26,46,076	19.67
इलेक्ट्रॉनिक-सीडीएसएल	64,319	27.89	82,32,95,223	79.91
कुल	**2,30,595**	**100.00**	**103,02,33,351**	**100.00**

- जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखतें बकाया नहीं हैं।

- **पत्राचार का पता:**

केनरा बैंक
सचिवीय प्रभाग
प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
बेंगलूर - 560 002
ई-मेल पता : hosecretarial@canarabank.com

- **Dematerialisation of shares and liquidity**

The Bank's shares are traded compulsorily in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to KFin Technologies Private Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2020)

	Number of Shareholders	%	Number of Shares	%
Physical	19,121	8.29	42,92,052	0.42
Electronic-NSDL	1,47,155	63.82	20,26,46,076	19.67
Electronic-CDSL	64,319	27.89	82,32,95,223	79.91
TOTAL	**2,30,595**	**100.00**	**103,02,33,351**	**100.00**

- There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.

- **Address for Correspondence**

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
BENGALURU - 560 002
E-MAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

- **क्रेडिट रेटिंग्स**

क्र. सं.	आईएसआईएन	डिबेन्चर श्रेणी	कूपन	राशि करोड़ में	आवंटन की तिथि	प्रतिदान की तिथि	क्रिसिल रेटिंग दिनांक 20/12/2019	आईसीआरए रेटिंग दिनांक 31/1/2020	इंडिया रेटिंग दिनांक 28/2/2020	ब्रिकवर्क रेटिंग दिनांक 15/10/2019	केयर रेटिंग दिनांक 3/3/2020
1	INE476A09223	स्थायी – टियर I (श्रेणी III)	9.05	749.30	03–अगस्त 2010	स्थायी	क्रिसिल एएएरेटिंग अंडर वाच			बीडब्ल्यूआर एएए / क्रेडिट वाच	
2	INE476A09231	अपर टियर II श्रेणी III	8.62	1,000.00	29–सितम्बर 2010	29–सितम्बर 2025	क्रिसिल एएएरेटिंग अंडर वाच			बीडब्ल्यूआर एएए / क्रेडिट वाच	
3	INE476A09249	बेसल III टियर II श्रेणी I	9.73	1,500.00	03–जनवरी 2014	03–जनवरी 2024	क्रिसिल एएएरेटिंग अंडर वाच	आईसीआरए (एए+) (एचवाईबी)/रेटिंग वाच विद वलपमेंट इम्प्लिकेशंस			
4	INE476A09256	बेसल III टियर II श्रेणी II	9.70	1,000.00	27–मार्च 2014	27–मार्च 2024	क्रिसिल एएएरेटिंग अंडर वाच	आईसीआरए (एए+) (एचवाईबी)/रेटिंग वाच विद वलपमेंट इम्प्लिकेशंस			
5	INE476A08035	बेसल III कंप्लेंट एडिशनल टियर I	9.55	1,500.00	05–मार्च 2015	स्थायी		आईसीआरए (एए–) (एचवाईबी)/रेटिंग वाच विद वलपमेंट इम्प्लिकेशंस	आईएनडी एए / रेटिंग वाच निगेटिव		
6	INE476A09264	बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्डस 2015–16 (श्रेणी I)	8.40	1,500.00	31–दिसंबर 2015	31–दिसंबर 2025	क्रिसिल एएएरेटिंग अंडर वाच	आईसीआरए (एए+) (एचवाईबी)/रेटिंग वाच विद वलपमेंट इम्प्लिकेशंस	आईएनडी एएए / रेटिंग वाच निगेटिव		
7	INE476A08043	बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्डस 2015–16 (श्रेणी II)	8.40	900.00	07–जनवरी 2016	07–जनवरी 2026	क्रिसिल एएएरेटिंग अंडर वाच	आईसीआरए (एए+)(एचवाईबी)/ रेटिंग वाच विद वलपमेंट इम्प्लिकेशंस	आईएनडी एएए / रेटिंग वाच निगेटिव		
8	INE476A08050	बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्डस 2016–17	8.40	3,000.00	27–अप्रैल 2016	27–अप्रैल 2026	क्रिसिल एएएरेटिंग अंडर वाच	आईसीआरए (एए+) (एचवाईबी)/रेटिंग वाच विद वलपमेंट इम्प्लिकेशंस	आईएनडी एएए / रेटिंग वाच निगेटिव		
9	INE476A08068	बेसल III कंप्लेंट एडिशनल टियर I बोन्ड्स 2016–17 श्रेणी I	8.60	1,000.00	13–दिसंबर 2016	स्थायी	क्रिसिल एएएरेटिंग अंडर वाच		आईएनडी एए / रेटिंग वाच निगेटिव		
10	INE476A08076	बेसल III कंप्लेंट टियर II बॉन्डस 2019–20	7.18	3,000.00	11–मार्च 2020	11–मार्च 2030			आईएनडी एएए / रेटिंग वाच निगेटिव		"केयर एएए/ (क्रेडिट वाच विद डेवलपमेंट इम्प्लिकेशंस)"
		कुल बकाया		**15,149.30**							
11		जमा का प्रमाणपत्र		30,000.00			क्रिसिल ए1+		**आईएनडी ए1+**		

बैंक द्वारा जारी बांड के लिए न्यासी का विवरण इस प्रकार हैं

बांड न्यासी का नाम	एसबीआईकैप न्यासी कंपनी लिमिटेड
पता	कॉरपोरेट कार्यालय, एपीजे भवन, 6वां तल, 3, दिनशौ वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020
दूरभाषा संख्या	022-4302 5555

- **Credit Ratings**

Sl. No.	ISIN	Debenture Series	Coupon	Amount in Crores	Date of Allotment	Redemption Date	CRISIL Rating Dated 20/12/2019	ICRA Rating Dated 31/01/2020	India Rating Dated 28/02/2020	Brickwork Rating Dated 15/10/2019	CARE Ratings Dated 03/03/2020
1	INE476A09223	Perpetual - Tier I (Series III)	9.05	749.30	03-Aug-10	PERPETUAL	CRISIL AAA/ RATING under watch			BWR AAA/ Credit Watch	
2	INE476A09231	Upper Tier II Series III	8.62	1,000.00	29-Sep-10	29-Sep-25	CRISIL AAA/ RATING under watch			BWR AAA/ Credit Watch	
3	INE476A09249	BASEL III TIER II SER I	9.73	1,500.00	03-Jan-14	03-Jan-24	CRISIL AAA/ RATING under watch	ICRA (AA+) (HYB)/Rating watch with development implications			
4	INE476A09256	BASEL III TIER II SER II	9.70	1,000.00	27-Mar-14	27-Mar-24	CRISIL AAA/ RATING under watch	ICRA (AA+) (HYB)/Rating watch with development implications			
5	INE476A08035	Basel III Compliant Additional Tier I	9.55	1,500.00	05-Mar-15	PERPETUAL		ICRA(AA-) (HYB)/Rating watch with development implications	IND AA / Rating watch Negative		
6	INE476A09264	Basel III Compliant Tier II Bonds 2015-16 (Series I)	8.40	1,500.00	31-Dec-15	31-Dec-25	CRISIL AAA/ RATING under watch	ICRA (AA+) (HYB)/Rating watch with development implications	IND AAA/ Rating watch Negative		
7	INE476A08043	Basel III Compliant Tier II Bonds 2015-16 (Series II)	8.40	900.00	07-Jan-16	07-Jan-26	CRISIL AAA/ RATING under watch	ICRA (AA+) (HYB)/Rating watch with development implications	IND AAA/ Rating watch Negative		
8	INE476A08050	Basel III Compliant Tier II Bonds 2016-17	8.40	3,000.00	27-Apr-16	27-Apr-26	CRISIL AAA/ RATING under watch	ICRA (AA+) (HYB)/Rating watch with development implications	IND AAA/ Rating watch Negative		
9	INE476A08068	Basel III Compliant Additional Tier I Bonds 2016-17 Series I	8.60	1,000.00	13-Dec-16	PERPETUAL	CRISIL AA/ rating under watch		IND AA / Rating watch Negative		
10	INE476A08076	Basel III Compliant Tier II Bonds 2019-20	7.18	3,000.00	11-Mar-20	11-Mar-30			IND AAA/ Rating watch Negative		"CARE AAA/ (Credit watch with developing implica-tions)"
		Total Out-standing		**15,149.30**							
11		Certificate of Deposit		30,000.00			CRISIL A1+		**IND A1+**		

The details of the Trustee for Bonds issued by Bank are as under:

Name of the Bond Trustee	SBICAP Trustee Company Ltd.
Address	Corporate Office, Apeejay House, 6th Floor, 3, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai-400 020
Phone Number	022-4302 5555

10) प्रकटीकरण

क) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का समामेलन योजना 2020 की अधिसूचना दिनांक 04.03.2020 को भारत के आधिकारिक राजपत्र अधिसूचित किया जो कि दिनांक 01.04.2020 से लागू हो गया है।

ख) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंकिंग कंपनियों की धारा 9 (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-04032020-216535 दिनांक 4 मार्च, 2020 के द्वारा सिंडिकेट बैंक के समामेलन की योजना को मंजूरी प्रदान की है। दिनांक 05.03.2020 को बैंक के निदेशक मंडल और सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल ने अपनी-अपनी बैठक में समामेलन को मंजूरी प्रदान की है। संबंधित बैंकों के बोर्ड ने भी सिंडिकेट बैंक के ₹10/- के अंकित मूल्य के प्रत्येक 1000 ईक्विटी शेयरों के लिए केनरा बैंक के ₹10/- के अंकित मूल्य के प्रत्येक 158 ईक्विटी शेयरों के स्वैप अनुपात को मंजूरी दी है। अप्रैल 1, 2020 से समामेलन लागू हो गया है।

ग) केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के समामेलन की योजना के अनुसरण में और स्वीकृत स्वैप अनुपात के आधार पर, ₹10/– का पूरी तरह से प्रदत्त किए गए 42,32,68,155 शेयरों को जारी किया गया और ई-सिंडिकेट बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को दिनांक 01.04.2020 को आवंटित किया गया।

घ) बैंक ने दिनांक 11.03.2020 को 7.18% प्रतिभूति-रहित श्रेणीबद्ध सूचीबद्ध गौण गैर परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय पूर्णतया प्रदत्त कर-योग्य मोचनीय बेसल III अनुरूप टियर II बॉन्ड्स-शृंखला I 2019-20 बीओटी पर ₹3000 करोड़ रुपये की राशि निर्गत और आवंटित की है।

ङ) बैंक ने लंदन शाखा के माध्यम से विभिन्न हिस्सों में असुरक्षित बांड (एमटीएन) जारी करके धन जुटाया था और 31.03.2020 को बकाया राशि 1.00 बिलियन डॉलर है।

10) Disclosures

a) Ministry of Finance, GOI vide their notification dated 04.03.2020 notified Scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank 2020, in official gazette of India, which has come into force w.e.f 01.04.2020.

b) The Government of India (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services has issued Gazette Notification No. CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020, approving the scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank in exercise of the powers conferred by section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980). On 05.03.2020 the Board of Directors of the Bank and Board of Directors of the Syndicate Bank at their respective meeting, approved amalgamation. The Boards of respective Banks have also approved the swap ratio of 158 equity shares of face value ₹10/- each of Canara Bank for every 1000 equity shares of face value of ₹10/- each of Syndicate Bank. The amalgamation has come into effect from April 1, 2020.

c) In pursuant to the scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank, and based on the approved Swap Ratio, 42,32,68,155 fully paid up equity shares of ₹10 each were issued and allotted to equity shareholders of e-Syndicate Bank on 01.04.2020.

d) The Bank has on 11.03.2020, issued and allotted 7.18% Unsecured Rated Listed Subordinated Non Convertible Fully Paid Up Taxable Redeemable Basel III Compliant Tier II Bonds - Series I 2019-20 Bonds amounting to ₹3000 Crore.

e) The Bank had raised funds by issuing unsecured bonds (MTN) in various tranches through London Branch and outstanding amount as on 31.03.2020 is USD 1.00 Billion.

च) बैंक के संबंधित पक्ष संव्यवहार को यथा 31.03.2020 के तुलन-पत्र के लेखांकन संबंधी अनुसूची 18 में प्रकट की गई है । आगे, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार नहीं हुआ है।

छ) बैंक ने अपने शेयरों का सूचीकरण करने के बाद पूंजी बाज़ार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है । गत तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाज़ार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी अथवा किसी भी अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न कोई दंड लगाया गया है और न ही कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गई है।

ज) बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति स्थापित की है तथा व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गई है ।

झ) बैंक ने अपने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक / सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण खातों के नोट में दिखाया गया है।

ञ) कॉरपोरेट प्रशासन के प्रावधानों से संबंधित नीतियों (कॉरपोरेट प्रशासन नीति और संबंधित पक्ष संव्यवहार के लिए नीति और 'सामग्री' अनुषंगियों के निर्धारण के लिए) को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है एवं इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: www.canarabank.com → Investor relations→ Acts / Statutory policies / Schemes. दिनांक 31.03.2020 तक बैंक की कोई भौतिक सहायक कंपनी नहीं है।

ट) वस्तु मूल्य जोखिम एवं वस्तु बचाव हेतु गतिविधियाँ का प्रकटीकरण: लागू नहीं

ठ) अधिमानी आवंटन के माध्यम से जुटाई गई निधि के उपयोग का विवरण: बैंक ने दिनांक 04.12.2019 को, लागू प्रावधानों के अनुसार अधिमानी आवंटन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा पूंजी का अंत:प्रवाह के लिए बैंक के प्रमोटर भारत सरकार को कुल रुपये ₹6571 करोड़ के मूल्य के 27,69,88,576 (सत्ताईस करोड़ उन्हत्तर लाख अठ्ठासी हजार पाँच सौ छिहत्तर) इक्विटी

f) The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts Schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2020. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2019-20.

g) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.

h) The Bank has drawn a Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower(s).

i) The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI / Statutory authorities have been disclosed in the notes to accounts.

j) The policies related to the provisions of Corporate Governance (Corporate Governance Policy and Policy for Related Party Transactions and for determining 'Material' Subsidiaries), have been uploaded on the site of the Bank and the same can be viewed at the following link: www.canarabank.com → Investor relations→ Acts / Statutory policies / Schemes. There are no material subsidiaries of the bank as on 31.03.2020.

k) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities : Not Applicable

l) Details of utilization of funds raised through preferential allotment: The Bank has, on 04.12.2019, allotted 27,69,88,576 (Twenty Seven Crore Sixty Nine Lakhs Eighty Eight Thousand Five Hundred and Seventy Six only) equity shares of face value of ₹10/- each at an Issue Price of ₹237.23 (including premium of ₹227.23) per share aggregating to ₹6571 Crores to Government of India(GOI), Promoter of the Bank, towards

शेयर आवंटित किए हैं,जिनका अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹10/- तथा जारी मूल्य प्रति शेयर रुपये ₹237.23 (रुपये ₹227.23 के प्रीमियम सहित) है। जुटाई गई धनराशि का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार लाने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था।

ड) एसीएस एस विश्वनाथन, पेशेवर कंपनी सचिव ने प्रमाणित किया है कि यथा 31.03.2020 को बोर्ड (सेबी) या ऐसी अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशकों में से किसी को भी केनरा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है - इस रिपोर्ट में परिशिष्ट ग के बाद उक्त प्रमाणपत्र दिया गया है।

ढ) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि बोर्ड ने बोर्ड समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है और अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी सिफारिशों को अनुमोदित किया गया है।

ण) सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क (समेकित) का विवरण

अ. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को दिए गए कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य व्यय - ₹73.04 करोड़

आ. कुल व्यावसायिक शुल्क और भुगतान किए गए अन्य संबंधित खर्च और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए किए गए प्रावधान - ₹57.44 करोड़

त) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटन:

अ. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - 3

आ. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या - 3

इ. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 0

capital infusion by GOI by way of preferential allotment, in accordance with the applicable provisions. The funds raised were utilized to improve the capital adequacy and to fund the general Business needs of the Bank.

m) ACS S Viswanathan, Practicing Company Secretary has certified that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as the Directors of Canara Bank, by the Board (SEBI) or any such statutory authority as on 31.03.2020 - The said Certificate is provided after the APPENDIX C to the report.

n) During the FY 2019-20, there was no instance that the board had not accepted any recommendation of the committee of the board which is mandatorily required and all the recommendations which are required mandatorily have been approved.

o) Details of total fees (consolidated) paid to Statutory Auditors

a. Total Professional Fee and other expenses paid to statutory Auditors for the Financial Year 2018-19 - ₹73.04 Crore.

b. Total professional fee and other related expenses paid and made provision for financial year 2019-20 - ₹57.44 Crore.

p) Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a. Number of complaints filed during the financial year - 3

b. Number of complaints disposed of during the financial year - 3

c. Number of complaints pending at the end of the financial year - 0

सेबी (सूचिबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 27 (1) की विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवेकाधीन अपेक्षा	कार्यान्वयन की स्थिति
क	**बोर्ड** गैर कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष का कार्यालय संभालने हेतु अर्ह हैं और साथ ही अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें अनुमत है ।	हां
ख	**शेयर धारक के अधिकार**	बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय विकासों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है । वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर भी अद्यतन किए जाते हैं।
ग	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय**	वर्ष 2019–20 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट असम्बद्ध राय के साथ प्रस्तुत की गई है। बैंक के लेखा परीक्षक रिपोर्ट में विशेष कुछ नहीं है।
घ	**अध्यक्ष व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अलग–अलग पद**	भारत सरकार ने अध्यक्ष एवं प्र.नि. व मु.का.अ.के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नामित / नियुक्त किया है।
ङ	**आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग**	महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग (आंतरिक लेखापरीक्षा) तथा उनके द्वारा नामांकित अधिकारियों को सभी अभिलेखों, आस्तियों, कार्यकलापों तथा कार्मिकों और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति व वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र में पूर्ण व अप्रतिबंधित अभिगम है ।

The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

Sl. No.	Discretionary Requirements	Status of Implementation
A	**The Board** A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	YES
B	**Shareholder Rights**	The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. The financial results are also updated on the website of the bank.
C	**Modified Opinion(s) in Audit Report**	The Audit Report for the year 2019-20 is submitted with UNMODIFIED OPINION. There is no qualification in Auditors Report of the Bank.
D	**Separate Posts of Chairman and CEO**	The Government of India has nominated / appointed separate persons to the post of Chairperson and MD & CEO.
E	**Reporting of Internal Auditor**	The General Manager, Inspection Wing (Internal Audit) and the officials nominated by him have unrestricted access to all records, assets, functions and personnel & have full and free access to the Audit Committee of the Board and Senior Management.

- निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति / अन्य समितियों का गठन, निदेशकों का पारिश्रमिक, बोर्ड प्रक्रिया / संबंधित पक्ष लेन–देन / व्हिसल ब्लोअर / प्रबंधन और हमारे बैंक के संबंध में अनुपालन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 और इस संबंध में भारिबै के अनुदेश / भारत सरकार के दिशानिर्देश / आईसीएआई – लेखा मानक के प्रावधानों के तहत अभिशासित होते हैं। । बैंक 17 से 27 के विनियमन में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और विनियमन 46 के उप–विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) तक उल्लिखित दिशानिर्देशों / विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

- **सीईओ और सीएफओ प्रमाणन**

  बैंक के एमडी और सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने निदेशक मंडल को सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(8) के तहत आवश्यक वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर प्रमाण पत्र दिया है।

- **आचार संहिता**

  बैंक ने 'आचार संहिता' को अपनाया है जो बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होता है, जिसमें प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक और गैर–कार्यपालक / स्वतंत्र / शेयरधारक / सरकार द्वारा नामित / भारिबै द्वारा नामित निदेशक भी शामिल हैं। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.canarabank.com पर उपलब्ध है।

- **लाभांश वितरण नीति**

  बैंक के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियमन के 43 के तहत एक लाभांश वितरण नीति है, जो अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण का निर्धारण करने में बोर्ड द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करता है। पॉलिसी इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और यह बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में, लिंक Investor relations → Acts / Statutory policies / Schemes में भी उपलब्ध है।

- The Constitution of Board of Directors, Audit Committee / other Committees, Remuneration of Directors, Board procedures / Related Party Transactions / Whistle Blower / Management and compliance in respect of our Bank are governed under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and RBI Directives / GOI Guidelines / ICAI- Accounting Standards in this regard. The Bank complies with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clause (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 to the extent it does not violate the provisions of aforesaid guidelines / regulations.

- **CEO and CFO Certification**

  The MD & CEO and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2019-20 to the Board of Directors as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

- **Code of Conduct**

  The bank has adopted the 'Code of Conduct' which is applicable to the Bank and its employees, including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors and also the non-executive/ independent / shareholder director / Govt. nominee/ RBI nominee. The Code of Conduct is posted on the Bank's website at www.canarabank.com.

- **Dividend Distribution Policy**

  As required under Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Bank has a dividend distribution policy in place which sets out the parameters and circumstances that will be taken into account by Board in determining distribution of dividend to its shareholders. The policy is given in this Annual Report and is also available at Bank's website www.canarabank.com at the link: Investor relations → Acts / Statutory policies / Schemes.

आरबीआई ने अपने परिपत्र डीओआर. बीपी.बीसी.सं. 64/21.02.067/2019-20 दिनांक 17.04.2020 को अधिसूचित किया कि अगले आदेश तक सभी बैंक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ से आगे कोई लाभांश भुगतान नहीं करेंगे। यह प्रतिबंध 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बैंकों के वित्तीय परिणामों के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्मूल्यांकित किया जाएगा।

- **वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा**

  सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडीI/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के विनियम 24ए की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में श्री एस. विश्वनाथन, पेशेवर कंपनी सचिव (सीओपी 5284) की नियुक्ति की है और बैंक के सदस्यों को संबोधित उनकी रिपोर्ट, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, को बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है।

RBI vide circular DOR.BP.BC.No.64/21.02.067/2019-20 dated 17.04.2020 notified that all banks shall not make any further dividend payouts from the profits pertaining to the financial year ended March 31, 2020 until further instructions. This restriction shall be reassessed by the Reserve Bank based on the financial results of banks for the quarter ending September 30, 2020.

- **Secretarial Audit for Financial Year 2019-20**

  Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMDl/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Mr. S. VISWANATHAN practicing Company Secretary (COP 5284) as the Secretarial Auditor for FY 2019-20 and their report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

परिशिष्ट क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2020)

क्र सं	नाम	प्रकार	शैक्षिक योग्यता	कार्यकाल	बोर्ड की अन्य समितियों में अध्यक्षता / निदेशक / सदस्यता
1.	श्री टी. एन. मनोहरन	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	एम कॉम, एफसीए	14.08.2015-13.08.2020	1. टेक महिंद्रा लि. में स्वतंत्र निदेशक 2. महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. में स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष – समिति (टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेट में) - लेखा समिति - जोखिम प्रबंधन समिति
2.	श्री एल वी प्रभाकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	एमएससी (कृषी), सीएआईआईबी	01.02.2020-31.12.2022	शून्य
3.	श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	एमएससी (कृषी) सीएआईआईबी	09.10.2017-08.10.2020	1. केनरा बैंक तंजानिया लि. में गैर कार्यकारी निदेशक
4.	श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	बीए, बीएससी, एमबीए, सीएआईअ-ईबी,	19.02.2018-18.02.2021	1. केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कं. लि. में गैर कार्यकारी निदेशक 2. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में गैर कार्यकारी निदेशक 3. केनरा बैंक सिक्यूरिटीज लि. में गैर कार्यकारी निदेशक 4. केनफिन होम्स लि. में गैर कार्यकारी निदेशक 5. उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी में गैर कार्यकारी निदेशक 6. केनरा वेंचर केपिटल फंड लि. में गैर कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष - कैनफिन होम्स लिमिटेड - जोखिम प्रबंधन समिति

Appendix A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2020)

Sl NO.	NAME	TYPE	QUA.	TERM OF OFFICE	CHAIRMANSHIP / DIRECTORSHIPS / MEMBERSHIP OF OTHER BOARD COMMITTEES
1.	SHRI T N MANOHARAN	Non-Executive Chairman	M.Com, FCA	14.08.2015-13.08.2020	1. Tech Mahindra Limited as Independent Director. 2. Mahindra and Mahindra Limited as Independent Director Chairman - Committees (in Tech Mahindra & Mahindra & Mahindra Ltd). - Audit Committee - Risk Management Committee
2.	SHRI L V PRABHAKAR	MD & CEO	M.Sc (Agri), CAIIB	01.02.2020-31.12.2022	NIL
3.	SHRI MATAM VENKATA RAO	ED	M.Sc (Agri), CAIIB	09.10.2017-08.10.2020	1. Non Executive Director / Chairman in Canara Bank Tanzania Ltd.
4.	SHRI DEBASHISH MUKHERJEE	ED	B.A, B.Sc, MBA, CAIIB	19.02.2018-18.02.2021	1. Canara Robeco Asset Management Company Limited, as Non - Executive Director 2. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, as Non - Executive Director 3. Canara Bank Securities Limited, as Non - Executive Director 4. Can Fin Homes Limited, as Non - Executive Director 5. Higher Education Financing Agency, as Non - Executive Director 6. Canara Venture Capital Fund Limited, as Non - Executive Director Chairman - Can Fin Homes Ltd. - Risk Management Committee

परिशिष्ट - क

i. निदेशक मंडल की संरचना (31.03.2020)

क्र सं	नाम	प्रकार	शैक्षिक योग्यता	कार्यकाल	बोर्ड की अन्य समितियों में अध्यक्षता / निदेशक / सदस्यता
5.	सुश्री ए मणिमेखलै	कार्यपालक निदेशक	बीए, एमबीए (मार्केटिंग), सीएआईआईबी	11.02.2019-10.02.2022	1. केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्यूरेंस कं. लि. में गैर कार्यकारी निदेशक 2. केनबैंक फेक्टर्स लि. में गैर कार्यकारी निदेशक 3. केनबैंक कंप्यूटर सेवाएं लि. में गैर कार्यकारी निदेशक 4. भारतीय सामान्य बीमा निगम में निदेशक
6.	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	भारत सरकार द्वारा नामित	बीएससी, पीजीडीएम	14.06.2016-अगले आदेश तक	शून्य
7.	श्री आर केशवन	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	एमए, एमसीजे, सीएआईआईबी	26.04.2019-अगले आदेश तक	शून्य
8.	श्री एस रघुनाथ	अंशकालिक गैर कार्यपालक निदेशक	पीएचडी	21.10.2019-31.03.2020	शून्य
9.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	शेयर धारक निदेशक	बीएससी (ऑनर्स), सीएआईआईबी	27.07.2016-26.07.2022	मै. ऊषा मार्टिन लि. (गैर कार्यकारी निदेशक / नामित निदेशक)
10.	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	शेयर धारक निदेशक	बीएससी (ऑनर्स), एमए, एलएलबी	27.07.2019-26.07.2022	शून्य

Appendix - A

i. COMPOSITION OF BOARD OF DIRECTORS (31.03.2020)

Sl NO.	NAME	TYPE	QUA.	TERM OF OFFICE	CHAIRMANSHIP / DIRECTORSHIPS / MEMBERSHIP OF OTHER BOARD COMMITTEES
5.	Ms A. MANIMEKHALAI	ED	B.A, MBA (Mktg), CAIIB	11.02.2019- 10.02.2022	1. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited, as Non - Executive director 2. CanBank Factors Limited, as Non - Executive Director 3. CanBank Computer Services Limited, as Non - Executive Director 4. General Insurance Corporation of India, as Director
6.	SHRI SUCHINDRA MISRA	GOI Nominee	B.Sc, PGDM	14.06.2016- Till further orders	NIL
7.	SHRI R KESAVAN	RBI Nominee Director	M.A , M.Cj, CAIIB	26.04.2019- Till further orders	NIL
8.	SHRI S RAGHUNATH	Part-Time Non- Official Director	Ph.D	21.10.2019- 31.03.2020	NIL
9.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	Share Holder Director	B.Sc (Hons), CAIIB	27.07.2016- 26.07.2022	M/s Usha Martin Limited (Non Executive Director / Nominee Director)
10.	SHRI BIMAL PRASAD SHARMA	Share Holder Director	B.Sc (Hons), M.A, LLB	27.07.2019- 26.07.2022	NIL

ii. 2019-20 के दौरान कार्यकाल समाप्त निदेशकों का विवरण

1.	श्री आर ए शंकर नारायणन	प्र नि एवं मु का अ	15.04.2019 - 31.01.2020	-
2.	श्रीमती उमा शंकर	आरबीआई नामिती निदेशक	23.02.2015 - 25.04.2019	-
3.	श्री कृष्णमूर्ति एच	शेयरधारक निदेशक	27.07.2016 - 26.07.2019	-
4.	श्री एस रघुनाथ	अंशकालिक गैर-अधिकृत निदेशक	21.10.2019 - 31.03.2020	-

ii. PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2019-20

1.	SHRI R A SANKARA NARAYANAN	Managing Director & CEO	15.04.2019 - 31.01.2020	-
2.	SMT UMA SHANKAR	RBI Nominee Director	23.02.2015 - 25.04.2019	-
3.	SHRI KRISHNAMURTHY H	Share Holder Director	27.07.2016 - 26.07.2019	-
4.	SHRI S RAGHUNATH	Part-Time Non-Official Director	21.10.2019 - 31.03.2020	-

iii. 31.03.2020 के बाद बैंक में कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का विवरण

1	श्री कृष्णन एस	कार्यपालक निदेशक	01.04.2020- 31.10.2020	

iii. PARTICULARS OF DIRECTORS, JOINED AFTER 31.03.2020

1	SHRI KRISHNAN S	ED	01.04.2020- 31.10.2020	

संकेत / KEY

प्र नि एवं मु का अ / MD & CEO	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer
का नि / ED	कार्यपालक निदेशक / Executive Director
भा स / GOI	भारत सरकार / Government of India
भा रि बैं / RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India
अ नि / OD	अधिकारी निदेशक / Officer Director
गैर का नि/ NED	गैर–कार्यपालक निदेशक / Non-Executive Director
शे नि / SD	शेयरधारक निदेशक / Shareholder Director
काम. नि / WD	कामगार निदेशक / Workmen Director
ला न / NA	लागू नहीं / Not Applicable

iv. बोर्ड की समितियों की संरचना (यथा 31.03.2020) / iii. COMPOSITION OF COMMITTESS OF THE BOARD (As on 31.03.2020)

समिति / COMMITTEE	अध्यक्ष / CHAIRMAN	सदस्य / MEMBERS
प्रबंधन समिति Management Committee	श्री एल वी प्रभाकर Shri L V Prabhakar	श्री मटम वेंकट राव / Shri Matam Venkata Rao श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए मणिमेखलै / Ms A Manimekhalai श्री आर केशवन / Shri R Kesavan श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer
जोखिम प्रबंधन समिति Risk Management Committee	श्री टी एन मनोहरन Shri T N Manoharan	श्री एल वी प्रभाकर / Shri L V Prabhakar श्री मटम वेंकट राव / Shri Matam Venkata Rao श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए मणिमेखलै / Ms A Manimekhalai श्री एस रघुनाथ / Shri S Raghunath श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर / Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer श्री बिमल प्रसाद शर्मा / Shri Bimal Prasad Sharma
लेखापरीक्षा समिति Audit Committee	श्री बिमल प्रसाद शर्मा Shri Bimal Prasad Sharma	श्री टी एन मनोहरन / Shri T N Manoharan सुश्री ए मणिमेखलै / Ms A Manimekhalai श्री सुचीन्द्र मिश्रा / Shri Suchindra Misra श्री आर केशवन / Shri R Kesavan श्री एस रघुनाथ / Shri S Raghunath
शेयरधारक संबंध समिति Stakeholders Relationship Committee	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	श्री मटम वेंकट राव / Shri Matam Venkata Rao श्री देवाशीष मुखर्जी / Shri Debashish Mukherjee सुश्री ए मणिमेखलै / Ms A Manimekhalai श्री बिमल प्रसाद शर्मा / Shri Bimal Prasad Sharma
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति Nomination and Remuneration Committee	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	श्री टी एन मनोहरन / Shri T N Manoharan श्री एस रघुनाथ / Shri S Raghunath श्री बिमल प्रसाद शर्मा / Shri Bimal Prasad Sharma

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्र सं	नाम	बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा धारित परीक्षा समिति बैठक	एस.आर.सी. बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	एन.आर.सी. बैठक	पिछ–ली वार्षिक सामान्य बैठक	शेयरों की संख्या
		उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	उपस्थिति / आयोजित	
1.	श्री टी.एन. मनोहरन	20/20	-	12/12	-	11/11	1/1	1/1	-
2.	श्री एल वी प्रभाकर	05/05	04/04	-	-	03/03	-	-	-
3.	श्री मटम वेंकटराव	20/20	17/17	-	02/02	11/11	-	1/1	2873
4.	श्री देवाशीष मुखर्जी	20/20	17/17	-	02/02	11/11	-	1/1	500
5.	सुश्री ए मणिमेखलै	20/20	16/17	12/12	02/02	11/11	-	1/1	-
6.	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	12/20	-	05/12	-	-	1/1	-	-
7.	श्री आर केशवन	15/19	11/16	10/12			-		
8.	श्री एस रघुनाथ	10/10	-	06/06		05/06	-	-	-
9.	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	20/20	17/17	-	02/02	11/11	-	1/1	125
10.	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	14/14	-	08/08	02/02	08/08		1/1	108

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS

SL. NO.	NAME	BOARD MEETING	MANAGE-MENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC MEETING	RISK MAN-AGEMENT COMMITTEE MEETING	NRC MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	NO. OF SHARES HELD
		Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	Attended/ Held	
1.	SHRI T N MANOHARAN	20/20	-	12/12	-	11/11	1/1	1/1	-
2.	SHRI L V PRABHAKAR	05/05	04/04	-	-	03/03	-	-	-
3.	SHRI MATAM VENKATA RAO	20/20	17/17	-	02/02	11/11	-	1/1	2873
4.	SHRI DEBASHISH MUKHERJEE	20/20	17/17	-	02/02	11/11	-	1/1	500
5.	Ms A MANIMEKHALAI	20/20	16/17	12/12	02/02	11/11	-	1/1	-
6.	SHRI SUCHINDRA MISRA	12/20	-	05/12	-	-	1/1	-	-
7.	SHRI R KESAVAN	15/19	11/16	10/12			-		
8.	SHRI S RAGHUNATH	10/10	-	06/06		05/06	-	-	-
9.	SHRI VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER	20/20	17/17	-	02/02	11/11	-	1/1	125
10.	SHRI BIMAL PRASAD SHARMA	14/14	-	08/08	02/02	08/08		1/1	108

परिशिष्ट - ख

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण जिनका कार्यकाल वर्ष 2019–20 के दौरान समाप्त हो गया है

1.	श्री आर ए शंकर नारायणन	15/15	12/12	-	-	08/08	-	1/1	-
2.	श्रीमती उमा शंकर	0/01	0/01	-	-	-	-	-	-
3.	श्री कृष्णमूर्ति एच	06/06	-	04/04	-	03/03	1/1	1/1	-

नोट : यथा 31.03.2020 को कोई भी निदेशक कोई संपरिवर्तनीय लिखत नहीं रखता है।

विभिन्न बैठकों की तारीख									
		बोर्ड बैठक	प्रबंधन समिति बैठक	लेखा–परीक्षा समिति बैठक	एस.आर.सी.* बैठक	जोखिम प्रबंधन समिति बैठक	एनआरसी बैठक	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक	ईजीएम
		26.04.2019	15.04.2019	10.05.2019	29.08.2019	26.04.2019	16.07.2019	25.07.2019	-
		10.05.2019	09.05.2019	22.05.2019	24.12.2019	18.06.2019			
		22.05.2019	06.06.2019	18.07.2019		18.07.2019			
		18.06.2019	26.06.2019	24.07.2019		29.08.2019			
		18.07.2019	18.07.2019	29.08.2019		30.09.2019			
		24.07.2019	29.08.2019	30.09.2019		19.11.2019			
		29.08.2019	20.09.2019	06.11.2019		24.12.2019			
		13.09.2019	24.10.2019	19.11.2019		22.01.2020			
		30.09.2019	13.11.2019	23.01.2020		06.02.2020			
		24.10.2019	10.12.2019	29.01.2020		24.02.2020			
		06.11.2019	24.12.2019	05.03.2020		16.03.2020			
		19.11.2019	14.01.2020	16.03.2020					
		24.12.2019	29.01.2020						
		23.01.2020	24.02.2020						
		29.01.2020	09.03.2020						
		06.02.2020	16.03.2020						
		24.02.2020	23.03.2020						
		05.03.2020							
		17.03.2020							
		31.03.2020							

कुंजी :

एस आर सी : शेयरधारक संबंध समिति की बैठक

एन आर सी : नामांकन व संस्तुति समिति

ला न : लागू नहीं

Appendix - B

DETAILS OF ATTENDANCE OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2019-2020

1.	SHRI R A SANKARA NARAYANAN	15/15	12/12	-	-	08/08	-	1/1	-
2.	SMT UMA SHANKAR	0/01	0/01	-	-	-	-	-	-
3.	SHRI KRISHNAMURTHY H	06/06	-	04/04	-	03/03	1/1	-	-

NOTE : None of the Directors hold any convertible instruments as on 31.03.2020

DATES OF VARIOUS MEETINGS									
		BOARD MEETING	MANAGE-MENT COMMITTEE MEETING	AUDIT COMMITTEE MEETING	SRC* MEETING	RISK MAN-AGEMENT COMMITTEE MEETING	NRC MEETING	LAST ANNUAL GENERAL MEETING	EGM
		26.04.2019	15.04.2019	10.05.2019	29.08.2019	26.04.2019	16.07.2019	25.07.2019	-
		10.05.2019	09.05.2019	22.05.2019	24.12.2019	18.06.2019			
		22.05.2019	06.06.2019	18.07.2019		18.07.2019			
		18.06.2019	26.06.2019	24.07.2019		29.08.2019			
		18.07.2019	18.07.2019	29.08.2019		30.09.2019			
		24.07.2019	29.08.2019	30.09.2019		19.11.2019			
		29.08.2019	20.09.2019	06.11.2019		24.12.2019			
		13.09.2019	24.10.2019	19.11.2019		22.01.2020			
		30.09.2019	13.11.2019	23.01.2020		06.02.2020			
		24.10.2019	10.12.2019	29.01.2020		24.02.2020			
		06.11.2019	24.12.2019	05.03.2020		16.03.2020			
		19.11.2019	14.01.2020	16.03.2020					
		24.12.2019	29.01.2020						
		23.01.2020	24.02.2020						
		29.01.2020	09.03.2020						
		06.02.2020	16.03.2020						
		24.02.2020	23.03.2020						
		05.03.2020							
		17.03.2020							
		31.03.2020							

KEY:

SRC : Stakeholders Relationship Committee Meeting

NRC : Nomination & Remuneration Committee

NA : Not Applicable

परिशिष्ट - ग

वर्ष 2019-20 के लिए निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क

क्रमांक	निदेशक का नाम	प्रदत्त उपस्थिति शुल्क (₹)
1	श्री टी.एन.मनोहरन	₹25,00,000/-
2	श्री कृष्णमूर्ति एच	₹7,00,000/-
3	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	₹25,00,000/-
4	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	₹18,45,000/-
5	श्री एस रघुनाथ	₹ 10,40,000/-
	कुल	**₹85,85,000/-**

APPENDIX - C

SITTING FEES PAID TO DIRECTORS FOR THE YEAR 2019-20

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees paid (₹)
1	Shri T N Manoharan	₹25,00,000/-
2	Shri Krishnamurthy H	₹7,00,000/-
3	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	₹25,00,000/-
4	Shri Bimal Prasad Sharma	₹18,45,000/-
5	Shri S Raghunath	₹ 10,40,000/-
	Total	**₹85,85,000/-**

सेबी [(सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)
(संशोधन) विनियम, 2018 - अनुसूची V(C)(10)(i)] के अनुसार
निदेशकों की निरर्हता से संबंधित प्रकटीकरण का प्रमाण पत्र

केनरा बैंक (इसके बाद 'बैंक' नाम से संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन, जिसमें सीआईएन (लागू नहीं) है और जिसका पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड, टाउन हॉल, बेंगलूरु–560 002 कर्नाटक में है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10(i) के अनुसार, इस प्रमाण–पत्र को जारी करने के लिए बैंक द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनकी मैंने जांच की है।

मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सत्यापन जिसे आवश्यक समझा गया है। निदेशको की पहचान सख्या (डीआईएन सहित) के अनुसार और बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे प्रस्तुत आवश्यक या स्पष्टीकरण के अनुसार, मैं, एतद्वारा हम इस बात को प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से अनर्ह घोषित नहीं किया गया है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1	श्री टी.एन. मनोहरन	अध्यक्ष - स्वतंत्र निदेशक	01186248	14.08.2015 पुन:नियुक्ति 14.08.2018 को
2	श्री लिंगम वेंकट प्रभाकर	प्रबंध निदेशक व मु.का.अ.	08110715	01.02.2020
3	श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	06930826	09.10.2017
4	श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	08193978	19.02.2018
5	सुश्री ए मणिमेखलै	कार्यपालक निदेशक	08411575	11.02.2019
6	श्री सुचीन्द्र मिश्रा	भारत सरकार नामिती निदेशक	01873568	14.06.2016
7	श्री आर केशवन	भा.रि.बैं. नामिती निदेशक	लागू नहीं	26.04.2019
8	श्री वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर	शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	02194830	27.07.2019
9	श्री बिमल प्रसाद शर्मा	शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक	06370282	27.07.2019
10	श्री सुब्रमण्यम रघुनाथ	अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक	00458251	21.10.2019

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

नाम : एस. विश्वनाथन
सदस्यता सं. : 5284
सी पी सं. : 5284
यूडीआईएन : A005284B000294859

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 29 मई, 2020

CERTIFICATE REGARDING DISCLOSURES PERTAINING TO DISQUALIFICATION OF DIRECTORS PURSUANT TO SEBI [(Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 - Schedule V(C)(10)(i)]]

I have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of CANARA BANK having CIN (Not Applicable) and having Registered Office / Head Office at 112, J C Road, Town Hall, Bengaluru-560 002, Karnataka (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before me by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) as considered necessary and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sl. No.	Name of Director	Designation	DIN	Date of Appointment in Bank
1	Shri T N Manoharan	Chairman - Independent Director	01186248	14.08.2015 Reappointment on 14.08.2018
2	Shri Lingam Venkata Prabhakar	MD & CEO	08110715	01.02.2020
3	Shri Matam Venkata Rao	Executive Director	06930826	09.10.2017
4	Shri Debashish Mukherjee	Executive Director	08193978	19.02.2018
5	Ms A Manimekhalai	Executive Director	08411575	11.02.2019
6	Shri Suchindra Misra	GOI - Nominee Director	01873568	14.06.2016
7	Shri R Kesavan	RBI - Nominee Director	Not Applicable	26.04.2019
8	Shri Venkatachalam Ramakrishna Iyer	Shareholder Director - Independent Director	02194830	27.07.2019
9	Shri Bimal Prasad Sharma	Shareholder Director - Independent Director	06370282	27.07.2019
10	Shri Subramanyam Raghunath	Part-time Non-official Director	00458251	21.10.2019

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

Name : S. Viswanathan
Membership No. : 5284
CP No. : 5284
UDIN : A005284B000294859

Place : Bengaluru
Date : 29th May, 2020

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक के **निदेशक मंडल** और **वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों** ने 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की आचरण संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।।

स्थान : बेंगलूरू
दिनांक : 24.06.2020

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

DECLARATION BY MD & CEO

The Board of Directors and the **Senior Management Personnel** of the Bank have affirmed confirming to the Code of Conduct of the Bank for the year ended **31.03.2020.**

Place : Bengaluru
Date : 24.06.2020

L.V. Prabhakar
Managing Director & CEO

कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने केनरा बैंक द्वारा **31 मार्च, 2020** को समाप्त वर्ष के लिए कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमनों में यथा निर्धारित है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियों व उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उस पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित रिकार्डों व प्रलेखों तथा हमें प्रदान की गई सूचना व स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के तहत प्रासंगिक विनियमों में यथा निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है तथा संबंधित बैंकिंग संविधि / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं किया है ।

हम घोषित करते हैं कि हितधारकों के संबंध समिति द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के खिलाफ एक महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी निवेशक की शिकायत लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी घोषित करते हैं कि ऐसा अनुपालन बैंक की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न कोई आश्वासन है और न ही वह बैंक की कार्य-कुशलता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है जिसके साथ प्रबंध तंत्र ने बैंक का कारोबार चलाया है।

कृते एसएनके एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 109176डब्ल्यू

(अंकित दानावाला)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 119972
यूडीआईएन : 20119972AAAACJ2739

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 03.06.2020

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To,

The Members of **Canara Bank**

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by CANARA BANK for the year ended **31st March, 2020** as stipulated in the relevant Regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof. adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the relevant regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent these do not violate Relevant Banking Statues / RBI / GOI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Stakeholders Relationship Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For SNK & CO.
Chartered Accountants
FRN : 109176W

(Ankit Danawala)
Partner
Membership No. 119972
UDIN : 20119972AAAACJ2739

PLACE : BENGALURU
DATE : 03.06.2020

मुख्य पदों, कार्यपालक प्रमुखों और महाप्रबंधकों / मुख्य महाप्रबंधकों की सूची

क्रमांक	नाम	पदनाम	योग्यता
1	बी उमा शंकर	मुख्य सतर्कता अधिकारी	बी एससी (कृषि), सीएआईआईबी, पीजीडीएम (पीएम)
क्रमांक	**नाम**	**पदनाम**	**योग्यता**
1	वी रामचंद्र	मुख्य वित्त अधिकारी	बी एससी, आईसीडब्ल्यूए , सीएआईआईबी
2	जयरामन वी	मुख्य तकनीकी अधिकारी	एम एससी (गणित), सीएआईआईबी
3	के हरिहरन	समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी	एम एससी (कृषि), पीजीडीबीए , सीएआईआईबी – भाग –I
4	ए वी राम राव	समूह मुख्य जोखिम अधिकारी	बी एससी, एमबीए, कोषागर जोखिम डिप्लोमा, सीएआईआईबी
5	डॉ एस रमेश	प्रमुख आंतरिक लेखा	एमएससी (कृषि), एमबीए (वितीय प्रबंधन), पीजी डिप्लोमा ग्रामीण, सीएआईआईबी
6	आलोक कुमार अग्रवाल	बोर्ड सचिव (डी जी एम)	एम.कॉम, एमबीए, सीएआईआईबी
7	विनय मोहता	कंपनी सचिव	एम कॉम, एसीएस, एफसीए, डी आई एस ए, सीएआईआईबी
8	दीपक शुक्ला	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी	बी एससी (गणित), एम एससी (भौतिक), एमबीए (बीके /एफआई), एमसीए, सीएआईआईबी
क्रमांक	**नाम**	**पदनाम**	**योग्यता**
1	एम एम चिनीवार	मुख्य महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
2	प्रमोद कुमार	मुख्य महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), सीएआईआईबी, कॉम्प आई एन एस यू आर
3	एल वी आर प्रसाद	मुख्य महा प्रबंधक	बी एससी, एमबीए, सीएआईआईबी
4	एस श्रीमती	मुख्य महा प्रबंधक	बीसीओएम, एमसीओएम, एमबीए, सीएआईआईबी
5	सुब्रमण्यन एस	मुख्य महा प्रबंधक	बी एससी, सीएआईआईबी
6	एन लक्ष्मीनारायण	मुख्य महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
7	एम अब्दुल अजीस	मुख्य महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), प्रतिकर बीमा प्रमाणपत्र
8	जी वी प्रभु	मुख्य महा प्रबंधक	बी कॉम, एमबीए , सीएआईआईबी, विदेशी मुद्रा प्रमाणपत्र
9	भास्करन के	महा प्रबंधक	एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
10	एस जयकुमार	महा प्रबंधक	एमबीए (वित्त प्रबंधन), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी
11	चंडी गोपाल साहा	महा प्रबंधक	बी एससी, एमबीए (मा सं प्र), सीएआईआईबी
12	शाजी के वी	महा प्रबंधक	एम एससी (कृषि), पीजीपी पीएमपी, कोषागर जोखिम डिप्लोमा, सीआईएसी, सीएआईआईबी, एन एस में प्रमाणपत्र
13	एम परमशिवम	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), सीएआईआईबी – भाग –I
14	एस के मजूमदार	महा प्रबंधक	बी कॉम (हॉनर्स), सीए, आईसीडब्ल्यूए,
15	अशोक कुमार साहू	महा प्रबंधक	बी ए, एम ए, एम फिल, एनआईएसएम वी–ए, सीएआईआईबी
16	डी विजय कुमार	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
17	ई एन रंगनाथ	महा प्रबंधक	बी कॉम, एनआईएसएम वी–ए, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी
18	पी संतोष	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
19	एस जे गवारे	महा प्रबंधक	बी एससी, EDP in SPM, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Manager/General Manager as on 31.03.2020

S. No.	NAME	DESIGNATION	QUALIFICATION
1	B UMA SANKAR	Chief Vigilance Officer	MSc (Agri), CAIIB, PGDM (PM)
S. No.	**NAME**	**DESIGNATION**	**QUALIFICATION**
1	V RAMACHANDRA	Chief Financial Officer (GM)	BSc, ICWA, CAIIB
2	JAYARAMAN V	Chief Technology Officer (GM)	MSc (Maths), CAIIB
3	K HARIHARAN	Group Chief Compliance Officer (GM)	MSc (Agri), PGDBA, CAIIB - Part-I
4	A V RAMA RAO	Group Chief Risk Officer (GM)	BSc, MBA , Dip Tr Ris, CAIIB
5	DR S RAMESH	Head Intertnal Audit (CGM)	MSc (Agri), MBA (Fin M), PGDip Rurl, CAIIB
6	ALOK KUMAR AGARWAL	Board Secretary (DGM)	M.Com, MBA, CAIIB
7	VINAY MOHTA	Company Secretary (AGM)	M.Com, ACS, FCA, DISA, CAIIB
8	DEEPAK SHUKLA	Chief Information Security Officer (AGM)	BSc (Maths), MSc (Phy), MBA (BK/FI), MCA, CAIIB,
S. No.	**NAME**	**DESIGNATION**	**QUALIFICATION**
1	M M CHINIWAR	Chief General Manager	BSc (Agri), MSc (Agri), CAIIB
2	PRAMOD KUMAR	Chief General Manager	BSc (Agri), CAIIB, Comp Insur
3	L V R PRASAD	Chief General Manager	BSc, MBA,CAIIB
4	S SRIMATHY	Chief General Manager	BCOM, MCom, MBA, CAIIB
5	SUBRAMANIAN S	Chief General Manager	BSc, CAIIB
6	N LAKSHMINARAYANA	Chief General Manager	BSc (Agri), MSc (Agri), CAIIB
7	M ABDUL AJEES	Chief General Manager	BSc (Agri), Comp Insur
8	G V PRABHU	Chief General Manager	BCOM, MBA , CAIIB, Cert. in FOREX
9	BASKARAN K	General Manager	MSc (Agri),CAIIB
10	S JAYAKUMAR	General Manager	MBA , JAIIB, CAIIB
11	CHANDI GOPAL SAHA	General Manager	BSc, MBA (HRM), CAIIB - Part-I, CAIIB
12	SHAJI K V,	General Manager	MSc (Agri), PGP PMP, Dip Tr Ris, CIC, CAIIB, Cert in NS
13	M PARAMASIVAM	General Manager	BSc (Agri), CAIIB - Part-I
14	S K MAJUMDAR	General Manager	BCom (Hons), CA, ICWA,
15	ASHOK KUMAR SAHU	General Manager	BA, MA, MPhil , NISM V-A, CAIIB
16	D VIJAY KUMAR	General Manager	BSc (Agri), MSc (Agri), CAIIB - Part-I, CAIIB
17	E N RANGANATHA,	General Manager	BCOM, NISM V-A, JAIIB, CAIIB
18	P SANTOSH	General Manager	BSc (Agri), MSc (Agri),CAIIB,
19	S J GAWARE	General Manager	BSc, EDP in SPM, JAIIB, CAIIB

20	आई शब्बीर हुसैन	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एम ए, सीएआईआईबी
21	श्रीकांत महापात्रा	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एलएलबी, एमबीए , सीएआईआईबी, ट्रेड प्रमाण पत्र
22	के एच पटनायक	महा प्रबंधक	बी एससी, एम ए, एमबीए, सीएआईआईबी
23	नायर अजित कृष्णन	महा प्रबंधक	बी कॉम, एलएलबी, एमबीए, सीएआईआईबी, वी स्किल–ए
24	अशोक कुमार दास	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी
25	बिस्वजीत रे	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), डिप्लोमा कारोबार प्रबंधन, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी
26	एम हबीब रकुमान	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), एम एससी (कृषि)
27	वी जयकुमार	महा प्रबंधक	बीएससी, एमबीए , सीएआईआईबी, ट्रेड प्रमाण पत्र
28	राजेश कुमार सिंह	महा प्रबंधक	बी एससी (हॉनर्स), एम ए , पीजीपी पीएमपी, सीएआईआईबी
29	देबानंद साहू	महा प्रबंधक	एम एससी (कृषि), एमबीए, सीएआईआईबी
30	डॉ ए के पांडेय	महा प्रबंधक	एम ए, एमबीए, पीजी डिप्लोमा प्रबंधन, पीजी डिप्लोमा वित्त, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (अर्थशास्त्र), सीएआईआईबी
31	तंगवेलु पी पी	महा प्रबंधक	बीई, एम टेक, डिप्लोमा कॉप–ए सीएआईआईबी
32	योगीश बी आचार्य	महा प्रबंधक	बी कॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी
33	राहुल भावे	महा प्रबंधक	बी एससी, एम एससी, पीजीपी पीएमपी, सीएआईआईबी
34	आर गिरीश कुमार	महा प्रबंधक	बीएससी, सीएआईआईबी
35	टी वीरभद्र रेड्डी	महा प्रबंधक	एम कॉम, एमबीए, सीएआईआईबी
36	एम कृष्ण प्रसाद	महा प्रबंधक	बी कॉम, एम कॉम, सीएआईआईबी
37	एस डी बिरादर	महा प्रबंधक	एम एससी (कृषि), सीएआईआईबी, कॉप आई एन एस यू आर
38	पुष्कर सिंहा	महा प्रबंधक	बी ए (हॉनर्स), सीएआईआईबी
39	फ्रेंक्लिन सेल्वकुमार ए	महा प्रबंधक	बी एससी
40	बी पी जाटव	महा प्रबंधक	बी एससी (कृषि), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी

20	I SHABBIR HUSSAIN	General Manager	BSc (Agri), MA,CAIIB,
21	SHREEKANTA MOHAPATRA	General Manager	BSc (Agri), LLB, MBA,CAIIB, Cert Trade
22	K H PATNAIK	General Manager	BSc,MA, MBA, CAIIB
23	NAIR AJIT KRISHNAN	General Manager	BCOM, LLB, MBA , CAIIB
24	ASHOK KUMAR DASH	General Manager	BSc (Agri), MSc (Agri),CAIIB
25	BISWAJIT RAY	General Manager	BSc (Agri), Dip Bus Mg, JAIIB, CAIIB
26	M HABEEB RAKUMAN	General Manager	BSc (Agri), MSc (Agri)
27	V JAYAKUMAR	General Manager	BSc, MBA, CAIIB, Cert Trade
28	RAJESH KUMAR SINGH	General Manager	BSc (Hons), MA, PGP PMP, CAIIB
29	DEBANANDA SAHOO	General Manager	MSc (Agri), MBA, CAIIB
30	Dr. A K PANDEY,	General Manager	MA , MBA, PGDip Mgmt, PGDip Fin, PhD, , CAIIB
31	THANGAVELU P P	General Manager	BE , M Tech, Dip Comp A, CAIIB - Part-I, CAIIB
32	YOGISH B ACHARYA	General Manager	BCOM, LLB, CAIIB,
33	RAHUL BHAVE	General Manager	BSc, MSc, PGP PMP, CAIIB
34	R GIREES KUMAR	General Manager	BSc, CAIIB
35	T VEERABHADRA REDDY	General Manager	MCom, MBA, CAIIB
36	M KRISHNA PRASAD	General Manager	BCOM, MCom, CAIIB
37	S D BIRADAR	General Manager	MSc (Agri), CAIIB, Comp Insur
38	PUSHKAR SINHA	General Manager	BA (Hons), CAIIB
39	FRANKLIN SELVAKUMAR A	General Manager	BSc
40	B P JATAV	General Manager	BSc (Agri), JAIIB, CAIIB

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी

2019-2020

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

2019-2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

विचार:

1. हमने केनरा बैंक ('बैंक') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र, तब समाप्त वर्ष का लाभ और हानि खाता और और नकद प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा अन्य स्पष्टकारिणी जानकारियों सहित वित्तीय विवरण के नोट्स शामिल है, जिसमें समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं और सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2784 शाखाओं (विदेश की 5 शाखाओं सहित) की विवरणियां शामिल की गई है। हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखायें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत मार्गनिर्देशों के मुताबिक बैंक द्वारा चयनित की गई हैं । इसमें लेखापरीक्षा नहीं की गई 3851 शाखाओं की विवरणियों से तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता और नकद प्रवाह का विवरण शामिल किया गया है। इन लेखा परीक्षित नहीं की गई शाखाओं में 9.40 प्रतिशत अग्रिम, 27.39 प्रतिशत जमा, 11.66 प्रतिशत ब्याज आय और 28.22 प्रतिशत ब्याज खर्च है।

2. हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दी गई स्पष्टकारिणी जानकारी के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंक के लिए आवश्यक ढ़ंग से और आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

   क. तुलन पत्र, उसमें लिखे नोट में उद्धृत अनुसार एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, सुव्यवस्थित ढंग से तैयार किया गया है ताकि बैंक के मामलों की स्थिति 31 मार्च 2020 तक एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया जा सके;

   ख. लाभ और हानि लेखा, नोट में उद्धृत अनुसार सही हानि शेष को दिखाता है, और

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,

The Members of Canara Bank

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Canara Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2020, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of 20 branches, Integrated Treasury Wing audited by us and 2784 branches (including 5 foreign branches) audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 3851 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.40 percent of advances, 27.39 per cent of deposits, 11.66 per cent of interest income and 28.22 per cent of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and :

   a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the State of Affairs of the Bank as at 31st March 2020;

   b. the Profit and Loss Account, read with notes thereon shows a true balance of loss; and

ग. नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है।

विचार के लिए आधार

3. हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउट्ंस संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा (एसए) मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा आयोजित की। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के मानकों के तहत हमारा उत्तरदायित्व आगे वर्णित किया गया है। हम भारत में वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक दायित्वों के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

4. लेखा परीक्षा में मुख्य मामले वे हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हों। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा–जोखा के संदर्भ में लिया गया था, और इन मामलों पर हम इससे अलग विचार नहीं रखते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के लिए नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SA's)issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

क्र. सं.	लेखा परीक्षा प्रमुख मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर प्रतिक्रिया
1	*अग्रिमों के संबंध में प्रावधानों की पर्याप्तता।* आरबीआई द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों को निष्पादित और गैर– निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के अग्रिमों पर गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान सृजित करने में उधारकर्ताओं के प्रदर्शन, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण आदि से संबंधित प्रमुख निर्णय शामिल हैं। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रबंधन निर्णय की भागीदारी होने के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधान और शेष की भौतिकता पर विचार करने पर केंद्रित थी।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** **हमने गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान करने और प्रदान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया।** **हमारे लेखा परीक्षा में आंतरिक नियंत्रण और मूल परीक्षण की बनावट और संचालन प्रभावशीलता की जांच शामिल है:** • गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान सृजित करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन किया। • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान और प्रावधान सृजित करने में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का परीक्षण किया। • एनपीए की पहचान के लिए भारिबै के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान की पर्याप्तता और प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। • गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए शाखाओं की लेखा परीक्षित रिपोर्ट पर विचार किया गया। • समय–समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान की जाँच की। • हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान पाए गए अपवादों को विधिवत सुधारा गया है।

Sl. No.	Key Audit Matter	Response to Key Audit Matter
1	*Adequacy of provisions in respect of Advances.* Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI. The identification of non-performing assets and creation of provision on such advances involves key judgements relating to performance of borrowers, determination of security value, etc. Accordingly, our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to involvement of management judgement and considering the materiality of the balances.	**Principal Audit Procedures:** We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows: • Evaluated the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. • Tested the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines. • Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. • Considered branch audit reports for identification and provisioning for non-performing assets • Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. • Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

2	*वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की गई प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली (फ्लेक्स क्यूब – ओरेकल आधारित)* बैंक के परिचालनात्मक और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में संव्यवहार के कारण आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिन्हें दैनिक आधार पर संसाधित किया जाता है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया:** हमने एक मूल्यांकन किया तथा प्रमुख आईटी अनुप्रयोग, डाटा बेस और परिचालन प्रणाली प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखा परीक्षा से संबंधित हैं और प्राथमिक तौर पर वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित सीबीएस, बीएसपीएल रिपोर्टिंग पैकेज और ट्रेजरी सिस्टम की पहचान की है। हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रण का परीक्षण और परिचालन प्रभावशीलता शामिल है जो निम्नानुसार है: • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और आईटी नीतियों को समझा है। • अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण, जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की परीक्षण आधार पर समीक्षा की । • आईएस लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और आईएस नियंत्रण के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • जांच के आधार पर लेखा परीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए मुख्य स्वचालित और कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क की जांच की।

2	*Key Information Technology (IT) systems (Flex Cube – Oracle based) used in financial reporting process.* The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence considered as a key audit matter.	**Principal Audit Procedures:** We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS, BSPL Reporting Package and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows: • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.

3	*कोविड–19 के प्रकोप को देखते हुए संशोधित लेखा प्रक्रियाएँ:* कोविड–19 महामारी के कारण, हमारे लेखापरीक्षा के दौरान केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध और जहां कहीं भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां लेखापरीक्षा को दूर से संचालित करने के लिए बैंक को आरबीआई द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुपालन में, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में कुछ शाखाओं / अंचल कार्यालयों / विभागों का लेखापरीक्षा परिसर का दौरा करके नहीं किया जा सका है। जैसा कि हम शाखाओं / अंचलों / प्रशासनिक / कॉर्पोरेट कार्यालयों में अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत/ भौतिक रूप से चर्चाओं और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की एक प्रमुख लेखापरीक्षा मैटर के रूप में तैयार किया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप से करने के लिए संशोधित किया गया था।	कोविड – 19 महामारी के प्रकोप के कारण जो हमारे लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों / स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंधों के कारण, हम संबंधित शाखाओं / अंचल / प्रशासनिक / कॉर्पोरेट कार्यालयों तक भौतिक रूप से लेखापरीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने हेतु नहीं पहुंच सके। जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ईमेल और रिमोट एक्सेस के माध्यम से सीबीएस, बीएसपीएल और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे। इस सीमा तक, लेखापरीक्षा प्रक्रिया को ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो कि लेखापरीक्षा के संचालन के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य के रूप में और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग हेतु प्रयुक्त किये गये थे। • हम, वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों और कुछ वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों ने रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से कुछ शाखाओं/ अंचल कार्यालयों/ प्रशासनिक कार्यालयों और बैंक के अन्य कार्यालयों के संबंध में जहां भौतिक सत्यापन संभव नहीं था,आवश्यक रिकॉर्ड / दस्तावेजों / सीबीएस / बीएसपीएल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर का इलेक्ट्रानिक रुप से सत्यापन किया।

3	*Modified Audit Procedures carried out considering COVID-19 outbreak:* Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government/ Local Authorities during the period of our audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches / Circle Offices / Wings in the Corporate Office of the bank. As we could not gather audit evidence in person/ physically / through discussions and personal interactions with the officials at the Branches / Circle / Administrative / Corporate Offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused Nation-wide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/local administration during the period of our audit, we could not travel to the Branches/ Circle / Administrative / Corporate Offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records / reports / documents / certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS, BSPL and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out based on such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures as follows: a. We, the Statutory Central Auditors and certain Statutory Branch Auditors conducted verification of necessary records / documents/ CBS / BSPL and other Application software electronically through remote access/ emails in respect of certain Branches / Circle Offices / Administrative Offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible.

		ख. बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, कामों, प्रमाणपत्रों संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया। ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करना और आवश्यक लेखापरीक्षा प्रमाण जुटाना और फोन कॉल / सम्मेलन कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर संवाद और चर्चा करना। घ. नामित अधिकारियों के साथ आमने–सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन के माध्यम से / ईमेल के माध्यम से हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का समाधान।

विषय का महत्व:

5. एकल वित्तीय विवरण के साथ अनुसूची नंबर 18 के खंड 6.18 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो कि कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं और बैंक के व्यावसायिक कार्यों पर इसके प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन का वर्णन करता है।

   इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

   वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

6. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटीकरण) के तहत स्तंभ III के प्रकतीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जो हमने इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की थी, और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, निदेशक रिपोर्ट, जो हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

		b. Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank. c. Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls/conference calls, emails and similar communication channels. d. Resolution of our audit observations telephonically / through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Emphasis of Matter:

5. Attention is drawn to Clause 6.18 of Schedule No 18 to the accompanying Standalone financial statements, which describes the uncertainties due to outbreak of COVID-19 pandemic and the management's evaluation of its impact on the business operations of the Bank.

Our report is not modified in respect of this matter.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon:

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), Corporate Governance Report, which we obtained prior to the date of this Auditor's Report, and the Directors Report, which is expected to be made available to us after the date of our auditor's report.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को प्रावरित नहीं करती है और हम इस बारे में किसी भी रूप में निष्कर्ष का आश्वासन व्यक्त नहीं करते और नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त पहचान की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने पर विचार करना है कि क्या लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे संज्ञान में आए वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, लेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख से पहले हमें प्राप्त अन्य जानकारी के आधार पर जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का विवरण गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में सूचित करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी का उत्तरदायित्व

7. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, से मुक्त होते हैं।

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be material misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

वित्तीय विवरणों की तैयारी में, बैंक की क्षमता का आकलन करने, संस्था को जारी रखने, प्रकटन के लिए, जो भी लागू होता है, संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन के आधार पर संस्था का उपयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने का इरादा या परिचालन रोकने, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व:

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्याकथन, धोखाधड़ी या त्रुटि से मुक्त है, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा किसी भौतिक मिथ्याकथन का पता लगाएगी जब यह हो। मिथ्याकथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकता है और, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर भौतिकता पर विचार किया जाए, तो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

   एसए के अनुसार किसी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

   - वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है, चूंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अधिभावी शामिल हो सकती है।

   - प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

   As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

   - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

   - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- लेखांकन के आधार पर संस्था के प्रयुक्त पर प्रबंधन की उपयुक्तता के आधार पर निष्कर्ष निकालना, और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर, क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो एक संस्था के रूप में जारी रहने की, बैंक की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कायम कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से बैंक के एक संस्था के रूप में जारी रहने पर रोक लग सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

वित्तीय विवरणों में भौतिकता गलत वक्तव्य का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव करता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (त) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में; और (त्त) वित्तीय विवरणों पहचान की गई गलतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं ।

हम आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा के समय और सुनियोजित क्षेत्र के बारे में और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, को शासन प्रभारित करने वालों को संसूचित करते हैं।

हम शासन द्वारा प्रभारित विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संसूचित करने के लिए हमारी स्वतंत्रता के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किए जाएं।

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings,including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

शासन से प्रभारित संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते है और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन पर रोक नहीं लगाते है, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह की संसूचना से सार्वजनिक हित छूट जाएंगे।

अन्य मामले:

9. हमने बैंक की एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 2784 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारियों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2020 तक रुपये 217180.32 करोड़ की कुल आस्ति और उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए रुपये 22805.88 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है, जिसके अनुसार एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया जाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारियों की लेखापरीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और अब तक की हमारी राय में यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन से संबंधित है, जो पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

   इस मामले के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

10. तुलन पत्र और लाभ और हानि खाता, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

11. उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 9 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 के अनुसार, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमा के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क) हमने जो जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, वे हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हैं, वे हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9. We did not audit the financial statements / information of 2784 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total assets of ₹217180.32 Crs as at 31st March 2020 and total revenue of ₹22805.88 Crs for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion inso far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

ख) बैंक का संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में आया है, बैंक की शक्तियाँ के अंतर्गत हैं; तथा

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पाई गई है।

12. जैसा कि पत्र क्रमांक डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019–20, 17 मार्च 2020 द्वारा अपेक्षित है "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति पर – वित्त वर्ष 2019–20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" को आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिनांक 19 मई 2020 के बाद के संसूचना के अनुसार पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार करते हैं:

क) हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ख) वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों, जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर कोई पर्यवेक्षण या टिप्पणी नहीं है।

ग) 31 मार्च, 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, 31 मार्च, 2020 को निदेशक अधिनियम 2013 की धारा 164 (2) के नियमों के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के संदर्भ में कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

घ) खातों के रखरखाव और अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ङ) जैसा कि आरबीआई ने 19 मई, 2020 को अनुमति दी थी के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 से " वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण" को लागू करने के विकल्प का प्रयोग किया है, हम इस मामले पर कोई राय नहीं देते हैं।

13. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी राय में, कानूनन आवश्यक उचित खाता ट्ट बहियां बैंक द्वारा रखे गए हैं, यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रकट होती है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की शाखाओं से हमारे

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. As required by Letter No DOS.ARG.No. 6270/08.91.001/2019-20 dated 17th March, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCA's from FY 2019-20", read with subsequent communication dated 19th May, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2020, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2020 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) As the Bank has exercised the option to implement "Internal Financial Controls with reference to the Financial Statements" from the financial year 2020-21 as permitted by RBI on May 19, 2020, we do not provide any opinion on this matter.

13. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त विवरणियां प्राप्त की गई है।

ख) तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत नकद प्रवाह का विवरण, खाता बहियों के करार में अंतर्निहित है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ है;

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से व्यवहृत किया गया है; तथा

घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकद प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करता है, इस सीमा तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के संबंध में असंगत नहीं हैं

कृते डागलिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : : 000671S

(पी मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 016444
UDIN:20016444AAAACD9940

कृते कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 001420श / S200034

(के मोहन आचार्य)
साझेदार
सदस्यता सं. 029082
UDIN:20029082AAAABU8828

कृते डी के छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E

(जगन्नाथ पी मोहापात्रो)
साझेदार
सदस्यता सं. 217012
UDIN:20217012AAAADE7038

कृते एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W

(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 119972
UDIN:20119972AAAADC5259

हस्ताक्षर का स्थान : बेंगलूरु
रिपोर्ट की दिनांक : 24 जून, 2020

purposes of our audit have been received from branches not visited by us.

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of CashFlows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For Dagliya & Co.
Chartered Accountants
FRN. 000671S

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership Number 016444
UDIN:20016444AAAACD9940

For Komandoor & Co. LLP.
Chartered Accountants
FRN. 001420S/S200034

(K Mohan Acharya)
Partner
Membership Number 029082
UDIN:20029082AAAABU8828

For D. K.Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN. 304138E

(Jagannath Prasad Mohapatro)
Partner
Membership Number 217012
UDIN:20217012AAAADE7038

For S N K & Co.
Chartered Accountants
FRN. 109176W

(Ankit D Danawala)
Partner
Membership Number 119972
UDIN:20119972AAAADC5259

Place : Bengaluru
Date : June 24, 2020

असंशोधित विचार के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के एकल वार्षिक वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित विचार शामिल हैं ।

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2020 contains unmodified opinion.

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक व मुख्य वित्त अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

V RAMACHANDRA
CGM & CHIEF FINANCIAL OFFICER

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

कृते डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000671S

(पी मनोहर गुप्ताग)
साझेदार
सदस्याता सं. 016444

कृते कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 001420S / S200034

(के मोहन आचार्य)
साझेदार
सदस्याता सं. 029082

कृते डी. के. छाजर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E

(जगन्नाथ प्रसाद महापात्रो)
साझेदार
सदस्याता सं. 217012

कृते एस एन के एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W

(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्याता सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

For DAGLIYA & CO.
Chartered Accountants
FRN : 000671S

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

For KOMANDOOR & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN : 001420S / S200034

(K Mohan Acharya)
Partner
Membership No. 029082

For D K CHHAJER & CO.
Chartered Accountants
FRN : 304138E

(Jagannath Prasad Mohapatro)
Partner
Membership No. 217012

For S N K & CO.
Chartered Accountants
FRN : 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

Place : Bengaluru
Date : 24.06.2020

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका : बेंगलूरु

विषय : सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यएँ) विनियमन, 2015 का विनियम 17 (8)

बोर्ड को यह सत्यापित करता है कि;

क) हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणियों में कोई भौतिक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii) ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की बनावट या परिचालन में कमियों यदि कोई हो, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात हो और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors
CANARA BANK
HO : Bengaluru

Sub : CEO/CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

a) We have reviewed Standalone financial statements and the CashFlow statement for the year ended 31st March, 2020 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, जिनके बारे में हम जागरूक हो गए हैं , यदि कोई हो, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

V RAMACHANDRA
CGM &
CHIEF FINANCIAL OFFICER

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

Place : Bengaluru
Date : 24.06.2020

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

	अनुसूची Schedule	यथा 31.03.2020 को As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	1030 23 34	753 24 48
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	38262 73 12	35423 98 71
जमा / DEPOSITS	3	625351 17 37	599033 27 48
उधार / BORROWINGS	4	42761 76 72	40992 29 44
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	16468 83 98	18563 88 94
कुल / TOTAL		**723874 74 53**	**694766 69 05**
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	22570 13 71	29919 01 60
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	45701 32 74	36233 67 28
निवेश / INVESTMENTS	8	176244 94 03	152985 29 60
अग्रिम / ADVANCES	9	432175 20 48	427727 26 84
अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	8276 29 19	8410 23 36
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	38906 84 37	39491 20 37
कुल / TOTAL		**723874 74 53**	**694766 69 05**
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	373497 97 25	359059 22 29
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		35939 89 40	28847 91 53

आर महेंद्रन मंडल प्रबंधक	**अरविंद कुमार** सहायक महा प्रबंधक	**वी रामचंद्र** मुख्य महा प्रबंधक	**ए, मणिमेखलै** कार्यपालक निदेशक	**देवाशीष मुखर्जी** कार्यपालक निदेशक
कृष्णन एस कार्यपालक निदेशक	**एम. वी. राव** कार्यपालक निदेशक	**एल.वी. प्रभाकर** प्रबंधक निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी		**टी.एन. मनोहरन** अध्यक्ष
सुचीन्द्र मिश्रा निदेशक	**आर. केशवन** निदेशक	**वेकटाचलम रामकृष्ण अय्यर** निदेशक		**बिमल पी शर्मा** निदेशक

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते डागलिया एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म सं. : 000671S	**कृते कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार फर्म सं. : 001420S / S200034	**कृते डी. के. छाजर एंड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं. : 304138ई	**कृते एस. एन. के. व कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं. : 109176डब्ल्यु
(पी. मनोहर गुप्ता) साझेदार सदस्यता सं. 016444	**(के. मोहन आचार्य)** साझेदार सदस्यता सं. 029082	**(जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रा)** साझेदार सदस्यता सं. 217012	**(अंकित डी. दानावाला)** साझेदार सदस्यता सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

यथा दिनांक 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2020

	अनुसूची Schedule	31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए For the period ended 31.03.2020 (₹'000)	31.03.2019 को समाप्त अवधि के लिए For the period ended 31.03.2019 (₹'000)
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	48934 99 02	46810 34 18
अन्य आय / OTHER INCOME	14	7813 15 46	6574 95 65
कुल / Total		**56748 14 48**	**53385 29 83**
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	35811 08 34	32332 22 01
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	11577 23 46	10462 20 75
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		11595 54 24	10243 85 56
कुल / Total		**58983 86 04**	**53038 28 32**
III. अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) NET PROFIT/(LOSS) FOR THE PERIOD		**(2235 71 56)**	**347 01 51**
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
के लिए अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE			86 76 00
आरक्षित निधि पूंजी / CAPITAL RESERVE			233 00 00
निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE			27 25 51
राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE			
विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE			
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND			
लाभांश कर / DIVIDEND TAX			
लाभ / (हानि) शेष / BALANCE OF PROFIT/(LOSS)		(2235 71 56)	
कुल / Total		**(2235 71 56)**	**347 01 51**
लेखा पद्धति नीति / ACCOUNTING POLICIES	17		
खातों पर नोट्स / NOTES ON ACCOUNTS	18		
प्रति शेयर आय अर्जन / EARNINGS PER SHARE (मूल व तनुकृत) / (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		(26.50)	4.71

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

ARVIND KUMAR
ASST. GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

KRISHNAN S
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL P SHARMA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **DAGLIYA & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 000671S

For **KOMANDOOR & CO. LLP**
Chartered Accountants
FRN : 001420S / S200034

For **D. K. CHHAJER & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 304138E

For **S N K & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 109176W

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

(K Mohan Acharya)
Partner
Membership No. 029082

(Jagannath Prasad Mohapatro)
Partner
Membership No.217012

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 24.06.2020

यथा दिनांक 31.03.2020 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

	यथा 31.03.2020 को As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 1 - पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital (10 रुपये प्रति शेयर के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर) / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)	3000 00 00	3000 00 00
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त / Issued, Subscribed and Paid up:		
i) 10 रुपये प्रति शेयर के 80,89,33,351 ईक्विटी शेयर गत वर्ष केंद्र सरकार द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 53,19,44,775 ईक्विटी शेयर 80,89,33,351 Equity Shares of ₹10/- each / Previous year 53,19,44,775 Equity share of ₹10/- each held by Central Government	808 93 34	531 94 48
ii) 10 रुपये प्रति शेयर के 22,13,00,000 ईक्विटी शेयर गत वर्ष अन्यों द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 22,13,00,000 इक्विटी शेयर 22,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each / Previous year 22,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	221 30 00	221 30 00
	1030 23 34	**753 24 48**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE		
(बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के अनुसार आरक्षित निधि) (Reserve Fund in terms of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949)		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	8350 76 00	8264 00 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the period	-	86 76 00
कुल / Total	**8350 76 00**	**8350 76 00**
II. पूँजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE		
क./a. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि REVALUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	6448 17 37	6524 72 80
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Addition during the period	-	-
	6448 17 37	6524 72 80
घटाएं : लाभ एवं हानि खाते को अतंरित Less : Transferred to Revenue Reserves	115 38 33	76 55 43
कुल / Total	**6332 79 04**	**6448 17 37**
ख./b. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	213 74 47	223 24 48
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	6 30 25
घटाएं: अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	22 93 04	15 80 26
कुल / Total	**190 81 43**	**213 74 47**
ग./c. अन्य / OTHERS		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	2488 67 07	2255 67 07
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	233 00 00
कुल / Total	**2488 67 07**	**2488 67 07**

यथा दिनांक 31.03.2020 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

	यथा 31.03.2020 को As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)
III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	12008 54 67	11471 26 67
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	6294 01 14	537 28 00
कुल / Total	**18302 55 81**	**12008 54 67**
IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / REVENUE AND OTHER RESERVES		
क/a. राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	8678 49 67	8601 94 25
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / ADD: Additions during the period	88 30 72	76 55 42
	8766 80 39	8678 49 67
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	**8766 80 39**	**8678 49 67**
ख/b. विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE {आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार} {In terms of Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961}		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	4000 00 00	4000 00 00
अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the period	-	-
कुल / Total	**4000 00 00**	**4000 00 00**
ग/c. निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	565 80 00	565 80 00
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	-
	565 80 00	565 80 00
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	**565 80 00**	**565 80 00**
घ/d. अन्य आरक्षित निधि खाता / OTHER RESERVE ACCOUNT		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(322 40 00)	
जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	322 40 00	(322 40 00)
	-	-
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deduction during the period	**1491 94 52**	-
कुल / Total	**(1491 94 52)**	(322 40 00)
ङ/e. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	27 25 51	
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	-	27 25 51
	27 25 51	27 25 51
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deductions during the period	-	-
कुल / Total	**27 25 51**	27 25 51
च./f. लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss account		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(7035 06 05)	(7035 06 05)
जोड़ें : अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period	(2235 71 56)	-
घटाएं : अवधि के दौरान कटौती / Less: Deduction during the period		-
कुल / Total	**(9270 77 61)**	**(7035 06 05)**
कुल / TOTAL	**38262 73 12**	**35423 98 71**

यथा दिनांक 31.03.2020 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

	यथा 31.03.2020 को As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 3 – जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क./A.I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	310 92 90	337 26 02
ii. अन्य से / FROM OTHERS	26146 61 85	22936 66 58
कुल / Total	**26457 54 75**	**23273 92 60**
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	169748 99 30	151534 87 37
कुल / Total	**169748 99 30**	**151534 87 37**
III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	23371 21 86	30497 25 73
ii. अन्य से / FROM OTHERS	405773 41 46	393727 21 78
कुल / Total	**429144 63 32**	**424224 47 51**
कुल / TOTAL	**625351 17 37**	**599033 27 48**
ख./B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	601664 19 83	565917 00 12
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	23686 97 54	33116 27 36
कुल / Total	**625351 17 37**	**599033 27 48**
अनुसूची 4 – उधारी / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधारी / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA	2291 00 00	1950 00 00
ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS	2807 06 42	-
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	11909 68 95	10663 63 00
iv. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	15149 30 00	12749 30 00
कुल / Total	**32157 05 37**	**25362 93 00**
II. भारत के बाहर उधारी / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS	10604 71 35	15629 36 44
ii. प्रतिभूति – रहित प्रतिदेय बॉण्ड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण) (SUB-ORDINATED DEBT)	-	-
कुल / Total	**10604 71 35**	**15629 36 44**
कुल / TOTAL	**42761 76 72**	**40992 29 44**

यथा दिनांक 31.03.2020 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

	यथा 31.03.2020 को As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1120 01 36	1610 37 84
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	(1863 75 77)	2284 74 18
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2064 50 01	2192 36 94
IV. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	15148 08 38	12476 39 98
कुल / Total	**16468 83 98**	**18563 88 94**
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष		
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND	4598 34 77	3203 66 97
(विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes)		
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT	17971 78 94	26715 34 63
अन्य खातों में / IN OTHER ACCOUNTS	-	-
कुल / Total	**17971 78 94**	**26715 34 63**
कुल / TOTAL	**22570 13 71**	**29919 01 60**
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंक में शेष / BALANCE WITH BANKS		
क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	206 47 44	15 98 69
ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	-	-
कुल / TOTAL	**206 47 44**	**15 98 69**
ii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
क. बैंकों में / a. WITH BANKS	8290 32 13	-
ख. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	13714 54 05	2500 00 00
कुल / Total	**22004 86 18**	**2500 00 00**
कुल / TOTAL	**22211 33 62**	**2515 98 69**
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS	6047 07 50	11829 28 15
ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	9768 34 59	13651 66 52
iii. माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7674 57 03	8236 73 92
कुल / Total	**23489 99 12**	**33717 68 59**
कुल / TOTAL	**45701 32 74**	**36233 67 28**

यथा दिनांक 31.03.2020 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

	यथा 31.03.2020 को As at 31.03.2020 (₹ '000)		यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS				
I. भारत में निवेश: सकल				
INVESTMENTS IN INDIA: GROSS		176309 56 93		153134 39 07
घटाएं: मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान				
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI		2165 37 31		2674 34 99
भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA		174144 19 62		150460 04 08
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ				
GOVERNMENT SECURITIES		160879 23 72		135376 27 86
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ				
OTHER APPROVED SECURITIES		1 49 87		1 49 87
iii शेयर				
SHARES		1973 40 47		1837 23 15
iv. डिबेंचर और बॉण्ड				
DEBENTURES AND BONDS		7645 17 45		9919 01 81
v. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम				
SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES		765 10 60		746 21 41
vi. अन्य – म्युचुअल फंड, सी पी, सी डी इत्यादि				
OTHERS - MUTUAL FUNDS, C P, CD ETC.		2879 77 51		2579 79 98
कुल / Total		**174144 19 62**		**150460 04 08**
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	113428 55 58		88626 87 03	
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	60567 19 15		61611 44 68	
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING	148 44 89		221 72 37	
कुल / Total	**174144 19 62**		**150460 04 08**	
II. भारत के बाहर निवेश – सकल				
INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS		2122 22 08		2530 95 43
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान				
LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION		21 47 67		5 69 91
भारत के बाहर – निवेश निवल				
NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA		2100 74 41		2525 25 52
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)		399 24 90		1488 94 83
ii. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम				
SUBSIDIARIES AND / OR JOINT VENTURES		166 30 73		166 30 73
iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS		1535 18 78		869 99 96
कुल / Total		**2100 74 41**		**2525 25 52**
परिपक्वता के लिए धारित / HELD TO MATURITY	234 33 85		252 54 78	
बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE	1866 40 56		2272 70 74	
व्यापार के लिए धारित / HELD FOR TRADING			-	
कुल / Total	**2100 74 41**		**2525 25 52**	
कुल / TOTAL		**176244 94 03**		**152985 29 60**

यथा दिनांक 31.03.2020 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

	यथा 31.03.2020 को As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क./A. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	15608 81 77	18383 78 78
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	158070 81 04	178989 36 19
iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS	258495 57 67	230354 11 87
कुल / **Total**	**432175 20 48**	**427727 26 84**
ख./B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों सहित / INCLUDING BOOK DEBTS)	353361 05 11	348794 90 58
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	10213 30 22	10089 78 50
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	68600 85 15	68842 57 76
कुल / Total	**432175 20 48**	**427727 26 84**
ग./C. **I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA**		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	187718 83 79	179432 76 18
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	32316 80 09	23179 34 65
iii. बैंक / BANKS	3262 61 01	4650 50 57
iv. अन्य / OTHERS	184565 52 82	195424 83 19
कुल / **Total**	**407863 77 71**	**402687 44 59**
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अलावा देय) **(DUE FROM OTHER THAN BANKS)**		
i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	12113 02 30	12069 55 65
ii. मीयादी और समूहित ऋण TERM / SYNDICATED LOANS	10776 35 89	8038 08 59
iii. अन्य / OTHERS	1422 04 58	4932 18 01
कुल / Total	**24311 42 77**	**25039 82 25**
कुल / TOTAL	**432175 20 48**	**427727 26 84**

यथा दिनांक 31.03.2020 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

	यथा 31.03.2020 को As at 31.03.2020 (₹ '000)		यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन पर AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	8175 34 97		8035 83 48	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	65 26 35		139 58 91	
	8240 61 32		8175 42 39	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR	-		-	
	8240 61 32		8175 42 39	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	11 09		7 42	
	8240 50 23		8175 34 97	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	1053 90 10		926 70 03	
		7186 60 13		7248 64 94
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	4015 28 24		3786 00 38	
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	271 19 78		383 96 05	
	4286 48 02		4169 96 43	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ DEDUCTIONS DURING THE YEAR	94 74 03		154 68 19	
	4191 74 00		4015 28 24	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	3104 23 92		2855 88 82	
		1087 50 07		1159 39 42
III. पट्टे पर दी गई आस्तियां / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	71 77 29		71 77 29	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	-		-	
	71 77 29		71 77 29	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	-		-	
	71 77 29		71 77 29	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	69 59 70		69 24 28	
	2 17 59		2 53 01	
घटाएं : पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	(1 41)		34 01	
		2 19 00		2 19 00
कुल / Total		**8276 29 19**		**8410 23 36**

यथा दिनांक 31.03.2020 को तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2020

	यथा 31.03.2020 को As at 31.03.2020 (₹ '000)		यथा 31.03.2019 को As at 31.03.2019 (₹ '000)	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED		5465 54 08		5099 14 50
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		13042 91 32		15637 57 12
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प / STATIONERY AND STAMPS		10 81 76		4 99 09
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		109 30 37		75 85 55
V. अन्य / OTHERS		16477 53 84		15337 99 11
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) / DEFERRED TAX ASSETS (NET)		3800 73 00		3335 65 00
कुल / **Total**		**38906 84 37**		**39491 20 37**
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		9537 61 21		13927 74 26
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		36 00		36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		300719 34 72		275252 65 18
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
क./a. भारत में / IN INDIA	35174 28 89		38629 61 69	
ख./b. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA	231 88 49		159 81 23	
		35406 17 38		38789 42 92
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		24890 32 44		28919 42 55
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित (प्रासंगिक) रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE				
क. पुनः भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED	-		-	
ख./ b. अन्य / OTHERS	2944 15 50		2169 61 38	
		2944 15 50		2169 61 38
कुल / **Total**		**373497 97 25**		**359059 22 29**

यथा 31.03.2020 को समाप्त अवधि हेतु लाभ व हानि लेखा का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2020

	यथा 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the period ended 31.03.2020 (₹'000)	यथा 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the period ended 31.03.2019 (₹'000)
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / भुनाना INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS	36075 88 06	34319 28 25
II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS	11335 87 64	10937 50 66
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS	1400 26 79	828 01 07
IV. अन्य / OTHERS	122 96 53	725 54 20
कुल / Total	**48934 99 02**	**46810 34 18**
अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय, और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE	1257 11 55	1171 53 21
II. निवेशों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS	759 47 36	402 36 04
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) PROFIT / (LOSS) ON REVALUATION OF INVESTMENTS	(1 74 18)	(79 56)
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ / (हानि) PROFIT/(LOSS) ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS	(1 34 11)	(2 86 87)
V. विनिमय लेन-देन पर लाभ - निवल PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS-NET	1114 85 87	632 60 53
VI. विदेश / भारत में अनुषंगियों / कम्पनियों और / या संयुक्त उद्यम द्वारा लाभांश, आदि के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES AND / OR JOINT VENTURES ABROAD / IN INDIA	67 87 20	50 16 98
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME	4616 91 77	4321 95 32
कुल / Total	**7813 15 46**	**6574 95 65**

यथा 31.03.2020 को समाप्त अवधि हेतु लाभ व हानि लेखा का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2020

		यथा 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the period ended 31.03.2020 (₹'000)	यथा 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the period ended 31.03.2019 (₹'000)
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED			
I.	जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS	33520 93 80	30098 46 26
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक / अतंर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS	1169 87 91	1051 98 76
III.	अन्य (टियर I व टियर II बॉण्ड पर ब्याज सहित) OTHERS (INCLUDING TIER I & TIER II BOND INTEREST)	1120 26 63	1181 76 99
	कुल / Total	**35811 08 34**	**32332 22 01**
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES			
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES	7134 18 46	6039 80 65
II.	किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING	792 37 23	777 86 07
III.	मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY	42 94 28	52 35 06
IV.	विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	34 04 71	33 70 72
V.	बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY	432 16 02	416 83 73
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES	1 04 04	48 67
VII.	लेखापरीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित) AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS)	55 91 29	67 36 53
VIII.	विधि प्रभार / LAW CHARGES	71 10 65	58 78 17
IX.	डाक, तार, टेलिफोन आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.	59 25 08	53 42 22
X.	मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE	320 54 96	314 77 26
XI.	बीमा / INSURANCE	550 15 19	494 36 11
XII.	अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE	2083 51 55	2152 45 55
	कुल / Total	**11577 23 46**	**10462 20 75**

अनुसूची – 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

[1] (क) तैयारी का आधार

ऐतिहासिक लागत रूढ़ी के अंतर्गत वित्तीय विवरणों को विद्यमान प्रणालियों के आधार पर उपचय आधार पर तैयार किया गया है जब तब तक कि अन्यथा सूचित नहीं किया जाता । वे भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें सांवधिक प्रावधानों व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग विनियमन अधिनियम - 1949 द्वारा निर्धारित विनियामक/मानकों/दिशानिदेशों,भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया गया है।

(ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में यथा वित्तीय विवरण की तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है । प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण है । तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं । लेखांकन अनुमानों में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दी जाएगी ।

[2] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

2.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को अनुमानिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया गया है । विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दरों पर पुन: वर्णित किया गया है । पुन: वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दरों पर लाभ–हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है ।

2.2 विदेशी शाखाओं के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को गैर अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । ऐसे लेन–देनों तथा शेष राशि को भारतीय बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है ।

परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर–मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का हाजिर विदेशी विनिमय दरों पर

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

[1] (a) **Basis of Preparation**

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act - 1949, Accounting Standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

(b) **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] **Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies**

2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis.

Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange

भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में घोषित किया जाता है । विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 11 - "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में फेडाई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है।

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा ।

2.3 **वायदा विनिमय संविदाएं**

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाली अवधि के रूप में परिशोधित किया गया है । वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित निरसन पर होनेवाले लाभ / हानि , यदि कोई है, को समाप्ति तारीख पर मान्यता दी कोई गई । ऐसी संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] **निवेश**

3.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे 'परिपक्वता केलिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस)' और 'व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) । इस तरह के वर्गीकरण प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय निर्धारित किया जाता है ।

निवेशों को तुलन–पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बॉण्ड (ङ) अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाएं तथा (च) अन्य

3.2 निवेश की अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए :

क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया जाता है ।

ख) अधिग्रहण / निपटान की तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है ।

announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 - "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.3 **Forward Exchange Contracts**

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

2.4 Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[3] **Investments**

3.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT). Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities (b) Other approved securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others

3.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

3.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है:

क) **परिपक्वता के लिए धारित**

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाता है । अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे शेष परिपक्वता की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है । मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसके लिए पूर्णत: प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) की यूनिटों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए निवेश को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है । संवितरण की तारीख से तीन साल की अवधिक के बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबै) के दिशानिर्देशों के अनुसार एएफएस में व बाज़ार के लिए चिह्नित में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ख) **बिक्री के लिए उपलब्ध**

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत प्रत्येक प्रतिभूति त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्याँकित किया जाता है ।भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कोट नहीं की गई प्रतिभूति भी मूल्यांकित की जाती है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई है, को नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्याँकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने के कारण बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी की इकाइयों (पैराग्राफ 3.3 (ए) का संदर्भ लें) को वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है । यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि (विसीएफ) के आधार पर मूल्याँकित किया जाता है।

3.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

a) **HELD TO MATURITY**

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortization, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

b) **AVAILABLE FOR SALE**

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3 (a)) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

ग) **व्यापार हेतु धारित**

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्याँकित किया जाता है ।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यह्रास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया । प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यॉंकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

3.4 **एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है:**

(क) परिपक्वता के लिए धारित एचटीएम श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है । एच टी एम श्रेणी के तहत निवेश को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है ।

(ख) एएफएस / एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य इनमें से निम्न मूल्य पर किया जाता है ।

(ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है । उपचित मूल्यह्रास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यह्रास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है ।

3.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्रकं / पुकं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश वित्तीय आस्तियों के मामले में प्रकं / पुकं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य इनमें से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है । बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ का निर्वाह निम्नानुसार किया जाता है:

(क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तद्संबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाती है ।

(ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है, लेकिन उसका उपयोग प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है ।

3.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल की गई प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की

c) **HELD FOR TRADING:**

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price/ yields declared by (FIMMDA) on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

3.4. **Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:**

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price/book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

3.5 Non-Performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

3.6 Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-Performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments

जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान बनाया जाता है । ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है ।

3.7 निवेश की बिक्री पर लाभ

"बिक्री के लिए उपलब्ध" तथा "व्यापार के लिए धारित"श्रेणियों के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है ।

"परिपक्वता के लिए धारित" श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है ।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है ।

3.8 रेपो / रिवर्स रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

आरबीआई के साथ एलएएफ के सहित रेपो / रिवर्स रेपो के तहत सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद / पुनर्बिक्री हेतु करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों की पुन:खरीद को उधार के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाएगा और रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाएगा। लागत और राजस्व को ब्याज व्यय / आय, जैसा मामला हो, के रूप में गणना की जाती है।

[4] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक, ब्याज दर अदला–बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है । बैंक द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियां रुपया ब्याज दर अदला–बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला–बदली और वायदा दर करार है । बैंक द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला–बदली है।

ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

(क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नि संविदाओं का मूल्यांकन बाज़ार भाव पर अंकित किया जाता हैं और निवल मूल्यह्रास की पहचान की गई है जब कि निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है ।

(ख) बचाव–व्यवस्था के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएं निम्नानुसार हैं:

is made. Deprecation in respect of such Non-Performing Investments are not set off against appreciation in other performing securities.

3.7 Profit on sale of Investments

Profit on sale of Investments in respect of "Available for Sale" and "Held for Trading" categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on sale of Investments in respect of "Held to Maturity" category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

3.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo/Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing / Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under Investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

[4] Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

(a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

(b) Derivative contracts undertaken for hedging are:

i. व्युत्पन्नी संविदाओं को प्रतिरक्षा के रूप में बाजार के लिए अंकित नहीं किया जाता है, जब तक कि आधारभूत आस्तियां बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं ।

ii. प्रतिरक्षा अदला–बदली के लिए उपचित आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया है।

[5] अग्रिम

5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।

5.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है।

5.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं।

5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय देश के विनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी अधिक कड़े हैं, किए गए हैं।

5.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।

5.6 अनर्जक अग्रिमों में की गई आंशिक वसूलियों का प्रभाजन प्रथमतः प्रभार व ब्याज के प्रति किया जाता है । तत्पश्चात, मूल धन के प्रति किया जाता है, सिवाय अनर्जक अग्रिमों के, जिसमें समझौता निपटान / "कालातीत ऋण" हैं जहां वसूलियों का समायोजन प्रथमतः मूल धन के प्रति किया जाता है।

5.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्याँकन, आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

5.8 एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

[6] अचल आस्तियां

6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं । सभी अचल परिसंपत्तियों का पूँजीकरण, इस्तेमाल शुरू की गई तिथि के आधार पर होता है।

6.2 भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया गया है। पुर्नमूल्यांकन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो तो,

i. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.

ii. Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging swaps.

[5] Advances

5.1 Advances are classified as performing and Non-Performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.

5.2 Advances are classified into Standard, Sub Standard, Doubtful and Loss assets borrower wise.

5.3 Provisions for domestic advances are made for Performing / Non-Performing advances in accordance with the RBI Guidelines.

5.4 Provisions for Performing / Non-Performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.

5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.

5.6 Partial recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of non performing advances involving compromise settlements / "Loan Past Due" advances where the recoveries are first adjusted towards principal.

5.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation, income recognition etc. are done as per RBI guidelines.

5.8 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

[6] Fixed Assets

6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.

6.2 Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account.

उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा की जाती है । संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते में नामे किया जाएगा। समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित की जाएगी ।

[7] मूल्यहास

7.1 अचल संपत्तियों का मूल्यहास सीधी कटौती पद्धति के तहत निम्न दरों पर किया जाता है:

क्रम संख्या	विवरण	प्रतिवर्ष की दर
1	पूर्णस्वामित्व वाली संपत्तियां (भूमि छोड़कर)	1.67%
2	अन्य अचल संपत्तियां (फर्नीचर और जुड़नार सहित)	10% / 12.5% / 20%

संबंधित आस्तियों के उपयोगी होने का निर्धारण सिवाय कंप्यूटरों के, प्रबंधन द्वारा किया जाता है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्यहास को सीधी कटौती प्रणाली के तहत 33.33% पर प्रभारित किया जाता है।

7.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरणार्थ कम्प्यूटर, सेर्वर और ए टी एम इत्यादि) के लिए अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहां आस्तियों का कुल लागत प्रयोज्य जीवन से परिशोधित किया जाता है, अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है।

7.3 पूंजीकरण वर्ष में अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जायेगा यदि परिसंपत्ति का उपयोग उस वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा लागू दर के 50% होगा। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यहास का प्रावधान नहीं किया जाता है।

7.4 पट्टाधृत संपत्तियों पर प्रदत्त प्रीमियम उस पूरी पट्टाधृत अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है। पट्टाधृत भूमि की लागत और पट्टाधृत सुधारित पट्टे की अवधि के मद्दे परिशोधित किए जाते हैं।

7.5 विदेशी कार्यालयों में धारित अचल परिसंपत्ति के संबध में मूल्यहास तारीख की गणना के लिए प्रावधान संबंधित देशों के विनियमों / मानकों के अनुसार की जाती है।

7.6 आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टों) के अनुसार परिचालन हेतु पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान पट्टा अवधि के मद्दे लाभ और हानि खाते में डाला जाता है।

Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[7] **Depreciation**

7.1 Fixed Assets are depreciated under Straight Line Method at the rates as follows:

SL No.	Particulars	Rates Per Annum
1	Freehold Properties (Excluding Land)	1.67%
2	Other Fixed Assets (Including Furniture & Fixtures)	10% / 12.5% / 20%

The useful life of the respective assets is determined by the management except for the Computers where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under straight line method at 33.33%.

7.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (Eg. Computer, Servers, ATMs etc), where the entire cost of the asset is amortized over the useful life.

7.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year, else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale / disposal.

7.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

7.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

7.6 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

[8] आस्तियों का अपक्षयन

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को यह निर्धारित किया जाता है कि किसी आस्ति के अपक्षयन का संकेत है या नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का आकलन किया जाता है तथा अपक्षयन यदि कोई है, तो, प्रावधान किया जाता है। लाभ और हानि खाते से निकाल दिया जाता है।

[9] राजस्व का परिकलन

9.1 आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया, निम्नलिखित को छोडकर, उपचित आधार पर किया जाता है:

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दिया गया है।

(ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली होने पर की जाती है।

(ग) लाभांश आय की गणना तब की जाती है जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

(घ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली होने पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी।

[10] कर्मचारी लाभ

10.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है तथा लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

बैंक 01–08–2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित योगदान योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्यों को मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। इस योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन के 10% के साथ महंगाई भत्ते को बैंक से मिल रहे योगदान के साथ योजना में योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं।

10.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

(क) उपदान: कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक की बाध्यताओं

[8] Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for and charged off to Profit and Loss Account.

[9] Revenue Recognition

9.1 Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

(a) Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by Reserve Bank of India.

(b) Interest on Overdue Bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers is accounted on realization.

(c) Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.

(d) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[10] Employee Benefits

10.1 Defined Contribution Plans

Defined Contribution to Plans such as Provident/ Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-08-2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

10.2 Defined Benefit Plans

(a) Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Banks obligation under Gratuity

के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमांकिक आधार पर किया जाता है तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।

(ख) पेंशन: कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है उसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है । पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य का आकलन यथा वर्षांत पर बीमांकक की रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।

10.3 अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा स्वतंत्र बीमांकिक मूल्याँकन के आधार पर परिकलन किया जाता है ।

10.4 परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित इकाई क्रेडिट प्रद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ / हानि को स्थगित न करते हुए तुरंत लाभ और हानि खाते में चिह्नित किया जाता है।

[11] कराधान के लिए प्रावधान

(क) आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की समग्र राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर क्रमशः व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 - "आय पर कर के लिए लेखांकन" के अनुसार विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखने के बाद, निर्धारित किए जाते हैं जो संबंधित न्यायालयों के कर कानूनों पर आधारित हैं।

(ख) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। समय - अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को उन कर दरों व कानूनों जिनको अधिनियमित किया गया है या यथा तुलन–पत्र की तारीख पर पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है । आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में रखा जाता है।

is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(b) Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

10.3 The privilege leave is considered as a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation.

10.4 The cost of providing long term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

[11] Provision for Taxation

(a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

(b) Deferred Tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

(ग) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रबंधन के उस निर्णय के आधार पर किया जाता है कि क्या उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित है या आभासी रूप से निश्चित है, जैसा मामला हो।

(घ) आस्थगित कर संपत्तियों को अनाधिकृत मूल्यह्रास और कर के नुकसान से आगे ले जाने पर रखा जाता है, अगर इस बात के पुख्ता सबूतों का समर्थन करते हुए आभासी निश्चितता है कि ऐसी आस्थगित कर संपत्तियों को भविष्य में मुनाफे के मद्धे प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियां उचित निश्चितता के आधार पर रखी जाती हैं।

[12] निवल लाभ

12.1 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

I. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "प्रावधान आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता तब दी जाती है, जबः

(क) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम के फलस्वरूप वर्तमान में कोई बाध्यता हो

(ख) उस बाध्यता को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों का बहिर प्रवाह और आवश्यक हो और

(ग) जब बाध्यता राशि के उचित परिकलन किया जा सकता हो।

II. निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया:

(क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रन के भीतर न हों, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।

(ख) जहां यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों का बहिर्गमन बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा

(ग) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया नहीं जा सकता है।

(c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or Virtual certain as the case may be.

(d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

[12] Net Profit

12.1 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

I. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the bank recognizes provision only when :

(a) It has a present obligation as a result of past event.

(b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

(c) A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

II. No provision is recognized:

(a) For any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.

(b) Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or

(c) When a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

ऐसी बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है । इसका मूल्यांकरण नियमित अंतरालों पर किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है । सिवाय उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता, वहाँ प्रावधान नहीं दिया गया है।

III. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दी गयी है।

12.2 निवल लाभ

लाभ–हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखितों के पश्चात है:

(क) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

(ख) कराधान के लिए प्रावधान

(ग) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान

(घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान

(च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदों के लिए प्रावधान

[13] प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है । प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है ।

[14] नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है।

[15] खंड रिपोर्टिंग

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी एएस–17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

III. Contingent Assets are not recognized in the Financial Statements.

12.2 Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

(a) Provision for depreciation on Investments

(b) Provision for Taxation

(c) Provision on Non Performing Advances

(d) Provision on Standard Assets

(e) Provision for Non-Performing Investments.

(f) Provision for other usual & necessary Items

[13] Earning Per Share

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Share in accordance with AS - 20 "Earnings Per Share", issued by ICAI. Basic Earnings Per Share is computed by dividing the net profit after tax attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the Year.

[14] Cash Flow Statement

Cash flow from operating activities is reported by using indirect method.

[15] Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

अनुसूची 18

अनुसूची 18 - लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. **निवेश:**
यथा 31.03.2020 को "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग के तहत निवेश का प्रतिशत सांविधिक तरलता अनुपात (एस एल आर) बैंक की निवल मांग और मीयादी देयता का 16.20% था (पिछले वर्ष 14.29%), जो भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अनुमत सीमा के भीतर है ।

2. **अंतर– शाखा लेनदेन :**
अंतर–शाखा/कार्यालय संव्यवहार के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग अंतर कार्यालय समाशोधन खातों के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा ही किया गया है ।

3. **परिसर :**
परिसर में कुछ पूंजीकृत संपत्तियाँ शामिल है और इनके बही मूल्य रुपये 38.60 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये 39.93 करोड़) है, उनके अंतरण विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित होने के कारण इन्हें उपयोग किया जा रहा है ।

4. **भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकतानुसार प्रकटीकरण :**

4.1 पूंजी:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	बासेल III	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	सी ई टी 1 पूंजी अनुपात (%)	9.39	8.31
(ii)	टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.12	9.04
(iii)	टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)	3.53	2.86
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.65	11.90
(v)	बैंक में भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	78.52	70.62
(vi)	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (शेयर प्रीमियम सहित)	6571.00	557.28
(vii)	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से,	शून्य	शून्य
	बेमीयादी गैर–संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस)	शून्य	शून्य
	बेमीयादी कर्ज लिखत (पीडीआई)	शून्य	शून्य

SCHEDULE 18

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. **Investments:**
The percentage of investments under “Held to Maturity” category – SLR as on 31.03.2020 was 16.20% of Net Demand and Time Liability of the Bank (Previous year 14.29%), which is within the permissible limit as per RBI guidelines.

2. **Inter-Branch Transactions:**
The matching and setting off entries under Inter-Branch / office transactions are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

3. **Premises:**
Premises include certain properties capitalized and carrying book value of ₹38.60 Crore (Previous year ₹39.93 Crore) as they have been put to use, though conveyance of title deeds is still to be completed.

4. **Disclosure as per RBI Requirements:**

4.1 Capital:

(₹ in Crore)

	Particulars	Basel III	
		31.03.2020	31.03.2019
(i)	Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	9.39	8.31
(ii)	Tier 1 Capital Ratio (%)	10.12	9.04
(iii)	Tier 2 Capital Ratio (%)	3.53	2.86
(iv)	Total Capital Ratio (%)	13.65	11.90
(v)	Percentage of Shareholding of the Government of India in the Bank	78.52	70.62
(vi)	Amount of Equity Capital raised (including share premium)	6571.00	557.28
(vii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which,	NIL	NIL
	Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS):	NIL	NIL
	Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	NIL

(viii)	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से,	3000.00	शून्य
	कर्ज पूंजी लिखत	3000.00	शून्य
	अधिमानी शेयर पूंजी लिखत : [बेमीयादी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

4.2 निवेश:

(1) निवेशों का मूल्य:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i.	**निवेश का सकल मूल्य**	**178431.79**	**155665.34**
क.	भारत में	176309.57	153134.39
ख.	भारत से बाहर	2122.22	2530.95
ii.	**मूल्यह्रास, एनपीआई के लिए प्रावधान**	**2186.85**	**2680.05**
क.	भारत में	2165.37	2674.35
ख.	भारत से बाहर	21.48	5.70
iii.	**निवेशों का निवल मूल्य**	**176244.94**	**152985.29**
क.	भारत में	174144.20	150460.04
ख.	भारत से बाहर	2100.74	2525.25

(2) निवेशों पर मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए किये गये प्रावधानों में उतार– चढाव:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i.	प्रारंभिक शेष	2680.05	2359.34
ii.	जोडें : वर्ष के दौरान बनाये गये प्रावधान	1103.80	1664.56
iii.	घटायें : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना	1597.31	1343.85
iv.	विनिमय में उतार–चढ़ाव	0.31	
v.	इति शेष	2186.85	2680.05

(viii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	3000.00	NIL
	Debt capital instrument:	3000.00	NIL
	Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ Redeemable Non Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	NIL	NIL

4.2 Investments:

(1) Value of Investments:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i.	**Gross Value of Investments**	**178431.79**	**155665.34**
a.	In India	176309.57	153134.39
b.	Outside India	2122.22	2530.95
ii.	**Provisions for Depreciation, NPI**	**2186.85**	**2680.05**
a.	In India	2165.37	2674.35
b.	Outside India	21.48	5.70
iii.	**Net Value of Investments**	**176244.94**	**152985.29**
a.	In India	174144.20	150460.04
b.	Outside India	2100.74	2525.25

(2) Movement of Provisions held towards depreciation and for NPI on Investments:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i.	Opening Balance	2680.05	2359.34
ii.	Add: Provisions made during the year	1103.80	1664.56
iii.	Less: Write back of excess provisions during the year	1597.31	1343.85
iv.	Exchange Fluctuation	0.31	
v.	Closing balance	2186.85	2680.05

4.2.1. पुनः खरीद (रेपो) लेनदेन –

i) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य) (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	बकाया यथा, 31.03.2020
रेपो के तहत बिक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	20.00	2055.00	348.26	667.00
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) कोई अन्य प्रतिभूतिं				
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	226.07	10686.59	278.24	शून्य
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) कोई अन्य प्रतिभूतिं				

4.2.1 Repo Transactions-

i) Repo Transactions (Face Value) (₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2020
Securities sold under repo				
i) Government Securities	20.00	2055.00	348.26	667.00
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Any other Securities				
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	226.07	10686.59	278.24	NIL
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
iii) Any other Securities				

ii. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य) – भारतीय रिज़र्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो (₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	बकाया यथा, 31.03.2020
रेपो के तहत बिक्रीत प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	430.56	3166.26	202.03	2193.81
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रति रेपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	161.82	19775.46	6605.31	8724.51
ii) नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii. Repo Transactions (Face Value) - RBI REPO & REVERSE REPO (₹ in Crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2020
Securities sold under repo				
i) Government Securities	430.56	3166.26	202.03	2193.81
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repo				
i) Government Securities	161.82	19775.46	6605.31	8724.51
ii) Corporate Debt Securities	NIL	NIL	NIL	NIL

4.2.2 गैर–सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग :

i) गैर–सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की जारीकर्ता विन्यास : (₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी स्थान नियोजन सीमा	कम निवेश श्रेणी प्रतिभूतियों की सीमा	"गैर–रेटेड" प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3219.00	993.13	0.00	0.00	0.00
(ii)	वित्तीय संस्थाएं	2467.04	1995.82	136.43	0.00	0.00
(iii)	बैंक	858.55	380.23	119.64	37.83	37.83
(iv)	निजी कॉर्पोरेट	5495.08	2054.72	38.20	0.00	0.00
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	931.41	890.24	0.00	0.00	779.05
(vi)	अन्य	4488.84	2854.13	0.00	0.00	0.00
(vii)	घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	2095.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	**15364.20**	**9168.27**	**294.27**	**37.83**	**816.88**

नोटः कॉलम 4,5,6, व 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य नहीं है।

4.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i) Issuer composition of Non-SLR Investments: (₹ in Crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	3219.00	993.13	0.00	0.00	0.00
(ii)	FIs	2467.04	1995.82	136.43	0.00	0.00
(iii)	Banks	858.55	380.23	119.64	37.83	37.83
(iv)	Private Corporate	5495.08	2054.72	38.20	0.00	0.00
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	931.41	890.24	0.00	0.00	779.05
(vi)	Others	4488.84	2854.13	0.00	0.00	0.00
(vii)	Less: Provision held towards depreciation	2095.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	**15364.20**	**9168.27**	**294.27**	**37.83**	**816.88**

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

ii) अनर्जक गैर–सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
प्रारंभिक शेष	2015.13	2253.59
1 अप्रैल 2019 के बाद वर्ष के दौरान संवर्धन	728.85	0.78
उपर्युक्त अवधि के दौरान कटौती	330.57	238.11
एक्सचेंज अस्थिरता	3.86	(1.13)
अंतिम शेष	**2417.27**	**2015.13**
धारित कुल प्रावधान	**2176.82**	**1851.80**

ii) **Non-Performing Non SLR-Investments:**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance	2015.13	2253.59
Additions during the year since 1st April 2019	728.85	0.78
Reductions during the above period	330.57	238.11
Exchange Fluctuation	3.86	(1.13)
Closing balance	**2417.27**	**2015.13**
Total Provisions held	**2176.82**	**1851.80**

4.2.3 एचटीएम वर्ग को / से बिक्री और अंतरण :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, बैंक ने एचटीएम वर्ग से प्रतिभूतियों की बिक्री की जो एचटीएम वर्ग के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है। (पिछले वर्ष में, बिक्री एचटीएम वर्ग के 5% से अधिक नहीं हुई है)।

4.2.3 Sale and transfers to/from HTM Category:

During the Financial Year 2019-20, the Bank sold securities from HTM category not in excess of 5% of the book value of HTM category. (In the previous year, the sale has not exceeded 5% of HTM category).

4.3 व्युत्पन्नी :

4.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
i.	विनिमय करार का कल्पित मूलधन	8966.76	8315.58
ii.	करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर हुई क्षति	70.96	76.29
iii.	विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता	0.00	0.00
iv.	विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेद्रण	0.00	0.00
v.	विनिमय बही का उचित मूल्य	70.96	76.29

4.3 Derivatives:

4.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i.	The notional principal of swap agreements	8966.76	8315.58
ii.	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	70.96	76.29
iii.	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv.	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v.	The fair value of the swap book	70.96	76.29

4.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मदें	राशि
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत–वार)	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च 2020 को विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत–वार)	0.00
(iii)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत–वार)	0.00
(iv)	विनिमय व्यापारी ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाजार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत–वार)	0.00

4.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives : (₹ in Crore)

Sl.No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (Instrument-Wise)	0.00
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2020 (instrument-wise)	0.00
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)	0.00
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective” (instrument-wise)	0.00

4.3.3 व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण :

I <u>गुणात्मक प्रकटीकरण</u>:

बचाव व्यवस्था / व्यापार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित है ।

क) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में निश्चित ब्याज दर, शून्य कूपन और फ्लोटिंग ब्याज दरों जैसी विशेषताओं के साथ संपत्ति होती है और ब्याज दर जोखिम के अधीन होती है। बैंक ने टियर I और टियर II बॉन्ड भी जारी किए हैं और यह पूंजीगत लागत बिना किसी निकास विकल्प के तय दर पर है। पॉलिसी इस देयता पर ब्याज दर जोखिम का बचाव करने की अनुमति देती है।

बैंक को एफआरए और आईआरएस का उपयोग करने की अनुमति है और बिल्कुल सादा लेनदेन की अनुमति है। इन उपकरणों का उपयोग न केवल निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है, बल्कि बाजार निर्माण के लिए भी किया जाता है।

4.3.3 Disclosure on risk exposure in derivatives:

I <u>Qualitative Disclosure:</u>

The Credit Risk Management Policy approved by the Board of Directors, on the use of Derivative Instruments to hedge / trade is in place.

A) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has issued Tier I and Tier II bonds and this capital cost is at fixed rate with no exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

Bank is permitted to use FRA and IRS and only plain vanilla transactions are permitted. These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making.

वर्ष के दौरान बैंक ने निवेश पोर्टफोलियो के तहत आईआरएस में व्युत्पन्न ट्रेड नहीं किए हैं।

वर्ष के दौरान खरीद–बिक्री स्वैप (स्वामित्व) किए गए थे। वर्ष के दौरान कोई एफआरए नहीं लिया गया।

बैंक की विदेशी मुद्रा देनदारियों को कम करने के उद्देश्य से, आईआरएस और एफआरए जैसे व्युत्पन्नी ट्रेडों का उपयोग किया गया है। बैक टू बैक आधार पर ग्राहकों की ओर से विकल्प और स्वैप भी किए जाते हैं।

ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि कार्यशील हैं । इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है । जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है । अंतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में बकाया व्युत्पन्नी सौदों की बचाव व्यवस्था की प्रभावशीलता की निगरानी पखवाड़े के आधार पर की जाती है ।

ग) लेखांकन नीति:

बचाव की स्थिति:

- ब्याज व्यय / आईआरएस पर आय के कारण उपचय को व्यय / आय के रूप में लेखांकित व मान्य किया जाएगा ।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला–बदली और अतंर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में बचाव व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। अतंर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य की गणना के लिए बैंक ने प्रासंगिक आईएनबीएमके उपज+ स्प्रेड का उपयोग किया है। अगर बचाव प्रभावकारी नहीं होता है तो बचाव अदला–बदली को ट्रेडिंग अदला–बदली के रूप में लिया जाता है । यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वैप (अदला–बदली) (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है ।

ट्रेडिंग की स्थिति:

- सामान्य अंतरालों में टेडिंग स्वैप को बाज़ार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणो में परिवर्तनों को रिकार्ड किया जाता है ।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को व्यय / आय माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है ।

During the year the bank has not undertaken derivative trades in IRS under the investment portfolio.

Buy-Sell Swaps (Proprietary) were undertaken during the year. No FRAs were undertaken during the year.

The Bank has been undertaking derivatives trades like IRS and FRAs, for the purpose of hedging the Bank's Foreign Currency liabilities. Options and swaps are also undertaken on behalf of clients on back to back basis.

B) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset / liability on fortnightly basis.

C) Accounting Policy:

Hedge Positions:

- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as expenses / Income.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivatives deals are monitored in relation to the fair value of the Swap and underlying asset / liability. The Bank has used the relevant INBMK yield + Spread as declared by FIMMDA for arriving at the fair value of the underlying assets / liability. If the Hedge is not effective, hedge swaps is accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such dates are accounted as income / expenses under interest paid/received on IRS.

Trading Positions:

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses / income on the IRS are accounted and recognized as income / expenses.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.

II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	व्युत्पन्नी (कल्पित मूलधन राशि)				
	– बचाव व्यवस्था	3965.15	1557.72	8966.76#	8315.58#
	- ट्रेडिंग	3002.86*	5788.95*	शून्य	शून्य
2	बाजार स्थितियों को अंकित				
	- आस्तियाँ (+)	180.78	20.19	70.96	शून्य
	- देयताएँ (-)	शून्य	(4.21)	शून्य	42.14
3	ऋण जोखिम	शून्य	शून्य	75.67	76.29

क्र. सं.	मदें	घरेलू				समुद्रपारीय			
		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी		मुद्रा व्युत्पन्नी		ब्याज दर व्युत्पन्नी	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव [100*पीवी01]								
	– व्युत्पन्नी बचाव व्यवस्था पर	0.41	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.80	2.68
	- व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीवी01								
	– व्युत्पन्नी बचाव व्यवस्था पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- व्युत्पन्नी ट्रेडिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	वायदा संविदा [100%पीवी01] के तहत बकाया स्थिति पर विनिमय दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य प्रभाव : रु.2.147 करोड़ (पिछले वर्ष : रु.1.064 करोड़)								

*एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स में मुद्रा भविष्य

#केवल हेजिंग उद्देश्य के लिए ओवरनाईट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) की बकाया राशि रु 1400 करोड़।

II Quantitative Disclosure

(₹ in Crore)

Sl No	Particulars	Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
1	Derivatives (Notional principal amount)				
	- Hedging	3965.15	1557.72	8966.76#	8315.58#
	- Trading	3002.86*	5788.95*	NIL	NIL
2	Marked to Market positions				
	- Assets (+)	180.78	20.19	70.96	NIL
	- Liabilities (-)	NIL	(4.21)	NIL	42.14
3	Credit Exposure	NIL	NIL	75.67	76.29

Sl No	Particulars	Domestic				Overseas			
		Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives		Currency Derivatives		Interest Rate Derivatives	
		31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
4	Likely impact of one percentage change in interest rate [100*PV01]								
	- on hedging derivatives	0.41	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	1.80	2.68
	- on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
5	Maximum and minimum of 100*PV01 observed during the year.								
	- on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	- on trading	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
6	Likely impact of one percentage change in exchange rate on outstanding position under forward contract [100%PV01]: ₹2.147 Lakh (Previous Year: ₹1.064Lakh)								

*Currency Futures in NSE, BSE and MCX
#Outstanding amount of overnight index swap (OIS) ₹1400 Cr for hedging purpose only.

4.4 आस्ति गुणवत्ता :

4.4.1 अनर्जक आस्तियां :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		मदें	31.03.2020	31.03.2019
(i)		निवल अग्रिम पर निवल एनपीए (%)	4.22	5.37
(ii)		एनपीए का उतार– चढाव (सकल)		
	क.	प्रारंभिक शेष	39224.12	47468.47
	ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	15044.75	15480.16
	ग.	वर्ष के दौरान कमी / विनिमय में उतार–चढ़ाव	17227.72	23724.51
	घ.	अंतिम शेष	37041.15	39224.12
(iii)		निवल एनपीए का उतार–चढाव		
	क.	प्रारंभिक शेष	22955.11	28542.40
	ख.	वर्ष के दौरान संवर्धन	1788.17	1853.47
	ग.	वर्ष के दौरान कमी / विनिमय में उतार–चढ़ाव	6492.33	7440.76
	घ.	अंतिम शेष	18250.95	22955.11
(iv)		एनपीए हेतु प्रावधान का उतार–चढाव (मानक आस्ति संबंधी प्रावधान को छोडकर)		
	क.	प्रारंभिक शेष	16047.77	18763.71
	ख.	विनिमय उतार–चढाव तथा अन्य पर समायोजन	11.96	46.39
	ग.	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	11953.98	13521.44
	घ.	अधिक प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / वापस करना	9441.23	16283.77
	ङ.	अंतिम शेष	18572.48	16047.77

4.4 Asset Quality:

4.4.1 Non-Performing Assets:

(₹ in Crore)

		Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(i)		Net NPAs to Net Advances (%)	4.22	5.37
(ii)		Movement of NPAs (Gross)		
	a.	Opening balance	39224.12	47468.47
	b.	Additions during the year	15044.75	15480.16
	c.	Reductions during the year / Exchange fluctuation	17227.72	23724.51
	d.	Closing balance	37041.15	39224.12
(iii)		Movement of Net NPAs		
	a.	Opening balance	22955.11	28542.40
	b.	Additions during the year	1788.17	1853.47
	c.	Reductions during the year / Exchange fluctuation	6492.33	7440.76
	d.	Closing balance	18250.95	22955.11
(iv)		Movement of provisions for NPAs (excluding Provision on Standard Assets)		
	a.	Opening balance	16047.77	18763.71
	b.	Adjustment towards Exchange Fluctuation & others	11.96	46.39
	c.	Provisions made during the year	11953.98	13521.44
	d.	Write off/Write back of excess provision	9441.23	16283.77
	e.	Closing balance	18572.48	16047.77

4.4.2 पुनर्संरचित खातों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2020 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

क्र. सं.	विवरण		सीडीआर					एसएमई				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वि.व.के अप्रैल 1 को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	29	8	38	36988	556	965	217	38726
		राशि	311.20	0.00	3715.72	1257.43	5284.35	1107.56	21.04	802.11	135.69	2066.40
		प्रावधान राशि	10.89	0.00	3920.14	1257.43	5188.46	55.38	3.23	642.85	117.34	818.80
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	95097	8131	149	66	103443
		राशि	0.00	0.00	1.75	0.00	1.75	3202.69	387.80	61.00	3.24	3654.73
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	57.34	0.00	57.34	199.20	63.93	102.65	3.22	369.00
3	वि.व. के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	108	-105	-3	0	0
		राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	-5.39	-0.28	0.00	0.00
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	-0.27	-0.01	0.00	0.00
4	वे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अत: अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27
		राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
5	वि.व. के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	-10	10	0	-5060	4623	351	86	0
		राशि	0.00	0.00	-1646.29	1646.29	0.00	-330.30	294.43	-98.29	134.16	0.00
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	-1646.29	1646.29	0.00	-56.26	44.20	-121.79	133.85	0.00
6	वि.व. के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलिखित	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	1	1	5142	132	186	51	5511
		राशि	0.00	0.00	112.60	13.24	125.84	150.73	4.02	120.03	6.67	281.45
		प्रावधान राशि	0.00	0.00	111.73	13.24	124.97	6.85	0.96	92.96	5.53	106.30
7	वि.व. के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	19	17	37	121964	13073	1276	318	136631
		राशि	311.20	0.00	1958.58	2890.48	5160.26	3832.74	693.86	644.51	266.42	5437.53
		प्रावधान राशि	10.89	0.00	2219.46	2890.48	5120.83	191.64	110.13	530.74	248.88	1081.39

4.4.2 Particulars of Accounts Restructured:

(₹ in Crore)

DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2020												
S.N	Details		CDR					SME				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	1	0	29	8	38	36988	556	965	217	38726
		AMOUNT	311.20	0.00	3715.72	1257.43	5284.35	1107.56	21.04	802.11	135.69	2066.40
		PROVISION AMOUNT	10.89	0.00	3920.14	1257.43	5188.46	55.38	3.23	642.85	117.34	818.80
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	95097	8131	149	66	103443
		AMOUNT	0.00	0.00	1.75	0.00	1.75	3202.69	387.80	61.00	3.24	3654.73
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	57.34	0.00	57.34	199.20	63.93	102.65	3.22	369.00
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	108	-105	-3	0	0
		AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	-5.39	-0.28	0.00	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	-0.27	-0.01	0.00	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT TO BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO. OF BORROWERS	0	0	0	0	0	27	0	0	0	27
		AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
5	DOWNGRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	0	0	-10	10	0	-5060	4623	351	86	0
		AMOUNT	0.00	0.00	-1646.29	1646.29	0.00	-330.30	294.43	-98.29	134.16	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	-1646.29	1646.29	0.00	-56.26	44.20	-121.79	133.85	0.00
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	0	0	0	1	1	5142	132	186	51	5511
		AMOUNT	0.00	0.00	112.60	13.24	125.84	150.73	4.02	120.03	6.67	281.45
		PROVISION AMOUNT	0.00	0.00	111.73	13.24	124.97	6.85	0.96	92.96	5.53	106.30
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	1	0	19	17	37	121964	13073	1276	318	136631
		AMOUNT	311.20	0.00	1958.58	2890.48	5160.26	3832.74	693.86	644.51	266.42	5437.53
		PROVISION AMOUNT	10.89	0.00	2219.46	2890.48	5120.83	191.64	110.13	530.74	248.88	1081.39

(₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2020 को पुनर्संरचित खातों का प्रकटन												
क्र. सं.	विवरण		अन्य					कुल				
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वि.व.के अप्रैल 1 को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	271898	254	1546	286	273984	308887	810	2540	511	312748
		राशि	8708.86	12.86	3507.83	922.66	13152.21	10127.62	33.90	8025.66	2315.78	20502.96
		प्रावधान राशि	435.44	1.66	3112.51	915.52	4465.13	501.71	4.89	7675.50	2290.29	10472.39
2	वर्ष के दौरान नए पुनर्संरचित	उधारकर्ताओं की संख्या	46043	352	25	4	46424	141140	8483	174	70	149867
		राशि	2621.88	136.46	232.34	0.31	2990.99	5824.57	524.26	295.09	3.55	6647.47
		प्रावधान राशि	144.78	23.62	244.69	0.29	413.38	343.98	87.55	404.68	3.51	839.72
3	वि.व. के दौरान पुनर्संरचित मानक वर्ग में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	40	-21	-16	-3	0	148	-126	-19	-3	0
		राशि	2.74	-2.02	-0.65	-0.07	0.00	8.41	-7.41	-0.93	-0.07	0.00
		प्रावधान राशि	0.13	-0.08	-0.05	0.00	0.00	0.42	-0.35	-0.06	0.00	0.00
4	वे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जो वित्त वर्ष के समापन पर उच्च प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार आकृष्ट कर पाने में असफल हैं, और अत: अगले वि.व. के आरंभ पर पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	64737	0	0	0	64737	64764	0	0	0	64764
		राशि	2079.66	0.00	0.00	0.00	2079.66	2081.80	0.00	0.00	0.00	2081.80
		प्रावधान राशि	103.98	0.00	0.00	0.00	103.98	104.09	0.00	0.00	0.00	104.09
5	वि.व. के दौरान पुनर्संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-319	195	24	100	0	-5379	4818	365	196	0
		राशि	-114.35	109.56	-508.82	513.61	0.00	-444.65	403.99	-2253.40	2294.06	0.00
		प्रावधान राशि	-19.69	17.21	-511.13	513.61	0.00	-75.95	61.41	-2279.21	2293.75	0.00
6	वि.व. के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलिखित	उधारकर्ताओं की संख्या	61042	161	324	58	61585	66184	293	510	110	67097
		राशि	2174.37	8.80	312.91	51.06	2547.14	2325.10	12.81	545.54	70.97	2954.43
		प्रावधान राशि	108.57	1.08	281.29	50.53	441.47	115.42	2.04	485.98	69.30	672.74
7	वि.व. के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आँकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	191883	619	1255	329	194086	313848	13692	2550	664	330754
		राशि	6965.11	248.06	2917.79	1385.45	11516.40	11109.05	941.92	5520.88	4542.35	22114.20
		प्रावधान राशि	348.12	41.33	2564.73	1378.89	4333.07	550.65	151.46	5314.93	4518.25	10535.28

(₹ in Crore)

S.N	Details		OTHERS					TOTAL				
			STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL	STD	SUB STD	DOUBTFUL	LOSS	TOTAL
	DISCLOSURE OF RESTRUCTURED ACCOUNTS AS AT 31.03.2020											
1	RESTRUCTURE ACCOUNTS AS ON APRIL 1 OF FY (OPENING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	271898	254	1546	286	273984	308887	810	2540	511	312748
		AMOUNT	8708.86	12.86	3507.83	922.66	13152.21	10127.62	33.90	8025.66	2315.78	20502.96
		PROVISION AMOUNT	435.44	1.66	3112.51	915.52	4465.13	501.71	4.89	7675.50	2290.29	10472.39
2	FRESH RESTRUCTURED DURING THE YEAR	NO. OF BORROWERS	46043	352	25	4	46424	141140	8483	174	70	149867
		AMOUNT	2621.88	136.46	232.34	0.31	2990.99	5824.57	524.26	295.09	3.55	6647.47
		PROVISION AMOUNT	144.78	23.62	244.69	0.29	413.38	343.98	87.55	404.68	3.51	839.72
3	UPGRADATIONS TO RESTRUCTURED STANDARD CATEGORY DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	40	-21	-16	-3	0	148	-126	-19	-3	0
		AMOUNT	2.74	-2.02	-0.65	-0.07	0.00	8.41	-7.41	-0.93	-0.07	0.00
		PROVISION AMOUNT	0.13	-0.08	-0.05	0.00	0.00	0.42	-0.35	-0.06	0.00	0.00
4	RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES WHICH CEASE TO ATTRACT HIGHER PROVISIONING AND/OR ADDITIONAL RISK WEIGHT AT THE END OF THE FY AND HENCE NEED NOT BE SHOWN AS RESTRUCTURED STANDARD ADVANCES AT THE BEGINNING OF THE NEXT FY	NO. OF BORROWERS	64737	0	0	0	64737	64764	0	0	0	64764
		AMOUNT	2079.66	0.00	0.00	0.00	2079.66	2081.80	0.00	0.00	0.00	2081.80
		PROVISION AMOUNT	103.98	0.00	0.00	0.00	103.98	104.09	0.00	0.00	0.00	104.09
5	DOWN GRADATIONS OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	-319	195	24	100	0	-5379	4818	365	196	0
		AMOUNT	-114.35	109.56	-508.82	513.61	0.00	-444.65	403.99	-2253.40	2294.06	0.00
		PROVISION AMOUNT	-19.69	17.21	-511.13	513.61	0.00	-75.95	61.41	-2279.21	2293.75	0.00
6	WRITE OFFs OF RESTRUCTURED ACCOUNTS DURING THE FY	NO. OF BORROWERS	61042	161	324	58	61585	66184	293	510	110	67097
		AMOUNT	2174.37	8.80	312.91	51.06	2547.14	2325.10	12.81	545.54	70.97	2954.43
		PROVISION AMOUNT	108.57	1.08	281.29	50.53	441.47	115.42	2.04	485.98	69.30	672.74
7	RESTRUCTURED ACCOUNTS AS ON MARCH 31 OF THE FY (CLOSING FIGURES)	NO. OF BORROWERS	191883	619	1255	329	194086	313848	13692	2550	664	330754
		AMOUNT	6965.11	248.06	2917.79	1385.45	11516.40	11109.05	941.92	5520.88	4542.35	22114.20
		PROVISION AMOUNT	348.12	41.33	2564.73	1378.89	4333.07	550.65	151.46	5314.93	4518.25	10535.28

4.4.3 आस्ति पुन:संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुन:संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण :

अ. बिक्री का विवरण

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2020	31.03.2019
i.	खातों की संख्या	0	5
ii.	एससी / आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल्य (निवल प्रावधान)	0.00	17.94
iii.	समग्र प्रतिफल	0.00	79.85
iv.	पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v.	निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	0.00	61.91

ख. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का विवरण :

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2020	31.03.2019
i.	अंतर्निहित को बैंक द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	1924.10	1949.34
ii.	अंतर्निहित को अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान / गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बिक्री व एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
	कुल	**1924.10**	**1949.34**

प्रतिभूति रसीद पर बैंक रु. 955.42 करोड़ का प्रावधान अनुरक्षित रखे हुए हैं । (पिछले वर्ष रु. 955.42 करोड़)

4.4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

A. Details of Sales

(₹ In Crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i.	No. of accounts	0	5
ii.	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	0.00	17.94
iii.	Aggregate consideration	0.00	79.85
iv.	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
v.	Aggregate Gain over Net Book Value	0.00	61.91

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts

(₹ In Crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i.	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	1924.10	1949.34
ii.	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	NIL	NIL
	Total	**1924.10**	**1949.34**

Bank is holding provision of ₹955.42 Crore on account of Security Receipts. (Previous year ₹955.42 Crore)

ग. सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश का विवरण (₹ करोड़ में)

	मदें	5 वर्षों के दौरान जारी किए गए एसआर	5 वर्षों पूर्व लेकिन 8 वर्षों के दौरान जारी किए गए एसआर	8 वर्ष पूर्व जारी किए गए एसआर
i.	बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर की बुक वैल्यू अंतर्निहित है	208.18	1710.69	5.23*
	(i) के खिलाफ आयोजित प्रावधान	181.96	768.23	5.23
ii.	अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर की बही मूल्य अंतर्निहित है	--	--	--
	(ii) के खिलाफ आयोजित प्रावधान	--	--	--
	कुल (i) + (ii)	**208.18**	**1710.69**	**5.23**

*विविध सम्पत्ति मोचन प्राप्य में।

4.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	मदें	31.03.2020	31.03.2019
1	क. वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र प्रतिफल	शून्य	शून्य
2.	क. उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	ख. समग्र बकाया	शून्य	शून्य

C. Details of Investments in Security Receipts (₹ In Crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
i.	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	208.18	1710.69	5.23*
	Provision held against (i)	181.96	768.23	5.23
ii.	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	--	--	--
	Provision held against (ii)	--	--	--
	Total (i) + (ii)	**208.18**	**1710.69**	**5.23**

* In sundry asset redemption receivable.

4.4.4 Details of non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of non-performing financial assets purchased

(₹ In Crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
1	a. No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate consideration	Nil	Nil
2.	a. Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

मदें		31.03.2020	31.03.2019
1	बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	5
2.	समग्र अतिदेयता	शून्य	216.04
3.	प्राप्त समग्र प्रतिफल	शून्य	79.85

4.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान : (₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
मानक आस्तियों पर प्रावधान	2201.90	1820.61

4.4.6 आस्ति वर्गीकरण व प्रावधानीकरण में विचलन:

आरबीआई के परिपत्र सं डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32 / 21.04.018 / 2018–19 दिनांक 1 अप्रैल 2019 के अनुसार, बैंकों को परिसंपत्ति वर्गीकरण में भिन्नता का खुलासा करना आवश्यक है और वित्तीय विवरणों के लिए उनके खाते के नोटों में आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रावधान करना है जहाँ भी निम्न स्थितियों में से एक या दोनों पालन कर रहे हैं:

(क) संदर्भित अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले आरबीआई द्वारा मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान आरबीआई द्वारा सूचित लाभ का 10 प्रतिशत से अधिक है और

(ख) आरबीआई द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए का 15 प्रतिशत से अधिक है।

हमारे बैंक में भिन्नताएं ऊपर निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2019 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान पर कोई खुलासा आवश्यक नहीं है।

B. Details of non-performing financial assets sold

(₹ In Crore)

Particulars		31.03.2020	31.03.2019
1	No. of accounts sold	Nil	5
2.	Aggregate outstanding	Nil	216.04
3.	Aggregate consideration received	Nil	79.85

4.4.5 Provisions on Standard Asset: (₹ In Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Provisions towards Standard Assets	2201.90	1820.61

4.4.6 Divergence in the asset classification and provisioning:

In terms of the RBI Circular No. DBR.BP.BC. No.32/21.04.018/2018-19 dated 1st April 2019, banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever either or both of the following conditions are satisfied:

(a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and

(b) the additional Gross NPAs identified by RBI exceed 15 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

In our Bank divergences are within threshold limit specified above, hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2019.

4.4.7 31.03.2020 तक दबावग्रस्त आस्तियों के सतत पुनर्संस्पना हेतु योजना

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहाँ एस4 ए लागू है	समग्र बकाया राशि	बकाया राशि		धारित प्रावधान
		भाग ए में	भाग बी में	
मानक के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या – 04	775.01	406.13	368.88	181.08
एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों की संख्या – 04	809.26	346.87	462.39	431.55

4.4.7 Scheme for sustainable structuring of Stressed assets as on 31.03.2020:

(₹ in crore)

No. of Accounts where S4 A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard No. of Accounts - 04	775.01	406.13	368.88	181.08
Classified as NPA No. of Accounts- 04	809.26	346.87	462.39	431.55

4.4.8 मौजूदा ऋणों के लचीले पुनर्संरचना संबंधी प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

अवधि	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये उधारकर्ताओं की संख्या	लचीले पुनर्संरचना हेतु लिये गये ऋणों की राशि		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणों की एक्सपोज़र भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पहले	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
पिछला वित्तीय वर्ष	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.8 Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans:

(₹ in crore)

Period	No. of Borrowers taken up for flexible structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
Previous Financial Year	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Current Financial Year (From April 2019 to March 2020)	Nil	Nil	NIL	Nil	Nil

4.4.9 सामरिक कर्ज पुनर्संरचना योजना पर प्रकटन
(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं) (₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जहाँ एसडीआर का सहारा लिया गया है	रिपोर्टिंग तिथि पर अतिदेय राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जहाँ कर्ज से इक्विटी में परिवर्तन हुआ है	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.9 Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme
(accounts which are currently under the stand-still period) (₹ in crore)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount Outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

4.4.10 एसडीआर योजना से बाहर के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन
(खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के अंतर्गत हैं) (₹ करोड़ में)

उन खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	यथा रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जिनमें कर्ज का इक्विटी / इक्विटी शेयर के गिरवी को लागू करने में परिवर्तन लंबित है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि जिनमें कर्ज का इक्विटी / इक्विटी शेयर के गिरवी को लागू करने में परिवर्तन हुआ है		उन खातों के संबंध में रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी करके या प्रमोटर इक्विटी की बिक्री कर स्वामित्व में बदलाव की परिकल्पना की गई है,	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य	

4.4.10 Disclosures on change in Ownership outside SDR Scheme
(accounts which are currently under the stand still period) (₹ in crore)

No. of accounts where Banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity / invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Nil	Nil		Nil		Nil		Nil	

4.4.11 कार्यान्वयन के तहत परियोजना के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में अवरोध अवधि के तहत हैं)

(₹ करोड़ में)

उन परियोजना ऋण खातों की संख्या जिनके स्वामित्व में बैंक ने परिवर्तन का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि को अतिदेय राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचित के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.4.11 Disclosures on Change in Ownership of Projects under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ in crore)

No. of Project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
Nil	Nil	Nil	Nil

4.4.12 एमएसएमई खातों का पुनर्गठन:

आरबीआई के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.18 / 21.04.048 / 2018–19 दिनांक 1 जनवरी 2019 और डीओआर.सं.बीपी.बीसी.34/21.4.048/2019–20 दिनांक 11 फरवरी 2020 के अनुसार, "एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए राहत या तो छूट देकर या वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत करने हेतु'' एमएसएमई पुनर्संरचित खातों का विवरण 01.01.2019 से 31.03.2020 तक:

(₹ करोड़ में)

पुनर्गठित खातों की संख्या	राशि
1,26,754	3472.02

4.4.12 MSME Accounts Restructured :

In accordance with RBI Circular No. DBR. No. BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated 1st January 2019 and DOR.No.BP. BC.34/21.4.048/ 2019-20 dated 11th February 2020, on "Relief for MSME borrowers either exempted or registered under Goods and Service Tax (GST)" the details of MSME restructured accounts from 01.01.2019 to 31.03.2020:

(₹ in crore)

No. of accounts restructured	Amount
1,26,754	3472.02

4.4.13 स्ट्रेस्ड एसेट्स के रिज़ॉल्यूशन के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पर प्रकटीकरण

"तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढाँचे" पर आरबीआई के परिपत्र सं. आरबीआई / 2018–19 / 2013 डीबीआर सं.बीपी.बीसी.45 / 21.04.048 / 2018–19 दिनांक 07.06.2019 का प्रभाव

	आरबीआई परिपत्र से प्रभावित फंड आधारित ऋण	आरबीआई के परिपत्र से प्रभावित निवेश	समयसीमा के भीतर लागू की गई संकल्प योजना (आरपी) (एफबी+आईएनवी)	समयसीमा के भीतर लागू नहीं की गई संकल्प योजना (आरपी) (31.03.2020 को शेष राशि)	आरबीआई परिपत्र के अनुसार लागू नहीं किए गए आरपी पर आवश्यक अतिरिक्त प्रावधान
खातों की संख्या	24	8	11	13	13
राशि	6972.96	990.25	4469.04	3494.17	698.83

4.4.13 Disclosure on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets

The impact of RBI vide circular No. RBI/2018-19/2013 DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on "Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets".

(₹ in crore)

	Fund Based Loans impacted by RBI circular	Investments impacted by RBI circular	Resolution Plan (RP) implemented within timeline (FB+INV)	Resolution Plan (RP) not implemented within timeline (Balance as on 31.03.2020)	Additional Provision required on RP notimplemented as per RBI circular
No. of Accounts	24	8	11	13	13
Amount	6972.96	990.25	4469.04	3494.17	698.83

4.5 कारोबार अनुपात :

	मदें	31.03.2020	31.03.2019
i.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	6.99	7.59
ii.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय (%)	1.12	1.07
iii.	कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ (%)	1.34	1.72
iv.	आस्तियों पर प्रतिफल (%)	(0.32)	0.06
v.	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा तथा अग्रिम को मिलाकर) [₹ करोड़ में]	17.63	17.07
vi.	प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़ में]	(0.04)	0.01

4.5 Business Ratios:

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i.	Interest income as a percentage to Working Funds (%)	6.99	7.59
ii.	Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	1.12	1.07
iii.	Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	1.34	1.72
iv.	Return on Assets (%)	(0.32)	0.06
v.	Business (Deposits plus Advances) per employee [₹in Crore]	17.63	17.07
vi.	Profit per employee (₹Crore)	(0.04)	0.01

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन:

आस्ति तथा देयता की कुछेक मदों का परिपक्वता स्वरूप : (₹ करोड़ में)

विवरण	जमा	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	5811.96	26077.84	44.72	0.00	2630.87	79.37
	(5335.19)	(22926.87)	(30.22)	(0.00)	(13784.46)	(1054.42)
2 से 7 दिनों तक	22275.52	11169.71	0.00	4549.36	2623.21	4620.81
	(25737.50)	(11810.86)	(7.73)	(2731.93)	(1439.69)	(5197.21)
8 से 14 दिनों तक	35118.38	7723.57	407.16	11.42	2083.59	1589.65
	(16851.54)	(12473.11)	(281.35)	(138.31)	(1423.62)	(988.71)
15 से 30 दिनों तक	16599.00	19825.07	1487.17	1565.72	9201.30	3409.60
	(10425.69)	(32723.00)	(234.88)	(1165.26)	(3184.87)	(4505.54)
31 दिनों से 2 महीने तक	20163.25	15823.85	3835.44	1546.33	7589.70	4853.00
	(20342.81)	(15017.77)	(2382.23)	(2241.57)	(7179.12)	(6536.95)
2 महीने से 3 महीने तक	26877.57	20727.08	6663.79	521.59	5074.17	2810.12
	(31041.31)	(21328.54)	(4011.13)	(1345.54)	(5274.27)	(5467.60)
3 महीने से 6 महीने तक	45787.71	33583.03	9221.71	2106.10	2579.09	1932.34
	(47120.34)	(37815.92)	(6451.67)	(2973.44)	(7108.97)	(5165.13)
6 महीने से 1 वर्ष तक	114492.45	60282.36	14915.86	2540.59	6201.65	4160.97
	(135263.72)	(46517.39)	(8714.39)	(3163.12)	(7973.84)	(3325.87)
1 वर्ष से 3 वर्षों तक	291706.20	85922.09	13966.65	10921.19	2393.10	415.03
	(260656.24)	(96118.07)	(19711.18)	(7738.88)	(2556.01)	(1334.41)
3 वर्षों से 5 वर्षों तक	25798.97	56917.25	8017.47	8099.47	5594.42	2.65
	(20835.92)	(50191.38)	(12124.89)	(8827.68)	(5549.14)	(118.34)
5 वर्षों से अधिक	20720.16	94123.35	117684.97	10900.00	3610.01	2241.67
	(25423.01)	(80804.36)	(99035.62)	(10666.56)	(2923.32)	(1362.48)
कुल	625351.17	432175.20	176244.94	42761.77	49581.11	26115.21
	(599033.27)	(427727.27)	(152985.29)	(40992.29)	(58397.31)	(35056.64)

(पिछले वर्ष से संबंधित आंकडे कोष्ठकों में दिए गए हैं)

4.6 Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities: (₹ in Crore)

Particulars	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
1 day	5811.96	26077.84	44.72	0.00	2630.87	79.37
	(5335.19)	(22926.87)	(30.22)	(0.00)	(13784.46)	(1054.42)
2 to 7 days	22275.52	11169.71	0.00	4549.36	2623.21	4620.81
	(25737.50)	(11810.86)	(7.73)	(2731.93)	(1439.69)	(5197.21)
8 to 14 days	35118.38	7723.57	407.16	11.42	2083.59	1589.65
	(16851.54)	(12473.11)	(281.35)	(138.31)	(1423.62)	(988.71)
15 to 30 days	16599.00	19825.07	1487.17	1565.72	9201.30	3409.60
	(10425.69)	(32723.00)	(234.88)	(1165.26)	(3184.87)	(4505.54)
31 days to 2 months	20163.25	15823.85	3835.44	1546.33	7589.70	4853.00
	(20342.81)	(15017.77)	(2382.23)	(2241.57)	(7179.12)	(6536.95)
Over 2 months to 3 months	26877.57	20727.08	6663.79	521.59	5074.17	2810.12
	(31041.31)	(21328.54)	(4011.13)	(1345.54)	(5274.27)	(5467.60)
Over 3 months to 6 months	45787.71	33583.03	9221.71	2106.10	2579.09	1932.34
	(47120.34)	(37815.92)	(6451.67)	(2973.44)	(7108.97)	(5165.13)
Over 6 months to 1 year	114492.45	60282.36	14915.86	2540.59	6201.65	4160.97
	(135263.72)	(46517.39)	(8714.39)	(3163.12)	(7973.84)	(3325.87)
Over 1 year to 3 years	291706.20	85922.09	13966.65	10921.19	2393.10	415.03
	(260656.24)	(96118.07)	(19711.18)	(7738.88)	(2556.01)	(1334.41)
Over 3 years to 5 years	25798.97	56917.25	8017.47	8099.47	5594.42	2.65
	(20835.92)	(50191.38)	(12124.89)	(8827.68)	(5549.14)	(118.34)
Over 5 years	20720.16	94123.35	117684.97	10900.00	3610.01	2241.67
	(25423.01)	(80804.36)	(99035.62)	(10666.56)	(2923.32)	(1362.48)
Total	625351.17	432175.20	176244.94	42761.77	49581.11	26115.21
	(599033.27)	(427727.27)	(152985.29)	(40992.29)	(58397.31)	(35056.64)

(Figures in brackets relate to previous year)

4.7 एक्सपोजर :

4.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोजर : (₹ करोड़ में)

श्रेणी		31.03.2020	31.03.2019
क)	प्रत्यक्ष एक्सपोजर	49946.28	43507.84
(i)	आवासीय बंधक – आवासीय संपति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिए गए हैं ।	39563.95	35584.60
	– जिनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए अर्ह है	17170.16	15011.34
(ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा –वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। एक्सपोजर में गैर–निधि आधारित सीमा भी शामिल हैं।	10268.60	6691.75
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति एक्सपोजर	113.73	1231.49
	क. आवासीय	94.12	94.12
	ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	19.61	1137.37
ख)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	23575.19	24490.65
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर	23575.19	24490.65
	स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर (क+ख)	**73521.47**	**67998.49**

4.7 Exposures:

4.7.1 Exposure to Real Estate Sector: (₹ in Crore)

Category		31.03.2020	31.03.2019
a)	Direct Exposure	49946.28	43507.84
(i)	Residential Mortgages - lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	39563.95	35584.60
	- Of which, individual Housing Loans eligible for inclusion in priority sector advances	17170.16	15011.34
(ii)	Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc). Exposure also include non-fund based (NFB) limits.	10268.60	6691.75
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and others securitized exposures -	113.73	1231.49
	a. Residential	94.12	94.12
	b.Commercial Real Estate	19.61	1137.37
b)	Indirect Exposure	23575.19	24490.65
	Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	23575.19	24490.65
	Total Exposure to Real Estate Sector (a + b)	**73521.47**	**67998.49**

4.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर :

(₹ करोड़ों में)

	मद	31.03.2020	31.03.2019
i.	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितांत रूप से नैगम ऋण में निविष्ट नहीं की गई	1851.55	1502.57
ii.	शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आई–पीओ/ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यष्टियों को दिया गया अग्रिम	0.00	95.06
iii.	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है ।	1.23	58.28
iv.	अग्रिमों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों की संपाश्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / प्रयोजन बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनिटों को छोडकर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती ।	0.00	0.00
v.	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों विपणि निर्माताओं के पत्र में निर्गत गारंटियाँ	418.22	439.66
vi.	स्त्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अंशदान पूरा करने के लिए शेयर / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या बेशर्तिया कार्पोरेटों को स्वीकृत अग्रिम ।	0.00	17.95
vii.	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / इस्युओं के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण ।	0.00	22.59
viii.	शेयरों या परिवर्तनीय बंधपत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनिटों के आरंभिक इस्यू के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें ।	0.00	1.02
ix.	मार्जिन व्यापार के लिए स्टाक ब्रोकरों को वित्त पोषण	0.00	0.49
x.	वेंचर पूंजी निधियों में सारे जोखिम पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	810.05	289.00
	पूंजी बाजार का कुल एक्सपोजर	**3081.05**	**2426.62**

4.7.2 Exposure to Capital Market:

(₹ in Crore)

	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
i.	Direct Investment in Equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1851.55	1502.57
ii.	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds.	0.00	95.06
iii.	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	1.23	58.28
iv.	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	0.00	0.00
v.	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers.	418.22	439.66
vi.	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	0.00	17.95
vii.	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	0.00	22.59
viii	Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	0.00	1.02
ix	Financing to stock brokers for margin trading	0.00	0.49
x	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	810.05	289.00
	Total Exposure to Capital Market	**3081.05**	**2426.62**

4.7.3 जोखिम श्रेणीवार देश की एक्सपोजर :

ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक ऋण जोखिम उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश–जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। 31.03.2020 तक, किसी भी देश का शुद्ध निधि आधारित एक्स्पोजर बैंक की कुल संपत्ति के 1% से अधिक नहीं था। (31.03.2020 तक कुल संपत्ति का 1% – रुपये 7238.75 करोड़)

इसलिए वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	यथा 31.03.2020 को एक्सपोजर (निवल)	यथा 31.03.2020 को धारित प्रावधान	यथा 31.03.2019 को एक्सपोजर (निवल)	यथा 31.03.2019 को धारित प्रावधान
नगण्य	11254.36	0.00	5809.46	0.00
कम	15444.69	10.25	27369.36	10.25
सामान्य	641.59	0.00	1213.00	0.00
उच्च	151.33	0.00	19.02	0.00
बहुत ज्यादा	75.12	0.00	0.18	0.00
प्रतिबंधित	0.22	0.00	2.56	0.00
ऑफ– क्रेडिट	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**27567.31**	**10.25**	**34413.58**	**10.25**

4.7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

Only in respect of the Country where a Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for Country Risk. As on 31.03.2020, the Net funded exposure to none of the countries exceeded 1% of the total assets of the Bank (1% of the total assets as on 31.03.2020– ₹7238.75 Crore).

Hence no provision is required to be made for the F.Y. 2019-20.

(₹ in Crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2020	Provision held as at 31.03.2020	Exposure (net) as at 31.03.2019	Provision held as at 31.03.2019
Insignificant	11254.36	0.00	5809.46	0.00
Low	15444.69	10.25	27369.36	10.25
Moderate	641.59	0.00	1213.00	0.00
High	151.33	0.00	19.02	0.00
Very High	75.12	0.00	0.18	0.00
Restricted	0.22	0.00	2.56	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**27567.31**	**10.25**	**34413.58**	**10.25**

4.7.4 **बैंक द्वारा वृद्धि की गयी एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल) / समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण :**

बैंक ने एकल उधारकर्ता खातों और समूह उधारकर्ता खातों के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण जोखिम सीमा को पार नहीं किया है।

4.7.5 **गैर जमानती अग्रिम :**

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2020	31.03.2019
कुल गैर जमानती अग्रिम	68600.85	68842.57
जिसमें से i) संपार्श्विक के रूप में बैंक पर प्रभारित अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि के प्रभार पर बकाया अग्रिमों की राशि	4610.43	3962.19
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों (उक्त (i) के अनुसार) का संभावित मूल्य	3171.30	3519.40

4.8 **विविध:**

4.8.1 **वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान राशि :**

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2020	31.03.2019
आयकर हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	480.15	(2674.42)

4.8.2 **भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये दंड का प्रकटीकरण :**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, हमारे बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) और भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

4.7.4 **Details of Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:**

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits prescribed for Single Borrower accounts and Group Borrower accounts.

4.7.5 **Unsecured Advances:**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Unsecured Advances	68600.85	68842.57
Out of which i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	4610.43	3962.19
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	3171.30	3519.40

4.8. **Miscellaneous:**

4.8.1 **Amount of Provisions made for Income Tax during the year:**

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Provision for Income Tax (including Deferred tax)	480.15	(2674.42)

4.8.2 **Disclosure of Penalties imposed by RBI:**

During the financial year 2019-20, no penalties have been imposed on our Bank by Reserve Bank of India under Section 46 (4) of the Banking Regulation Act, 1949 and Payment & Settlement Systems Act, 2007.

5. **लेखांकन मानदंड :**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

5.1 **लेखांकन मानदंड 5– निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:**

5.1.1 इसके पहले की अवधि की कोई मदें नहीं हैं ।

5.2 **लेखांकन मानदंड 15– कर्मचारी हितलाभ :**

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओ के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमांकिक अनुमान किये गए हैं

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकांउन्टेंटस् ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15(संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोत्तरी की जाती है ।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में ह्रास दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं ।
- अस्वस्थता अवकाश के लिए लेखा–बही में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं ।

5. **Accounting Standards:**

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

5.1 **Accounting Standard 5 - Net Profit/Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:**

5.1.1 There are no material prior period items.

5.2 **Accounting Standard 15 - Employee Benefits:**

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15(Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has been made in the books of account on the basis of Actuarial valuation.

मूलधन बीमांकिक अनुमान				
	मदें	उपदान	पेंशन	विशेषाधिकार छुट्टी
	रियायती दर	7.22%	7.22%	7.22%
	पूँजी पर प्रत्याशित रिटर्न	8.00%	8.00%	--
	वेतन में बढ़ोत्तरी	5.50%	5.50%	5.50%
	पेंशन में बढ़ोत्तरी	--	2.00%	--
	मृत्यु दर	आईएएलएम 2006–08	आईएएलएम 2006–08	आईएएलएम 2006–08

Principal Actuarial Assumptions				
	Particulars	Gratuity	Pension	Privilege Leave
	Discount Rate	7.22%	7.22%	7.22%
	Expected Return on Capital	8.00%	8.00%	--
	Salary Escalation	5.50%	5.50%	5.50%
	Pension Escalation	--	2.00%	--
	Mortality	IALM 2006-08	IALM 2006-08	IALM 2006-08

31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान बाध्यताएं तथा आस्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

क.	परिभाषीकृत बाध्यता लाभ में परिवर्तन (डीबीओ)	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	वर्ष की शुरुआत में डी बी ओ	1950.68	1988.81	12817.69	11965.61	1135.17	1070.65
2	सेवा लागत	102.35	115.18	910.71	922.30	68.55	63.28
3	ब्याज लागत	127.11	140.17	870.96	825.17	72.31	73.27
4	विगत सेवा लागत	--	--	--	--	--	--
5	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	93.92	43.27	1170.12	177.84	255.61	165.89
6	लाभ भुगतान	(380.52)	(336.75)	(1509.00)	(1073.23)	(267.39)	(237.92)
7	वर्ष के अंत में डी बी ओ	1893.54	1950.68	14260.48	12817.69	1264.25	1135.17

(₹ करोड़ में)

ख.	आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2089.99	1610.62	12896.40	12007.19	--	--
2	योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	167.20	136.90	1031.71	1020.61	--	--
3	वास्तविक कर्मचारी अंशदान	120.00	643.19	1004.15	1051.98	--	--
4	बीमांकिक लाभ / (हानियाँ)	(94.00)	36.03	620.34	(110.15)	--	--
5	लाभ भुगतान	(380.52)	(336.75)	(1509.00)	(1073.23)	--	--
6	वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1902.67	2089.99	14043.60	12896.40	--	--

Change in obligation and assets over the year ended 31 March

(₹ in Crore)

A	Changes in Defined Benefit Obligation (DBO)	Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	DBO at beginning of the year	1950.68	1988.81	12817.69	11965.61	1135.17	1070.65
2	Service Cost	102.35	115.18	910.71	922.30	68.55	63.28
3	Interest Cost	127.11	140.17	870.96	825.17	72.31	73.27
4	Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
5	Actuarial Losses / (Gains)	93.92	43.27	1170.12	177.84	255.61	165.89
6	Benefit Payments	(380.52)	(336.75)	(1509.00)	(1073.23)	(267.39)	(237.92)
7	DBO at end of the year	1893.54	1950.68	14260.48	12817.69	1264.25	1135.17

(₹ in Crore)

B	Changes in Fair Value of Assets	Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	Fair Value of Plan Assets at beginning of the year	2089.99	1610.62	12896.40	12007.19	--	--
2	Expected Return on plan assets	167.20	136.90	1031.71	1020.61	--	--
3	Actual Employee contributions	120.00	643.19	1004.15	1051.98	--	--
4	Actuarial Gain / (Loss)	(94.00)	36.03	620.34	(110.15)	--	--
5	Benefits payments	(380.52)	(336.75)	(1509.00)	(1073.23)	--	--
6	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1902.67	2089.99	14043.60	12896.40	--	--

(₹ करोड़ में)

यथा 31 मार्च को तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / देयता :		उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1893.54	1950.68	14260.48	12817.69	--	--
2	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1902.67	2089.99	14043.60	12896.40	--	--
3	निधीगत स्थिति (अधिशेष / (घाटा)	9.13	139.31	(216.88)	78.70	--	--
4	तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति / (देयता)	**9.13**	**(139.31)**	**(216.88)**	**78.70**	--	--

(₹ in Crore)

Net Asset / Liability Recognized in the Balance Sheet as at 31 March		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	Present value of Defined Benefit Obligation	1893.54	1950.68	14260.48	12817.69	--	--
2	Fair Value of Plan Assets	1902.67	2089.99	14043.60	12896.40	--	--
3	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	9.13	139.31	(216.88)	78.70	--	--
4	Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet	**9.13**	**(139.31)**	**(216.88)**	**78.70**	--	--

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय प्रकटन (₹ करोड़ में)

		उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतया बीमाकृत सुविधाओं के लिए जोखिम प्रीमियम सहित)	102.35	115.18	910.71	922.30	68.55	63.28
2	ब्याज लागत	127.11	140.17	870.96	825.17	72.31	73.27
3	योजनागत आस्तियों में प्रत्याशित रिटर्न	(167.20)	(136.90)	(1031.71)	(1020.61)	--	--
4	विगत सेवा लागत	--	--	--	--	--	--
5	बीमांकिक हानियाँ / (लाभ)	187.92	7.24	549.77	288.00	255.61	165.89
6	लाभ-हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल नियोक्ता व्यय	**250.18**	**125.69**	**1299.73**	**1014.86**	**396.47**	**302.44**

कोई भुगतान न होने के बावजूद भी बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी छुट्टी पर रु. 34.56 करोड़ उपलब्ध कराये हैं ।

Disclosure of Employer Expenses for the year ended 31 March (₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits)	102.35	115.18	910.71	922.30	68.55	63.28
2	Interest Cost	127.11	140.17	870.96	825.17	72.31	73.27
3	Expected Return on Plan Assets	(167.20)	(136.90)	(1031.71)	(1020.61)	--	--
4	Past Service Cost	--	--	--	--	--	--
5	Actuarial Losses / (Gains)	187.92	7.24	549.77	288.00	255.61	165.89
6	Total Employer Expense recognized in P&L	**250.18**	**125.69**	**1299.73**	**1014.86**	**396.47**	**302.44**

Bank is having provision of ₹34.56 Crore towards Sick Leave on prudential basis though there is no payout.

31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र में मान्यता-प्राप्त निवल आस्तियों / देयताओं का समाधान (₹ करोड़ में)

		उपदान		पेंशन		अर्जित छुट्टी	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	अवधि के आरंभ पर निवल आस्ति / (देयता)	(139.31)	378.19	(78.70)	(41.58)	1135.17	1070.65
2	नियोक्ता व्यय	250.18	125.69	1299.73	1014.86	396.47	302.44
3	नियोक्ता योगदान	(120.00)	(643.19)	(1004.15)	(1051.98)	--	--
4	भुगतान किए गए लाभ	--	--	--	--	(267.39)	(237.92)
5	अधिग्रहण / व्यापार युग्म	--	--	--	--	--	--
6	अवधि के समापन पर निवल आस्ति / (देयता)	(9.13)	(139.31)	216.88	(78.70)	1264.25	1135.17

Reconciliation of Net Assets/Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31 March (₹ in Crore)

		Gratuity		Pension		Privilege Leave	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019
1	Net Asset / (Liability) at the beginning of the period	(139.31)	378.19	(78.70)	(41.58)	1135.17	1070.65
2	Employer Expenses	250.18	125.69	1299.73	1014.86	396.47	302.44
3	Employer Contributions	(120.00)	(643.19)	(1004.15)	(1051.98)	--	--
4	Benefits Paid	--	--	--	--	(267.39)	(237.92)
5	Acquisitions / Business Combinations	--	--	--	--	--	--
6	Net Asset / (Liability) at the end of the period	(9.13)	(139.31)	216.88	(78.70)	1264.25	1135.17

नई पेंशन योजना का योगदान:

1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले अधिकारियों की सभी श्रेणियों के लिए बैंक की एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तहत किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्तवर्ष 2019–20 के दौरान बैंक ने ₹184.14 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹153.63 करोड़) का योगदान दिया है।

भविष्य निधि:

वर्ष के लिए भविष्य निधि के लिए व्यय के रूप नियोक्ता का योगदान निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	0.82	1.02

New Pension Scheme Contribution :

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers joining the Bank on or after August 1, 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2019-20, the Bank has contributed ₹184.14 crore (Previous Year ₹153.63 crore).

Provident Fund :

Employer's contribution to provident fund, recognized as expense for the year is as under:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Employer's contribution to Provident Fund	0.82	1.02

5.3 **लेखांकन मानदंड– 17– खंड रिपोर्टिंग :**

भाग क – कारोबार खंड : (₹ करोड़ में)

	कारोबार खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2020	**31.03.2019**
(1)	**खंड राजस्व**		
क	राजकोष परिचालन	13274.17	11902.83
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	22524.69	19623.91
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	20566.31	21260.96
घ	गैर आबंटित	382.97	597.60
	कुल	**56748.14**	**53385.30**
	घटायें : अंतर खंड राजस्व	0.00	0.00
	परिचालन से आय	**56748.14**	**53385.30**
(2)	**खंड परिणाम**		
क	राजकोष परिचालन	3743.35	3593.41
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	2979.00	3199.91
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	2254.51	3503.08
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	**8976.86**	**10296.40**
	गैर आबंटित आय / व्यय (प्रावधान व आकस्मिक व्यय सहित)	(10732.43)	(12623.81)
	कर से पहले कुल लाभ	**(1,755.57)**	**(2327.41)**
	आय कर	480.15	(2674.43)
	निवल लाभ	**(2,235.72)**	**347.02**
(3)	**खंड आस्तियां**		
क	राजकोष परिचालन	197678.30	176693.30
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	210806.46	198309.39
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	272200.68	278287.06
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित आस्तियां	43189.31	41476.94
	कुल आस्तियां	**723874.75**	**694766.69**
(4)	**खंड देयताएं**		
क	राजकोष परिचालन	185490.74	176069.35
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	205793.65	188754.36
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	264120.35	259572.49
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित आस्तियां	29177.04	34193.26
	कुल देयताएं	**684581.78**	**658589.46**
(5)	**नियोजित पूंजी**		
क	राजकोष परिचालन	12187.57	623.95
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	5012.81	9555.03
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	8080.33	18714.57
घ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
ङ	गैर आबंटित आस्तियां	14012.26	**7283.68**
	कुल नियोजित पूंजी	**39292.97**	**36177.23**

5.3 Accounting Standard-17 – Segment Reporting:
Part A – Business Segment:

(₹ in Crore)

	BUSINESS SEGMENT	Year ended	
		31.03.2020	31.03.2019
(1)	**Segment Revenue**		
a	Treasury Operations	13274.17	11902.83
b	Retail Banking Operations	22524.69	19623.91
c	Wholesale Banking Operations	20566.31	21260.96
d	Unallocated	382.97	597.60
	Total	**56748.14**	**53385.30**
	Less: Inter Segment Revenue	0.00	0.00
	Income from operations	**56748.14**	**53385.30**
(2)	**Segment Results**		
a	Treasury Operations	3743.35	3593.41
b	Retail Banking Operations	2979.00	3199.91
c	Wholesale Banking Operations	2254.51	3503.08
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	**8976.86**	**10296.40**
	Unallocated Income/Expenses (including Provisions and contingencies)	(10732.43)	(12623.81)
	Total Profit Before tax	**(1,755.57)**	**(2327.41)**
	Income Tax	480.15	(2674.43)
	Net Profit	**(2,235.72)**	**347.02**
(3)	**Segment Assets**		
a	Treasury Operations	197678.30	176693.30
b	Retail Banking Operations	210806.46	198309.39
c	Wholesale Banking Operations	272200.68	278287.06
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Assets	43189.31	41476.94
	Total Assets	**723874.75**	**694766.69**
(4)	**Segment Liabilities**		
a	Treasury Operations	185490.74	176069.35
b	Retail Banking Operations	205793.65	188754.36
c	Wholesale Banking Operations	264120.35	259572.49
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated Liabilities	29177.04	34193.26
	Total Liabilities	**684581.78**	**658589.46**
(5)	**Capital Employed**		
a	Treasury Operations	12187.57	623.95
b	Retail Banking Operations	5012.81	9555.03
c	Wholesale Banking Operations	8080.33	18714.57
d	Other Banking Operations	0.00	0.00
e	Unallocated	14012.26	**7283.68**
	Total Capital Employed	**39292.97**	**36177.23**

	भौगोलिक खंड	समाप्त वर्ष	
		31.03.2020	31.03.2019
(1)	राजस्व		
क	देशी	55411.17	52003.52
ख	विदेशी	1336.97	1381.78
	कुल	**56748.14**	**53385.30**
(2)	आस्तियाँ		
क	देशी	672359.21	634010.55
ख	विदेशी	51515.54	60756.14
	कुल	**723874.75**	**694766.69**

इसे भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीआर:बीपी:बीसी सं.8/21.04.018/2015–16 दिनांक 01.07.2015 के अनुसार तैयार किया गया है ।

	GEOGRAPHICAL SEGMENT	Year ended	
		31.03.2020	31.03.2019
(1)	**Revenue**		
a	Domestic	55411.17	52003.52
b	International	1336.97	1381.78
	Total	**56748.14**	**53385.30**
(2)	**Assets**		
a	Domestic	672359.21	634010.55
b	International	51515.54	60756.14
	Total	**723874.75**	**694766.69**

This has been prepared in terms of RBI Master Circular: DBR:BP.BC No.8/21.04.018/ 2015-16 dated 01.07.2015.

5.4 **लेखांकन मानदंड–18–संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :** संबंधित पार्टियों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध – प्रधान – केनरा बैंक

5.4.1 **महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक -**

i) श्री एल वी प्रभाकर , प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.02.2020 से)

ii) श्री आर ए शंकर नारायणन, प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (15.04.2019 से 31.01.2020 तक)

iii) श्री मटम वेंकट राव, कार्यपालक निदेशक

iv) श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक

v) सुश्री मणिमेखलै ए, कार्यपालक निदेशक

5.4.2 **प्रधान -**

i) केनरा बैंक

5.4.3 **अनुषंगियां -**

i) केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.

ii) केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.

iii) केनबैंक फैक्टर्स लि.

iv) केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.

5.4 **Accounting Standard-18 - Related Party Disclosures:** Names of Related parties and their relationship with the Bank- Parent – Canara Bank

5.4.1 **Key Management Personnel -**

i) Shri L V Prabhakar, Managing Director & Chief Executive Officer (From 01.02.2020)

ii) Shri R A Sankara Narayanan, Managing Director & Chief Executive Officer (From 15.04.2019 to 31.01.2020)

iii) Shri Matam Venkata Rao, Executive Director

iv) Shri Debashish Mukherjee, Executive Director

v) Ms. Manimekhalai A, Executive Director

5.4.2 **Parent-**

i) Canara Bank

5.4.3 **Subsidiaries -**

i) Canbank Financial Services Ltd.

ii) Canbank Venture Capital Fund Ltd.

iii) Canbank Factors Ltd.

iv) Canara Robecco Asset Management Company Ltd.

v) केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.

vi) केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लि. (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. था)

vii) केनरा एच एस बी सी ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.

viii) केनरा बैंक (तंजानिया) लिमि.

5.4.4 संयुक्त उद्यम:

i) कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (पूर्ववर्ती कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मॉस्को)

5.4.5 सहबद्ध संस्थाएं*:

i) केनफिन होम्स लिमिटेड

ii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति ग्रामीण बैंक)

ख) केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक)

***मेसर्स कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड :**

बैंक मेसर्स कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड में कुल 53,25,000 रुपये की कुल इक्विटी शेयरों (30% होल्डिंग) की 37,500 संख्या थी जो हमारे बैंक की सहयोगी कंपनी में से एक थी।

निदेशक मंडल ने 05.03.2020 के आदेशों के द्वारा 37,500 इक्विटी शेयरों को बंद करने के लिए बोली के लिए अनुरोध (आर एफ क्यू) की अनुमति दी है। तदनुसार, बैंक ने मैसर्स कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में पूरे स्वामित्व को की बिक्री कर दी है और पूरी बिक्री प्रक्रिया 20.03.2020 को समाप्त हो गई है।

हमारे बैंक ने कंपनी के बोर्ड से नामांकित निदेशक के रूप में नामांकन वापस ले लिया है और कंपनी को 08.04.2020 के पत्र द्वारा सूचना दी गई, क्योंकि बैंक मेसर्स कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड में कोई इक्विटी शेयर नहीं रख रहा है।

उच्च शिक्षा वित्तीयन एजेंसी (एच ई एफ ए) :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए और अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी आदि जैसे संस्थान को एक मंच प्रदान करना है।

v) Canbank Computer Services Ltd.

vi) Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)

vii) Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd

viii) Canara Bank (Tanzania) Ltd.

5.4.4 Joint Ventures

i) Commercial Indo Bank LLC., Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow)

5.4.5 Associates*-

i) Canfin Homes Ltd.

ii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank

a) Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragati Krishna Gramin Bank)

b) Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

***M/s Commonwealth Trust (India) Limited:**

Bank was holding 37,500 number of Equity Shares (30% holding) total amounting to ₹53,25,000 in M/s Commonwealth Trust (India) Limited which was one of the associate company of our Bank.

Board of Directors vide orders dated 05.03.2020 has permitted to offload 37,500 Equity Shares by floating Request for Quote (RFQ). Accordingly Bank has offloaded entire holding in Equity Shares of M/s Commonwealth Trust (India) Limited and entire sale process has been concluded on 20.03.2020.

Our Bank has withdrawn the nomination as Nominee Director from the Board of the Company and it was informed to the company vide letter dated 08.04.2020, as Bank is not holding any Equity Share in M/s Commonwealth Trust (India) Limited.

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA):

The Ministry of Human Resources Development (MHRD), GoI with an object to build world-class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT etc of the country.

इसके आधार पर एमएचआरडी ने 2000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (एच ई एफ ए) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। एमएचआरडी ने 1000 करोड़ रु और केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से 100 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसके बाद, एमएचआरडी ने एच ई एफ ए इक्विटी बेस के मौजूदा शासनादेश और वित्तपोषित संस्थानों की सीमा को बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें सरकार 5,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक 500 करोड़ रुपये का योगदान देगा । 31.03.2020 तक, एमएचआरडी ने 4,612.50 करोड़ रुपये की पूंजी और केनरा बैंक ने क्रमशः 461.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। 31.03.2020 तक, कंपनी ने 7,630.10 करोड़ रुपये के संवितरण के साथ 29,233.84 करोड़ रुपये के मीयादी ऋण स्वीकृत किए हैं।

Based on this the MHRD proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2000 Cr. MHRD has contributed ₹1,000 Cr. and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Cr.

Subsequently, MHRD extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Cr wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Cr. and Canara Bank will contribute ₹500 Cr. As on 31.03.2020, MHRD has infused Capital of ₹4,612.50 Cr. and Canara Bank has contributed ₹461.25 Cr, respectively. As at 31.03.2020, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹29,233.84 Cr. with a disbursement at ₹7,630.10 Cr.

5.4.6 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण निम्नवत् है:

i) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

(राशि रुपये में)

नाम	पदनाम	2019-20	2018-19
श्री एल वी प्रभाकर	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.02.2020 से)	5,21,716.00	-
श्री आर ए शंकर नारायणन	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (15.04.2019 से 31.01.2020 तक)	33,97,944.98	-
श्री राकेश शर्मा	प्रबन्ध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.07.2018 तक)	-	17,17,423.60
श्रीमती पी वी भरती	कार्यपालक निदेशक (31.01.2019 तक)	-	26,14,949.13
श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	28,53,332.00	28,51,820.78
श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	28,11,214.00	26,33,162.36
सुश्री मणिमेखलै ए	कार्यपालक निदेशक	27,29,904.84	3,54,357.70
कुल		**1,23,14,111.82**	**1,01,71,713.57**

लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन–देन सहित बैंकर–ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन–देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है ।

5.4.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

(i) Remuneration to Key Management Personnel is as under :

(Amount in ₹)

Name	Designation	2019-20	2018-19
Sri L V Prabhakar	Managing Director & Chief Executive Officer (From 01.02.2020)	5,21,716.00	-
Sri R A Sankara Narayanan	Managing Director & Chief Executive Officer (From 15.04.2019 to 31.01.2020)	33,97,944.98	-
Sri Rakesh Sharma	Managing Director & Chief Executive Officer (Till 31.07.2018)	-	17,17,423.60
Smt. P V Bharathi	Executive Director (Till 31.01.2019)	-	26,14,949.13
Sri Matam Venkata Rao	Executive Director	28,53,332.00	28,51,820.78
Sri Debashish Mukherjee	Executive Director	28,11,214.00	26,33,162.36
Ms. Manimekhalai A	Executive Director	27,29,904.84	3,54,357.70
Total		**1,23,14,111.82**	**1,01,71,713.57**

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

5.4.7 अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं एवं संयुक्त उद्यम के साथ संव्यवहार निम्नवत् है:

(₹ करोड़ में)

मदें	अनुषंगियाँ	सहबद्ध संस्थाएं व संयुक्त उद्यम	महत्वपूर्ण कार्मिक प्रबंधन (केएमपी)	केएमपी के संबंधी	कुल
उधार –					
यथा वर्षांत को बकाया	0.00 (0.03)	10.00 (75.95)	-	-	10.00 (75.98)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	0.00 (0.03)	10.00 (75.95)			10.00 (75.98)
जमा –					
यथा वर्षांत को बकाया	38.63 (98.47)	24.97 (617.67)	-	-	63.59 (716.14)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	40.04 (100.47)	1094.17 (617.67)			1134.21 (718.14)
जमाओं का नियोजन –					
यथा वर्षांत को बकाया	36.33 (13.90)	शून्य (शून्य)	-	-	36.33 (13.90)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	36.33 (18.20)	15.13 (शून्य)			51.46 (18.20)
अग्रिम –					
यथा वर्षांत को बकाया	285.43 (398.00)	2770.48 (3453.17)	-	-	3055.91 (3851.17)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	285.43 (425.00)	3824.61 (4035.47)			4110.04 (4460.47)
अचल संपत्ति (निवल) की खरीद/बिक्री –					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (-0.02)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (-0.02)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (-0.02)	शून्य (शून्य)			शून्य (-0.02)
चालू खाता में शेष –					
यथा वर्षांत को बकाया	93.74 (2.60)	76.81 (52.65)	-	-	170.54 (55.25)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	94.86 (4.78)	137.80 (157.76)			232.66 (162.54)
अन्य प्राप्य –					
यथा वर्षांत को बकाया	0.07 (0.03)	शून्य (शून्य)	-	-	0.07 (0.03)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	8.07 (0.03)	शून्य (शून्य)			8.07 (0.03)
अंतर बैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र– प्रतिभागिता किए गए					
यथा वर्षांत को बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (3.80)	-	-	शून्य (3.80)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य)	शून्य (3.80)			शून्य (3.80)

5.4.7 Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are as under:

(₹ in Crore)

Particulars	Subsidiaries	Associates & Joint Ventures	Key Management Personnel (KMP)	Relatives of KMP	Total
Borrowings -					
Outstanding as at the year end	0.00 (0.03)	10.00 (75.95)	-	-	10.00 (75.98)
Maximum outstanding during the year	0.00 (0.03)	10.00 (75.95)			10.00 (75.98)
Deposits-					
Outstanding as at the year end	38.63 (98.47)	24.97 (617.67)	-	-	63.59 (716.14)
Maximum outstanding during the year	40.04 (100.47)	1094.17 (617.67)			1134.21 (718.14)
Placement of Deposits-					
Outstanding as at the year end	36.33 (13.90)	NIL (NIL)	-	-	36.33 (13.90)
Maximum outstanding during the year	36.33 (18.20)	15.13 (NIL)			51.46 (18.20)
Advances-					
Outstanding as at the year end	285.43 (398.00)	2770.48 (3453.17)	-	-	3055.91 (3851.17)
Maximum outstanding during the year	285.43 (425.00)	3824.61 (4035.47)			4110.04 (4460.47)
Purchase / Sale of Fixed Assets (Net) -					
Outstanding as at the year end	NIL (-0.02)	NIL (NIL)	-	-	NIL (-0.02)
Maximum outstanding during the year	NIL (-0.02)	NIL (NIL)			NIL (-0.02)
Balance in current account					
Outstanding as at the year end	93.74 (2.60)	76.81 (52.65)	-	-	170.54 (55.25)
Maximum outstanding during the year	94.86 (4.78)	137.80 (157.76)			232.66 (162.54)
Other receivable-					
Outstanding as at the year end	0.07 (0.03)	NIL (NIL)	-	-	0.07 (0.03)
Maximum outstanding during the year	8.07 (0.03)	NIL (NIL)			8.07 (0.03)
Inter Bank Participation Certificate - Participated					
Outstanding as at the year end	NIL (NIL)	NIL (3.80)	-	-	NIL (3.80)
Maximum outstanding during the year	NIL (NIL)	NIL (3.80)			NIL (3.80)

अन्य देय – यथा वर्षांत को बकाया वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	शून्य (शून्य) शून्य (शून्य)	0.02 (शून्य) 0.02 (शून्य)	-	-	0.02 (शून्य) 0.02 (शून्य)
प्रदत्त ब्याज	1.66 (0.15)	13.61 (10.97)	-	-	15.27 (11.12)
प्राप्त ब्याज	31.80 (24.30)	215.48 (208.91)	-	-	247.28 (233.21)
प्राप्त लाभांश	22.30 (10.71)	शून्य (7.99)	-	-	22.30 (18.70)
प्रदत्त प्रीमियम	269.77 (232.02)	शून्य (शून्य)	-	-	269.77 (232.02)
सेवा उपलब्ध कराना	117.90 (271.21)	4.03 (3.03)	-	-	121.93 (274.24)
सेवाओं से प्राप्त	0.05 (13.36)	शून्य (शून्य)	-	-	0.05 (13.36)
बीएसई को जारी राइट्स के संबंध में गारंटी	शून्य (शून्य)	शून्य (शून्य)	-	-	शून्य (शून्य)

(कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आकंडे दिए गए हैं)

Other payable Outstanding as at the year end Maximum outstanding during the year	 NIL (NIL) NIL (NIL)	 0.02 (NIL) 0.02 (NIL)	-	-	 0.02 (NIL) 0.02 (NIL)
Interest paid:	1.66 (0.15)	13.61 (10.97)	-	-	15.27 (11.12)
Interest received:	31.80 (24.30)	215.48 (208.91)	-	-	247.28 (233.21)
Dividend received:	22.30 (10.71)	NIL (7.99)	-	-	22.30 (18.70)
Premium Paid:	269.77 (232.02)	NIL (NIL)	-	-	269.77 (232.02)
Rendering of Service:	117.90 (271.21)	4.03 (3.03)	-	-	121.93 (274.24)
Receiving for Services:	0.05 (13.36)	NIL (NIL)	-	-	0.05 (13.36)
Guarantee in respect of rights issued to BSE:	NIL (NIL)	NIL (NIL)	-	-	NIL (NIL)

(Figures in brackets relate to previous year)

5.4.8 अंतः समूह जोखिम :

(₹ करोड़ में)

मदें	वर्ष 2019-20 के लिए	वर्ष 2018-19 के लिए
अंतः समूह जोखिम के लिए कुल राशि	3055.98	3882.22
उच्चतम –20 अंतः समूह जोखिम की कुल राशि	3055.98	3882.22
उधारकर्ता/ग्राहक पर बैंक के कुल जोखिम से अंतः समूह जोखिम का प्रतिशत	0.38%	0.49%
अंतः समूह जोखिम पर सीमा का उल्लंघन तथा उसपर विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य

5.5 लेखांकन मानक 19 – पट्टा और उसके लेखांकन

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के पास कोई गैर–परिचालन योग्य पट्टे नहीं हैं। इसलिए एएस –19 के तहत अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है।

5.6 लेखांकन मानक– 20– प्रति शेयर अर्जन :

मूल एवं तनुकृत ई पी एस की गणना लेखांकन मानक 20– "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार की गई है।

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन निम्नानुसार है :–

	विवरण	2019-20	2018-19
क	वर्ष के लिए इक्विटी शेयरधारकों के स्रोत पर निवल लाभ (करोड़ रु में)	(2235.72)	347.02
ख	इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ रु में)	103.02	75.32
ग	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ रु में)	84.35	73.62
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क / ग) (रु)	(26.50)	4.71
इ	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु)	10/-	10/-

5.7 लेखांकन मानक – 22 – आय पर करों का लेखांकन :

बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं (डी टी ए / डी टी एल) का निर्धारण किया है और यथा 31.03.2017 को निवल आस्थगित कर देयता का निम्न प्रकार से लेखांकन किया है :

5.4.8 Intra-Group Exposures

(₹ in Crore)

Particulars	For the Year 2019-20	For the Year 2018-19
Total amount of intra-group exposures	3055.98	3882.22
Total amount of top-20 intra-group exposures	3055.98	3882.22
Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	0.38%	0.49%
Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	NIL	NIL

5.5 Accounting Standard-19 - Leases & its Accounting

Bank has no non-cancellable Operating Leases during Financial Year. Hence additional disclosure under AS-19 is not applicable.

5.6 Accounting Standard-20 - Earnings Per Share:

Basic and diluted earnings per equity share are computed in accordance with Accounting Standard 20, "Earnings per Share".

The Computation of EPS is given below. :

	Particulars	2019-20	2018-19
A	Net Profit for the year attributable to Equity Shareholders (₹ In Crore)	(2235.72)	347.02
B	Number of Equity Shares (in Crore)	103.02	75.32
C	Weighted Average Number of Equity Shares (In Crore)	84.35	73.62
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/C) (₹)	(26.50)	4.71
E	Nominal Value per Share (₹)	10/-	10/-

5.7 Accounting Standard-22 - Accounting for Taxes on Income:

The Bank has recognized Deferred Tax Assets/ Liabilities (DTA / DTL) and has accounted for the Net Deferred Tax as on 31.03.2020. Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(₹ करोड़ में)

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयताएं	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	443.48	398.40	-	-
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	-	-	-	(17.54)
निवेश पर मूल्यह्रास	-	-	1721.66	1721.66
अग्रिमों हेतु किये गये प्रावधान	6409.99	4414.27	-	-
विशेष आरक्षित निधियों पर	-	-	1397.76	1397.76
गत वर्ष के हानी	-	1575.94	-	-
अन्य	66.68	48.91	-	-
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	**6920.15**	**6437.52**	**3119.42**	**3101.87**

यथा 31 मार्च, 2020 को निवल आस्थगित कर आस्तियां : ₹3800.73 करोड़ (पिछले वर्ष निवल आस्थगित कर आस्तियां ₹3335.65 करोड़)

(₹ in Crore)

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
Provision for Leave Encashment	443.48	398.40	-	-
Depreciation on Fixed Assets	-	-	-	(17.54)
Depreciation on Investments	-	-	1721.66	1721.66
Provision made for advances	6409.99	4414.27	-	-
On Special Reserve	-	-	1397.76	1397.76
Carry Forward Losses	-	1575.94	-	-
Others	66.68	48.91	-	-
Deferred Tax Asset / Liability	**6920.15**	**6437.52**	**3119.42**	**3101.87**

Net Deferred Tax Assets as on March 31, 2020: ₹3800.73 Crore (Previous year: Net Deferred Tax Assets ₹3335.65 Crore)

5.8 अंतरराष्ट्रीय संचालन के युक्तिकरण के लिए रणनीतिक पहल के एक भाग के रूप में, जो भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप भी है, बैंक ने कुछ भौगोलिक क्षेत्रों से बाहर निकलने का फैसला किया है। वर्ष 2019–20 के दौरान, बैंक ने शंघाई (चीन) में अपने परिचालन को बंद कर दिया है। इसके अलावा, बैंक ने जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में अपने परिचालन को बंद करने की पहल की है।

5.8 As a part of strategic initiatives for rationalization of International Operations, which is also in consonance with the Government of India directives, the Bank has decided to exit from certain geographies. During the year 2019-20, the Bank has closed its operations in Shanghai (China). Further, Bank has initiated closure of its operations in Johannesburg (South Africa).

5.9 लेखांकन मानक– 27– संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग :

निवेश में कामर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. (रूस में निगमित) 73.22 करोड़ रु शामिल हैं (लेन–देन की तारीख की विनिमय दर पर) जिसमें बैंक का 40% हिस्सा है ।

5.9 Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Investment includes ₹73.22 Crore (at the exchange rate of the transaction date) in the Commercial Bank of India LLC (incorporated in Russia) wherein the bank owns 40% of the equity.

कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल.एल.सी. – परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय का ब्यौरा

मदें	31.03.2020 को समाप्त चालू वर्ष	31.03.2020 को समाप्त चालू वर्ष	बैंक का शेयर @40%	31.03.2019 को समाप्त गत वर्ष	31.03.2019 को समाप्त गत वर्ष	बैंक का शेयर @40%
	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में	अमेरिकी डॉलर '000 में	₹ करोड़ में	₹ करोड़ में
कुल पूँजी व आरक्षित निधियाँ	27,110.00	205.13	82.05	29,710.00	205.46	82.18
कुल देयताएं	47,908.00	362.50	145.00	42,412.00	293.30	117.32
कुल आस्तियाँ	47,908.00	362.50	145.00	72,122.00	498.76	199.50
कुल आय	5,437.00	39.33	15.73	6,836.00	48.18	19.27
कुल व्यय	2,385.00	17.25	6.90	8,654.00	60.99	24.40
लाभ	**3,052.00**	**22.08**	**8.83**	**(1,818.00)**	**(12.81)**	**(5.12)**

विनिमय के लिए विनिमय दर – आस्ति और देयताएं (1यूएसडी =75.6650) – आय और व्यय (1 यूएसडी = 72.345)

Commercial Indo Bank LLC - Details of Assets, Liabilities, Income & Expenses (Unaudited)

Particulars	Current year ended 31/03/2020	Current year ended 31/03/2020	Bank's share@ 40%	Previous year ended 31/03/2019	Previous year ended 31/03/2019	Bank's share @ 40%
	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore	In '000 US Dollars	₹ in Crore	₹ in Crore
Aggregate Capital and Reserves	27,110.00	205.13	82.05	29,710.00	205.46	82.18
Aggregate Liabilities	47,908.00	362.50	145.00	42,412.00	293.30	117.32
Aggregate Assets	47,908.00	362.50	145.00	72,122.00	498.76	199.50
Aggregate Income	5,437.00	39.33	15.73	6,836.00	48.18	19.27
Aggregate Expenditure	2,385.00	17.25	6.90	8,654.00	60.99	24.40
Profit	**3,052.00**	**22.08**	**8.83**	**(1,818.00)**	**(12.81)**	**(5.12)**

Exchange Rate taken for translation - Assets and Liability (1 USD = 75.6650) - Income and expenditure (1 USD = 72.345)

5.9 **लेखांकन मानक – 28 – आस्तियों की क्षति:**
जब भी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह लगे कि आस्ति के वहन राशि की वसूली नहीं हो सकती है तब वर्ष के समापन पर क्षति हेतु आस्ति की समीक्षा की जाएगी। धारित व प्रयुक्त होने वाले आस्ति के वसूली की संगणना आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न संभावित फ्यूचर निवल छूट–प्राप्त नकद प्रवाह की तुलना करके की जा सकती है। यदि ऐसी आस्ति को क्षति माने तो उस क्षति को संगणित व प्रगणित उस राशि द्वारा किया जाएगा जो आस्ति के वसूली–योग्य राशि से अधिक आस्ति की वहन राशि है। यद्यपि, बैंक प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखा मानक 28 – आस्ति की क्षति'' लागू है उस वर्ष के दौरान किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है।

5.10 **Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:**
Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

5.11 **लेखांकन मानक– 29– प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ :** (₹ करोड़ में)

विवरण	01.04.2019 को प्रारंभ	वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	वापस / समायोजित किए गये प्रावधान	31.03.2020 को समापन
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान का चलन	35.21	13.59	--	48.80

5.11 **Accounting Standard 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:** (₹ in Crore)

Particulars	Opening as on 01.04.2019	Provision made during the year	Provision reversed / adjusted	Closing as on 31.03.2020
Movement of Provision for Contingent Liabilities	35.21	13.59	--	48.80

6. **अतिरिक्त प्रकटीकरण :**

6.1 वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान और आकस्मिक व्यय का ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
निवेश मूल्यह्रास / एन पी आई के लिए प्रावधान	(278.80)	369.56
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	10654.96	12722.82
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	378.61	405.58
कर के लिए प्रावधान – (आस्थगित कर सहित)	480.15	(2674.42)
उचित मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	75.13	(156.16)
परिसंपत्ति की शक वसूली के लिए प्रावधान	51.44	0.00
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	0.00	(4.33)
अन्य आकस्मिकताओं तथा एफ आई टी एल के लिए प्रावधान	234.04	(419.20)
कुल	**11595.53**	**10243.85**

6. **Additional Disclosures**

6.1 Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Provision for Depreciation on Investment and NPI	(278.80)	369.56
Provision towards NPA	10654.96	12722.82
Provision towards Standard Asset	378.61	405.58
Provision for Tax (includes Deferred Tax)	480.15	(2674.42)
Provision for Diminution in Fair Value	75.13	(156.16)
Provision for Asset Doubt of Recovery	51.44	0.00
Provision for Country Risk Exposure	0.00	(4.33)
Provision for FITL and other contingencies	234.04	(419.20)
TOTAL	**11595.53**	**10243.85**

6.2 अ. अस्थाई प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
प्रारंभिक शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान संवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरित राशि	शून्य	शून्य
अंतिम शेष	**शून्य**	**शून्य**

6.2 बी. आरक्षित निधियों से आहरण में कमी :

आरबीआई परिपत्र डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.92 / 21.04.048 / 2015–16 दिनांक 18.04.2016, के संदर्भ में धोखाधड़ी वाले खातों के लिए अनधिकृत प्रावधान 1491.95 करोड़ रुपये आरक्षित निधि से आहरित किए गए हैं ।

6.3 शिकायतों / बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों के गैर कार्यान्वयन का प्रकटीकरण:

अ. ग्राहक शिकायतें

क्रम सं.	मदें	31.03.2020	31.03.2019
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1747	3258
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	53873**	93724**
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	53887	95235
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	1733	1747

*बीमा शिकायतों सहित

** अन्य बैंकों (अन्य बैंक) के एटीएम में उपयोग किए गए हमारे कार्ड के आधार पर एटीएम से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों की संख्या शामिल है : 24903 (पिछले वर्ष : 45220)

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णय :

क्रम सं.	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
(क)	वर्ष के आरंभ में गैर –कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त निर्णयों की संख्या	04	12
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित निर्णयों की संख्या	04	12
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित अकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

6.2.A Floating Provision:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening Balance	NIL	NIL
Addition during the year	NIL	NIL
Draw down during the year	NIL	NIL
Closing Balance	**NIL**	**NIL**

6.2. B Draw down from Reserves:

In terms of RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016, unamortized provision for fraud accounts amounting to ₹1491.95 crore has been debited to Other Reserves.

6.3 Disclosure of Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen:

A. Customer Complaints* :

Sl. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a)	Number of complaints pending at the beginning of the year	1747	3258
(b)	Number of complaints received during the year	53873**	93724**
(c)	Number of complaints redressed during the year	53887	95235
(d)	Number of complaints pending at the end of the year	1733	1747

*Inclusive of Insurance Complaints

**Including number of ATM related customer complaints on account of our card used at other banks ATM (Acquiry Bank): 24903 (previous year: 45220)

B. Awards passed by the Banking Ombudsmen:

Sl. No	Particulars	31.03.2020	31.03.2019
(a)	Number of unimplemented Awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	Number of Awards received during the year	04	12
(c)	Number of Awards redressed during the year	04	12
(d)	Number of unimplemented Awards pending at the end of the year	NIL	NIL

6.4 जारी चुकौती आश्वासन पत्र / वचन पत्र :

वित्तीय वर्ष 2019 20 के दौरान बैंक द्वारा 155.33 करोड़ के 122 चुकौती आश्वासन पत्र / वचन पत्र जारी किये गये। यथा 31.03.2020 को 92 चुकौती आश्वासन पत्र / वचन पत्र की संचित बकाया स्थिति 109.57 करोड़ है ।

समुद्रपारीय :

वित्तीय वर्ष 2016–2017 के दौरान मेजबान देशों के पक्ष में कोई भी चुकौती आवश्वासन पत्र जारी नहीं हुआ है ।

पहले जारी किए गए चुकौती आवश्वासन पत्र / वचन / गारंटी :

- चीन बैंकिंग रेग्यूलेटरी कमीशन, चीन (शांघई शाखा की ओर से)– दिनांकित 19.04.2008 के आदेश द्वारा
- यू ए ई का सेंट्रल बैंक (हमारे प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह की ओर से) – दिनांकित 03.08.2010 के आदेश द्वारा
- बहरीन का सेंट्रल बैंक (हमारे मनामा शाखा, बहरीन की ओर से) – दिनांकित 07.06.2010 के आदेश द्वारा एवं
- दक्षिण अफ्रीकी रिज़र्व बैंक (जॉहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका की ओर से) – दिनांकित 19.11.2011 के आदेश से)

वित्तीय प्रभाव :

बैंक ने अबतक अनुषंगियों या संयुक्त उद्यमों की ओर साख पत्र जारी नहीं किया है, अत: बैंक द्वारा एलओसी/वचन पत्र के जारीकरण पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है ।

शाखाओं के संबंध में,समुद्रपारीय शाखाओं की आस्तियों व देयताओं का विलय घरेलू परिचालन के साथ कर दिया गया है तथा बैंक के लिए एक समेकित तुलन–पत्र बनाया गया है । समुद्रपारीय शाखाओं की कुल देयताएं बैंक के वार्षिक तुलन–पत्र की देयताओं का एक हिस्सा है ।

अत: शाखाओं की ओर से जारी साख पत्र के अतिरिक्त कोई वित्तीय प्रभाव नहीं हैं । प्रतिनिधि कार्यालयों के संबंध में, कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया गया है तथा इसलिए मेज़बान देशों के विनियामकों को जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है ।

6.4 Letter of Comforts / Letter of Undertakings issued:

Bank has issued 122 numbers of Letter of Comforts/ Letter of Undertakings to the extent of ₹155.33 crore during the financial year 2019-20. There are 92 numbers of Letter of Comforts / Letter of Undertakings outstanding to the extent of 109.57 crore as on 31.03.2020.

OVERSEAS:

The Bank has not issued any LOC favoring host country regulators during the financial year 2019-20

LOCs/Undertaking/Guarantee issued in the past:-

- China Banking Regulatory Commission, China (on behalf of our Shanghai Branch) - issued on April 19th, 2008.
- Central Bank of UAE (on behalf of our Representative office, Sharjah) - issued on August 3rd, 2009.
- Central Bank of Bahrain (on behalf of our Manama branch, Bahrain) - issued on June 7th, 2010 and
- South African Reserve Bank (on behalf of our Johannesburg branch, South Africa) - issued on November 19th, 2011.

Financial Impact:

Bank has so far not issued any LOC/undertaking on behalf of the subsidiaries or Joint Ventures (JVs). Hence, the financial impact on issue of LOC/undertaking by the Bank does not exist.

With regard to branches, the assets and liabilities of overseas branches are merged with the domestic operation and a consolidated Balance Sheet is drawn for the Bank as a whole. The total liability of overseas branches forms part of the liabilities of the Bank's annual balance sheet.

Hence, there is no additional financial impact of LOCs issued on behalf of branches. In respect of Representative Office, there are no commercial operations undertaken and hence no financial impacts of LOC issued to host country regulator.

यथा 31 मार्च 2020 को, हमारे बैंक के लिए समुद्रपारीय विनियामकों के पक्ष में जारी साख पत्र का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है क्योंकि इसे शाखाओं व प्रतिनिधि कार्यालयों की ओर से जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के संबंध में, हम अब तक बैंक द्वारा जारी साख पत्र के विवरणों का खुलासा करना प्रस्तावित करते हैं तथा यथा मार्च 2020 को तुलन–पत्र में "खातों के नोट्स" के अंतर्गत ऐसे साख पत्रों की ओर से "शून्य'' वित्तीय प्रभाव है।

6.4.1 यथा 31.03.2020 को प्रावधान कवरेज अनुपात 75.86% है (पिछले वर्ष 68.13%)

6.5 बैंक द्वारा बैंकएश्यूरेंस कारोबार आदि से प्राप्त शुल्क / मानदेय:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	आय का प्रकार	31.03.2020	31.03.2019
1	जीवन बीमा पॉलसियों का विक्रय	104.83	94.23
2	गैर–जीवन बीमा पॉलसियों का विक्रय	31.90	39.92
3	म्यूचुअल फंड उत्पाद का विक्रय	24.43	35.41
4	अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी)	24.07	26.08
5	पीएमजेजेबीवाई	10.06	7.03
6	पीएमएसबीवाई	2.37	0.01
	कुल	**197.66**	**202.68**

As at 31st March 2020, there is no financial impact of LOCs issued favoring the overseas Regulators for our Bank since the same are issued on behalf of branches and Representative Offices. In terms of RBI guidelines, we propose to disclose the details of LOCs issued by the Bank so far and "NIL" financial impact on account of such LOCs, under "Notes to Accounts" in the Balance Sheet as at March 2020.

6.4.1 Provision Coverage Ratio is 75.86% as on 31.03.2020 (Previous Year 68.13%).

6.5 Fees / Remuneration received by the Bank from Bancassurance Business etc:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Nature of Income	31.03.2020	31.03.2019
1	For selling Life Insurance Policies	104.83	94.23
2	For selling Non-Life Insurance Policies	31.90	39.92
3	For selling Mutual Fund Products	24.43	35.41
4	Other (Health Insurance Policies)	24.07	26.08
5	PMJJBY	10.06	7.03
6	PMSBY	2.37	0.01
	TOTAL	**197.66**	**202.68**

6.6 जमाओं, अग्रिमों, निवेशों व एन पी ए का संकेंद्रण :

6.6.1 जमाओं का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
बीस बड़े जमाकर्ताओं के कुल जमा	94014.08	96154.73
बैंक के कुल जमा में से बीस बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत	15.04%	16.10%

6.6.2 अग्रिमों का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
बीस बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	49900.80	50985.15
बैंक के कुल अग्रिम में से बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	11.55%	11.92%

6.6.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र	78058.34	77061.69
बैंक के कुल एक्सपोज़र में से बीस बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	9.78%	9.81%

6.6.4 एन पी ए का संकेंद्रण :

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
प्रथम चार एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	4437.99	6081.92

6.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

6.6.1 Concentration of Deposits:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Deposits of twenty largest depositors	94014.08	96154.73
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	15.04%	16.10%

6.6.2 Concentration of Advances:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Advances to twenty largest borrowers	49900.80	50985.15
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	11.55%	11.92%

6.6.3 Concentration of Exposures:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	78058.34	77061.69
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the bank on borrowers / customers	9.78%	9.81%

6.6.4 Concentration of NPAs:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Exposure to top four NPA accounts	4437.99	6081.92

6.6.5 क्षेत्र – वार अग्रिम : (₹ करोड़ में)

क्र मांक	क्षेत्र *		चालू वर्ष			पिछले वर्ष		
			कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत
क	प्राथमिकता क्षेत्र							
	1	कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	97043.00	6002.14	6.19%	91843.00	4947.72	5.39%
	2	प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के रूप में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	36631.00	9011.28	24.60%	41838.00	8198.82	19.60%
	3	सेवाएं	42141.00	508.06	1.21%	43330.00	532.36	1.23%
	4	व्यक्तिगत ऋण	64577.98	-	-	52101.98	-	-
		उप–कुल (क)	**240392.98**	**15521.48**	**6.46%**	**229112.98**	**13678.90**	**5.97%**
ख	गैर प्राथमिकता क्षेत्र							
	1	कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ	128.00	-	-	112.00	-	-
	2	उद्योग	143019.63	20691.00	14.47%	149699.58	25345.14	16.93%
	3	सेवाएं	-	-	-	-	-	-
	4	व्यक्तिगत ऋण	67682.10	828.67	1.22%	65291.00	200.08	0.31%
		उप–कुल (ख)	**210829.73**	**21519.67**	**10.21%**	**215102.58**	**25545.22**	**11.88%**
		कुल (क+ख)	**451222.71**	**37041.15**	**8.21%**	**444215.56**	**39224.12**	**8.83%**

6.6.5 Sector-wise Advances:

(₹ in Crore)

Sl. No.		Sector	Current Year			Previous Year		
			Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
A		**Priority sector**						
	1	Agriculture and allied activities	97043.00	6002.14	6.19%	91843.00	4947.72	5.39%
	2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	36631.00	9011.28	24.60%	41838.00	8198.82	19.60%
	3	Services	42141.00	508.06	1.21%	43330.00	532.36	1.23%
	4	Personal loans	64577.98	-	-	52101.98	-	-
		Sub-Total (A)	**240392.98**	**15521.48**	**6.46%**	**229112.98**	**13678.90**	**5.97%**
B		**Non Priority sector**						
	1	Agriculture and allied activities	128.00	-	-	112.00	-	-
	2	Industries	143019.63	20691.00	14.47%	149699.58	25345.14	16.93%
	3	Services	-	-	-	-	-	-
	4	Personal loans	67682.10	828.67	1.22%	65291.00	200.08	0.31%
		Sub total (B)	**210829.73**	**21519.67**	**10.21%**	**215102.58**	**25545.22**	**11.88%**
		Total (A+B)	**451222.71**	**37041.15**	**8.21%**	**444215.56**	**39224.12**	**8.83%**

उद्यम के उप–क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम, क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिम के 10% से अधिक हैं ।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप– क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एन पी ए का प्रतिशत
1	आधारभूत धातु व धातु के उत्पाद	22671.14	1402.17	6.18%	24943.92	5817.23	23.32%
2	बुनियादी संरचना	48222.35	5958.55	12.36%	56797.71	7858.86	13.83%

Sub-sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Sub-sector	Current Year			Previous Year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA	Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector
1	Basic metal and metal products	22671.14	1402.17	6.18%	24943.92	5817.23	23.32%
2	Infrastructure	48222.35	5958.55	12.36%	56797.71	7858.86	13.83%

6.7 एन पी ए का उतार–चढ़ाव :

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
यथा 1 अप्रैल को सकल एन पी ए (आरंभिक शेष)	39224.12	47468.47
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एन पी ए)	15044.75	15480.16
उप–कुल (क)	54268.87	62948.63
घटाएं:		
(i) उन्नयन	1209.12	3073.80
(ii) वसूलियाँ (उन्नत खातों से की गई वसूलियों के अलावा)	8521.08	6383.51
(iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन	5748.23	12217.73
(iv) उक्त (iii) के अलावा अपलेखन	1749.29	2049.47
उप कुल (ख)	17227.72	23724.51
यथा 31 मार्च 2017 को सकल एन पी ए (समापन शेष) (क–ख)	37041.15	39224.12

6.7 Movement of NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Gross NPAs as on 1st April (Opening Balance)	39224.12	47468.47
Additions (Fresh NPAs) during the year	15044.75	15480.16
Sub-total(A)	54268.87	62948.63
Less:		
(i) Up-gradations	1209.12	3073.80
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	8521.08	6383.51
(iii) Technical / Prudential Write-offs	5748.23	12217.73
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	1749.29	2049.47
Sub-total (B)	17227.72	23724.51
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	37041.15	39224.12

6.8 तकनीकी बट्टे खाते डालना तथा तत्पाश्चात की गई वसूली का उतार–चढ़ाव :

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
यथा अप्रैल 1 को तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों के प्रारंभिक शेष	32547.02	20366.90
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खाते*	7653.06	14015.50
उप कुल (क)	40200.08	34382.40
घटाएं : तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन किए गए खातों से पहले की गई वसूली वर्ष के दौरान शाखाओं को भेजी गई राशि और विनिमय अतार–चढ़ाव	2000.73	1835.38
यथा मार्च 31 को इति शेष (क – ख)	38199.35	32547.02

*विनिमय उतार–चढ़ाव सहित

6.9 समुद्रपारीय आस्तियाँ, एन पी ए व राजस्व:

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
कुल आस्तियाँ	51515.42	60756.13
कुल एन पी ए : सकल निवल	4084.63 1131.59	3059.02 1012.40
कुल राजस्व	1336.97	1381.78

6.10 तुलन पत्र में शामिल न होने वाले प्रायोजित एस पी वी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनको समेकित किए जाने की आवश्यकता है)

प्रायोजित एस पी वी के नाम	
घरेलू	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

6.8 Movement of Technical Write off and the recoveries made thereon:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at April 1st	32547.02	20366.90
Add: Technical / Prudential write-offs during the year*	7653.06	14015.50
Sub-total (A)	40200.08	34382.40
Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts, amount sent to branches during the year and exchange fluctuation (B)	2000.73	1835.38
Closing balance as at March 31 (A-B)	38199.35	32547.02

* including exchange fluctuation

6.9 Overseas Assets NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Total Assets	51515.42	60756.13
Total NPAs : Gross Net	4084.63 1131.59	3059.02 1012.40
Total Revenue	1336.97	1381.78

6.10 Off-balance Sheet S P Vs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the S P Vs Sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

6.11.1 प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन : (₹ करोड़ में)

क्र सं.	मदें			संख्या / राशि
1.	प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की संख्या			लागू नहीं
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एस पी वी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि			
3.	यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर के अनुपालनार्थ बैंक द्वारा प्रतिधारित निवेश की कुल राशि			
	क)	तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले निवेश		
		प्रथम हानि		
		अन्य		
	ख)	तुलन पत्र में शामिल होनेवाले निवेश		
		प्रथम हानि		
		अन्य		
4.	एम आर आर के अलावा प्रतिभूतीकरण संव्यवहारों की राशि			
	क)	तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले निवेश		
		i)	प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
	ख)	तुलन पत्र में शामिल होनेवाले निवेश		
		i)	प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
			प्रथम हानि	
			अन्य	
		ii)	तीसरे पक्ष के प्रतिभूतीकरण के लिए निवेश	
			प्रथम हानि	
			अन्य	

6.11.1 Disclosure relating to Securitisation: (₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars			No./ Amount
1.	No. of SPVs sponsored by the bank for securitization transaction			NOT APPLICA-BLE
2.	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank			
3.	Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet			
	a)	Off-balance sheet exposures		
		First loss		
		Others		
	b)	On-balance sheet exposures		
		First loss		
		Others		
4.	Amount of exposures to securitization transactions other than MRR			
	a)	Off-balance sheet exposures		
		i)	Exposure to own securitizations	
			First loss	
			Others	
		ii)	Exposure to third party securitizations	
			First loss	
			Others	
	b)	On-balance sheet exposures		
		i)	Exposure to own securitizations	
			First loss	
			Others	
		ii)	Exposure to third party securitizations	
			First loss	
			Others	

6.11.2 ऋण डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) : शून्य

6.12 जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता निधि को अंतरण (डीईए निधि) :

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2020	31.03.2019
डीईए निधि को हस्तांतरित राशि का आरंभिक शेष	1628.76	1382.31
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईए निधि को हस्तांतरित राशि	280.88	267.33
घटाएं : दावों के निपटान के लिए डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति किए गए दावे	23.11	20.88
डीईए निधि को हस्तांतरित राशि का अंतिम शेष	1886.53	1628.76

6.13 भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी संसूचना संख्या डीबीओडी.नं. बीपी..बीसी.85/21.06.200/2013–14 दिनांकित 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र वाले निकायों हेतु बैंक के एक्सपोजर के संदर्भ में वृद्धिशील प्रावधान व पूंजी प्रदान करे । तदनुसार, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए, बैंक ने अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के प्रति 29.34 करोड़ (पिछले वर्ष 23.11 करोड़) का प्रावधान किया है। आगे, यथा 31.03.2020 को बैंक के पास अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजरपर जोखिम हेतु 106.04 करोड़ (पिछले वर्ष रु.150.86 करोड़) की पूंजी है ।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के संबंध में मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियां :

विदेशी मुद्रा जोखिम वाले उधारकर्ता संस्थाओं के संबंध में, बैंक अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई), ब्याज और मूल्यह्रास (ईबीआईडी) से पहले वार्षिक आय; वार्षिकीकृत अस्थिरता का उपयोग करके यूएसडी–आईएनआर विनिमय दर में परिवर्तन के मामले में अपेक्षित नुकसान की गणना कर रहा है। विनिमय दर परिवर्तन के कारण अपेक्षित नुकसान को ईबीआईडी के प्रतिशत यानि अनुमानित हानि/ईबीआईडी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है । विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर, बैंक द्वारा ऐसे निकायों को निर्दिष्ट दरों पर कुल ऋण जोखिम पर वृद्धिशील पूंजी धारित किया गया है व वृद्धिशील प्रावधानीकरण (वर्तमान मानक आस्ति प्रावधानीकरण के अतिरिक्त) किया गया है ।

6.11.2 Credit Default Swaps (CDS) : NIL

6.12 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	1628.76	1382.31
Add : Amounts transferred to DEA Fund during the year	280.88	267.33
Less : Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	23.11	20.88
Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	1886.53	1628.76

6.13 Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85 /21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly, for the financial year 2019-20 bank is holding a provision of ₹29.34 Crore (previous year ₹23.11 Crore) towards unhedged foreign currency exposure. Further Bank is also holding a capital of ₹106.04 Crore (previous year ₹150.86 Crore) as on 31.03.2020 towards the risk on unhedged foreign currency exposure.

Policies to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure:

In respect of borrower entities having foreign currency exposure, Bank is computing Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE); Annual Earnings before Interest and Depreciation (EBID); expected loss in case of movement in USD-INR exchange rate using annualized volatilities. Expected loss on account of exchange rate movements is expressed as a percentage of EBID i.e likely loss/EBID percentage. As a prudential measure Bank is holding incremental capital and made incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.

6.14. चलनिधि कवरेज़ अनुपात :

(₹ करोड़ में)

क्र सं.		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल गैर–भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति					
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण तरल आस्ति (एचक्युएलए)		1,38,448.32		99712.98
नकद बहिर्प्रवाह					
2	खुदरा जमा व छोटे कारोबारी ग्राहकों से जमा, जिनमें से:	3,39,591.61	28,482.63	311670.85	26583.40
(i)	स्थिर जमा	1,09,530.67	5,476.53	91715.32	4585.91
(ii)	कम स्थिर जमा	2,30,060.94	23,006.09	219955.53	21997.48
3	गैर प्रतिभूतिकृत थोक निधियन, जिसमें से:	1,69,544.29	1,02,423.21	132145.23	77219.83
(i)	परिचालनात्मक जमा (सभी प्रतिपक्ष)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर–परिचालनात्मक जमाएं(सभी प्रतिपक्ष)	1,69,213.30	1,00,514.27	130926.33	75981.64
(iii)	गैर–प्रतिभूतिकृत उधार	330.99	1,908.94	1218.90	1238.19
4	प्रतिभूतिकृत संपूर्ण निधियन	733.74	0.00	4929.76	125.37
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	40,847.03	5,495.62	33201.61	4516.45
(i)	व्युत्पन्नी एक्स्पोजरों व अन्य संपार्श्विक आवाश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	उधारी उत्पादों पर निधियन में हानि संबंधी बहिर्वाह	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण व चलनिधि सुविधाएं	40,847.03	5,495.62	33201.61	4516.45
6	अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	440.66	440.66	511.21	511.19
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	96,954.93	3,533.89	100021.11	3669.49
8	**कुल नकद बहिर्वाह**	6,48,112.26	1,40,376.01	582479.77	112625.73
9	प्रतिभूतिकृत उधारी (उदाहरण : रिवर्स रेपो)	7,597.99	0.00	513.94	0.00
10	संपूर्ण कार्यनिष्पादक एक्सपोज़र से अंतर्वाह	39,034.90	27,796.59	29948.91	19523.56
11	अन्य नकद अंतर्वाह	850.04	732.88	606.44	340.79
12	कुल नकद अंतर्वाह	47,482.93	28,529.47	31069.29	19864.34
			कुल समायोजित मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
13	**कुल एच क्यु एल ए**		1,38,448.32		99712.98
14	**कुल निवल नकद बहिर्वाह**		1,11,846.54		92761.38
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		123.78%		107.49%

6.14 **Liquidity Coverage Ratio :**

(₹ in Crore)

Sl. No.		Current Year		Previous Year	
		Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Un-weighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		1,38,448.32		99712.98
Cash Outflows					
2	Retail deposits and deposits from small business customers of which:	3,39,591.61	28,482.63	311670.85	26583.40
(i)	Stable deposits	1,09,530.67	5,476.53	91715.32	4585.91
(ii)	Less stable deposits	2,30,060.94	23,006.09	219955.53	21997.48
3	Unsecured wholesale funding of which:	1,69,544.29	1,02,423.21	132145.23	77219.83
(i)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	1,69,213.30	1,00,514.27	130926.33	75981.64
(iii)	Unsecured debt	330.99	1,908.94	1218.90	1238.19
4	Secured wholesale funding	733.74	0.00	4929.76	125.37
5	Additional requirements of which	40,847.03	5,495.62	33201.61	4516.45
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Credit and liquidity facilities	40,847.03	5,495.62	33201.61	4516.45
6	Other contractual funding obligations	440.66	440.66	511.21	511.19
7	Other contingent funding obligations	96,954.93	3,533.89	100021.11	3669.49
8	**Total Cash Outflows**	6,48,112.26	1,40,376.01	582479.77	112625.73
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	7,597.99	0.00	513.94	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	39,034.90	27,796.59	29948.91	19523.56
11	Other cash inflows	850.04	732.88	606.44	340.79
12	**Total Cash Inflows**	47,482.93	28,529.47	31069.29	19864.34
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
13	**TOTAL HQLA**		1,38,448.32		99712.98
14	**Total Net Cash Outflows**		1,11,846.54		92761.38
15	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		123.78%		107.49%

एलसीआर के पास गुणात्मक प्रकटन :

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक का आरंभ न्यूनतम 30 दिनों की दबावग्रस्त अवधि हेतु बैंक की चलनिधि के लचीलेपन के परीक्षण किया गया है । एलसीआर, सामान्य तौर पर सुनिश्चित करता है कि बैंक भार रहित उच्च गुणवत्तापूर्ण चल आस्ति (एचक्युएलए) आस्ति का पर्याप्त स्टॉक का रखरखाव करता है जिसे चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल नकद में परिवर्तित किया जा सकता है । एलसीआर को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है :

उच्च गुणवत्ता वाले चल आस्ति का स्टॉक (एचक्युएलए)
एलसीआर = ---
अगले 30 कैलेंडर दिनों में होनेवाले
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार, बैंकों को 1 जनवरी 2019 से न्यूनतम 100% एल सी आर बनाए रखना आवश्यक है।

एचक्युएलए में लेवल 1 (0% हेयर–कट), लेवल 2ए (15% हेयर–कट) और लेवल 2बी आस्तियां (50% हेयर–कट) शामिल हैं। सीमांत स्थायी सुविधा (एम एस एफ) के तहत आर बी आई द्वारा अनुमत सीमा तक नकदी, अतिरिक्त सीआरआर, अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूतियों के स्तर 1 की संपत्ति [वर्तमान में बैंक के एनडीटीएल का 3 प्रतिशत है–27 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक] और लिक्विडिटी कवरेज अनुपात के लिए लिक्विडिटी प्राप्त करने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) [यथा 31 मार्च 2020 को बैंक के एनडीटीएल का 14.50 प्रतिशत]।

स्तर 2ए आस्ति में सॉवरीन गारंटीकृत विपणन–योग्य प्रतिभूति, वित्तीय संस्थाओं के अलावा अन्य द्वारा जारी एए– व अधिक की रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉड या वाणिज्यिक पेपर शामिल हैं। स्तर 2बी आस्ति में एनएसई सीएनएक्स निफ्टी और/या एस व पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक में शामिल सामान्य इक्विटी शेयर में निवेश शामिल है ।

दबाव के तहत अनुमानित निवल नकद बहिर्प्रवाह अगले 30 दिनों में बहिर्प्रवाह की भारित राशि से अंतर्प्रवाह को घटाने पर प्रगणित होगा । खुदरा व छोटे कारोबार वाले ग्राहकों से निधियन में थोक निधियन की तुलना में निम्न रन–ऑफ घटक शामिल है ।

एलसीआर के प्रमुख (संचालक) बैंक द्वारा धारित अधिशेष एसएलआर के स्तर एवं खुदरा व थोक निधियन स्रोत के अनुपात हैं ।

Qualitative disclosure around LCR :

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard is introduced to test the liquidity resilience of the Bank, for a minimum stress period of 30 days. The standard ensures, the Bank maintains adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash to meet liquidity needs (net cash-out flows). The LCR is defined as:

Stock of high quality liquid assets (HQLAs)
LCR = ---
Total net cash outflows over the
next 30 calendar days

As per the RBI guideline, Banks are required to maintain a minimum LCR of 100% from 1st January 2019.

HQLA comprises of Level 1(0% hair-cut), Level 2A (15% hair-cut) and Level 2B assets (50% hair-cut). Level 1 assets comprising of cash, excess CRR, excess SLR securities, government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) [presently 3 per cent of the Bank's NDTL - from 27th March 2020 to 30th June 2020] and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [as on 31st March 2020, 14.50 per cent of the Bank's NDTL].

Level 2A assets comprises of sovereign guaranteed marketable securities, corporate bonds or commercial papers which are rated AA- and more are issued other than by financial institutions. Level 2B assets include investments in common equity shares included in NSE CNX Nifty and/or S&P BSE Sensex indices.

Expected net cash outflows under stress are the weighted sum of outflows minus inflows in the next 30 days. Funding from retail and small business customers carries lower run-off factor as compared to wholesale funding.

The prime drivers of the LCR are the level of surplus SLR held by the Bank and the proportion of retail and wholesale funding source.

बैंक के भारित स्तर 1 आस्ति में लगभग कुल एचक्यएलए का 97% शामिल है व शेष 3% स्तर 2ए व स्तर 2बी आस्ति में शामिल हैं। आधिक्य एसएलआर प्रतिभूति में (स्तर 1 आस्ति का भाग) कुल एचक्युएलए का लगभग 23% शामिल है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, बैंक का एलसीआर उपरोक्त सभी गणनाओं में न्यूनतम आवश्यकता से ऊपर रहा। एल सी आर (सोलो आधार पर) साल दर साल 107.49% (वित्त वर्ष 2018–19) के औसत से बढ़कर 123.78% (वित्त वर्ष 2019–20) हो गया।

तिमाही में, बैंक का एलसीआर (3 महीने का औसत) 108.84% (जून–19) से बढ़कर 118.82% (सितंबर–19) और 128.58% (दिसंबर–19) हो गया। मार्च 20 को समाप्त तिमाही के लिए बैंक का एलसीआर 139.10% था।

6.15 धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को धोखाधड़ी का पता लगाने की तारीख से शुरू होने वाले चार तिमाहियों में धोखाधड़ी के मामलों के प्रावधान को परिशोधित करने की अनुमति दी गई है और जहां प्रावधान दो अलग–अलग वित्तीय वर्षों में किया गया है, आरबीआई परिपत्र डीबीआर बीपी.बीसी.2 / 21.04.048 / 2015–16 दिनांक 18.04.2016 के अनुसार प्रासंगिक वर्ष के अतं तक अनुपलब्ध राशि को राजस्व रिजर्व (अन्य रिज़र्व) को प्रभारित किया जाना है।

Weighted Level 1 assets of the Bank constitutes around 97 per cent of the total HQLA, and the remaining 3 per cent comprises of Level 2A and Level 2B assets. Excess SLR securities (part of level 1 assets) forms around 23 per cent of the total HQLA.

During the FY 2019-20, the LCR of the Bank remained above the minimum requirement on all observed counts. The LCR (Solo Basis) increased year on year from average of 107.49% (FY 2018-19) to 123.78% (FY 2019-20).

Quarter on quarter, the LCR (3 months average) of the Bank moved from 108.84% (June'19) to 118.82% (September'19) and to 128.58% (December'19). For the quarter ended March'20 the LCR of the Bank stood at 139.10%.

6.15 Provision pertaining to Fraud Accounts :

In terms of RBI guidelines, the banks are permitted to amortize the provision towards fraud cases in four quarters beginning from the date of detection of fraud and where the provision is made in two different financial years, the unprovided amount has to be charged to Revenue Reserve (Other Reserves) vide RBI circular DBR. No. BP.BC.92/21.04.048/2015-16 dated 18.04.2016 as on the relevant year end.

(रु करोड़ में)

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष तक (मामलों की संख्या)	31.03.2020 को समाप्त तिमाही तक (मामलों की संख्या)	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष तक (देयता)	31.03.2020 को समाप्त तिमाही तक (देयता)	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष तक किए गए प्रावधान की मात्रा (राशि)	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष तक "अन्य रिजर्व" में नामे डाले गए परिशोधित प्रावधान की मात्रा (राशि)
2132	47	14,237.27	4,443.66	14,237.27	1,491.95

(₹ in Crore)

Up to the year ended 31.03.2020 (No. of Cases)	During the quarter ended 31.03.2020 (No. of Cases)	Up to the year ended 31.03.2020 (Liability)	During the quarter ended 31.03.2020 (Liability)	Quantum of provision made during the year ended 31.03.2020 (Amount)	Quantum of amortized provision debited to "Other Reserves" as at the year ended 31.03.2020 (Amount)
2132	47	14,237.27	4,443.66	14,237.27	1,491.95

31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान, 47 मामलों में से, रु2349.59 करोड़ की एक धोखाधड़ी खाते मात्र के लिए बैंक को पहले से दिनांक 31–12–2019 को किए गए 360.33 करोड के प्रावधान के अलावा अतिरिक्त रु1989.26 प्रदान करना आवश्यक है। तिमाही के दौरान प्रदान की गई कुल राशि 497.31 करोड़ रुपये है, जोकि प्रावधान किए जाने योग्य राशि के 25% है। इसके अलावा, शेष अपरिशोधित प्रावधान राशि को अन्य रिज़र्व के प्रति डेबिट किया जाता है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान परिशोधन किया जाएगा। ऐसे खातों पर अपरिशोधित प्रावधान रु1491.95 करोड़ है और यह अपरिशोधित राशि प्रावधान कवरेज अनुपात की गणना के लिए प्रतिपादित की गई है।

6.16 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स

6.16.1 क्रेडिट कार्ड से संबंधित बकाया रिवार्ड अंक और प्रावधान की स्थिति:

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
शेष राशि बकाया अंक	500807626	368017084
इन रिवार्ड पॉइंटों के लिए प्रावधान (रुपए करोड़ में) *	12.52	9.20

* क्रेडिट कार्ड के लिए प्रत्येक रिवार्ड पॉइंटों का मूल्य रु0.25 है।

6.16.2 बकाया रिवार्ड पॉइंट की स्थिति और लॉयल्टी रिवार्ड पॉइंट्स–डेबिट कार्ड्स के लिए प्रावधान:

विवरण	यथा 31.03.2020	यथा 31.03.2019
शेष लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स	15334368	शून्य
रिवार्ड पॉइंट के प्रति प्रावधान (रु करोड़ में)*	0.38	शून्य

*डेबिट कार्ड के लिए प्रत्येक रिवार्ड पॉइंट का मूल्य रु 0.25 है

During the quarter ended 31st March 2020, out of 47 cases, only for one fraud account amounting to ₹2349.59 crores wherein Bank is required to provide ₹1989.26 crores in addition to the provision of ₹360.33 crores already provided upto 31-12-2019. The total amount provided during the quarter is ₹497.31 crores, representing 25 % of the provision to be made. Further, the remaining unamortised provision amount is debited to Other Reserves, which will be amortised during first three quarters of next financial year. The unamortized provision on such accounts is ₹1491.95 crores and this unamortized amount is reckoned for calculation of Provision Coverage Ratio.

6.16 Reward Points of Credit Card & Debit Card

6.16.1 Position of outstanding reward points and provision regarding Credit Cards:

Particulars	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
Balance Reward Points outstanding	500807626	368017084
Provision held for these points (₹in crore)*	12.52	9.20

* Value of each reward point is worth ₹0.25 for credit cards.

6.16.2 Position of outstanding reward points and provision thereon regarding Loyalty Reward Points-Debit Cards:

Particulars	As on 31.03.2020	As on 31.03.2019
Balance of loyalty reward points	15334368	Nil
Provision held against reward points (₹ in crore)*	0.38	Nil

*Value of each reward point is worth ₹0.25 for debit cards

6.17 भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2020 को दिए गए एक ईमेल के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी कि स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में "क्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और इस तरह के नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता है" पर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रिपोर्टिंग वैकल्पिक है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020–21 से आवश्यकता को पूरा करने के विकल्प का लाभ उठाया है।

6.18 कोविड – 19 महामारी भारत सहित कई देशों में फैली हुई है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आई है और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 से लॉक डाउन उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जिसे समय–समय पर 30 जून, 2020 तक बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने लॉकडाउन को जांचने और क्रमिक स्थगन के लिए और आर्थिक गतिविधियों को आंशिक रूप से फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है।

स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के लिए मुख्य चुनौतियां नकदी प्रवाह और विस्तारित पूंजी चक्रों को खत्म करने से उत्पन्न होंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पर सभीस्तरों पर बैंक पूर्ण रूप से तैयार है । प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वर्तमान वित्तीय वर्ष को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं करता है।

इन घटनाओं और स्थितियों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों और वर्तमान कार्य पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ेग जैसा कि फिलहाल अनुमान लगाया गया है ।

6.19 संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर 'कोविड 19 विनियामक पैकेज' से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 27.03.2020 और 17.04.2020, 23.05.2020 और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भारतीय बैंकर्स संघ द्वारा दिनांक 06.05.2020 को जारी स्पष्टीकरण के अनुपालन में बैंक ने यथा दिनांक 29 फरवरी 2020 को मानक खातों के रूप में वर्गीकृत खातों के पात्र उधारकर्ताओं के लिए दिनांक 1 मार्च, 2020 और 31 अगस्त, 2020 के बीच के किश्तों और / या ब्याज, अतिदेय होने पर भी, के भुगतान पर स्थगन की अनुमति इसे पुनर्संरचना न माने बिना दी गई।

6.17 RBI vide an email dated 19th May 2020 advised the Public Sector Banks that the requirement for reporting on “Whether the Bank has adequate Internal Financial Controls with reference to Financial Statements and the operating effectiveness of such controls” in the Independent Auditors’ Report is optional for financial year 2019-20.

The Bank has availed the option to fulfil the requirement from financial year 2020-21 onwards.

6.18 Covid - 19 Pandemic continues to spread across several countries including India resulting in a significant volatility in Global as well as Indian financial markets and a significant decline in global & local economic activities. The Govt. of India has announced a series of lockdown measures from March 24, 2020 onwards which have been extended from time to time up to June 30, 2020. Govt. of India has directed a calibrated and gradual withdrawal of lockdown and partial resumption of economic activities.

The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on ongoing basis. The major identified challenges for the Bank would arise from eroding cash flows and extended capital cycles. The bank is gearing itself on all the fronts to meet these challenges. The management believes that no adjustments are required in the financial results as it does not significantly impact the current financial year.

Despite these events and conditions, there would not be any significant impact on Bank’s results in future and going concern assumptions as at presently made.

6.19 In accordance with RBI guidelines relating to ‘COVID 19 Regulatory Package” on asset classification and provisioning, dated 27.03.2020 and 17.04.2020, 23.05.2020 and clarification issued by RBI through Indian Bankers Association dated 06.05.2020, Bank has granted a moratorium on payment of installments and / or interest as applicable, falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to eligible borrowers classified as

आरबीआई के आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के उद्देश्य से खाते के अतिदेय होने की अवधि से बैंक द्वारा दी गई स्थगन की अवधि को बैंक द्वारा अलग किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, उधारकर्ता के खातों के संबंध में जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ प्रदान किया गया है के संदर्भ में बैंक को बकाया ऋण के कम से कम 10% का प्रावधान करना आवश्यक है जोकि 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही से दो तिमाहियों के चरण में कम से कम 5% से शुरू करना है। तदनुसार बैंक ने उक्त परिपत्र के संदर्भ में राहत को निम्नानुसार बढ़ाया है:

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपये करोड में)
1	एसएमए / अतिदेय श्रेणियों में संबंधित राशि, जहां अधिस्थगन / स्थगन को विस्तारित किया गया	22056.93
2	संबंधित राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गये हैं	1883.44
3	वित्त वर्ष 2020 की चौथवीं तिमाही के दौरान 5% की दर पर किए गए प्रावधान	94.17
4	स्लिपेज और अवशिष्ट प्रावधानों के प्रति संबंधित लेखा अवधियों के दौरान समायोजित प्रावधान	शून्य

6.20 हमारे बैंक ने यथा मार्च 2020 को कृषि और लघु और सीमांत किसानों की श्रेणी में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के तहत 86112 इकाइयाँ बेची हैं, जो रु21,528 करोड़ की है।

6.21 यथा मार्च 31, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, दिनांक सितंबर 27,2019 को बैंक ने भारत सरकार से इक्विटी शेयरों के तरजीही आबंटन प्रति के 6,571 करोड़ रुपये प्राप्त किए। बैंक ने दिनांक 04.12.2019 को बैंक के प्रवर्तक भारत सरकार को, अधिमान्य आधार पर, प्रति शेयर 10/– रुपये के अंकित मूल्य के प्रति शेयर इश्यू मूल्य रु.237.23 (रु.227.23 के प्रीमियम सहित) पर 27,69,88,576 इक्विटी शेयर, लागू प्रावधानों के अनुसार, जारी किए हैं।

standard, even if overdue, as on February 29, 2020 without considering the same as restructuring. The moratorium period, where granted, shall be excluded by the Bank from the number of days the account is past due for the purpose of asset classification under RBI's Income Recognition and Asset Classification norms. In accordance with RBI guidelines, the Bank is required to make provision of not less than @10% of outstanding advances to be phased over two quarters not less than 5% beginning with the quarter ended March 31, 2020 in respect of borrower's accounts where asset classification benefit has been granted as per RBI guidelines. Accordingly Bank has extended the relief in terms of the said circular as follows:

Sl. No.	Particulars	Amount (₹ in Crore)
1	Respective amounts in SMA / overdue categories, where the moratorium / deferment was extended	22056.93
2	Respective amount where asset classification benefits are extended	1883.44
3	Provisions made @5% during the Q4FY2020	94.17
4	Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions	Nil

6.20 Our Bank has sold 86112 units under Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) to the tune of ₹21,528 Crore under Agriculture and Small and Marginal Farmers category as at March 2020.

6.21 During the financial year ended 31st March, 2020, Bank has received ₹6,571 crore from Government of India on September 27, 2019 and September 30, 2019 towards preferential allotment of Equity shares. Bank has allotted on 04.12.2019, 27,69,88,576 equity shares of face value of ₹10/- each at an issue price of ₹237.23 (Including premium of ₹227.23) per share to Govt. of India, promoter of the Bank, on preferential basis, in accordance with the applicable provisions.

6.22 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अतंरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों के प्रत्यायोजन में राजपत्र अधिसूचना सीजी–डीएल–ई–04032020–216535 दिनांक 04 मार्च 2020 जारी करते हुए केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक के समामेलन की योजना को मंजूरी दी। दिनांक 05.03.2020 को बैंक के निदेशक मंडल तथा सिंडिकेट बैंक के निदेशक मंडल ने संबंधित बैठक के दौरान समामेलन के लिए अनुमोदन दिया है। संबंधित बैंक के निदेशक मंडल ने केनरा बैंक के रु10/– के अकिंत मूल्य के 158 इक्विटी शेयर के एवज में सिडिकेट बैंक के रु10/– के अकिंत मूल्य के 1000 इक्विटी शेयरों का स्वैप अनुपात की मंजूरी दी । 1 अप्रैल, 2020 से समामेलन लागू हो गया है।

6.23 लेखा मानक –10 "संपत्ति संयंत्र और उपकरण" के अनुपालन में, वर्ष के दौरान रु.88.31 करोड़ का मूल्यह्रास, अचल संपत्तियों के पुनरीक्षित हिस्से पर लाभ और हानि खाते में नामे किया गया है। समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अतंरित कर दिया गया है।

7. जहां कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आकंड़ों को पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

6.22 The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services has issued Gazette Notification No. CG-DL-E-04032020-216535 dated 4th March, 2020, approving the scheme of Amalgamation of Syndicate Bank into Canara Bank in exercise of the powers confered by Section 9 of the Banking Companies (Aquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980). On 05.03.2020 the Board of Directors of the Bank and Board of Directors of the Syndicate Bank at their respective meeting, approved amalgamation. The Boards of respective Banks have also approved the swap ratio of 158 equity shares of face value ₹10/- each of Canara Bank for every 1000 equity shares of face value of ₹10/- each of Syndicate Bank. The amalgamation has come into effect from April 1, 2020.

6.22 In pursuant to Accounting Standard -10 "Property Plant & Equipment", depreciation of ₹88.31 crore during the year on the revalued portion of the fixed assets has been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

7. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

आर महेंद्रन
मंडल प्रबंधक

अरविंद कुमार
सहायक महा प्रबंधक

वी. रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक

ए. मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

कृष्णन एस.
कार्यपालक निदेशक

एम. वी. राव
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंधक निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टी.एन. मनोहरन
अध्यक्ष

सुचिन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर. केसवन
निदेशक

वेकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल पी शर्मा
निदेशक

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S

(पी. मनोहर गुप्ता)
साझेदार
सदस्यता सं. 016444

कृते कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 001420S / S200034

(के. मोहन आचार्य)
साझेदार
सदस्यता सं. 029082

कृते डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 304138ई

(जगन्नाथ प्रसाद महापात्रा)
साझेदार
सदस्यता सं. 217012

कृते एस. एन. के. व कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 109176डब्ल्यु

(अंकित डी. दानावाला)
साझेदार
सदस्यता सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

ARVIND KUMAR
ASST. GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

KRISHNAN S
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL P SHARMA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **DAGLIYA & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 000671S

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

For **KOMANDOOR & CO. LLP**
Chartered Accountants
FRN : 001420S / S200034

(K Mohan Acharya)
Partner
Membership No. 029082

For **D. K. CHHAJER & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 304138E

(Jagannath Prasad Mohapatro)
Partner
Membership No.217012

For **S N K & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 24.06.2020

यथा 31.03.2020 तक स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)

यथा 31.03.2020 तक बेसल III – स्तंभ 3 प्रकटीकरण को बैंक की वेबसाइट में नियामक प्रकटीकरण खंड' के तहत उपलब्ध कराया गया है। विस्तृत विवरण के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं – https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=139

इस खंड में निम्नलिखित प्रकटीकरण है:

तालिका	विवरण
तालिका डीएफ – 1	अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र
तालिका डीएफ – 2	पूंजी पर्याप्तता
तालिका डीएफ – 3	क्रेडिट जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 4	क्रेडिट जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 5	क्रेडिट जोखिम शमन – मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 6	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण
तालिका डीएफ – 7	ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम
तालिका डीएफ – 8	परिचालनात्मक जोखिम
तालिका डीएफ – 9	बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
तालिका डीएफ – 10	प्रतिपक्षी क्रेडिट जोखिम संबंधी एक्सपोजर हेतु सामान्य प्रकटन
तालिका डीएफ – 11	पूंजी की संरचना
तालिका डीएफ – 12	पूंजी की संरचना – युक्तिकरण आवश्यकताएं
तालिका डीएफ – 13	विनियामक पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताएं
तालिका डीएफ – 14	विनियामक पूँजीगत लिखतों की संपूर्ण शर्तें व नियम
तालिका डीएफ – 16	इक्विटीज – बैंकिंग बही स्थिति हेतु प्रकटन
तालिका डीएफ – 17	लेखांकन आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात उपाय की सारांश तुलना
तालिका डीएफ – 18	लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्पलेट

Pillar 3 Disclosures (Consolidated) as at 31.03.2020

Basel III – Pillar 3 disclosures as at 31st March 2020 is made available on Bank's Website under **'Regulatory Disclosure Section'.** For details, please visit our Website – **https://www.canarabank.com/User_page.aspx?othlink=139**

The section contains the following disclosures:

TABLES	PARTICULARS
TABLE DF – 1	SCOPE OF APPLICATION
TABLE DF – 2	CAPITAL ADEQUACY
TABLE DF – 3	CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES
TABLE DF – 4	CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH
TABLE DF – 5	CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACH
TABLE DF – 6	SECURITIZATION EXPOSURES: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH
TABLE DF – 7	MARKET RISK IN TRADING BOOK
TABLE DF – 8	OPERATIONAL RISK
TABLE DF – 9	INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)
TABLE DF – 10	GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK
TABLE DF – 11	COMPOSITION OF CAPITAL
TABLE DF – 12	COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS
TABLE DF – 13	MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
TABLE DF – 14	FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS
TABLE DF – 16	EQUITIES – DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS
TABLE DF – 17	SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE
TABLE DF – 18	LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2020	31.03.2019
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities		
कर के बाद शुद्ध लाभ / Net Profit after Tax	(2235.72)	347.02
समायोजन / Adjustments for:		
कर के लिए प्रावधान / Provision for Income Tax	480.15	(2,674.42)
मूल्यह्रास / Depreciation	432.08	416.84
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on Revaluation of Investments	(1.74)	0.80
उचित मूल्य और एनपीए में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Fair Value and NPAs	10730.10	12,566.66
घटाएं: अन्य आरक्षित निधियों से आहरित राशि / Less: Amount Transferred to the Other Reserves	(1169.55)	(322.40)
घटाएं: अन्य आरक्षित निधियों से आहरित राशि अरक्षित विदेशी मुद्रा प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Assets including Unhedged Foreign Currency Provision	384.84	403.04
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II Bonds	1116.44	1,176.58
आकस्मिक और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for Contingencies and Others	278.27	(60.97)
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / हानि / Profit / Loss on Sale of Fixed Assets	1.34	2.87
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों आदि में निवेश से आय Income from Investment in Subsidiaries, JVs, etc.	(67.87)	(50.17)
निवेश मूल्यह्रास/(मूल्यवृद्धि) के लिए प्रावधान Provision for Investment Depreciation/ (Appreciation)	(277.81)	369.55
उप कुल / Sub total	**11906.25**	**11,828.36**
समायोजन / Adjustments for:		
निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments	(22961.73)	(9,301.97)
अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances	(15178.03)	(58,600.44)
उधार में (वृद्धि) / कमी / Increase / (Decrease) in Borrowings	(630.53)	2,749.08
जमा में (वृद्धि) / कमी / Increase / (Decrease) in Deposits	26317.90	74,261.41
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in other Assets	1411.43	(5,392.73)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में (वृद्धि) / कमी / Increase/ (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(3238.31)	3,195.35
	(14297.27)	**6,910.70**
घटाएं : प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Income Tax Paid	850.00	1,200.00
परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह (क) / Cash Generated from Operating Activities (A)	**(5458.74)**	**17,886.08**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing Activities		
अनुषंगियों और/या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय / Income from Investment in Subsidiaries and/or JVs	67.87	50.17
संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों इत्यादि में निवेश / Investment in JVs, Subsidiaries, etc.	(18.89)	0.00
संयुक्त उद्यमों, अनुषंगियों इत्यादि में निवेश का निपटान / Disposal of Investment in JVs, Subsidiaries, etc.	0.53	
अचल संपत्तियों के क्रय / विक्रय से शुद्ध अंतर्वाह / बहिर्वाह / Net inflow / outflow from sale / purchase of fixed assets	(326.56)	(511.29)
निवेश गतिविधियों से सृजित नकदी (ख) / Cash Generated from Investing Activities (B)	**(277.05)**	**(461.12)**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing Activities		
पूंजी का नया निर्गम / Fresh Issue of Capital	276.99	20.00
शेयर जारी से प्राप्त प्रीमियम / Premium Received on Issue of Share	6294.02	537.28
प्रदत्त लाभांश और डीडीटी / Dividend and DDT Paid	0.00	0.00
टियर I और टियर II बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान / Payment of Interest on Tier I and Tier II Bonds	(1,116.44)	(1,176.58)

आवंटन के लिये बकाया आवेदन राशि / Share Application Money Pending for Allotment	0.00	0.00
अधीनस्थ ऋणों सहित बॉन्ड्स का नया निर्गम/प्रतिदान Fresh issue/Redemption of Bonds including Sub-ordinated Debts	2400.00	(565.30)
वित्तीय गतिविधियों से सृजित नकदी (ग) / Cash generated from Financing activities (C)	**7854.57**	**(1,184.60)**
नकद और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग) Net Increase/ (Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	**2118.78**	**16,240.36**
प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash Equivalents	**66152.69**	**49,912.33**
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	**68271.47**	**66,152.69**

नोट्स / Notes:

रोकड़ शेष, भारिबै व अन्य बैंकों में शेष एवं मांग और अल्पसूचना पर राशि सहित नकदी एवं नकद तुल्य

Cash and Cash Equivalents includes Cash on Hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice:

नकदी एवं नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	**31.03.2020**	**31.03.2019**
भारिबै में नकदी एवं शेष / Cash & Balance with RBI	22570.14	29,919.02
बैंकों में शेष और मांग व अल्पसूचना पर राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	45701.33	36,233.67
कुल / Total	**68271.47**	**66,152.69**

आर महेंद्रन मंडल प्रबंधक | **अरविंद कुमार** सहायक महा प्रबंधक | **वी रामचंद्र** मुख्य महा प्रबंधक | **ए. मणिमेखलै** कार्यपालक निदेशक | **देवाशीष मुखर्जी** कार्यपालक निदेशक

कृष्णन एस कार्यपालक निदेशक | **एम वी राव** कार्यपालक निदेशक | **एल.वी. प्रभाकर** प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी | **टी एन मनोहरन** अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा निदेशक | **आर केशवन** निदेशक | **वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर** निदेशक | **बिमल पी शर्मा** निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **डागलिया एण्ड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 000671S

कृते **कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 001420S / S200034

कृते **डी के छाजर एंड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 304138E

कृते **एस एन के एण्ड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 109176W

(पी मनोहर गुप्तां) साझेदार सदस्याता सं. 016444

(के मोहन आचार्य) साझेदार सदस्याता सं. 029082

(जगन्नाथ प्रसाद मोहपात्र) साझेदार सदस्याता सं. 217012

(अंकित डी दानावाला) साझेदार सदस्याता सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

R MAHENDRAN DIVISIONAL MANAGER | **ARVIND KUMAR** ASST. GENERAL MANAGER | **V RAMACHANDRA** CHIEF GENERAL MANAGER | **A. MANIMEKHALAI** EXECUTIVE DIRECTOR | **DEBASHISH MUKHERJEE** EXECUTIVE DIRECTOR

KRISHNAN S EXECUTIVE DIRECTOR | **M. V. RAO** EXECUTIVE DIRECTOR | **L.V. PRABHAKAR** MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER | **T.N. MANOHARAN** CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA DIRECTOR | **R KESAVAN** DIRECTOR | **VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER** DIRECTOR | **BIMAL P SHARMA** DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **DAGLIYA & CO.** Chartered Accountants FRN : 000671S

For **KOMANDOOR & CO. LLP** Chartered Accountants FRN : 001420S / S200034

For **D. K. CHHAJER & CO.** Chartered Accountants FRN : 304138E

For **S N K & CO.** Chartered Accountants FRN : 109176W

(P Manohara Gupta) Partner Membership No. 016444

(K Mohan Acharya) Partner Membership No. 029082

(Jagannath Prasad Mohapatro) Partner Membership No.217012

(Ankit D. Danawala) Partner Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 24.06.2020

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

केनरा बैंक का समेकित तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी

2019-2020

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
Together We Can

CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK

2019-2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
केनरा बैंक,

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

विचार

1. हमने केनरा बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 तक समेकित बैलेंस शीट, समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स जिनमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का साथ निम्न शामिल हैं:

   क) बैंक के लेखा परीक्षित परिणाम जो कि हमारे सहित सभी चार सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा समीक्षित हैं;

   ख) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा 06 अनुषंगियों, 01 संयुक्त उद्यम और 03 सहयोगियों (02 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के लेखा परीक्षित परिणाम; तथा

   ग) 02 सहायक अनुषंगी के गैर लेखा परीक्षित परिणाम।

   बैंक के साथ उपरोक्त इकाइयों को 'समूह' के रूप में जाना जाता है।

2. हमारी राय, हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के अलग–अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई सहायक कंपनियों / सहयोगियों की अन्य वित्तीय जानकारी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत आवश्यक उक्त सूचना प्रदान करने वाला समेकित वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत इंस्टीव्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ("आरबीआई दिशानिर्देश") जो बैंक की समेकित स्थिति, यथा 31 मार्च, 2020 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित हानि और उसके समेकित नकदी प्रवाह के मामलें में, जो भारत में सामान्य

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Board of Directors
Canara Bank,

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Canara Bank ("the Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2020, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to Consolidated Financial Statements including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information which includes:

   a) Audited Results of the Bank which have been reviewed by all the four Statutory Central Auditors including us;

   b) Audited Results of 06 Subsidiaries, 01 Joint Ventures and 03 Associates (including 02 Regional Rural Banks) audited by other Auditors; and

   c) Un-audited results of 02 Subsidiary.

   The above entities together with the Bank are referred to as the 'Group'.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries, associates and Joint Venture, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries/ associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India,

तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

राय के लिए आधार

3. हमने अपना लेखा परीक्षा, इंस्टीव्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों (लेखा परीक्षा) के अनुसार किया । उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखाकार की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ में नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

4. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे । इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। । हमने अपनी रिपोर्ट के द्वारा सूचित करने के लिए नीचे दिए गए मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

of their consolidated state of affairs of the Bank as at 31st March, 2020, of consolidated loss, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI, together with ethical requirements that are relevant to our Audit of the consolidated financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

क्र मांक	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले पर प्रतिक्रिया
1	*अग्रिमों के संबंध में प्रावधानों की पर्याप्तता।* आरबीआई द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के अग्रिमों पर गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों और प्रावधान के निर्माण की पहचान में उधारकर्ताओं के प्रदर्शन, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण आदि से संबंधित प्रमुख निर्णय शामिल हैं। तदनुसार, हमारे लेखा परीक्षा को आय की मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रबंधन अनुमानों की संलिप्तता के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधान और शेष राशि की भौतिकता पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।	**प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने अनर्जक परिसंपत्तियों की पहचान करने और प्रदान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया। हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में डिजाइन का परीक्षण व आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता और विशेष परीक्षण निम्नलिखित हैं : • गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए पहचान और प्रावधान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के संरचना का मूल्यांकन। • भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान करने और प्रावधान करने में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का परीक्षण किया। • आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार एनपीए की पहचान और आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के लिए प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया । • अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान के लिये शाखा लेखा–परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया • आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों की पहचान और प्रावधान की जाँच की। • हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के दौरान देखे गए अपवादों को विधिवत सुधारा गया है।

Sl. No.	Key Audit Matter	Response to Key Audit Matter
1	*Adequacy of provisions in respect of Advances.* Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI. The identification of non-performing assets and creation of provision on such advances involves key judgements relating to performance of borrowers, determination of security value, etc. Accordingly, our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances due to involvement of management judgement and considering the materiality of the balances.	**Principal Audit Procedures:** We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls and substantive testing as follows: • Evaluated the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. • Tested the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines. • Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. • Considered branch audit reports for identification and provisioning for non-performing assets • Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time. • Ensured exceptions noticed during our audit procedures are duly corrected.

2	*वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग की गई प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली (फ्लेक्स क्यूब – ओरेकल आधारित) ।* बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में लेनदेन के कारण आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं, जिन्हें दैनिक आधार पर संसाधित किया जाता है और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामला माना जाता है।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया :** हमने एक मूल्यांकन क्रियांवित किया और मुख्य आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग प्रणाली जो हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं , की पहचान की और सीबीएस, बीएसपीएल रिपोर्टिंग पैकेज और ट्रेजरी प्रणाली को प्राथमिक रुप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक होने की पहचान की । हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नलिखित है : • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • आवेदन, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की जो परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं । • प्रमुख आईएस लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और आईएस नियंत्रण के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • परीक्षण के आधार पर लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक प्रणाली जनित रिपोर्ट के लिए परीक्षण किए गए मुख्य स्वचालित और व्यावसायिक चक्र नियंत्रण और तर्क।

2	*Key Information Technology (IT) systems (Flex Cube – Oracle based) used in financial reporting process.* The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence considered as a key audit matter.	**Principal Audit Procedures:** We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS, BSPL Reporting Package and Treasury System primarily as relevant for financial reporting. Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows: • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis.

3	*कोविड–19 के प्रकोप को देखते हुए संशोधित लेखा प्रक्रियाएँ:* कोविड–19 महामारी के कारण, हमारे लेखापरीक्षा के दौरान केंद्र / राज्य सरकार/ स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध और जहां कहीं भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां लेखा परीक्षा को दूर से संचालित करने के लिए बैंक को आरबीआई द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुपालन में, बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में कुछ शाखाओं / अंचल कार्यालयों / विभागों का लेखा परीक्षा परिसर का दौरा करके नहीं किया जा सका है। जैसा कि हम शाखाओं/ अंचलों / प्रशासनिक / कॉर्पोरेट कार्यालयों में अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत/ भौतिक रूप से चर्चाओं और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से लेखा परीक्षा साक्ष्य एकत्र नहीं कर सके, हमने ऐसे संशोधित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की एक प्रमुख लेखा परीक्षा मैटर के रूप में तैयार किया है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को लेखा परीक्षा को दूरस्थ रूप से करने के लिए संशोधित किया गया था।	कोविड –19 महामारी के प्रकोप के कारण जो हमारे लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों/ स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंधों के कारण, हम संबंधित शाखाओं / अंचल/ प्रशासनिक / कॉर्पोरेट कार्यालयों तक भौतिक रूप से लेखा परीक्षा प्रक्रिया को पूरा करने हेतु नहीं पहुंच सके। जहां भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां बैंक द्वारा हमें डिजिटल माध्यम, ईमेल और रिमोट एक्सेस के माध्यम से सीबीएस, बीएसपीएल और अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक रिकॉर्ड / रिपोर्ट / दस्तावेज / प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे। इस सीमा तक, लेखा परीक्षा प्रक्रिया को ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है जो हमें उपलब्ध कराए गए थे, जो कि लेखा परीक्षा के संचालन के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में और वर्तमान अवधि के लिए रिपोर्टिंग हेतु प्रयुक्त किये गये थे। तदनुसार, हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को इस प्रकार संशोधित किया: क. हम, वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों और कुछ वैधानिक शाखा लेखा परीक्षकों ने रिमोट एक्सेस / ईमेल के माध्यम से कुछ शाखाओं/ अंचल कार्यालयों/ प्रशासनिक कार्यालयों और बैंक के अन्य कार्यालयों के संबंध में जहां भौतिक सत्यापन संभव नहीं था,आवश्यक रिकॉर्ड/ दस्तावेजों / सीबीएस / बीएसपीएल और अन्य एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर का इलेक्ट्रानिक रूप से सत्यापन किया।

3	*Modified Audit Procedures carried out considering COVID-19 outbreak:* Due to COVID-19 pandemic, Nation-wide lockdown and travel restrictions imposed by Central / State Government / Local Authorities during the period of our audit and the RBI directions to Bank to facilitate carrying out audit remotely wherever physical access was not possible, audit could not be conducted by visiting the premises of certain Branches/ Circle Offices/ Wings in the Corporate Office of the bank. As we could not gather audit evidence in person/ physically / through discussions and personal interactions with the officials at the Branches/ Circle / Administrative / Corporate Offices, we have identified such modified audit procedures as a Key Audit Matter. Accordingly, our audit procedures were modified to carry out the audit remotely.	Due to the outbreak of COVID-19 pandemic that caused Nation-wide lockdown and other travel restrictions imposed by the Central and State Governments/local administration during the period of our audit, we could not travel to the Branches / Circle / Administrative/Corporate Offices and carry out the audit processes physically at the respective offices. Wherever physical access was not possible, necessary records/ reports / documents/ certificates were made available to us by the Bank through digital medium, emails and remote access to CBS, BSPL and other relevant application software. To this extent, the audit process was carried out based on such documents, reports and records made available to us which were relied upon as audit evidence for conducting the audit and reporting for the current period. Accordingly, we modified our audit procedures as follows: a. We, the Statutory Central Auditors and certain Statutory Branch Auditors conducted verification of necessary records/ documents/ CBS/ BSPL and other Application software electronically through remote access/emails in respect of certain Branches / Circle Offices/ Administrative Offices and other offices of the Bank wherever physical access was not possible.

		ख. बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर रिमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, कामों, प्रमाणपत्रों संबंधित अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियों का सत्यापन किया।
		ग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ करना और आवश्यक लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाना और फोन कॉल / सम्मेलन कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर संवाद और चर्चा करना।
		घ. नामित अधिकारियों के साथ आमने–सामने की बातचीत के बजाय टेलीफोन के माध्यम से / ईमेल के माध्यम से हमारी लेखा परीक्षा टिप्पणियों का समाधान।

विषय का महत्व:

5. समेकित वित्तीय विवरणियों के साथ अनुसूची 19 के नोट नंबर 15 के लिए ध्यान आकर्षित किया जाता हे, जो कि कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं और बैंक के व्यावसायिक कार्यों पर इसके प्रभाव के प्रबंधन के मूल्यांकन का वर्णन करता है।

   इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

   समेकित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

6. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत स्तंभ III के प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, जिसे हमने इस लेखा परीक्षक की तारीख से पहले प्राप्त किया था और निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमारे लेखा परीक्षा र की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

   समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इसके बाद आश्वासन निष्कर्ष को किसी भी रूप में व्यक्त नहीं करते हैं।

		b. Carried out verification of scanned copies of the documents, deeds, certificates and the related records made available to us through emails and remote access over secure network of the Bank.
		c. Making enquiries and gathering necessary audit evidence through Video Conferencing, dialogues and discussions over phone calls / conference calls, emails and similar communication channels.
		d. Resolution of our audit observations telephonically / through email instead of a face-to-face interaction with the designated officials.

Emphasis of Matter:

5. Attention is drawn to Note No.15 of Schedule 19 to the accompanying Consolidated Financial Statements, which describes the uncertainties due to out break of COVID-19 pandemic and the management's evaluation of its impact on the business operations of the Bank.

   Our report is not modified in respect of this matter.

   Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon:

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the financial statements and our auditor's report thereon), Corporate Governance Report, which we obtained prior to the date of this Auditor's Report, and the Directors Report, which is expected to be made available to us after the date of our auditor's report.

   Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय विचार करें कि वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत तो नहीं हो रही है।

अगर, हमने इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए शासन प्रभार प्राप्त व्यक्तियों और प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

7. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। बैंक के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएं; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जिसका

In connection with our audit of the consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be material misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Bank’s Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its Associates and Jointly controlled entities in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India (“RBI”) from time to time. The respective Board of Directors of the Bank, Companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Respective Acts and Regulations for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of

उपयोग बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है ।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडल, समूह और उसके सहयोगियों में शामिल हैं और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता का आकलन करने और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार हैं, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, वर्तमान हितों से संबंधित मामले और लेखांकन के हितों के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं ।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद से की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं। हम यह भी करते है।

- समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचान और उनका आकलन कर, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित कर, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत

preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates and jointly controlled entities are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates and jointly controlled entities.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not

विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं ।
- लेखांकन के वर्तमान हितों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकती है और संयुक्त रूप से नियंत्रित हो सकती है संस्थाओं को एक वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय वक्तव्यों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ एक चिंता का विषय बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचान की गई गलत विवरणियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ।

हम अन्य मामलों के साथ अभिशासन प्रभार प्राप्त उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध स्कोप तथा समयबद्धता और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ ही आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी जो शासन प्रदान करते हैं एक विवरण प्रदान करते हैं कि जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक

detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates and jointly controlled entities to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and jointly controlled entities to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant

आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और संबंधित सुरक्षा उपाय जहां लागू हो ।

शासन प्रभारी से संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा।

अन्य मामले

9. हमने छः (06) अनुषंगी, और एक (1) संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के वित्तीय विवरणों का लेखा–जोखा नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को कुल 16898.18 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्शाते हैं, कुल राजस्व 4891.44 करोड़ रुपए और शुद्ध नकदी समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना गया, उस वर्ष के लिए 333.06 करोड़ रुपये की राशि है । समेकित वित्तीय विवरणियों में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए कुल लाभ का 107.68 करोड़ रुपये है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल है, तीन (03) सहयोगी के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणियों की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है । इन वित्तीय विवरणों का लेखा–परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय से सुसज्जित है, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट में अब तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

10. हमने वित्तीय वक्तव्यों दो (02) सहायक कंपनियों का लेखा–परीक्षण नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को कुल संपत्ति 439.46 करोड़ रुपये, कुल राजस्व 112.96 करोड़ और शुद्ध नकदी प्रवाह 51.27 करोड़ रुपये (नेट) रुपये की राशि समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना गया। इन वित्तीय विवरणों

ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other matters

9. We did not audit the financial statements Six (06) subsidiaries, and one (1) jointly controlled entity, whose financial statements reflect total assets of ₹16898.18 crores as at 31st March, 2020, total revenues of ₹4891.44 crores and net cash outflows amounting to ₹333.06 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit after tax of ₹107.68 crores for the year ended 31st March, 2020, as considered in the consolidated financial statements, in respect of three (03) associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, jointly controlled entity and associate, and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, jointly controlled entities and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

10. We did not audit the financial statements two (02) subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹439.46 crores as at 31st March, 2020, total revenues of ₹112.96 crores and net cash in flows(net) amounting to ₹51.27 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated

को लेखा परीक्षित नहीं किया गया है और प्रबंधन द्वारा हमें समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय से सुसज्जित किया गया है, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है, और अब तक की हमारी रिपोर्ट में यह उपरोक्त सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और अनुषंगियों से संबंधित है, केवल इस तरह के अनधिकृत वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी पर आधारित है । हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए भौतिक नहीं हैं।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी, काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों और वित्तीय विवरणियों / वित्तीय रिपोर्ट पर निर्भर करती है।

11. समूह की एक अनुषंगी कंपनी केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लेखा परीक्षकों ने बताया है कि लाइफ पॉलिसी के लिए देयताओं का सक्रिय मूल्यांकन कंपनी की नियुक्त बीमांकक (नियुक्त बीमांकक) की जिम्मेदारी है। 31 मार्च, 2020 तक इन देनदारियों के बीमांकिक मूल्यांकन सक्रिय पॉलिसी और ऐसी पॉलिसी जिसके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन देयता मौजूद है नियुक्ति बीमांकक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। नियुक्त किए गए बीमांकक ने कंपनी को प्रमाणित किया है कि इस तरह के मूल्यांकन की धारणाएं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा आईआरडीएआई के साथ सहमति में जारी दिशा–निर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। इसके अलावा, संबंधित कंपोनेंट लेखा परीक्षक ने बताया है कि उन्होंने इस संबंध में नियुक्त किए गए बीमांकक के प्रमाणन पर भरोसा किया था और अब तक बीमांकन मूल्यांकन से संबंधित उनकी राय केवल नियुक्त बीमांकक के प्रमाणन पर आधारित है और इसे इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

12 समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ और हानि खाते को बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फॉर्म "ए" और "बी" के रूप में तैयार किया गया है;

financial statements. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, jointly controlled entities and associates, and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, jointly controlled entities and associates, is based solely on such unaudited financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

11. The auditors of Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd., a subsidiary of the Group have reported that the actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the Appointed Actuary). The actuarial valuation of these liabilities as at 31st March, 2020 for policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at that date has been duly certified by the Appointed Actuary. The Appointed Actuary has certified to the Company that the assumptions for such valuations are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. Further, for the concerned Component, the Auditor has reported that they had relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard and their opinion in so far as it relates to the actuarial valuation is based solely on the certificate of the Appointed Actuary and is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

12. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in Form "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act 1949;

उपरोक्त पैराग्राफ में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा आवश्यक और उसमें किए गए खुलासों की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के प्रयोजनों के लिए उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की तलाश की और प्राप्त की जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।

(बी) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जिस हद तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं ।

दागलिया एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 00671S

कोमंडूर एवं कं, एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001420S / S200034

(पी मनोहरा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता संख्या 016444
UDIN:20016444AAAACF7651

(के मोहन आचार्य)
भागीदार
सदस्यता संख्या 029082
UDIN:20029082AAAABX4304

डी के छज्जर एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 304138E

एस एन के एवं कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 109176W

(जगन्नाथ पीआर मोहापात्रो)
भागीदार
सदस्यता सं. 217012
UDIN:20217012AAAADF2223

अंकित डी दानावाला
भागीदार
सदस्यता सं. 119972
UDIN: 20119972AAAADD3515

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24 जून 2020

Subject to the limitations of the Audit indicated in the above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and subject also to the limitations of disclosures therein, we report that:

(a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

(b) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by ICAI to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For Dagliya & Co.
Chartered Accountants
FRN. 000671S

For Komandoor & Co. LLP.
Chartered Accountants
FRN. 001420S/S200034

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership Number 016444
UDIN:20016444AAAACF7651

(K Mohan Acharya)
Partner
Membership Number 029082
UDIN:20029082AAAABX4304

For D.K. Chhajer & Co.
Chartered Accountants
FRN. 304138E

For SNK & Co.
Chartered Accountants
FRN. 109176W

(Jagannath Prasad Mohapatro)
Partner
Membership Number 217012
UDIN:20217012AAAADF2223

(Ankit D Danawala)
Partner
Membership Number 119972
UDIN:20119972AAAADD3515

Place : Bengaluru
Date : June 24, 2020

असंशोधित विचार के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित विचार शामिल हैं ।

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक व मुख्य वित्त अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कृते डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000671S

(पी मनोहर गुप्ताग)
साझेदार
सदस्याता सं. 016444

कृते कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 001420S / S200034

(के मोहन आचार्य)
साझेदार
सदस्याता सं. 029082

कृते डी. के. छाजर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E

(जगन्नाथ प्रसाद महापात्रो)
साझेदार
सदस्याता सं. 217012

कृते एस एन के एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W

(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्याता सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2020 contains unmodified opinion.

V RAMACHANDRA
CGM & CHIEF FINANCIAL OFFICER

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

For DAGLIYA & CO.
Chartered Accountants
FRN : 000671S

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

For KOMANDOOR & CO. LLP
Chartered Accountants
FRN : 001420S / S200034

(K Mohan Acharya)
Partner
Membership No. 029082

For D K CHHAJER & CO.
Chartered Accountants
FRN : 304138E

(Jagannath Prasad Mohapatro)
Partner
Membership No. 217012

For S N K & CO.
Chartered Accountants
FRN : 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

Place : Bengaluru
Date : 24.06.2020

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका : बेंगलूरु

विषय : सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17 (8)

बोर्ड को यह सत्यापित करता है कि;

क) हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:

(i) इन विवरणियों में कोई भौतिक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii) ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।

ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन–देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन है।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की बनावट या परिचालन में कमियों यदि कोई हो, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात हो और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors
CANARA BANK
HO : Bengaluru

Sub: CEO/CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

a) We have reviewed consolidated financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2020 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, जिनके बारे में हम जागरूक हो गए हैं , यदि कोई हो, इसमें शामिल है।

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक व मुख्य वित्त अधिकारी

एल वी प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V RAMACHANDRA
CGM & CHIEF FINANCIAL OFFICER

L V PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 24.06.2020

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन–पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

	अनुसूची Schedule	यथा दिनांक 31.03.2020 को (₹ '000) As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा दिनांक 31.03.2019 को (₹ '000) As at 31.03.2019 (₹ '000)
पूँजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी / CAPITAL	1	1030 23 34	753 24 48
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS	2	40175 71 83	36935 99 40
अल्पांश ब्याज / MINORITY INTEREST	2ए / 2A	730 10 30	667 87 33
जमा / DEPOSITS	3	625408 31 60	599123 01 68
उधार / BORROWINGS	4	42761 76 71	41042 63 92
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS	5	31334 13 24	33260 03 89
कुल / Total		**741440 27 02**	**711782 80 70**
आस्तियाँ / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	6	22572 95 88	29921 43 00
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7	46016 85 77	36609 80 68
निवेश / INVESTMENTS	8	192645 37 16	168678 05 18
अग्रिम / ADVANCES	9	432403 38 32	428114 77 07
अचल आस्तियाँ / FIXED ASSETS	10	8323 35 02	8432 77 86
अन्य आस्तियाँ / OTHER ASSETS	11	39478 34 87	40025 96 91
कुल / Total		**741440 27 02**	**711782 80 70**
आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES	12	373712 87 89	359265 17 26
वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION		35939 89 40	28847 91 53

अरविंद कुमार
मंडल प्रबंधक

अमित मित्तल
सहायक महा प्रबंधक

एम. स्वामिनाथन
सहायक महा प्रबंधक

एम जी पंडित
उप महा प्रबंधक

वी रामचंद्र
महा प्रबंधक

ए. मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

कृष्णमूर्ति एच
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डागलिया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 000671S
पी मनोहर गुप्ता
साझेदार
सदस्य सं. 016444

कृते
कोमंदूर एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 001420S / S200034
टी नागेंद्रनाथ
साझेदार
सदस्य सं. 226246

कृते
डी. के. छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E
नीरज के झुनझुनवाला
साझेदार
सदस्य सं. 057170

कृते
एस एन के एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W
अंकित डी दानावाला
साझेदार
सदस्य सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

यथा दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

	अनुसूची Schedule	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2020 (₹ '000)	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2019 (₹ '000)
I. आय / I. INCOME			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED	13	49758 75 43	47951 09 68
अन्य आय / OTHER INCOME	14	11799 40 41	9907 16 03
कुल / Total		**61558 15 84**	**57858 25 71**
II. व्यय / II. EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED	15	35817 18 63	32338 69 05
परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES	16	16066 96 54	14565 88 54
प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES		11696 51 06	10406 53 14
कुल / Total		**63580 66 23**	**57311 10 73**
सहयोगियों में आय की हिस्सेदारी SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES	17	101 49 70	148 90 79
अल्पांश ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST		(1921 00 69)	696 05 77
घटाने पर: अल्पांश ब्याज (निवल हानि) LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS)		65 42 47	94 20 49
समूह के फलस्वरूप वर्ष के लिए समेकित लाभ CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP		(1986 43 16)	601 85 28
III. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
निम्नांकित को अंतरण / TRANSFERS TO			
सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE			86 76 00
पूँजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE			233 00 00
निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE			-
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE			27 25 51
विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE			-
अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND			-
प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND			-
लाभांश कर / DIVIDEND TAX			-
राजस्व व अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित शेष BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES		**(1986 43 16)**	254 83 77
कुल / Total		**(1986 43 16)**	**601 85 28**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	18		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	19		
प्रति शेयर अर्जन (मूल व तनुकृत) (रुपये में) / EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹)		(23. 55)	8. 18

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

ARVIND KUMAR
ASST. GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

KRISHNAN S
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL P SHARMA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **DAGLIYA & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 000671S
(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

For **KOMANDOOR & CO. LLP**
Chartered Accountants
FRN : 001420S / S200034
(K Mohan Acharya)
Partner
Membership No. 029082

For **D. K. CHHAJER & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 304138E
(Jagannath Prasad Mohapatro)
Partner
Membership No.217012

For **S N K & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 109176W
(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 24.06.2020

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

	यथा 31.03.2020 को ('000 रुपये) As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को ('000 रुपये) As at 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 1 – पूँजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
I. प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3000 00 00	3000 00 00
(10 रुपये प्रति शेयर के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर) (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each)		
II. निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त: / Issued, Subscribed and Paid up:		
i) केंद्र सरकार द्वारा धारित 10 रुपये प्रति शेयर के 80,89,33,351 ईक्विटी शेयर पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 53,19,44,775 ईक्विटी शेयर i) 80,89,33,351 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 53,19,44,775 Equity share of ₹10/- each held by Central Government	808 93 34	531 94 48
ii) 10 रुपये प्रति शेयर के 22,13,00,000 ईक्विटी शेयर अन्य द्वारा धारित पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति शेयर के 22,13,00,000 इक्विटी शेयर ii) 22,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each Previous year 22,13,00,000 Equity Shares of ₹10/- each held by others.	221 30 00	221 30 00
	1030 23 34	**753 24 48**
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves	8387 12 20	8401 42 00
II. पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserves	2488 67 07	2488 67 07
III. समेकन पर पूँजी आरक्षित निधि / Capital Reserves on Consolidation	2 79 19	2 79 18
IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium	18367 39 70	12135 68 18
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve	132 91 54	166 64 72
VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve	6332 79 04	6448 17 37
VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve	565 80 00	565 80 00
VIII. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधि Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	4000 00 00	4000 00 00
IX. राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / Revenue and Other Reserves	-101 76 91	2726 80 88
कुल / Total	**40175 71 83**	**36935 99 40**
अनुसूची 2ए - अल्पांश ब्याज / SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
I. मूल–अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तिथि पर अल्पांश ब्याज Minority Interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	110 15 12	110 15 12
II. अनुवर्ती वृद्धि / (कमी) / Subsequent Increase / (Decrease)	619 95 18	557 72 21
कुल / Total	**730 10 30**	**667 87 33**

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

	यथा 31.03.2020 को ('000 रुपये) As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को ('000 रुपये) As at 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
ए. A. I. माँग जमा / DEMAND DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	317 57 55	344 07 88
ii. अन्यों से / FROM OTHERS	26103 76 01	22920 95 07
कुल / Total	**26421 33 56**	**23265 02 95**
II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS	169754 82 67	151539 29 97
कुल / Total	**169754 82 67**	**151539 29 97**
III. सावधि जमा / TERM DEPOSITS		
i. बैंक से / FROM BANKS	23418 15 73	30532 24 28
ii. अन्यों से / FROM OTHERS	405813 99 64	393786 44 48
कुल / Total	**429232 15 37**	**424318 68 76**
कुल / TOTAL	**625408 31 60**	**599123 01 68**
बी. B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES		
i. भारत में / IN INDIA	564834 42 79	565847 04 91
ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA	60573 88 81	33275 96 77
कुल / Total	**625408 31 60**	**599123 01 68**
अनुसूची 4 – उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA	2291 00 00	1950 00 00
ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS	2807 06 42	
iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियाँ / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES	11909 68 94	10663 63 00
iv. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT)	15149 30 00	12749 30 00
कुल / Total	**32157 05 36**	**25362 93 00**
II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA		
i. अन्य बैंक / OTHER BANKS	10604 71 35	15679 70 92
ii. अप्रतिभूत प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT)		
कुल / Total	**10604 71 35**	**15679 70 92**
कुल / TOTAL	**42761 76 71**	**41042 63 92**

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

	यथा 31.03.2020 को ('000 रुपये) As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को ('000 रुपये) As at 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS		
I. देय बिल / BILLS PAYABLE	1120 01 36	1610 37 84
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET)	-1862 84 79	2284 74 18
III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED	2068 25 23	2195 98 21
IV. आस्थगित कर देयताएं / DEFERRED TAX LIABILITY		
V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS)	30008 71 44	27168 93 66
कुल / Total	**31334 13 24**	**33260 03 89**
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष		
SCHEDULE 6-CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND		
(विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES)	4601 16 94	3206 08 37
II भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
चालू खाते में / – IN CURRENT ACCOUNT	17971 78 94	26715 34 63
कुल / Total	**17971 78 94**	**26715 34 63**
कुल / TOTAL	**22572 95 88**	**29921 43 00**
अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर राशि		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में / IN INDIA		
i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS		
ए. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS	339 80 19	247 71 71
बी. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS	13 76 13	27 92 74
कुल / Total	**353 56 32**	**275 64 45**
ii. माँग और अल्प सूचना पर राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
ए. बैंकों में / a. WITH BANKS	8290 32 13	
बी. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS	13714 54 05	2500 00 00
कुल / Total	**22004 86 18**	**2500 00 00**
कुल / TOTAL	**22358 42 50**	**2775 64 45**
II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA		
i. चालू खातों में / i. IN CURRENT ACCOUNTS	6108 69 20	11853 72 09
ii. जमा खातों में / ii. IN DEPOSIT ACCOUNTS	9773 72 63	13659 52 67
iii. माँग और अल्प सूचना पर राशि / iii. MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	7776 01 44	8320 91 47
कुल / Total	**23658 43 27**	**33834 16 23**
कुल / TOTAL	**46016 85 77**	**36609 80 68**

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

		यथा 31.03.2020 को ('000 रुपये) As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को ('000 रुपये) As at 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I.	भारत में निवेश : सकल INVESTMENTS IN INDIA: GROSS	192779 33 75	168829 09 37
	घटाएं: मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI	2172 93 25	2681 90 92
	भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA	**190606 40 50**	**166147 18 45**
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ GOVERNMENT SECURITIES	165050 26 64	138595 04 01
ii.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ OTHER APPROVED SECURITIES	1411 95 22	1265 09 81
iii.	शेयर SHARES	6257 63 63	7587 34 42
iv.	डिबेंचर और बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS	12498 59 37	13559 17 88
v.	सहभागियों में निवेश INVESTMENTS IN ASSOCIATES	1625 01 01	1353 57 88
vi.	अन्य (एमफ, वीसीएफ, सीडी, सीपी आदि) OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.)	3762 94 63	3786 94 45
	कुल / Total	**190606 40 50**	**166147 18 45**
II.	भारत के बाहर निवेश– सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS	**2060 44 32**	2545 54 82
	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION	**21 47 66**	14 68 09
	भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA	**2038 96 66**	2530 86 73
i.	सरकारी प्रतिभूतियाँ / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES)	**503 77 86**	1551 24 31
ii.	अन्य OTHERS	**1535 18 80**	979 62 42
	कुल / Total	**2038 96 66**	**2530 86 73**
	कुल / TOTAL	**192645 37 16**	**168678 05 18**

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

	यथा 31.03.2020 को ('000 रुपये) As at 31.03.2020 (₹ '000)	यथा 31.03.2019 को ('000 रुपये) As at 31.03.2019 (₹ '000)
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
ए. A. i. खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED	15903 99 06	18983 46 21
ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और माँग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND	157909 49 03	178706 60 35
iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS	258589 90 23	230424 70 51
कुल / **Total**	**432403 38 32**	**428114 77 07**
बी. B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋणों के एवज में अग्रिम सहित) / INCLUDING ADVANCES AGAINST BOOK DEBTS)	353493 33 47	348913 67 95
ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES	10218 24 46	10089 78 50
iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED	68691 80 39	69111 30 62
कुल / **Total**	**432403 38 32**	**428114 77 07**
सी. C. i. भारत में अग्रिम / **ADVANCES IN INDIA**		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR	187718 83 79	179432 76 18
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR	32316 80 09	23179 34 65
iii. बैंक / BANKS	3262 61 01	4650 50 57
iv. अन्य / OTHERS	184641 99 07	195689 46 52
कुल / **Total**	**407940 23 96**	**402952 07 92**
II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA		
i. बैंकों से देय / Due from Banks		
ii. अन्य से देय / Due from Others		
(ए) खरीदे गये तथा भुनाए गये बिल (a) BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED	12113 02 30	12069 55 64
(बी) मीयादी / समूहन ऋण / (b) TERM / SYNDICATED LOANS	10776 35 89	8038 08 59
ग. अन्य / (c) OTHERS	1573 76 17	5055 04 92
कुल / **Total**	**24463 14 36**	**25162 69 15**
कुल / **TOTAL**	**432403 38 32**	**428114 77 07**

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

	यथा 31.03.2020 को ('000 रुपये) As at 31.03.2020 (₹ '000)		यथा 31.03.2019 को ('000 रुपये) As at 31.03.2019 (₹ '000)	
अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
I. परिसर / PREMISES				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर / मूल्यांकन / AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET	8176 39 32		8036 87 83	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	65 26 35		139 58 91	
	8241 65 67		8176 46 74	
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATION MADE DURING THE YEAR				
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	11 10		7 42	
	8241 54 57		8176 39 32	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	1054 62 45	7186 92 12	927 40 49	7248 98 83
II. अन्य अचल आस्तियाँ / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और जुड़नार सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	4185 94 82		3943 04 52	
वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR	313 06 91		399 69 54	
	4499 01 73		4342 74 06	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	104 32 21		156 79 24	
	4394 69 52		4185 94 82	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	3264 50 02	1130 19 50	3006 26 66	1179 68 16
III. पट्टागत आस्तियाँ / LEASED ASSETS				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET	80 30 66		80 18 28	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR	3 02 21		61 79	
	83 32 87		80 80 07	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ / DEDUCTIONS DURING THE YEAR	1 57 15		49 41	
	81 75 72		80 30 66	
अद्यतन मूल्यह्रास / DEPRECIATION TO DATE	75 53 73		75 85 79	
	6 21 99		4 44 87	
घटाएं : पट्टेदारी अंतिम समायोजन लेखा LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT	- 1 41	6 23 40	34 00	4 10 87
IV. प्रवर्तमान पूंजी / CAPITAL WORK IN PROGRESS				
कुल / **Total**		**8323 35 02**		**8432 77 86**

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2020

	यथा 31.03.2020 को ('000 रुपये) As at 31.03.2020 (₹ '000)		यथा 31.03.2019 को ('000 रुपये) As at 31.03.2019 (₹ '000)	
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS				
I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED		5465 54 08		5239 63 09
II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET)		13097 18 19		15672 04 85
III. लेखन सामग्री व स्टैम्प STATIONERY AND STAMPS		10 81 76		4 99 09
IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियाँ NON BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS		109 30 37		75 85 55
V. अन्य / OTHERS		16943 23 27		15645 54 07
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / DEFERRED TAX ASSETS		3852 27 20		3387 90 26
कुल / **Total**		**39478 34 87**		**40025 96 91**
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES				
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS		9566 79 02		14080 56 35
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों हेतु देयताएं LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS		36 00		36 00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS		300719 60 22		275252 65 18
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS				
ए. भारत में / a. IN INDIA	35173 58 37		38634 35 94	
बी. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA	274 57 15		205 64 00	
		35448 15 52		38839 99 94
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS		24890 32 44		28919 42 55
VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE				
ए. पुन: भुनाए गये विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED			-	
बी. अन्य / b. OTHERS	3087 64 69		2172 17 24	
		3087 64 69		2172 17 24
कुल / **Total**		**373712 87 89**		**359265 17 26**

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

	यथा दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2020 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2019 (₹ '000)	
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED				
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST/DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS		36060 46 12		34309 06 59
II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS		12165 31 51		12072 98 27
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषराशि पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS		1409 17 54		833 94 52
IV. अन्य / OTHERS		123 80 26		735 10 30
कुल / **Total**		**49758 75 43**		**47951 09 68**
अनुसूची 14 – अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME				
I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE		1234 12 35		1132 29 10
II. निवेशों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS				
लाभ / PROFIT	716 11 67		419 17 03	
घटाएं: हानि / LESS : LOSS		716 11 67		419 17 03
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS	-1 73 82			
घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS		-1 73 82	79 56	- 79 56
IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS				
लाभ / PROFIT				
घटाएं : हानि / LESS : LOSS	1 34 11	-1 34 11	2 86 71	-2 86 71
V. विनिमय लेन-देन से लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS				
लाभ / PROFIT	1116 23 23		634 12 03	
घटाएं : हानि / LESS : LOSS		1116 23 23		634 12 03
VI. लाभांश के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND		40 59 99		43 83 26
VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME		8695 41 10		7681 40 88
कुल / **Total**		**11799 40 41**		**9907 16 03**
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED				
I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS		33527 83 91		30101 85 02
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS		1171 11 31		1035 42 69
III. अन्य / OTHERS		1118 23 41		1201 41 34
कुल / **Total**		**35817 18 63**		**32338 69 05**

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बननेवाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

	यथा दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2020 (₹ '000)		यथा दिनांक 31.03.2019 को समाप्त वर्ष हेतु ('000 रुपये) For the Year ended 31.03.2019 (₹ '000)	
अनुसूची 16– परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES				
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES		7501 11 63		5962 84 44
II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING		824 16 92		1019 83 57
III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY		80 76 98		56 44 36
IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY		86 02 09		73 58 30
V. बैंक की संपत्ति में मूल्यह्रास / DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY		445 90 84		428 83 17
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES		1 24 29		67 07
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES)		56 62 64		68 23 22
VIII विधि प्रभार / LAW CHARGES		73 16 51		72 37 65
IX. डाक, तार, दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC.		82 48 13		58 50 03
X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE		328 11 92		321 80 58
XI. बीमा / INSURANCE		550 78 18		495 03 56
XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE		6036 56 41		6007 72 59
कुल / Total		**16066 96 54**		**14565 88 54**
अनुसूची 17 – सहभागियों में (हानि) / आय की हिस्सेदारी SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES				
I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD.		112 83 70		89 02 11
II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS				
ए. प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक A. KARNATAKA GRAMIN BANK	6 51 37		28 44 64	
बी. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK	-17 85 37	-11 34 00	31 44 04	59 88 68
कुल / Total		**101 49 70**		**148 90 79**

अनुसूची – 18

यथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

[1] क. समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करने का आधार

बैंक (मूल), इनकी अनुषंगियों, सहबद्ध संस्थाओं तथा संयुक्त उद्यमों (समूह) की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किया गया है और अन्यथा किये गये वक्तव्यों को छोड़कर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी), लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानकों / दिशानिर्देशों, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों और संबंधित उद्योग / कारोबार के प्रचलित बाजार प्रथाओं के महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्यों के अनुरूप है।

ख. अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणी की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में यथा वित्तीय विवरणी की तारीख को अनुमानों तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है । प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं । तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं । लेखांकन अनुमानों के किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दी गई है।

[2] समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (8 अनुषंगियों, 3 सहबद्ध संस्थाओं तथा 1 संयुक्त उद्यम) की समेकित वित्तीय विवरणी की तैयारी निम्नलिखित के आधार पर की गई:

(क) केनरा बैंक (मूल) के लेखापरीक्षित लेखा ।

(ख) बैंक और उसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरणी एक रूपी लेखा नीतियों के अनुरूप होने के लिए आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी राशियों को एक साथ जोड़कर सभी तात्विक अंतर – समूह शेष / सामूहिक लेनदेनों और अप्राप्त लाभ/ हानि को हटाने के बाद और जहाँ कहीं आवश्यक हो अपेक्षित समायोजन करके पंक्ति दर पंक्ति आधार पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक (ले मा)21 (समेकित वित्तीय विवरणी) के अनुरूप तैयार किये

SCHEDULE - 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

[1] (a) Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

[2] Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group [comprising of Eight (8) Subsidiaries, Three (3) Associates and One (1) Joint Venture] have been prepared on the basis of:

(a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).

(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies as per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

गये हैं।

ग. सहबद्ध संस्थाओं में की गई दीर्घावधि निवेश के लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक–23 (सहबद्ध संस्थाओं में निवेशों के लेखांकन के लिए समेकित वित्तीय विवरणी) द्वारा सहबद्ध संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है । सहबद्ध संस्थाओं के परिचालन परिणामों के निवेशक के हिस्से को समेकित लाभ व हानि खाते में अलग से दर्शाया गया है।

घ. संयुक्त उद्यम के मामले में "समानुपातिक समेकन पद्धति" में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 27 (संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग) के अनुसार समेकित किया गया है ।

2.2 समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) परिणाम में अल्पसंख्यक हित से तात्पर्य अनुषंगियों में निवल ईक्विटी / लाभ में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हिस्से से है ।

2.3 अनुषंगियों में उसके प्रारंभिक निवेशों के साथ मूल संस्था की लागत तथा अनुषंगियों की ईक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के बीच के अंतर को मामलानुसार सनाम / पूँजी आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी गई है ।

[3] विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रासंपरिवर्तन

3.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दरों पर प्रारंभिक तौर पर अभिलेखित किया जाता है । विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (एफईडीएआई) द्वारा प्रकाशित दरों पर पुनः वर्णित किया गया है । पुनः वर्णन से त्रैमासिक दरों पर उत्पन्न होनेवाले विनिमय अंतरों को लाभ व हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है ।

3.2 विदेशी शाखाओं के संबंध में लेनदेनों एवं शेषों को गैर अभिन्न विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । ऐसे लेन–देनों तथा शेष राशि को बैंक (मूल संस्था) द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।

3.3 परिसंपत्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर–मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 11 – ("विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव") के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (एफईडीएआई) द्वारा घोषित अंतिम हाजिर विनिमय दर पर किया जाता है । विदेशी शाखाओं के आय एवं

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

(d) Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate Consolidation Method' as prescribed in Accounting Standard (AS) 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.

2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

[3] Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.

3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.

3.3 Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

व्यय मदों को एफईडीएआई द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है ।

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा ।

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है । वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित रद्दकरण पर होनेवाले लाभ / हानि, यदि है तो, रद्दकरण तारीख पर मान्यता दी गई । वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, पर लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है।

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन एफईडीएआई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[4] निवेश

4.1 निवेशों का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है । बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में वर्गिकृत किया गया है, जैसे 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए धारित' (एएफएस) और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी) । ऐसी प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय निर्धारित किया गया है ।

निवेशों को तुलन–पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है जैसे (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बांड (ङ) सहयोगी संथाओं में निवेश और (च) अन्य

4.2 निवेशों के अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने के लिए :

क) प्रतिभूतियों की खरीदी के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है ।

4.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो यथानुसार है:

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

[4] Investments

4.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity (HTM)', 'Available for Sale (AFS)' and 'Held for Trading (HFT)'. Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government securities, (b) Other approved securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Investments in Associates and (f) Others.

4.2 In determining the acquisition cost of investment:

(a) Cost such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

4.3 The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

(क) परिपक्वता के लिए धारित (एच टी एम)

अवधि समाप्ति हेतु धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अभिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है । अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अभिग्रहण लागत हो तो उसे परिपक्वता शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है ।

सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है। मूल्य में किसी भी प्रकार के ह्रास / सिबाय अस्थायी स्वरूप के पूर्णतः प्रावधान किया जाता है ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों को लागत रखाव पर मूल्यांकित किया जाता है।

वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में दिनांक 23.08.2006 के बाद की गई निवेशों को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है । संवितरण की तारीख से तीन साल की अवधिक के बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबै) के दिशानिर्देशों के अनुसार एएफएस में व बाज़ार के लिए चिहि्नत कर दिया जाएगा ।

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध (ए एफ एस)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत अंतरिम निवेशों को त्रैमासिक आधार पर बाजार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख (तुलन पत्र तारीख) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / उद्धरण भारतीय व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है । गैर उद्धृत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भी भा. रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यह्रास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि यदि कोई हो तो नकारा जाता है । प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाज़ार आधार पर अंकित किए जाने पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी की इकाइयों को [उक्त पैरा 4.3(क) का संदर्भ लें] वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है । यदि लगातार 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि (विसिएफ) के आधार पर मूल्याँकित किया जाता है ।

(ग) व्यापार हेतु धारित (एच एफ टी)

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को भारतीय नियत आय

(a) Held to Maturity (HTM)

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Associates are valued under equity method. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee Shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines

(b) Available for Sale (AFS)

Investments classified under this category are marked to market on quarterly basis and valued as per RBI guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the RBI guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at Mark-to-Market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years [Refer para 4.3 (a) above] are valued at Net Asset Value (NAV) as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

(c) Held for Trading (HFT)

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations,

मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित बाजार उद्धरण / मूल्य / आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर दर आधारित मूल्यांकित किया जाता है ।

प्रत्येक प्रतिभूति के तहत धारित निवल मूल्यह्रास के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि यदि कोई हो तो नकारा गया है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्याँकन "बाज़ार के लिए अंकित किए जाने" पर बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।

4.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नानुसार किया जाता है :

क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है । एच टी एम श्रेणी के तहत निवेशों को मूल रूप से प्रीमियम पर रखा जाता है तो परिशोधित लागत पर अंतरण किया जाता है ।

ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य के निम्न मूल्य पर किया जाता है ।

ग) ए एफ एस से एच टी एम श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है । उपचित मूल्यह्रास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है ।

4.5 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी ((एस सी) / (आर सी)) को बैंक द्वारा बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में एस सी / आर सी द्वारा जारी अनर्जक निवेश प्रतिभूति रसीदों को उनके मोचन मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है । बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ को निर्वाह निम्नानुसार किया जाता है:–

(क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से कम मूल्य पर है तो, तत्संबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता दी जाती है ।

(ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को प्रतिवर्तित नहीं किया जाता है, बल्कि प्रकं / पुकं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है ।

4.6 तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल की गई प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है तो उसे अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है

price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for, whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after "marked to market".

4.4 Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

(a) HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category are placed at premium originally the transfer is made at amortised cost.

(b) AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

(c) AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

4.5 Non-Performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt or the Net Book Value of the financial asset. The Investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

(a) If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

(b) If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

4.6 Non-Performing Investments Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-Performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments is made. Deprecation in respect of such Non-Performing

तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान बनाया जाता है । ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से समंजन नहीं किया जाता है ।

4.7 निवेशों की बिक्री पर लाभ

'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणियों के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है ।

'परिपक्वता के लिए धारित' श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है ।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई है ।

4.8 रेपो / प्रतिवर्ती रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

रेपो / प्रतिवर्ती रेपो के तहत सहमत शर्तों पर एलएएफ के साथ एक करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों की पुन:खरीद / पुनर्बिक्री को उधार ऋण के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाता है और रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय / आय, जैसा मामला हो, के रूप में की जाती है।

[5] व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक (मूल) ब्याज दर अदला–बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों में व्यवहार करता है । बैंक (मूल) द्वारा व्यवहार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नियां रुपया ब्याज दर अदला–बदली, परस्पर लेनदेन की मुद्रा ब्याज दर अदला–बदली और वायदा दर करार हैं। बैंक (मूल) द्वारा व्यवहार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां विकल्प और मुद्रा अदला–बदली हैं ।

ऐसी व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियां बाज़ार के लिए अंकित की गयी हैं और निवल मूल्यह्रास की पहचान की गई है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा गया है ।

ख) प्रतिरक्षा के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नियां निम्नानुसार हैं:

(i) बाजार के लिए अंकित नहीं की जाती हैं, जब तक आधारभूत बचाव के लिए नामित व्युत्पन्न संविदाएं आस्तियां बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं ।

Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

4.7 Profit on Sale of Investments

Profit on Sale of Investments in respect of 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on Sale of Investments in respect of 'Held to Maturity' category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on Sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

4.8 Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo/ Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing / Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

[5] Derivative contracts

The Bank (Parent) deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank (Parent) are Options and Currency Swaps.

Such derivative contracts are valued as under:

(a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark-to-market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

(b) Derivative contracts undertaken for hedging are:

(i) Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.

(ii) प्रतिरक्षा अदला–बदली के लिए उपचय आधार पर आय / व्यय का लेखा किया गया है ।

[6] अग्रिम

6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

6.2 अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया गया है ।

6.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू अग्रिमों हेतु प्रावधान किए गए हैं ।

6.4 विदेशी शाखाओं के साथ वाले अर्जक / अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय देश के विनियमों, या मानकों इनमें से जो भी अधिक कड़े हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार किए गए हैं ।

6.5 तुलन पत्र में बताए गए अग्रिम अनर्जक आस्तियों, ऋण गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं ।

6.6 अनर्जक अग्रिमों में किए गए आंशिक वसूलियों का प्रभावन प्रथमत: प्रभार व ब्याज, के प्रति किया जाता है। तत्पश्चात मूल धन के प्रति किया जाता है । सिवाय अनर्जक अग्रिमों के जिसमें समझौता निपटन कालातीत ऋण शामिल हैं। जहां वसूलियों का समायोजन पहले मूल धन के प्राप्ति किया जाता है।

6.7 प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में मूल्यांकन, गैर आय निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है ।

6.8 एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

[7] अचल परिसंपत्तियां

7.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भूमि संपत्ति दोनों शामिल हैं । सभी अचल परिसंपत्तियों का पूंजीयन उसके उपयोग की तिथि के आधार पर किया जाता है ।

7.2 भूमि व परिसर को पुनर्मूल्यन लागत और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खातों में जमा की जाती है । संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यह्रास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया किया

(ii) Income / Expenditure is recognized on accrual basis for Hedging Swaps.

[6] Advances

6.1 Advances are classified as Performing and Non-Performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.

6.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.3 Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-Performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.

6.4 Provisions for performing/ non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.

6.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.

6.6 Partial recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal with the exception of Non-Performing advances involving compromise settlements / 'Loan Past Due' advances, where the recoveries are first adjusted towards principal.

6.7 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.

6.8 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

[7] Fixed Assets

7.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.

7.2. Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from

गया है । पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों से राजस्व आरक्षित निधियों में समतुल्य राशि अंतरित की गई है ।

[8] मूल्यह्रास

8.1 मूल संस्था

8.1.1 कंप्यूटरों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास की सीधी सेवा पद्धति के तहत तत्संबंधी परिसंपत्ति के उपयोग्य जीवन पर परिकलित मूल्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यह्रास किया जाता है, जब की भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्यह्रास को सीधी कटौती पद्धति के आधार पर 33.33% की दर से प्रभारित करते हुए किया जाता है ।

8.1.2 3 वर्ष या 5 वर्ष (उदाहरण – कम्प्यूटर, सर्वर और ए टी एम इत्यादि) के अनुमानित प्रयोज्य जीवन वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर जहां आस्तियों की कुल लागत प्रयोज्य जीवन पर परिशोधित हो, सभी परिसंपत्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है ।

8.1.3 पूंजीकरण वर्ष में अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया जाए यदि परिसंपत्ति का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए किया गया हो अन्यथा यह लागू दर के 50% होगा। बिक्री / निपटान के वर्ष में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया है ।

8.1.4 पट्टाधृत संपत्तियों पर प्रदत्त प्रीमियम उस पूरी पट्टाधृत अवधि के लिए प्रभारित किया जाता है। पट्टाधृत भूमि की लागत और पट्टाधृत सुधार पट्टे की अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।

8.1.5 विदेशी कार्यालयों में धारित अचल संपत्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

8.2 अनुषंगियां

(क) घरेलू अनुषंगियों की स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों पर किया गया।

(ख) सॉफ्टवेयर खरीदी / विकास तथा लाइसेंस लागत आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के मूल्यह्रास सीधी लाइन पद्धति आधार पर सॉफ्टवेयर के उपयोज्य जीवन के अनुसार सॉफ्टवेयर के प्रथम उपयोग से अधिकतम 3 वर्षों के लिए मूल्यह्रासित किया गया है ।

(ग) पट्टेदारी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पद्धति और दरों पर या करारों के अनुसार पट्टेदारी की पूरी प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के

Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

[8] Depreciation

8.1 Parent

8.1.1 Fixed Assets are depreciated under Straight Line Method at the rates determined by the management on the basis of estimated useful life of the respective assets except for the Computers, where as per the guidelines of RBI, depreciation is charged under Straight Line method at 33.33%.

8.1.2 5 percent residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life of 3 years or 5 years (Eg. Computer, Servers and ATMs etc), where the entire cost of the asset is amortized over the useful life.

8.1.3 Depreciation on fixed assets in the year of capitalization is charged for the full year if the asset is used for more than 180 days during that financial year; else it is provided at 50 percent of the applicable rate. No depreciation is provided for in the year of sale/disposal.

8.1.4 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

8.1.5 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

8.2 Subsidiaries

(a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013.

(b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on Straight Line method over the useful life of the software upto a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.

(c) In respect of leased assets depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire

लिए पट्टेदारी किरायों को वर्ष के दौरान उपचित पट्टेदारी किरायों का अनुपात, दोनों में जो अधिक हो उस दर पर किया गया है।

8.3 विदेशी कार्यालयों में स्थित अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास संबंधित देश के विनियमन / मानदंडों के अनुसार किया गया है।

[9] **आस्तियों की हानि**

प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को यह निर्धारित किया जाता है की किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं । यदि ऐसा कोई संकेत पाया जाता है तो वसूली योग्य राशि का एक अनुमान बनाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है ।

[10] **राजस्व का परिकलन**

निम्नलिखितों को छोड़कर आय व व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है ।

क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिमों तथा अनर्जक निवेशों पर ब्याज को मान्यता दी गई है ।

ख) अतिदेय बिलों, कमीशन (सरकारी कारोबार के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराये पर ब्याज की गणना वसूली होने पर की गई है ।

ग) लाभांश की गणना तब की जाएगी जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाएगा ।

घ) जहां तक बैंक के विदेशी कार्यालयों का संबंध है, आय और व्यय को उस देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार गणना की जाती है जिसमें संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है।

ङ) मुकदमा दायर किए गए लेखों के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया जाएगा तथा वसूली एवं पर उसकी गणना आय के रूप में की जाएगी ।

[11] **जीवन बीमा कंपनी**

क) प्रीमियम

पॉलिसी धारकों से वसूली की तार्किक निश्चितता है तो, देय प्रीमियम को आय के रूप में मान्यता दी गई है । इकाई संबद्ध कारोबार के लिए यूनिटों के आबंटन पर आय को मान्यता दी गई है । व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को पॉलिसियाँ बहाल होने पर आय के रूप में मान्यता दी गई है । प्रीमियम को जीएसटी / सेवा कर के निवल के रूप में मान्यता दी गई है । टॉप–अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में माना गया है ।

primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

8.3 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

[9] **Impairment of Assets**

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

[10] **Revenue Recognition**

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

(a) Interest on Non-Performing advances and Non-Performing Investments is recognized as per norms laid down by the RBI.

(b) Interest on overdue bills, Commission (other than Government business), Exchange, Brokerage and rent on lockers are accounted on realization.

(c) Dividend is accounted when the right to receive the same is established.

(d) As regards Bank's foreign offices, income and expenditure are recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.

(e) In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

[11] **Life Insurance Company**

(a) Premium

Premium is recognised as income when due from policy holders, if there is a reasonable certainty of collectability. For unit linked business, income is recognized when the units are allocated. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Premiums are recognized net of GST/service tax. Top-up premium is considered as single premium.

ख) संबद्ध कारोबार से आय

निधि प्रबंधन प्रभार, प्रशासनिक प्रभार, मृत्यु दर प्रभार और अन्य प्रभार उत्पाद विशेषताओं के अनुसार संबद्ध निधियों से पॉलिसी के नियम व शर्तों के आधार पर वसूल किया जाता है तथा देय होने पर मान्यता दी गई है ।

ग) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा प्रीमियम के भुगतान का लेखांकन पुन: बीमा कंपनी के साथ की गई व्यवस्था या संधि के अनुसार किया जाता है ।

घ) प्रदत्त लाभ (दावे सहित)

दावों के लागत में पॉलिसी से लाभ की राशि तथा दावा निपटान लागत, जहां लागू हो, शामिल होता है । मृत्यु दावों तथा राइडर दावों का लेखांकन सूचना प्राप्ति के बाद किया जाता है ।

उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों का लेखांकन भुगतान के लिए देय होने पर किया जाता है ।

यूनिट लिंक की गई पॉलिसियों के अंतर्गत अभ्यर्पण तथा आहरण (प्रभार का निवल) का लेखांकन, संबद्ध यूनिटों के रद्द होने पर किया जाता है । परंपरागत पॉलिसियों के अंतर्गत इनका लेखांकन, अभ्यर्पण की सूचना प्राप्ति तथा स्वीकार किए जाने पर किया जाता है ।

लॉक इन अवधि के अंतर्गत संबद्ध पॉलिसियों के अभ्यर्पण मामले में, अर्थात् पॉलिसी जारी किए जाने की तिथि से 5 वर्ष (1 सितंबर 2010 के बाद जारी की गई पॉलिसियों के मामले में), वैसी पॉलिसियों के अभ्यर्पण मूल्य को एक नामोद्दिष्ट निधि जिसका नाम "यूएल व्यतिक्रम पॉलिसी निधि है," में निवेशित किया जाता है तथा पॉलिसी धारक को, लॉक इन अवधि की समाप्ती के बाद न्यूनतम निश्चित प्रतिलाभ या वास्तविक प्रतिलाभ, दोनों में जो अधिक हो, का भुगतान किया जाता है ।

बीमित प्रस्तावक की मृत्यु के उपरांत यदि बीमा उत्पादों में आगामी प्रीमियम शेष में छूट का प्रावधान हो तो बीमित प्रस्तावक की मृत्यु पर आगामी संपूर्ण प्रीपियम में दी गई छूट को बीमित प्राभाविक की मृत्यु हो जाने पर प्रक्षा लाभ देयता के रूप में माना जाता है। जब आगामी मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है तो उक्त प्रीमियम को उक्त दायित्व को कम करते हुए वित्तपोषित किया जाता है और प्रीमियम आय समान रूप से मान्य होता है।

(b) Income from Linked Business

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product feature are recovered from linked funds in accordance with terms and conditions of policies and are recognized when due.

(c) Reinsurance Premium

Reinsurance premium ceded is accounted in accordance with the treaty or in principle arrangement with the re-insurer.

(d) Benefits Paid (Including Claims)

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation.

Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due for payment.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under traditional policies these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted.

In case of surrender of linked policy within the lock-in period i.e., 5 years from the date of issue of policy (in case of policies issued after 1st September 2010), the surrender value of such policies is invested in a designated fund called 'UL Discontinued Policy Fund' and is paid to the policyholder on the expiry of the lock-in period along with minimum guaranteed return or actual return, whichever is higher.

In case of insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

दावों पर पुनर्बीमित वसूली का लेखांकन संबंधित दावों की उसी अवधि में किया जाता है ।

ङ) **अधिग्रहण लागत**

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो प्राथमिक रूप से बीमा संविदा अधिग्रहण से संबंधित होता है तथा जिस अवधि में खर्च होता है उसी अवधि में खर्च किया जाता है जिससे यह परिवर्तित होता रहता है । प्रथम वर्ष में भुगतान किए गए कमीशन वापस ले लिए जाने के कारण उसकी वसूली यदि की गई हो तो, भविष्य में उसका लेखांकन उस वर्ष में की जाती है जिसमें उसकी वसूली देय होती है ।

च) **जीवन पॉलिसियों की देयताएं**

देयताओं के मूल्य का निर्धारण बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ता की अस्तियां,देयताएं तथा शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 तथा आईआरडीए द्वारा जारी अन्य संबंधित विनियम यथा समय–समय पर संशोधित, भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी मानक (ए पी एस 2 व ए पी एस 7) बीमांकिक प्रथा तथा भारत में सामान्य तौर से मान्य बिमांकिक सिद्धांतों के अनुसार होता है ।

[12] कर्मचारी हितलाभ

(क) **परिभाषित अंशदान योजनाएं:** परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है तथा लाभ–हानि खाते में प्रभारित किया गया है ।

बैंक में 01–08–2010 को या उसके बाद शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित योगदान योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्यों को मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने का अधिकार नहीं है। इस योजना के अनुसार, प्रावरित कर्मचारी अपने मूल वेतन के 10% के साथ महंगाई भत्ते को बैंक से उसी अनुपात में मिल रहे योगदान के साथ योजना में योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक योगदान को उस वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं**

(i) **उपदान:** कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

(e) **Acquisition Costs**

Acquisition costs are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of claw back of the first year commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due.

(f) **Liability for Life Policies**

The value of liabilities is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities and Solvency Margin of insurers) Regulations, 2000 and other relevant Regulations issued by IRDA as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.

[12] Employee Benefits

(a) **Defined Contribution Plans:** Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-08-2010, which is a defined contribution plan, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching contribution from the Bank. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

(b) **Defined Benefit Plans**

(i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme

(मूल) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी निधि का प्रबंधन करता है । उपदान के तहत बैंक (मूल) की बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है ।

(ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक (मूल) द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन अलग न्यास द्वारा किया जाता है । पेंशन के तहत बैंक (मूल) की बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया गया है ।

(ग) अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना गया है तथा प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को 'अनुमानित इकाई साख पद्धति' के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है ।

[13] कराधान के लिए प्रावधान

क) चालू तथा आस्थगित दोनों करों के लिए कर प्रावधान किया गया है ।

ख) समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्ती योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व कानूनों अथवा बाद में यथा तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित कर की दरों व कानूनों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है ।

ग) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यथास्थिति अनुसार प्रबंधन के निर्णय के इस आधार पर परिकलन किया जाता है कि क्या उनकी वसूली को यथोचित रूप से निश्चित या आभासी रूप से निंश्चित जैसा मामला है, माना जाता है।

घ) आस्थगित कर संपत्तियों को अनामेलित मूल्यह्रास और कर के नुकसान से आगे ले जाने पर रखा जाता है, अगर इस बात के पुख्ता सबूतों का समर्थन करते हुए आभासी निश्चितता है कि ऐसी अस्थगित कर संपत्ति की वसूली को भविष्य में मुनाफे के मद्धे प्रयोग किया जा सकता

is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(c) The privilege leave is considered a long term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

[13] Provision for Taxation

(a) Provision for tax is made for both Current and Deferred Taxes.

(b) Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date

(c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or Virtual certain as the case may be.

(d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the

है। उपर्युक्त के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियां उचित निश्चितता के आधार पर रखी जाती हैं।

[14] प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

(क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) 29 (आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक (मूल) द्वारा प्रावधानों को मान्यता तभी दी जाती है, केवल जब :–

(i) पूर्ववर्ती घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान में कोई बाध्यता हो

(ii) उस बाध्यता को निभाने के लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह हो

(iii) जब बाध्यता राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो ।

(ख) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया

(i) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित दायित्व और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक (मूल) के नियंत्रण के भीतर हो, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी ।

(ii) यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक हितों से सुसम्पन्न संसाधनों की बहिर्गमन बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक हो अथवा

(iii) बाध्यता की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

ऐसे बाध्यताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है । इसको नियमित अंतरालों पर निर्धारित किया जाता है तथा बाध्यता के उस हिस्सा जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बहिर प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान दिया गया है । सिवाय वहां जहाँ पर विश्वसनीय अनुमान बनाया नहीं जा सकता है ।

(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दी गई है ।

items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty

[14] Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets

(a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when:

(i) It has a present obligation as a result of past event.

(ii) It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and

(iii) When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(b) No provision is recognized for

(i) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (parent).

(ii) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or

(iii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

[15] निवल लाभ

लाभ–हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात है :

क) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

ख) कराधान के लिए प्रावधान

ग) ऋण हानियों के लिए प्रावधान

घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

ङ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान

च) अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान

[16] प्रति शेयर अर्जन

बैंक (मूल), लेखांकन मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को रिपोर्ट करता है । प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाए ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है ।

[17] नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है।

[18] खंड रिपोर्टिंग

बैंक,, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी एएस–17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

[15] Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

(a) Provision for Depreciation on Investments

(b) Provision for Taxation

(c) Provision on Loan Losses

(d) Provision on Standard Assets

(e) Provision for Non-Performing Investments.

(f) Other usual & necessary items.

[16] Earnings Per Share

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the Year.

[17] Cash Flow Statement

Cash Flow from operating activities is reported by using indirect method.

[18] Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

अनुसूची - 19

यथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. समूह की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में केनरा बैंक (प्रधान) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों, सहयोगी संस्थाओं व संयुक्त उद्यम का परिणाम शामिल है । अनुषंगियों / सहबद्ध संस्थाओं / संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरणी को, यथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ :

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखापरीक्षित / गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकित किया गया है:

क्र. सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन देश	लेखापरीक्षित / गैर–लेखापरीक्षित	यथा 31.03.2020 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2019 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1.	केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि.	भारत	गैर–लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
2.	केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि.	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
3.	केनबैंक फैक्टर्स लि.	भारत	लेखापरीक्षित	70.00%	70.00%
4.	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
5.	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेस लि.	भारत	लेखापरीक्षित	69.14%	69.14%
6.	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज लि. (पूर्व में जीआईएलटी सेक्यूरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लि.)	भारत	लेखापरीक्षित	100.00%	100.00%
7.	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	लेखापरीक्षित	51.00%	51.00%
8.	केनरा बैंक (तंजानिया) लिमि.	तंजानिया	गैर–लेखापरीक्षित	100%	100%

SCHEDULE - 19

NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2020

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent) and following Subsidiaries, Associates and Joint venture. The financial statements of the Subsidiaries/Associates/Joint venture are drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended March 31, 2020.

1.1 Subsidiaries

The following subsidiaries have been considered for consolidation based on their Audited/Unaudited Financial Statements:

Sl. No.	Name of the Subsidiaries	Country of incorporation	Audited / Unaudited	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2020	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2019
1.	Canbank Financial Services Ltd.	India	Unaudited	100.00%	100.00%
2.	Canbank Venture Capital Fund Ltd.	India	Audited	100.00%	100.00%
3.	Canbank Factors Ltd.	India	Audited	70.00%	70.00%
4.	Canara Robecco Asset Management Company Ltd.	India	Audited	51.00%	51.00%
5.	Canbank Computer Services Ltd.	India	Audited	69.14%	69.14%
6.	Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd.)	India	Audited	100.00%	100.00%
7.	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.	India	Audited	51.00%	51.00%
8.	Canara Bank (Tanzania) Ltd.	Tanzania	Unaudited	100%	100%

1.2. सहयोगी संस्थाएं:

I. निम्न सहयोगी संस्थाओं में निवेश को उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकन के उद्देश्य हेतु विचारार्थ लिया गया है :

क्रमांक	सहयोगी संस्थाओं के नाम	लेखापरीक्षित / गैर–लेखापरीक्षित	निगमन देश	यथा 31.03.2020 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)	यथा 31.03.2019 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%)
1	केनफिन होम्स लि	लेखापरीक्षित	भारत	30.00%	30.00%
2	कर्नाटक ग्रामीण बैंक (पूर्व में प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)	लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%
3	केरल ग्रामीण बैंक (पूर्व में साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक)	लेखापरीक्षित	भारत	35.00%	35.00%

1.2 Associates

I. The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Financial Statements.

Sl. No.	Name of the Associate	Audited/ Unaudited	Country of incorporation	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2020	Percentage of ownership interest (%) as on 31.03.2019
1	Canfin Homes Ltd.	Audited	India	30.00%	30.00%
2	Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank)	Audited	India	35.00%	35.00%
3	Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)	Audited	India	35.00%	35.00%

II. कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड, एक सहयोगी संस्थान, जहाँ पर मूल बैंक की 37,500 इक्विटी शेयर (30% धारिता) की धारिता है, जिसमें हमारे बैंक की सहायक कंपनी मेसर्स कॉमनवेल्थ न्यास (भारत) लिमिटेड में रु. 53,25,000/– की कुल राशि है ।

निदेशक मंडल ने दिनांक 05.03.2020 के माध्यम से उद्धरण के लिए फ़्लोटिंग अनुरोध (आरएफक्यू) द्वारा 37,500 इक्विटी शेयरों को ऑफलोड करने की अनुमति दी है । तदनुसार, बैंक ने मैसर्स कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की पूर्ण धारिता को समाप्त कर दिया है और 20.03.2020 को सम्पूर्ण बिक्री प्रक्रिया समाप्त हो गई है ।

हमारे बैंक ने कंपनी के बोर्ड से नामित निदेशक का नामांकन वापस ले लिया है तथा दिनांक 08.04.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी को यह सूचित किया गया था कि मेसर्स कॉमनवेल्थ ट्रस्ट (इंडिया) लिमिटेड में बैंक की कोई धारिता नहीं है ।

1.3 संयुक्त उद्यम:

ए. रूस में निगमित कमर्शियल इडों बैंक एल एल सी, मोस्को (पूर्व में वाणिज्यिक बैंक ऑफ इडिंया एलएलसी, मोस्को) संयुक्त उद्यम संस्था के संबंध में जिसमें बैंक का 40% हित है, समेकन 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर किया गया है। संयुक्त उद्यम के लिए लेखा वर्ष दिसंबर 31 को समाप्त होगा।

II. Common wealth Trust (India) Ltd. an Associate in which Parent has holding 37,500 number of Equity Shares (30% holding) total amounting to ₹53,25,000/- in M/s Commonwealth Trust (India) Limited which was one of the associate companies of our Bank.

Board of Directors vide orders dated 05.03.2020 has permitted to offload 37,500 Equity Shares by floating Request for Quote (RFQ). Accordingly Bank has offloaded entire holding in Equity Shares of M/s Commonwealth Trust (India) Limited and entire sale process has been concluded on 20.03.2020.

Our Bank has withdrawn the nomination as Nominee Director from the Board of the Company and it was informed to the company vide letter dated 08.04.2020, as Bank is not holding any Equity Share in M/s Commonwealth Trust (India) Limited.

1.3 Joint Venture

a. In respect of Commercial Indo Bank LLC, Moscow, (formerly Commercial Bank of India LLC., Moscow) the Joint Venture entity, incorporated in Russia wherein the Bank has 40% interest, consolidation has been done based on audited accounts for the year ended 31st March, 2020. The Accounting year for the joint venture ends on 31st December.

बी. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक–27–संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" की आवश्यकता के अनुसार उक्त संयुक्त उद्यम में आस्तियों, देयताओं, आय व व्यय राशि में मूल बैंक के शेयर निम्नवत हैं:–

क. तुलन पत्र :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
पूँजी व देयताएं		
पूँजी	110.97	101.43
आरक्षित निधियाँ तथा अधिशेष	(28.92)	(19.24)
जमा	58.26	39.56
उधार	-	58.78
अन्य देयताएं व प्रावधान	4.69	18.97
कुल	**145.00**	**199.50**
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	0.18	0.51
बैंकों में शेष तथा माँग और अल्पसूचना पर धन	74.75	73.25
निवेश	43.27	93.15
अग्रिम	24.40	27.23
अचल आस्तियाँ	2.00	0.07
अन्य आस्तियाँ	0.40	5.29
कुल	**145.00**	**199.50**
आकस्मिक देयताएं	1.33	7.16

ख. लाभ और हानि खाता :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
आय		
अर्जित ब्याज	9.21	13.51
अन्य आय	6.19	6.04
कुल	**15.40**	**19.55**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.70	4.27
परिचालन व्यय	4.04	9.41
प्रावधान और आकास्मिक व्यय	1.99	7.18
कुल	**7.43**	**20.86**
लाभ	**8.67**	**(1.31)**

b. As required by Accounting Standard (AS) - 27 - "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) the amount of the Assets, Liabilities, Income and Expenses of Parent's share in the said Joint Venture is as under:

A. Balance Sheet

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Capital & Liabilities		
Capital	110.97	101.43
Reserve & Surplus	(28.92)	(19.24)
Deposits	58.26	39.56
Borrowings	-	58.78
Other Liabilities and Provisions	4.69	18.97
TOTAL	**145.00**	**199.50**
Assets		
Cash & Balance with RBI	0.18	0.51
Balance with Banks & Money at Call and Short Notice	74.75	73.25
Investments	43.27	93.15
Advances	24.40	27.23
Fixed Assets	2.00	0.07
Other Assets	0.40	5.29
TOTAL	**145.00**	**199.50**
Contingent Liabilities	1.33	7.16

B. Profit & Loss Account:

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Income		
Interest Earned	9.21	13.51
Other Income	6.19	6.04
TOTAL	**15.40**	**19.55**
Expenditure		
Interest Expended	0.70	4.27
Operating Expenses	4.04	9.41
Provision and Contingencies	1.99	7.18
TOTAL	**7.43**	**20.86**
PROFIT	**8.67**	**(1.31)**

2. अनुषंगियाँ, सहयोगी संस्था व संयुक्त उद्यम प्रचलित सिद्धांत व पद्धति के अनुसार लेखांकन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं जो संबंधित उद्योग / कारोबारी / देशीय आवश्यकताओं के कारण मूल बैंक से कुछ मामलों में अलग हैं । प्रबंधन की राय है, चूँकि इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे समेकित वित्तीय विवरणी में समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

3. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूंजी आरक्षित निधियां / (साख) की अलग विवरणी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी का नाम	31.03.2020	31.03.2019
केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड	2.54	2.54
केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि.	0.25	0.25
निवल पूंजी आरक्षित निधियां	**2.79**	**2.79**

4. **अंतरशाखा लेनदेन और लेखा शेषों का पुष्टीकरण:**

अंतर कार्यालय समाशोधन लेखा के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा स्वतः मूल बैंक के अंतर शाखा / कार्यालय संव्यवहारों के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग किया गया है।

कुछ अनुषंगियों के संबंध में फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेषों का पुष्टीकरण किया जाना है।

5. **स्थिर आस्तियाँ :**

परिसर में ₹38.60 करोड़ की असल लागत वाली (पिछले वर्ष ₹39.93 करोड़) कुछ संपत्तियां शामिल हैं, जिनके अंतरण विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित होने के बावजूद इन्हें प्रयुक्त किया गया है ।

6. **केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड (केनफिना):**

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी जिसकी निवल मालियत पूरी तरह से खत्म हो गई है वह गैर बैंकिंग वित्तीयन कंपनी के किसी भी अन्य कार्य में नहीं लगी है। आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक ने केनफिना की सभी वित्तीय आस्तियों के निपटान के लिए समय को तीन वर्षों के लिए, अर्थात् 31 जनवरी, 2020 तक बढ़ा दिया है। समय का विस्तारण उक्त अवधि के दौरान कंपनी द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कोई भी कार्य नहीं करने की शर्त के अधीन है। भारतीय

2. The Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry/ business / country requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.

3. The breakup of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(₹ in Crore)

Name of the Subsidiary	31.03.2020	31.03.2019
Canbank Factors Limited	2.54	2.54
Canbank Computer Services Limited	0.25	0.25
Net Capital Reserve	**2.79**	**2.79**

4. **Inter Branch transactions and confirmation of balances**

The matching and setting of entries under Inter-Branch/office transactions of the Parent Bank are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

In some of the Group Companies, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. **Fixed Assets**

Premises include certain properties capitalized and carrying book value of ₹38.60 Crore (Previous year ₹39.93 Crore) as they have been put to use though conveyance of title deeds is still to be completed.

6. **Canbank Financial Services Limited (CANFINA)**

Pursuant to the directions of the Reserve Bank of India, Canbank Financial Services Ltd. (CANFINA), a wholly owned Subsidiary whose net worth is totally eroded is not engaged in any of the activities of a Non-Banking Financial Company. Further, Reserve Bank of India, has permitted CANFINA a further extension of three years i.e up to 31st January, 2020 to dispose off the financial assets. The extension of time is subject to the condition that the company

रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केनफिना कंपनी यथा मार्च 2019 को मुख्य व्यवसाय मानदंड (पीबीसी) को पूरा नहीं किया है । इसलिए, वित्तीय आस्तियों के निपटान और एनबीएफसी गतिविधियों के समापन के लिए समय सीमा के विस्तारण की आवश्यकता नहीं है। अनुमत किए गए विस्तारण को ध्यान में रखते हुए केनफिना के वित्त का समेकन कार्यशील संस्था के रूप में किया गया है।

7. संबद्ध पार्टी का प्रकटन :

7.1 संबद्ध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध – मूल – केनरा बैंक

7.1.1 महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक –

I. श्री एल वी प्रभाकर, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.02.2020 से)

II. श्री आर ए शंकर नारायणन, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (15.04.2019 से 31.01.2020 तक)

III. श्री मटम वेंकट राव, कार्यपालक निदेशक

IV. श्री देवाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक

V. सुश्री मणिमेखलै ए, कार्यपालक निदेशक

7.1.2 प्रधान:

i) केनरा बैंक

7.1.3 अनुषंगियाँ–

1	केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
2	केनबैंक वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड
3	केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
4	केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड
5	केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड
6	केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
7	केनरा एचएसबीसी ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड
8	केनरा बैंक (तंजानिया) लिमि.

shall not undertake any NBFC type of activity during the period. The Reserve Bank of India has informed that the Company CANFINA is not meeting Principal Business Criteria (PBC) as on March 2019. Hence, the extension of time limit for disposal of financial assets and winding of NBFC activities is not required. Considering the extension permitted, the financials of CANFINA have been consolidated on going concern basis.

7. Related Party Disclosures

7.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank. Parent - Canara Bank

7.1.1 Key Management Personnel

I. Shri L V Prabhakar, Managing Director & Chief Executive Officer (From 01.02.2020)

II. Shri R A Sankara Narayanan, Managing Director & Chief Executive Officer (From 15.04.2019 to 31.01.2020)

III. Shri Matam Venkata Rao, Executive Director

IV. Shri Debashish Mukherjee, Executive Director

V. Ms. Manimekhalai A, Executive Director

7.1.2 Parent

i) Canara Bank

7.1.3 Subsidiaries

1	Canbank Financial Services Ltd.
2	Canbank Venture Capital Fund Ltd.
3	Canbank Factors Ltd.
4	Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
5	Canbank Computer Services Ltd.
6	Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd.)
7	Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.
8	Canara Bank (Tanzania) Ltd.

7.1.4 संयुक्त उद्यम –

कमर्शियल इंडो बैंक एल एल सी, मॉस्को (पूर्व में कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एल एल सी, मॉस्को)

7.1.5 अनुषंगियाँ:

1	केनफिन होम्स लिमिटेड
	बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2	कर्नाटक ग्रामीण बैंक (तत्कालीन प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)
3	केरल ग्रामीण बैंक (तत्कालीन साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक)

उच्च शिक्षा निधियन एजेंसी (एच ई एफ ए)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.सं.वि.मं.), भारत सरकार ने विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए और देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी आदि जैसे संस्थानों में अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष उद्देश्य के माध्यम से एक मंच प्रदान करने का इरादा किया है।

इसके आधार पर मा.सं.वि.मं. ने रु. 2000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (गैर लाभकारी) के तहत पंजीकृत एक संयुक्त उद्यम कंपनी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना का प्रस्ताव रखा। मा.सं.वि.मं. ने रु.1,000 करोड़ और केनरा बैंक ने रु.100 करोड़ का योगदान दिया है।

इसके बाद, मा.सं.वि.मं. ने एचईएफए इक्विटी बेस के मौजूदा शासनादेश और वित्तपोषित संस्थानों की सीमा को बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को रु. 10,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें सरकार रु. 5,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक रु. 500 करोड़ का योगदान देगा। यथा 31.03.2020 तक, मा.सं.वि.मं. ने रु. 4612.50 करोड़ की पूंजी लगाई है और केनरा बैंक ने क्रमशः 461.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। यथा 31.03.2020 तक, कंपनी ने रु.7,630.10 करोड़ के संवितरण के साथ रु.29,233.84 करोड़ की सावधि ऋण को मंजूरी दी है।

धारा 8 कंपनी के रूप में इसके पंजीकरण के आधार पर, इसके किसी भी सदस्य को इसके लाभ का अधिकार देने के लिए निषिद्ध है। इसके अलावा, निवेशकर्ता को किसी भी तरह के रिटर्न पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, प्रधान बैंक के वित्तीय विवरणों के समेकन में संस्थान के परिणाम पर विचार नहीं किया गया है।

7.1.4 Joint Ventures

Commercial Indo Bank LLC. Moscow (formerly Commercial Bank of India LLC. Moscow)

7.1.5 Associates

1	Canfin Homes Ltd.
	Regional Rural Banks sponsored by the Bank
2	Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank)
3	Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)

HIGHER EDUCATION FUNDING AGENCY (HEFA)

The Ministry of Human Resources Development (MHRD), GoI with an object to build world-class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT etc of the country.

Based on this the MHRD proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company registered under Section 8 of Companies Act 2013 (Not-for Profit) with an initial authorized capital of ₹2000 Crore. MHRD has contributed ₹1,000 Crore. and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 Crore.

Subsequently, MHRD extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 Crore wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 Crore. and Canara Bank will contribute ₹500 Crore. as on 31.03.2020, MHRD has infused Capital of ₹4612.50 Crore. and Canara Bank has contributed ₹461.25 Crore, respectively. As at 31.03.2020, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹29,233.84 Crore with a disbursement at ₹7,630.10 Crore.

By virtue of its registration as a Section 8 Company, it is prohibited to give any right over its profits to any of its members. Further, there is no right over any kind of returns from investee. Hence, the Entity results are not considered in Consolidation of Parent's Financial Statements.

7.1.6 मुख्य प्रबंधन कार्मिक के संव्यवहारों का प्रकटीकरण निम्नवत है:

(i) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के लिए पारिश्रमिक निम्नानुसार है :

नाम	पदनाम	2019-20	2018-19
श्री एल वी प्रभाकर	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.02.2020 से)	5,21,716.00	-
श्री आर ए शंकर नारायणन	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (15.04.2019 से 31.01.2020 तक)	33,97,944.98	-
श्री राकेश शर्मा	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (31.07.2018 तक)	-	17,17,423.60
श्रीमती पी. वी. भारती	कार्यपालक निदेशक (31.01.2019 तक)	-	26,14,949.13
श्री मटम वेंकट राव	कार्यपालक निदेशक	28,53,332.00	28,51,820.78
श्री देवाशीष मुखर्जी	कार्यपालक निदेशक	28,11,214.00	26,33,162.36
सुश्री मणिमेखलै ए	कार्यपालक निदेशक	27,29,904.84	3,54,357.70
कुल		**1,23,14,111.82**	**1,01,71,713.57**

लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों तथा उनके संबंधियों के लेन–देन सहित बैंकर–ग्राहक संबंध प्रकृति के लेन–देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

7.1.6 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

(i) Remuneration to Key Management Personnel is as under:

Name	Designation	2019-20	2018-19
Sri L V Prabhakar	Managing Director & Chief Executive Officer (From 01.02.2020)	5,21,716.00	-
Sri R A Sankara Narayanan	Managing Director & Chief Executive Officer (From 15.04.2019 to 31.01.2020)	33,97,944.98	-
Sri Rakesh Sharma	Managing Director & Chief Executive Officer (Till 31.07.2018)	-	17,17,423.60
Smt. P V Bharathi	Executive Director (Till 31.01.2019)	-	26,14,949.13
Sri Matam Venkata Rao	Executive Director	28,53,332.00	28,51,820.78
Sri Debashish Mukherjee	Executive Director	28,11,214.00	26,33,162.36
Ms. Manimekhalai A	Executive Director	27,29,904.84	3,54,357.70
Total		**1,23,14,111.82**	**1,01,71,713.57**

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

8. प्रति शेयर अर्जन :

8.1 प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन

विवरण	2019-20	2018-2019
मूल और तनुकृत ई पी एस (रु)	(23.55)	8.18

8. Earnings Per Share:

8.1 Basic and Diluted Earnings Per Share:

Particulars	2019-20	2018-2019
Basic and Diluted EPS (₹)	(23.55)	8.18

8.2 ईपीएस की गणना :

	विवरण	2019-20	2018-19
क	ईक्विटी शेयरधारकों हेतु स्त्रोतजन्य वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (₹ करोड़ में)	(1986.43)	601.85
ख	ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	84.35	73.62
ग	यथा 31 मार्च को बकाया शेयरों की संख्या (करोड़ में)	103.02	75.32
घ	प्रति शेयर मूल व तनुकृत अर्जन (क/ख) (रु)	(23.55)	8.18
ङ	प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (रु)	10.00	10.00

8.2 Computation of EPS

	Designation	2019-20	2018-19
A	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore)	(1986.43)	601.85
B	Weighted Average Number of Equity Shares (Crore)	84.35	73.62
C	No. of Shares outstanding as on 31st March (Crore)	103.02	75.32
D	Basic and Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	(23.55)	8.18
E	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

9. आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं :

यथा 31.03.2020 को निवल आस्थगित कर देयता रु. 3852.27 करोड़ थी (यथा 31.03.2019 को 3387.90 करोड़ रु)। आस्थगित कर आस्तियां व आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

विवरण	आस्थगित कर आस्तियां		आस्थगित कर देयता	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
				(₹ in Crore)
उपचित ब्याज लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
छुट्टी नकदीकरण / उपदान	444.14	399.13	0.00	0.00
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.43	18.15	0.00	0.00
निवेश पर मूल्यह्रास	2.11	1.61	1721.66	1721.66
वायदा संविदा पर अप्राप्य लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00
अग्रिम के लिए प्रावधान	6454.87	4463.37	0.00	0.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(श्त्त्) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधियों पर डीटीएल	0.00	0.00	1397.76	1397.66
अन्य	70.29	1625.06	0.14	0.00
आस्थगित कर आस्तियां / देयताएं	**6971.84**	**6507.32**	**3119.56**	**3119.42**

9. Deferred Tax Assets and Liabilities

Net Deferred Tax Assets computed as on 31.03.2020 amounted to ₹3852.27 Crore (₹ 3387.90 Crore as on 31.03.2019). The components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

Particulars	Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liability	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
				(₹ in Crore)
Interest accrued but not due on Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Leave Encashment / Gratuity	444.14	399.13	0.00	0.00
Depreciation on Fixed Assets	0.43	18.15	0.00	0.00
Depreciation on Investments	2.11	1.61	1721.66	1721.66
Unrealised gain on Forward contracts	0.00	0.00	0.00	0.00
Provision made for Advances	6454.87	4463.37	0.00	0.00
DTL on Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961	0.00	0.00	1397.76	1397.66
Others	70.29	1625.06	0.14	0.00
Deferred Tax Asset / Liability	**6971.84**	**6507.32**	**3119.56**	**3119.42**

10. वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधानों व आकस्मिकताओं का विवरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
निवेश व एन पी आई में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(211.63)	369.55
एन पी ए के प्रति प्रावधान	10658.51	12734.22
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	380.46	407.80
कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	509.00	(2658.55)
उचित मूल्य के ह्रास के लिए प्रावधान	75.13	(156.16)
आस्ति की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	51.44	0.00
देश ऋण जोखिम के लिए प्रावधान	0.00	(4.33)
अन्य आकस्मिकताएं तथा प्रावधान – निवल	233.60	(286.01)
कुल	**11696.51**	**10406.52**

10. Details of Provisions and Contingencies made during the year:

(₹ in Crore)

Particulars	31.03.2020	31.03.2019
Provision for Depreciation on Investment and NPI	(211.63)	369.55
Provision towards NPA	10658.51	12734.22
Provision towards Standard Asset	380.46	407.80
Provision for Tax (Including Deferred Tax)	509.00	(2658.55)
Provision for Diminution in Fair Value	75.13	(156.16)
Provision for assets doubtful of recovery	51.44	0.00
Provision for Country Risk Exposure	0.00	(4.33)
Other Provision and Contingencies - Net	233.60	(286.01)
TOTAL	**11696.51**	**10406.52**

11. समेकित खण्ड रिपोर्टिंग

भाग– क – कारोबार खण्ड (₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2020	31.03.2019
(1)	**खण्ड राजस्व**		
क	कोषागार परिचालन	13274.17	13024.60
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	22524.69	19623.91
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	20566.31	21260.96
घ	जीवन बीमा परिचालन	4643.15	3477.84
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
च	गैर आबंटित	549.83	470.95
	कुल	**61558.15**	**57858.26**
	घटायें : अंतर खंड राजस्व	0.00	0.00
	परिचालन से आय	**61558.15**	**57858.26**
(2)	**खण्ड परिणाम**		
क	कोषागार परिचालन	3743.35	3593.41
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	2979.00	3199.91
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	2254.50	3503.08
घ	जीवन बीमा परिचालन	171.30	165.21
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
	कुल	**9148.15**	**10461.61**
च	गैर–आबंटित आय / व्यय (प्रावधान व आकस्मिकताओं सहित)	(10661.66)	(12573.02)
	कर से पहले कुल लाभ	**(1513.51)**	**(2111.41)**
	आय कर	509.00	(2658.55)
	निवल लाभ	**(2022.51)**	**547.14**
	जोड़ें : सहयोगी संस्थाओं में अर्जन का हिस्सा	**101.50**	**148.91**
	घटाएं : अल्पसंख्यक हित	**65.42**	**94.20**
	वर्ष के दौरान समूह के लिए समेकित लाभ/(हानि)	**(1986.43)**	**601.85**
	खंड आस्तियां		
क	कोषागार परिचालन	197678.30	176693.30
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	210806.46	198309.39
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	272200.68	278287.06
घ	जीवन बीमा परिचालन	15946.15	15473.46
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
च	गैर–आबंटित आस्तियां	44808.68	43019.60
	कुल आस्तियां	**741440.27**	**711782.81**
	खंड देयता		
क	कोषागार परिचालन	185490.74	176069.35
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	205793.65	188754.36
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	264120.35	259572.49
घ	जीवन बीमा परिचालन	15341.54	14393.04
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
च	गैर–आबंटित देयताएं	29488.04	35304.34
	कुल देयता	**700234.32**	**674093.58**
(3)	**नियोजित पूंजी**		
क	कोषागार परिचालन	12187.57	623.95
ख	खुदरा बैंकिंग परिचालन	5012.81	9555.03
ग	थोक बैंकिंग परिचालन	8080.33	18714.57
घ	जीवन बीमा परिचालन	604.61	1080.42
ङ	अन्य बैंकिंग परिचालन	0.00	0.00
च	गैर आबंटित	15320.63	7715.26
	कुल	**41205.95**	**37689.23**

11. Consolidated Segment Reporting:

Part A-Business Segment (₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2020	31.03.2019
(1)	**Segment Revenue**		
A	Treasury Operations	13274.17	13024.60
B	Retail Banking Operations	22524.69	19623.91
C	Wholesale Banking Operations	20566.31	21260.96
D	Life Insurance Operation	4643.15	3477.84
E	Other Banking Operation	0.00	0.00
F	Unallocated	549.83	470.95
	Total	**61558.15**	**57858.26**
	Less: Inter Segment Revenue	0.00	0.00
	Income from Operations	**61558.15**	**57858.26**
(2)	**Segment Results**		
A	Treasury Operations	3743.35	3593.41
B	Retail Banking Operations	2979.00	3199.91
C	Wholesale Banking Operations	2254.50	3503.08
D	Life Insurance Operation	171.30	165.21
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
	Total	**9148.15**	**10461.61**
F	Unallocated Income / Expenses (including provisions and contingencies)	(10661.66)	(12573.02)
	Total Profit before Tax	**(1513.51)**	**(2111.41)**
	Income Tax	509.00	(2658.55)
	Net Profit	**(2022.51)**	**547.14**
	Add: Share of Earning in Associates	**101.50**	**148.91**
	Less: Minority Interest	**65.42**	**94.20**
	Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the Group	**(1986.43)**	**601.85**
	Segment Assets		
A	Treasury Operations	197678.30	176693.30
B	Retail Banking Operations	210806.46	198309.39
C	Wholesale Banking Operations	272200.68	278287.06
D	Life Insurance Operation	15946.15	15473.46
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated Assets	44808.68	43019.60
	Total Assets	**741440.27**	**711782.81**
	Segment Liabilities		
A	Treasury Operations	185490.74	176069.35
B	Retail Banking Operations	205793.65	188754.36
C	Wholesale Banking Operations	264120.35	259572.49
D	Life Insurance Operation	15341.54	14393.04
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated Liabilities	29488.04	35304.34
	Total Liabilities	**700234.32**	**674093.58**
(3)	**Capital Employed**		
A	Treasury Operations	12187.57	623.95
B	Retail Banking Operations	5012.81	9555.03
C	Wholesale Banking Operations	8080.33	18714.57
D	Life Insurance Operations	604.61	1080.42
E	Other Banking Operations	0.00	0.00
F	Unallocated	15320.63	7715.26
	Total	**41205.95**	**37689.23**

भाग– ख भौगोलिक खण्ड:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2020	31.03.2019
क	**राजस्व**		
	घरेलू	60187.89	56436.18
	अंतरराष्ट्रीय	1370.26	1422.08
	कुल	**61558.15**	**57858.26**
ख	**आस्तियां**		
	घरेलू	689650.55	650710.17
	अंतरराष्ट्रीय	51789.72	61072.64
	कुल	**741440.27**	**711782.81**

12. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहयोगी संस्थाओं के संचित लाभ / हानि में मूल संस्था का हिस्सा आंकने के बाद समूह की समेकित आरक्षित निधियां रु. 40175.72 करोड़ है जिनमें से रु. 38262.73 करोड़ रु मूल संस्था के हैं और शेष रु. 1912.99 करोड़ अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के हैं (पिछले वर्ष रु. 36935.99 करोड़ जिसमें से रु. 35423.99 करोड़ मूल संस्था के तथा शेष रु. 1512.00 करोड़ अनुषंगियां, संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्थाओं के थे)।

13. मूल संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरणी का सच्ची एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए उन मदों की सूचना का, जो महत्वपूर्ण नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया है ।

14. लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि:

वर्ष के समापन पर आस्तियों के हानि की समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह अपेक्षा करते हैं कि आस्ति की वहन राशि वसूली–योग्य नहीं है । धारित व प्रयुक्त की जाने वाली आस्ति की वसूली–योग्यता को आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न होने हेतु संभावित फ्यूचर निवल भुनाये गये नकद प्रवाह की तुलना करने के द्वारा मापा जाना है । यदि ऐसी आस्ति को हानि माना जाए तो उस हानि को आस्ति के वसूली–योग्य राशि से अधिक हुए आस्ति के

Part B – Geographical Segment

(₹ in Crore)

	PARTICULARS	YEAR ENDED	
		31.03.2020	31.03.2019
a	**Revenue**		
	Domestic	60187.89	56436.18
	International	1370.26	1422.08
	Total	**61558.15**	**57858.26**
b	**Assets**		
	Domestic	689650.55	650710.17
	International	51789.72	61072.64
	Total	**741440.27**	**711782.81**

12. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Venture amount to ₹40175.72 Crore of which ₹38262.73 Crore relate to the Parent and the balance ₹1912.99 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Previous year ₹36935.99 Crore of which ₹35423.99 Crore relate to the Parent and the balance ₹1512.00 Crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Venture).

13. Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

14. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired,

वहन राशि द्वारा मान्यता दी जानी है और मापा जाना है । यद्यपि, बैंक के प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखांकन मानक 28 – आस्तियों की हानि'' लागू है, उस वर्ष के दौरान आस्तियों के भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है ।

15. कोविड – 19 महामारी भारत सहित कई देशों में फैली हुई है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आई है और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 से लॉक डाउन उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है, जिसे समय–समय पर 30 जून, 2020 तक बढ़ाया गया है। भारत सरकार ने लॉकडाउन को जांचने और क्रमिक स्थगन के लिए और आर्थिक गतिविधियों को आशिंक रूप से फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है।

    स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के लिए मुख्य चुनौतियां नकदी प्रवाह और विस्तारित पूंजी चक्रों को खत्म करने से उत्पन्न होंगी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंक पूर्ण रूप से तैयार है । प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय परिणामों में कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वर्तमान वित्तीय वर्ष को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं करता है।

    इन घटनाओं और स्थितियों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों और वर्तमान कार्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आकंड़ों को पुन: समूहित/ पुन: व्यवस्थित / पुन: वर्गीकृत किया गया है।

the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

15. Covid - 19 Pandemic continues to spread across several countries including India resulting in a significant volatility in Global as well as Indian financial markets and a significant decline in global & local economic activities. The Govt. of India has announced a series of lock down measures from March 24, 2020 onwards which have been extended from time to time up to 30th June, 2020. Govt. of India has directed a calibrated and gradual withdrawal of lockdown and partial resumption of economic activities.

    The situation continues to be uncertain and the Bank is evaluating the situation on ongoing basis. The major identified challenges for the Bank would arise from eroding cash flows and extended capital cycles. The bank is gearing itself on all the fronts to meet these challenges. The management believes that no adjustments are required in the financial results as it does not significantly impact the current financial year.

    Despite these events and conditions, there would not be any significant impact on Bank's results in future and going concern assumptions as at presently made.

16. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary

आर महेंद्रन
मंडल प्रबंधक

अरविंद कुमार
सहायक महा प्रबंधक

वी रामचंद्र
मुख्य महा प्रबंधक

ए. मणिमेखलै
कार्यपालक निदेशक

देवाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

कृष्णन एस
कार्यपालक निदेशक

एम वी राव
कार्यपालक निदेशक

एल.वी. प्रभाकर
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टी एन मनोहरन
अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर
निदेशक

बिमल पी शर्मा
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते
डागलिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 000671S

(पी मनोहर गुप्तां)
साझेदार
सदस्याता सं. 016444

कृते
कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 001420S / S200034

(के मोहन आचार्य)
साझेदार
सदस्याता सं. 029082

कृते
डी के छाजर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 304138E

(जगन्नाथ प्रसाद मोहापात्रो)
साझेदार
सदस्याता सं. 217012

कृते
एस एन के एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 109176W

(अंकित डी दानावाला)
साझेदार
सदस्याता सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

R MAHENDRAN
DIVISIONAL MANAGER

ARVIND KUMAR
ASST. GENERAL MANAGER

V RAMACHANDRA
CHIEF GENERAL MANAGER

A. MANIMEKHALAI
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

KRISHNAN S
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. RAO
EXECUTIVE DIRECTOR

L.V. PRABHAKAR
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

T.N. MANOHARAN
CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER
DIRECTOR

BIMAL P SHARMA
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **DAGLIYA & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 000671S

(P Manohara Gupta)
Partner
Membership No. 016444

For **KOMANDOOR & CO. LLP**
Chartered Accountants
FRN : 001420S / S200034

(K Mohan Acharya)
Partner
Membership No. 029082

For **D. K. CHHAJER & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 304138E

(Jagannath Prasad Mohapatro)
Partner
Membership No.217012

For **S N K & CO.**
Chartered Accountants
FRN : 109176W

(Ankit D. Danawala)
Partner
Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 24.06.2020

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

		31–मार्च–2020 31-Mar-20	31–मार्च–2019 31-Mar-19
I. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES			
करों के बाद निवल लाभ / Net profit after Taxes		(1986.43)	601.85
समायोजन: / ADJUSTMENTS FOR:			
कर के लिए प्रावधान / Provisions for Tax		509.00	(2658.55)
निवेश मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provision for Investment Depreciation		(572.96)	369.55
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non-Performing Assets		10733.64	12734.22
घटाएं : अन्य आरक्षित निधियों से आहरित की गई राशि / Less: Amount Drawn from the Other Reserves		(1169.55)	(322.40)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard Asset		380.46	407.80
आकस्मिक व्यय और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for Contingencies and Others		646.36	(576.13)
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Fixed Assets		445.91	428.83
निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on Revaluation of Investments		(1.74)	(0.80)
टियर I और टियर II बॉन्ड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds		1116.44	1176.58
निवेश की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on Sale of Investments		(716.12)	(424.41)
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on Sale of Fixed Assets		1.34	2.86
उप – कुल / Sub total		**9386.35**	**11739.40**
समायोजन : / ADJUSTMENTS FOR :			
जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Deposits		26285.30	74276.04
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Borrowings		(680.37)	2698.44
निवेश में वृद्धि / (कमी) / (Increase)/ Decrease in Investments		(22978.53)	(10638.14)
अग्रिम में वृद्धि / (कमी) / (Increase)/ Decrease in Advances		(4288.61)	(46040.19)
अन्य आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (Increase)/ Decrease in Other Assets		1424.04	(5453.82)
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Other Liabilities and Provisions		(13622.42)	(7276.36)
अल्पांश ब्याज में वृद्धि / (कमी) / Increase/ (Decrease) in Minority Interest		62.23	146.07
कराधान से पहले परिचालन गतिविधि से नकद प्रवाह Cash flow from operating activity before taxation		**(4412.01)**	**19451.44**
घटाएं : प्रदत्त अग्रिम कर / Less: Advance Tax paid		876.42	1214.72
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	**(ए) (A)**	**(5288.43)**	**18236.72**
II. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES			
अनुषंगियों / सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों में निवेश में वृद्धि / कमी (Increase) / Decrease in Investment in Subsidiaries/Associates/JVs		(271.43)	(171.14)
अचल आस्तियों में वृद्धि / (कमी) / (Increase) / Decrease in Fixed Assets		(337.82)	(605.72)
अन्य आरक्षित निधियों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other Reserve		197.72	46.46
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES	**(बी) (B)**	**(411.53)**	**(730.40)**
III. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES			
शेयर पूंजी / Share Capital		276.99	20.00
शेयर प्रीमियम / Share Premium		6231.72	537.29
गौण बॉण्ड में वृद्धि / कमी / Increase/Decrease in Sub-ordinated Bonds		2400.00	(565.30)
आवंटन के लिये बकाया आवेदन राशि / Share Application Money Pending for Allotment		0.00	0.00
टियर I और टियर II बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान Payment of interest on Tier I and Tier II bonds		(1116.44)	(1176.58)
उस पर प्रदत्त कर सहित प्रदत्त लाभांश / Dividends paid including tax paid thereon		0.00	0.00
वित्तीय गतिविधियों निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**(सी) (C)**	**7792.27**	**(1184.59)**

IV विदेशी मुद्रा उतार– चढ़ाव के कारण नकद प्रवाह IV CASH FLOW ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION		
विदेशी मुद्रा उतार– चढ़ाव आरक्षित निधियां / Reserves of Foreign Currency Fluctuation	(33.73)	(15.09)
विदेशी मुद्रा उतार– चढ़ाव के कारण निवल नकद प्रवाह (डी) **NET CASH FLOWS ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION (D)**	(33.73)	(15.09)
नकद और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (ए + बी + सी + डी) Net Increase/ (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D)	**2058.58**	**16306.64**
प्रारंभिक नकद और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents	**66531.24**	**50224.60**
अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents	**68589.82**	**66531.24**

नोट / Notes:

शेष नकद, आरबीआई व अन्य बैंकों में शेष तथा मांग व लघु सूचना पर राशि सहित नकद व नकद तुल्य

Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice:

नकद व नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents	31.03.2020	31.03.2019
आरबीआई में शेष व नकद / Cash & Balance with RBI	22572.96	29921.43
बैंकों में शेष तथा मांग व अल्प सूचना पर राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	46016.86	36,609.81
कुल / Total	**68589.82**	**66531.24**

आर महेंद्रन मंडल प्रबंधक | **अरविंद कुमार** सहायक महा प्रबंधक | **वी रामचंद्र** मुख्य महा प्रबंधक | **ए. मणिमेखलै** कार्यपालक निदेशक | **देवाशीष मुखर्जी** कार्यपालक निदेशक

कृष्णन एस कार्यपालक निदेशक | **एम वी राव** कार्यपालक निदेशक | **एल.वी. प्रभाकर** प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी | **टी एन मनोहरन** अध्यक्ष

सुचीन्द्र मिश्रा निदेशक | **आर केशवन** निदेशक | **वेंकटाचलम रामकृष्ण अय्यर** निदेशक | **बिमल पी शर्मा** निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **डागलिया एण्ड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 000671S
(पी मनोहर गुप्तां) साझेदार सदस्याता सं. 016444

कृते **कोमंदूर एण्ड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 001420S / S200034
(के मोहन आचार्य) साझेदार सदस्याता सं. 029082

कृते **डी के छाजर एंड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 304138E
(जगन्नाथ प्रसाद मोहपात्र) साझेदार सदस्याता सं. 217012

कृते **एस एन के एण्ड कंपनी** सनदी लेखाकार फर्म सं : 109176W
(अंकित डी दानावाला) साझेदार सदस्याता सं. 119972

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 24.06.2020

R MAHENDRAN DIVISIONAL MANAGER | **ARVIND KUMAR** ASST. GENERAL MANAGER | **V RAMACHANDRA** CHIEF GENERAL MANAGER | **A. MANIMEKHALAI** EXECUTIVE DIRECTOR | **DEBASHISH MUKHERJEE** EXECUTIVE DIRECTOR

KRISHNAN S EXECUTIVE DIRECTOR | **M. V. RAO** EXECUTIVE DIRECTOR | **L.V. PRABHAKAR** MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER | **T.N. MANOHARAN** CHAIRMAN

SUCHINDRA MISRA DIRECTOR | **R KESAVAN** DIRECTOR | **VENKATACHALAM RAMAKRISHNA IYER** DIRECTOR | **BIMAL P SHARMA** DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **DAGLIYA & CO.** Chartered Accountants FRN : 000671S
(P Manohara Gupta) Partner Membership No. 016444

For **KOMANDOOR & CO. LLP** Chartered Accountants FRN : 001420S / S200034
(K Mohan Acharya) Partner Membership No. 029082

For **D. K. CHHAJER & CO.** Chartered Accountants FRN : 304138E
(Jagannath Prasad Mohapatro) Partner Membership No.217012

For **S N K & CO.** Chartered Accountants FRN : 109176W
(Ankit D. Danawala) Partner Membership No. 119972

PLACE : BENGALURU
DATE : 24.06.2020

लाभांश वितरण नीति

बैंक निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अंतर्गत लाभांश की घोषणा और वितरण कर सकता है:

- **पात्रता मापदंड :**
  - ➢ **बैंक के पास निम्नलिखित का होना आवश्यक है:**
  - ✓ दो पूर्ण वर्षों से पहले और लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखता है।
  - ✓ निवल एनपीए 7% से कम ।
  - ✓ यदि कोई बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानक को पूरा नहीं करता है, लेकिन उसके पास लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर है, जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव रखता है, तो यह लाभांश घोषित करने के पात्र होगा, बशर्ते कि उसका नेट एनपीए अनुपात 5% से कम हो ।

    बशर्ते कि बैंकों को 2.5% की पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें 9% की नियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के ऊपर कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी शामिल होती है। जब बैंकों का पूंजीगत स्तर न्यूनतम आवश्यकताओं के करीब पहुंचता है तो वितरण में बाधा तब आती है जब उनकी पूंजी का सीमा स्तर में बढ़ जाता है। नीचे दी गई तालिका में, कॉमन ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात के विभिन्न स्तरों पर बैंक द्वारा पूर्ति करने योग्य न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात दर्शाया गया है

प्रत्येक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानदंड	
वर्तमान अवधि प्रतिधारित उपार्जन को शामिल करने के बाद सामान्य इक्विटी टियर 1 का अनुपात	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (कमाई का % के रूप में व्यक्त)
31 मार्च 2019 और उसके बाद	
5.5% – 6.125%	100%
>6.125% – 6.75%	80%
>6.75% – 7.375%	60%
>7.375% – 8.0%	40%
>8.0%	0%

सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात में 5.5% की न्यूनतम सामान्य

Dividend Distribution Policy

Bank can declare and distribute dividend subject to the fulfillment of following conditions:

- **Eligibility Criteria:**
  - ➢ **The bank should have:**
  - ✓ CRAR of at least 9% for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.
  - ✓ Net NPA less than 7%.

    In case any bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend provided its Net NPA ratio is less than 5%.

    Provided, Banks are required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. The distribution constraints imposed on banks when their capital levels fall into the range increase as the banks' capital levels approach the minimum requirements. The below table shows the minimum capital conservation ratios a bank must meet at various levels of the Common Equity Tier 1 capital ratios.

Minimum capital conservation standards for individual bank	
Common Equity Tier 1 Ratio after including the current periods retained earnings	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as % of earnings)
As on March 31, 2019 and onwards	
5.5% - 6.125%	100%
>6.125% - 6.75%	80%
>6.75% - 7.375%	60%
>7.375% - 8.0%	40%
>8.0%	0%

The Common Equity Tier 1 ratio includes amounts

इक्विटी टियर 1 पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशियाँ शामिल हैं, लेकिन 7% टियर 1 और 9% कुल पूँजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर 1 को शामिल नहीं किया गया है ।

इसके अलावा, भारत में निगमित अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के लिए प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) के तहत पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जैसा कि संबंधित अधिकार–क्षेतों में मेजबान पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित किया जाता है । बैंकों को विवेकाधीन वितरण पर प्रतिबंध के अधीन किया जाएगा (इसमें लाभांश भुगतान, शेयर बायबैक और स्टाफ बोनस भुगतान शामिल हो सकते हैं) यदि वे प्रतिवर्गीय पूंजी बफर पर आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं जो पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की आवश्यकता का एक विस्तार है । 2.5% के सीसीबी की समवर्ती आवश्यकता और कुल आरडब्लुए के 2.5% के सीसीसीबी की आवश्यकता को मानते हुए धारित सी ई टी 1 पूंजी के विभिन्न स्तरों पर बैंक का आपेक्षित संरक्षण अनुपात (विवेकाधीन संवितरण पर प्रतिबंध) निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

व्यक्तिगत बैंक न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, 2.5% प्रत्येक पूंजी संरक्षण बफर और सीसीसीबी की आवश्यकता मानते हुए

सामान्य इक्विटी टायर 1 अनुपात बॉन्ड्स	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (उपार्जन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)
>5.5% – 6.75%	100%
>6.75% – 8.0%	80%
>8.0% – 9.25%	60%
>9.25% – 10.50%	40%
>10.50%	0%

सीईटी 1 अनुपात बैंड उस समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक सीसीबी और सीसीसीबी के 25% की वृद्धि में संरचित हैं ।

इसके अलावा, लाभांश की घोषणा आरबीआई द्वारा अपने परिपत्र डीबीएस.सीओ.पीपीडी.बीसी.सं.8/11.01.005/2016–17 दिनांक 13 अप्रैल 2017 को "संशोधित सुधारात्मक कार्रवाई ढ़ांचा (पीसीए)" पर लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है । 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकों के वित्तीय आधार पर संशोधित पीसीए ढांचे के प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे ।

बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे ने संकेतक को पूंजी, संपत्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए ट्रैक करने के लिए दिया था । परिपत्र में उल्लिखित संकेतकों के आधार पर, जोखिम सीमा को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया

used to meet the minimum Common Equity Tier 1 capital requirement of 5.5%, but excludes any additional Common Equity Tier 1 needed to meet the 7% Tier 1 and 9% Total Capital requirements.

Provided further that, Banks incorporated in India having international presence are required to maintain adequate capital under Countercyclical Capital Buffer (CCCB) as prescribed by the host supervisors in respective jurisdictions. Banks will be subject to restrictions on discretionary distributions (may include dividend payments, share buybacks and staff bonus payments) if they do not meet the requirement on countercyclical capital buffer which is an extension of the requirement for Capital Conservation Buffer (CCB). Assuming a concurrent requirement of CCB of 2.5% and CCCB of 2.5% of total RWAs, the required conservation ratio (restriction on discretionary distribution) of a bank, at various levels of CET1 capital held is illustrated in the following table:

Individual bank minimum capital conservation ratios, assuming a requirement of 2.5% each of capital conservation buffer and CCCB

Common Equity Tier 1 Ratio bands	Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a percentage of earnings)
>5.5% - 6.75%	100%
>6.75% - 8.0%	80%
>8.0% - 9.25%	60%
>9.25% - 10.50%	40%
>10.50%	0%

The CET 1 ratio bands are structured in increments of 25% of the required CCB and CCCB prescribed by the Reserve Bank of India at that point in time.

Also, the declaration of dividend is further subject to the restrictions imposed by RBI vide its Circular DBS.CO.PPD. BC.No.8/11.01.005/2016-17 dated April 13th 2017 on “Revised Prompt Corrective Action Framework” (PCA). The provisions of the revised PCA framework will be effective from April 1, 2017 based on the financials of the banks for the year ended March 31, 2017.

The Revised Prompt Corrective Action (PCA) framework for Banks had given the indicators to be tracked for capital, asset quality and profitability. Based on the indicators mentioned in the Circular,

है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है और बैंक द्वारा उक्त जोखिम सीमा का उल्लंघन करने पर की जा सकने वाली अनिवार्य कार्रवाई ।

risk thresholds have been classified into three categories as given in the table below and the mandatory action that would be taken when a bank breaches the said risk threshold.

जोखिम सीमा के तहत वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न संकेतक :

क्षेत्र	संकेतक	जोखिम सीमा 1	जोखिम सीमा 2	जोखिम सीमा 3
पूंजी (सीआरएआर या सीईटी1 का भंग पीसीए को उत्प्रेरित करेगा	सीआरएआर (सीसीबी सहित)	<10.25% किंतु >=7.75%	<7.75 किंतु >=6.25%	–
	और /या			
	सीईटी 1 पूंजी (सीसीबी सहित)	<6.75% किंतु >=5.125%	<5.125% किंतु >=3.625%	<3.625%
आस्ति गुणवत्ता	निवल गैर अनर्जक आस्ति अनुपात	>=6.0% किंतु <9.0%	>=9.0% किंतु < 12.0%	>=12.0%
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिलाभ	लगातार दो वर्षों तक नकारात्मक आरओए	लगातार तीन वर्षों तक नकारात्मक आरओए	लगातार चार वर्षों तक नकारात्मक आरओए
लीवरेज	लीवरेज अनुपात	<=4.0% किंतु > = 3.5%	< 3.5%	––

The various indicators for classifying under risk thresholds:

Area	Indicator	Risk Threshold1	Risk Threshold2	Risk Threshold3
Capital (Breach of either CRAR or CET1 would trigger PCA	CRAR(including CCB)	<10.25% but >=7.75%	<7.75 but >=6.25%	-
	And/or			
	CET1 capital (including CCB)	<6.75% but >=5.125%	<5.125% but >=3.625%	<3.625%
Asset quality	Net NPA Ratio	>=6.0% but <9.0%	>=9.0% but < 12.0%	>=12.0%
Profitability	Return on Assets	Negative ROA for two consecutive years	Negative ROA for three consecutive years	Negative ROA for four consecutive years
Leverage	Leverage Ratio	<=4.0% but > = 3.5%	< 3.5%	--

विभिन्न जोखिम सीमा के आधार पर, बैंकों के खिलाफ कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाई शुरू की जाएगी। अनिवार्य कार्रवाई में अन्य कार्यवाई के अलावा, जोखिम सीमा जिसके तहत बैंक का वर्गीकरण किया गया है पर लिहाज किए बिना, लाभांश वितरण पर प्रतिबंध शामिल है

- बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 और 17 के प्रावधानों का पालन करना चाहिए
- बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रचलित नियमों / दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें संपत्ति की क्षति और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाना, सांविधिक आरक्षिति में लाभ का हस्तांतरण आदि शामिल हैं।

Based on the various risk thresholds, certain mandatory and discretionary actions would be initiated against Banks. The mandatory actions amongst others include the restriction on dividend distribution irrespective of the risk threshold under which a Bank is classified.

- The bank should comply with the provisions of Sections 15 and 17 of the Banking Regulation Act, 1949
- The bank should comply with the prevailing regulations/ guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc

➢ प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ से देय होना चाहिए ।

➢ रिज़र्व बैंक को लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

➢ लाभांश की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार / वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश या संसूचना के अधीन होगी।

➢ ***वर्तमान में, भारत सरकार के 24 जनवरी, 2018 की संसूचना के आधार पर, बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार को एक वचनपत्र दिया है कि वह वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी लाभांश का भुगतान नहीं करेगा।***

● देय लाभांश की मात्रा :

➢ लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा:

➢ The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.

➢ The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the bank for declaration of dividends.

➢ The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI/Government of India/Ministry of Finance from time to time.

➢ ***At present, based on the GOI communication dated 24th January, 2018, Bank has given an undertaking to DFS, GOI that it will not make any dividend payment for the financial year 2017-18 and 2018-19 without Government's prior approval.***

● Quantum of Dividend Payable:

➢ The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished herein below.

श्रेणी	सीआरएआर	निवल एनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से लेकर 5% से कम तक	5% से लेकर 7% से कम तक
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा			
क	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% या अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
ख	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 10% या अधिक	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक
ग	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% या अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
घ	चालू वर्ष में 9% या अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

Category	CRAR	Net NPA Ratio			
		Zero	More than Zero but less than 3%	From 3 % to less than 5%	From 5% to less than 7 %
		Range of Dividend Payout Ratio			
A	11% or more for each of the last 3 years	Up to 40	Up to 35	Up to 25	Up to 15
B	10% or more for each of the last 3 years	Up to 35	Up to 30	Up to 20	Up to 10
C	9% or more for each of the last 3 years	Up to 30	Up to 25	Up to 15	Up to 5
D	9% or more in the Current year	Up to 10		Up to 5	Nil

[’वर्ष के दौरान’ शुद्ध लाभ के लिए’ लाभांश भुगतान अनुपात की गणना ‘एक वर्ष में देय लाभांश’ (लाभांश कर को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।]

➢ यदि प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ में कोई अतिरिक्त–साधारण लाभ / आय शामिल है, तो भुगतान योग्य अनुपात की गणना विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन के लिए ऐसी अतिरिक्त–साधारण मदों को छोड़कर करने के बाद की जाएगी।

➢ वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणी, जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी पात्रता से मुक्त होना चाहिए, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के लिए किसी भी पात्रता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

- भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपनी इक्विटी का 20% (अर्थात प्रदत्त पूंजी) या कर पश्चात लाभ का 20% जो भी अधिक हो, का न्यूनतम लाभांश देना आवश्यक है।

- लाभांश की मात्रा उपरोक्त उल्लिखित अनुसार मानदंडों की पूर्ति के अधीन होगी और सीमा (अधिकतम / न्यूनतम); यदि कोई हो; जैसा कि समय–समय पर भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य नियामक द्वारा निर्धारित किया जाता है। *(वर्तमान में, भारत सरकार के 24 जनवरी, 2018 की संसूचना के आधार पर, बैंक ने वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार को एक वचनपत्र दिया है कि वह वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई लाभांश भुगतान नहीं करेगा)*

- बैंक मुनाफे के आधार पर अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में अंतिम लाभांश घोषित करते समय इसे समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किए जाने वाले कुल लाभांश को इस नीति में निर्धारित सीमा (अधिकतम/ न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अधीन किया जाएगा।

[Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of ‘dividend payable in a year’ (excluding dividend tax) to ‘net profit during the year’.]

➢ In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/ income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio

➢ The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

- As per the extant guidelines of Government of India, the Banks are required to pay a minimum dividend of 20% of their equity (i.e paid-up capital) or 20% of their post-tax profits whichever is higher.

- The quantum of the dividend shall be subject to the fulfillment of the criteria as enumerated above and the limit (Maximum/Minimum); if any; as stipulated by GoI/RBI/Other regulator from time to time. ***(At present, based on the GOI communication dated 24th January, 2018, Bank has given an undertaking to DFS, GOI that it will not make any dividend payment for the financial year 2017-18 and 2018-19 without Government’s prior approval)***

- Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy.

श्री एल वी प्रभाकर, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यपाक निदेशक श्री एम वी राव और सुश्री ए. मणिमेखलै की उपस्थिति में दिनांक 09.03.2020 को बैंक की सामूहिक गतिविधियों के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को पहियेदार कुर्सी प्रदान की गई।

Shri. L.V. Prabhakar, MD & CEO along with Executive Directors, Shri. M.V. Rao and Ms. A. Manimekhalai provided Wheel Chair to specially/differently abled person under social activity of the Bank on 09.03.2020.

केनरा बैंक प्रधान कार्यालय से बेलगाम जिला के निप्पनी के ग्रामीणों में वितरण के लिए एक ट्रक राहत सामग्री भेजी गई। दिनांक 28.08.2019 को ट्रक को रवाना करते हुए बैंक के कार्यपालक निदेशकों के साथ केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर. ए. शंकर नारायणन।

A truckload of relief materials was packed and transported from the Head Office of Canara Bank to Nippani in Belgaum District for distribution among the villagers. The MD & CEO of Canara Bank Shri. R.A. Sankara Narayanan, along with the Executive Directors of the Bank is seen flagging off the truck on 28.08.2019.

दिनांक 13.11.2019 को संस्थापक दिवस की पूर्व संध्या पर रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री ए वी राव, श्री देवाशीष मुखर्जी और सुश्री मणिमेखलै ।

Executive Directors Shri. M.V. Rao, Shri. Debashish Mukherjee and Ms. A. Manimekhalai inaugurated Blood Donation Camp on the eve of Founder's Day on 13.11.2019.

दिनांक 09.03.2020 को मेधावी छात्राओं को केनरा विद्या ज्योति छात्रवृत्ति का वितरण करते हुए श्री एल वी प्रभाकर, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री एल वी प्रभाकर तथा कार्यपालक निदेशक श्री एम वी राव और सुश्री ए. मणिमेखलै ।

Shri. L.V. Prabhakar, MD & CEO & Executive Directors Shri. M.V. Rao and Ms. A. Manimekhalai distributed Canara Vidya Jyothi Scholarship to Meritorious Girl Students on 09.03.2020.

दिनांक 25.07.2019 को आयोजित 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री टी.एन. मनोहरन, अध्यक्ष

Shri T.N. Manoharan, Chairman presiding over the 17th Annual General Meeting on 25.07.2019

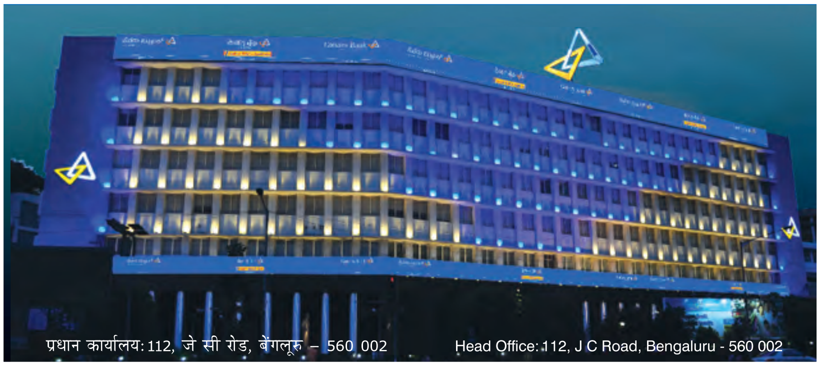

केनरा बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
Canara Bank
A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

Canara Bank : 1800 425 0018
Syndicate : 1800 208 3333

@canarabank
YouTube CanaraBankOfficial
canarabank
canarabankinsta